खण्ड–519, अंक–02
मंगलवार, 29 भाद्रपद, शक संवत् 1944
(20 सितम्बर, 2022 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(अट्ठारहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2022)

(खण्ड 519 में 05 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2023

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1-8
प्रदेश में ध्वस्त स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित अपनी नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग	9-14
प्रश्नोत्तर	14-163
मा0 सदस्यों को उनके जन्म दिवस पर सदन की ओर से बधाई ...	163-164
नियम-56 के अन्तर्गत नियम-311 की परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	164-178
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	179-180
जनपद-फिरोजाबाद की तहसील-जसराना में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ''जल जीवन मिशन'' के पैकेज-04 के अन्तर्गत पानी की टंकियों का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	180
जनपद-झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र में बेतवा नदी पर खिरिया घाट पर रपटा की जगह पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	180-181
जनपद-सुल्तानपुर की विधान सभा क्षेत्र सदर में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त हुयी सड़कों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	181
जनपद-बलिया की विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड के अन्तर्गत कतिपय सड़कों एवं पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	181-183
जनपद-गाजीपुर की विधान सभा क्षेत्र जखनियाँ के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	183-185
जनपद-कुशीनगर पडरौना में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये समस्त कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं गत वर्ष 2022-23 में सामग्री की खरीद में किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराकर कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	185
जनपद-पीलीभीत की विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में कतिपय मार्गों एवं नालियों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	185-186
जनपद-सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन में हिंडन नदी पर पुल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	186

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद-फतेहपुर के अशोक नगर में स्मृति द्वार बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	186
जनपद-फर्रुखाबाद के ग्राम भोजपुर से लैनगांव तक मार्ग का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	186-187
जनपद-खीरी के तहसील-धौरहरा में ग्राम प्रधान, लेखपाल तथा एस0डी0एम0 द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	187
जनपद-शामली के विधान सभा क्षेत्र सदर में कांधला-गंगेरू से गढ़ी दौलह लिंक रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	187-188
जनपद-फतेहपुर में यमुना नदी पर पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	188
जनपद-फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में एन0पी0एच0सी0 केन्द्र पर प्रसव की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	188-189
जनपद-सिद्धार्थनगर में कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	189
जनपद-बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर अन्तर्गत नाका खरीदगांव में पुलिस चौकी खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	189-190
जनपद-बलिया की विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों/स्थलों पर लगे ट्रांसफार्मरों की क्षमता को उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	190-191
जनपद-मुरादाबाद की तहसील-बिलारी में सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	191
लखनऊ में कुर्सी रोड पर प्रस्तावित वाटर ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	191-192
जनपद-सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र नकुड़ में बिडवी शुगर मिल एवं शाकुम्भरी शुगर मिल टोडरपुर के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	192
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	192
समाजवादी पार्टी के सभी निर्वाचित विधायकों को विधान सभा सत्र में सम्मिलित होने से रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	193-198

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (सदन के पटल पर रखा गया)	198
सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985-नियम-12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2022 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	198
इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया)	198
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-365/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (175)-2021, दिनांक 31 मार्च, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	198
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-335/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (176)-2021, दिनांक 06 अप्रैल, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	199
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-491/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (177)-2021, दिनांक 21 मई, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी)...	199
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-511/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (178)-2021, दिनांक 02 जून, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	199
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-512/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (179)-2021, दिनांक 02 जून, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	199-200
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-513/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (180)-2021, दिनांक 02 जून, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	200
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-586/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (181)-2021, दिनांक 16 जून, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	200
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-587/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (182)-2021, दिनांक 16 जून, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	200-201

विषय		पृष्ठ संख्या
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-495/ग्यारह-2-21-9(42)/17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश (183)-2021, दिनांक 19 जून, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी)	...	201
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-494/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(184)-2021, दिनांक 19 जून, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी)	...	201
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-492/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(185)-2021, दिनांक 19 जून, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी)	...	201-202
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-594/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(189)-2021, दिनांक 29 जून, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी)	...	202
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-595/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(190)-2021, दिनांक 29 जून, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी)	...	202
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-673/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(191)-2021, दिनांक 01 जुलाई, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी)	...	202
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-593/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(188)-2021, दिनांक 29 जून, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी)	...	203
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-651/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(192)-2021, दिनांक 13 जुलाई, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी)	...	203
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-493/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(187)-2021, दिनांक 29 जून, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी)	...	203
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-496/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(186)-2021, दिनांक 28 जून, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी)	...	204

विषय	पृष्ठ संख्या
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1365/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(168)-2020, दिनांक 17 दिसम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	204
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1285/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियमावली-2017-आदेश-(160)-2020, दिनांक 02 नवम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	204
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-02/ग्यारह-2-21-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(172)-2021, दिनांक 29 जनवरी, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	205
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-206/ग्यारह-2-21-9(42)/17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(173)-2021, दिनांक 23 फरवरी, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	205
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-650/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(193)-2021, दिनांक 28 जुलाई, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	205
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-652/ग्यारह-2-21-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(194)-2021, दिनांक 29 जुलाई, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	206
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1555/ ग्यारह-2-9(42)-17-उ0 प्र0 जी0 एस0 टी0-नियम-2017-आदेश-(74)-2019, दिनांक 11 दिसम्बर, 2019 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी)...	206
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1524/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(76)-2019, दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	206
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1526/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0 प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(83)-2019, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	207

विषय	पृष्ठ संख्या
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-77/ग्यारह-2-9(42)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(85)-2020, दिनांक 14 जनवरी, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	207
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-79/ग्यारह-2- 9(42)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(87)-2020, दिनांक 14 जनवरी, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	207
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-80/ग्यारह-2- 9(42)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(88)-2020, दिनांक 14 जनवरी, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी)	208
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-83/ग्यारह-2- 9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(89)-2020, दिनांक 28 जनवरी, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी)	208
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-84/ग्यारह-2- 9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(90)-2020, दिनांक 28 जनवरी, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी)	208
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-82/ग्यारह-2- 9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(93)-2020, दिनांक 05 फरवरी, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	209
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2- 446/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(103)-2020, दिनांक 29 अप्रैल, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	209
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-426/ग्यारह-2- 9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(104)-2020, दिनांक 30 अप्रैल, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	209
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-428/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(106)-2020, दिनांक 30 अप्रैल, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी)...	210
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-661/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(128)-2020, दिनांक 07 जुलाई, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	210

विषय	पृष्ठ संख्या
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-839/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ0 प्र0 जी0 एस0 टी0-नियम-2017-आदेश-(129)-2020, दिनांक 20 जुलाई, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	210
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-869/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(130)-2020, दिनांक 24 जुलाई, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	211
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-790/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(131)-2020, दिनांक 29 जुलाई, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	211
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-793/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(132)-2020, दिनांक 29 जुलाई, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	211
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-794/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(133)-2020, दिनांक 29 जुलाई, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	212
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-795/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(134)-2020, दिनांक 29 जुलाई, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	212
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-840/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(135)-2020, दिनांक 07 अगस्त, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	212
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-841/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(136)-2020, दिनांक 07 अगस्त, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	213
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-842/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(137)-2020, दिनांक 07 अगस्त, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	213
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-882/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(138)-2020, दिनांक 17 अगस्त, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	213
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-883/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(139)-2020, दिनांक 17 अगस्त, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	214

विषय	पृष्ठ संख्या
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-827/ग्यारह-2-20-9(46)-20-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(140)-2020, दिनांक 17 अगस्त, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	214
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-403/ग्यारह-2-9(18)/2012-उ0 प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(98)-2020, दिनांक 27 मार्च, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	214
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-411/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(99)-2020, दिनांक 31 मार्च, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	215
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-412/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(100)-2020, दिनांक 31 मार्च, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	215
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-362/ग्यारह-2-9 (42)-17-उ0 प्र0 जी0 एस0 टी0-नियम-2017-आदेश-(101)-2020, दिनांक 24 अप्रैल, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	215
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-399/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0 प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(102)-2020, दिनांक 24 अप्रैल, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	216
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-427/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(105)-2020, दिनांक 30 अप्रैल, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी)... ...	216
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-429/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(107)-2020, दिनांक 30 अप्रैल, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी)	216
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-466/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(108)-2020, दिनांक 05 मई, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	217
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-424/ग्यारह-2-20-9(01)-2008-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(109)-2020, दिनांक 06 मई, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	217

विषय	पृष्ठ संख्या
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-436/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(110)-2020, दिनांक 11 मई, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	217
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-437/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(111)-2020, दिनांक 11 मई, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	218
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-438/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(112)-2020, दिनांक 11 मई, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी)... ...	218
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-439/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(113)-2020, दिनांक 11 मई, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी)... ...	218
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-441/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(114)-2020, दिनांक 11 मई, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी)... ...	219
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-442/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(115)-2020, दिनांक 11 मई, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी)... ...	219
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-443/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(116)-2020, दिनांक 11 मई, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी)... ...	219
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-444/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(117)-2020, दिनांक 11 मई, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी)... ...	220
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-445/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(118)-2020, दिनांक 11 मई, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी)... ...	220
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-435/ग्यारह-2-9 (42)-17-उ0 प्र0 जी0 एस0 टी0-नियम-2017-आदेश-(119)-2020, दिनांक 11 मई, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	220

विषय	पृष्ठ संख्या
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-469/ग्यारह-2-20-9(46)-20-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(120)-2020, दिनांक 13 मई, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	221
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-467/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(121)-2020, दिनांक 15 मई, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	221
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-440/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(122)-2020, दिनांक 18 मई, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	221
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-488/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(123)-2020, दिनांक 26 मई, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	222
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-489/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(124)-2020, दिनांक 26 मई, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	222
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-490/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(125)-2020, दिनांक 26 मई, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	222
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-662/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(126)-2020, दिनांक 01 जुलाई, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	223
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-663/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(127)-2020, दिनांक 01 जुलाई, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	223
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1532/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(72)-2019, दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	223
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1763/ग्यारह-2-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(84)-2019, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	224

विषय	पृष्ठ संख्या
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-78/ग्यारह-2-9 (42)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(86)-2020, दिनांक 14 जनवरी, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी)	224
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-85/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(91)-2020, दिनांक 28 जनवरी, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी)	224
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-159/ग्यारह-2-9 (42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियमावली-2017-आदेश-(92)-2020, दिनांक 28 जनवरी, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	225
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-86/ग्यारह-2- 20-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(94)-2020, दिनांक 05 फरवरी, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी)	225
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-110/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(95)-2020, दिनांक 05 फरवरी, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी)	225
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-111/ग्यारह-2-9 (42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(96)-2020, दिनांक 17 फरवरी, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	226
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-271/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(97)-2020, दिनांक 28 फरवरी, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी)	226
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-979/ग्यारह-2-20- 9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(141)-2020, दिनांक 01 सितम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी)...	226
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-791/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(142)-2020, दिनांक 04 सितम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	227
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-823/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(143)-2020, दिनांक 23 सितम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	227

विषय	पृष्ठ संख्या
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1038/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(144)-2020, दिनांक 23 सितम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी)...	227
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1039/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(145)-2020, दिनांक 23 सितम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी)...	228
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1040/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(146)-2020, दिनांक 23 सितम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी)...	228
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-820/ग्यारह-2-20- 9(47)/17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(147)-2020, दिनांक 29 सितम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	228
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1155/ग्यारह-2-20-9 (47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(148)-2020, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	229
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1160/ग्यारह-2- 20-9 (42)/17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(149)-2020, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	229
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1154/ग्यारह-2- 21-9 (42)/17-उ0प्र0 जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(150)-2020, दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	229
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1183/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(151)-2020, दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	230
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1247/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(152)-2020, दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	230
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1248/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(153)-2020, दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	230

विषय	पृष्ठ संख्या
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1307/ग्यारह-2-20-9(42)/17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-(154)-2020, दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	231
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1245/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(155)-2020, दिनांक 02 नवम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	231
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1246/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(156)-2020, दिनांक 02 नवम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	231
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1282/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(157)-2020, दिनांक 02 नवम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	232
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1283/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(158)-2020, दिनांक 02 नवम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	232
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1284/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(159)-2020, दिनांक 02 नवम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	232
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1381/ग्यारह-2-20-9(42)/17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-(161)-2020, दिनांक 27 नवम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	233
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1382/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(162)-2020, दिनांक 27 नवम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	233
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1371/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(163)-2020, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	233
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1372/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(164)-2020, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	234

विषय	पृष्ठ संख्या
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1373/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(165)-2020, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	234
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1374/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(166)-2020, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	234
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1376/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(167)-2020, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	235
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1404/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(169)-2020, दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	235
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 04/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(170)-2021, दिनांक 15 जनवरी, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	235
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 03/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(171)-2021, दिनांक 20 जनवरी, 2021 (सदन के पटल पर रखी हुई मानी गयी) ...	236
भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	236
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	236
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	236
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	237
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	237
भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 (श्री राज्यपाल से वापसी की सूचना)	237

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (श्री राज्यपाल से वापसी की सूचना)	237
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 (श्री राज्यपाल से वापसी की सूचना)	237
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 (श्री राज्यपाल से वापसी की सूचना) ...	238
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (श्री राज्यपाल से अनुमति की सूचना)	238
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2002 (श्री राज्यपाल से वापसी की सूचना) ...	238-239
श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई व जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित एक याचिका तथा जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित आठ याचिकाएं (व्यपगत)	239-240
डा0 एम0पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	240
डा0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित दस याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	240-241
डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित दस याचिकाएं (व्यपगत)	241-242
डा0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित दस याचिकाएं (व्यपगत)	243-244
श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित दस याचिकाएं (व्यपगत)	244
श्री अनिल कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित दस याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	244-245
श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं) ...	245-246
श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित दस याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं) ...	246-247

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री उमर अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित आठ याचिकाएं (व्यपगत)	247-248
श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित दस याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं) ...	248-249
श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित दस याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	249-250
श्री जगदीश नारायण राय, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित दस याचिकाएं व जनपद लखनऊ की एक याचिका (उपस्थित की हुई मानी गईं)	251-252
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित छः जनपद उन्नाव से सम्बन्धित तीन व जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित एक याचिका (उपस्थित की हुई मानी गईं) ...	252-253
श्री पल्टूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	253
श्री प्रकाश द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (व्यपगत)	253-254
श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित नौ याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	254-255
श्री बावन सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गई)	255
श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित दस याचिकाएं (व्यपगत)	255-257
श्री बेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित दस याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	257-258
श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित नौ व जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित एक याचिका (व्यपगत)...	258-259
श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित दस याचिकाएं (व्यपगत)	259-260
श्री मोहन वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	261
श्री मौ0 फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सम्भल से सम्बन्धित चार व जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित छः याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	261-262

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	262
श्री राकेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद कन्नौज से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	263
श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूं से सम्बन्धित दस याचिकाएं (व्यपगत)	263-264
श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर से सम्बन्धित दस याचिकाएं (व्यपगत)	264-265
श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित दस याचिकाएं (व्यपगत)	265-266
श्री विनोद सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित छः व जनपद उन्नाव से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	266-267
श्री विवेक कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित दस याचिकाएं (व्यपगत)	268-269
श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित दस याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	269-270
श्री हंसु राम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित दस याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	270-271
श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित दस याचिकाएं (व्यपगत)	271-273
श्रीमती अलका सिहं, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	273
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	273-274
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 (पुरःस्थापित) ...	274-275
सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985-नियम-12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2022 (पुरःस्थापित) ...	275
इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2022 (पुरःस्थापित) ...	275-276
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	276
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	276-278
नत्थियाँ	279-310

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अट्ठारहवीं विधान सभा

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री सतीश महाना की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

मंगलवार, दिनांक 20 सितम्बर, 2022

उपस्थित सदस्य-377

1. अंकुर तिवारी, श्री — सन्तकबीरनगर
2. अखिलेश, श्री — आजमगढ़
3. अखिलेश यादव, श्री — मैनपुरी
4. अजय, श्री — गोण्डा
5. अजय कुमार, श्री — बागपत
6. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
7. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
8. अताउर रहमान, श्री — बरेली
9. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
10. अतुल प्रधान, श्री — मेरठ
11. अदिति सिंह, श्रीमती — रायबरेली
12. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
13. अनिल प्रधान, श्री — चित्रकूट
14. अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री — संतकबीरनगर
15. अनिल कुमार मौर्य, डॉ0 — सोनभद्र
16. अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
17. अनिल कुमार सिंह, श्री — उन्नाव
18. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
19. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
20. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
21. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
22. अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्री — अलीगढ़
23. अन्जुला सिंह माहौर, श्रीमती — हाथरस
24. अभय सिंह, श्री — अयोध्या
25. अभिजीत सिंह 'साँगा', श्री — कानपुर नगर
26. अमरेश कुमार, श्री — लखनऊ
27. अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
28. अमित सिंह चौहान, डा0 — अयोध्या
29. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
30. अरमान खान, श्री — लखनऊ
31. अरुण कुमार, डॉ0 — बरेली
32. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
33. अलका सिंह, श्रीमती — हरदोई
34. अवधेश प्रसाद, श्री — अयोध्या
35. अवधेश सिंह, डॉ0 — वाराणसी
36. अविनाश चन्द्र द्विवेदी, श्री — चित्रकूट
37. अशरफ अली खान, श्री — शामली
38. अशोक कुमार, श्री — रायबरेली
39. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
40. असीम अरुण, श्री — कन्नौज
41. असीम कुमार, श्री — कुशीनगर
42. आदित्यनाथ योगी, श्री — गोरखपुर

43. आनन्द कुमार यादव, श्री बहराइच
44. आर0 के0 पटेल, डॉ0 जौनपुर
45. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती प्रतापगढ़
46. आलमबदी, श्री आजमगढ़
47. आशा मौर्य, श्रीमती सीतापुर
48. आशीष कुमार सिंह 'आशू', श्री हरदोई
49. आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी', श्री लखनऊ
50. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
51. आशुतोष शुक्ल, श्री उन्नाव
52. आशु मलिक, श्री सहारनपुर
53. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
54. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
55. उमर अली खान, श्री सहारनपुर
56. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
57. ऊषा मौर्या, श्रीमती फतेहपुर
58. ऋषि त्रिपाठी, श्री महराजगंज
59. एम0पी0 आर्य, डॉ0 बरेली
60. ओमकुमार, श्री बिजनौर
61. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
62. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
63. ओममणी वर्मा, श्रीमती बांदा
64. कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, श्री आजमगढ़
65. कमाल अख्तर, श्री मुरादाबाद
66. कविन्द्र चौधरी, श्री बस्ती
67. किरत सिंह, श्री सहारनपुर
68. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
69. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
70. केतकी सिंह, श्रीमती बलिया
71. कैलाश, श्री चन्दौली
72. कैलाश नाथ, श्री बलरामपुर
73. कैलाश राजपूत, श्री कन्नौज
74. गणेश चन्द्र, श्री सन्तकबीरनगर
75. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
76. गीता शास्त्री (पासी), श्रीमती प्रयागराज
77. गुड़िया कठेरिया, श्रीमती औरैया
78. गुरु प्रसाद मौर्य, श्री प्रयागराज
79. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
80. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
81. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
82. गौरी शंकर वर्मा (कोरी), श्री जालौन
83. चंदन चौहान, श्री मुजफ्फरनगर
84. चन्द्रपाल सिंह, श्री बुलंदशहर
85. चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट), श्री फतेहपुर
86. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
87. छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
88. जगदीश नारायण, श्री जौनपुर
89. जय कुमार सिंह जैकी, श्री फतेहपुर
90. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
91. जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, श्री पीलीभीत
92. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
93. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
94. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
95. जयमंगल, श्री महराजगंज
96. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
97. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
98. जाहीद, श्री भदोही
99. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया

100. जियाऊर्रहमान, श्री मुरादाबाद
101. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
102. जीत लाल पटेल, श्री प्रतापगढ़
103. जै किशन साहू, श्री गाजीपुर
104. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
105. डी0सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
106. तुफानी सरोज, श्री जौनपुर
107. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्धनगर
108. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
109. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
110. दयाशंकर सिंह, श्री बलिया
111. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
112. दिनेश रावत, श्री बाराबंकी
113. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
114. दीपक कुमार मिश्र ''शाका'', श्री देवरिया
115. दुधराम, श्री बस्ती
116. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
117. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
118. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
119. देवेन्द्र सिंह, श्री कासगंज
120. देवेन्द्र सिंह लोधी, श्री बुलन्दशहर
121. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
122. धर्मपाल सिंह, डॉ0 आगरा
123. धर्मराज सिंह यादव, श्री बाराबंकी
124. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
125. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
126. नन्दकिशोर, श्री गाजियाबाद
127. नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी'', श्री प्रयागराज
128. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
129. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
130. नसीर अहमद खां, श्री रामपुर
131. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
132. नादिरा सुल्तान उर्फ बिटिया, श्रीमती कासगंज
133. नासिर कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
134. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
135. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
136. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
137. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
138. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
139. पंकज, श्री जौनपुर
140. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
141. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
142. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
143. पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक), श्री कुशीनगर
144. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
145. पल्लवी पटेल, डॉ0 कौशाम्बी
146. पिंकी सिंह, श्रीमती सम्भल
147. पीयूष रंजन निषाद, श्री प्रयागराज
148. पूजा, श्रीमती आजमगढ़
149. पूजा पाल, श्रीमती कौशाम्बी
150. पूनम संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
151. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
152. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
153. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
154. प्रदीप कुमार चौधरी, श्री बुलन्दशहर
155. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
156. प्रदीप कुमार सिंह, श्री हाथरस
157. प्रदीप शुक्ला, श्री गोरखपुर

158. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
159. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
160. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
161. प्रवीण पटेल, श्री प्रयागराज
162. प्रसन्न कुमार, श्री शामली
163. प्रेम नरायन पाण्डेय, श्री गोण्डा
164. प्रेम पाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
165. प्रेमसागर पटेल, श्री महराजगंज
166. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
167. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
168. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
169. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
170. बाबूराम, श्री पीलीभीत
171. बाबूलाल, श्री आगरा
172. बावन सिंह, श्री गोण्डा
173. बिजयलक्ष्मी गौतम, श्रीमती देवरिया
174. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
175. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
176. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
177. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
178. बेदी, श्री गाजीपुर
179. बेबीरानी मौर्य, श्रीमती आगरा
180. ब्रजभूषण राजपूत, श्री महोबा
181. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
182. ब्रजेश यादव, श्री बदायूं
183. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
184. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
185. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
186. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
187. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
188. मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री कुशीनगर
189. मनीष रावत, श्री सीतापुर
190. मनीषा, श्रीमती हमीरपुर
191. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
192. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
193. मनोज कुमार प्रजापति, डॉ0 हमीरपुर
194. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
195. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
196. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री अमेठी
197. महबूब अली, श्री अमरोहा
198. महाराजी प्रजापति, श्रीमती अमेठी
199. महेन्द्र, श्री अमरोहा
200. महेन्द्र नाथ यादव, श्री बस्ती
201. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
202. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
203. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
204. माधवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री हरदोई
205. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
206. मारिया अली, श्रीमती बहराइच
207. मीनाक्षी सिंह, श्रीमती बुलन्दशहर
208. मुकेश चौधरी, श्री सहारनपुर
209. मुकेश चन्द्र वर्मा, डा0 फिरोजाबाद
210. मुक्ता संजीव राजा, श्रीमती अलीगढ़
211. मूल चन्द्र सिंह, श्री जालौन
212. मेघश्याम, श्री मथुरा
213. मो0 ताहिर खान, श्री सुल्तानपुर
214. मोहन वर्मा, श्री कुशीनगर
215. मोहम्मद हसन 'रूमी', श्री कानपुर नगर
216. मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'', श्री कानपुर नगर

217. मौहम्मद फहीम इरफान, श्री मुरादाबाद
218. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
219. योगेश धामा, श्री बागपत
220. योगेश वर्मा, श्री खीरी
221. योगेश शुक्ला, श्री लखनऊ
222. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
223. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
224. रत्नाकर मिश्रा, श्री मिर्जापुर
225. रफीक अंसारी, श्री मेरठ
226. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
227. रमा शंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
228. रमेश, श्री जौनपुर
229. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
230. रमेश जायसवाल, श्री चन्दौली
231. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
232. रवि शर्मा, श्री झांसी
233. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
234. रवेन्द्र पाल सिंह, श्री अलीगढ़
235. रश्मि आर्य, डॉ0 झांसी
236. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
237. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 प्रतापगढ़
238. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
239. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
240. राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
241. रागिनी, डॉ0 जौनपुर
242. राघवेन्द्र शर्मा, डॉ0 बरेली
243. राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री इटावा
244. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
245. राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
246. राज प्रसाद उपाध्याय, श्री सुल्तानपुर
247. राजमणि, श्री प्रयागराज
248. राजीव कुमार, श्री अमरोहा
249. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
250. राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
251. राजीव सिंह ''पारीक्षा'', श्री झाँसी
252. राजेन्द्र कुमार, श्री प्रतापगढ़
253. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
254. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
255. राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
256. राजेश कुमार गौतम, श्री सुल्तानपुर
257. राजेश चौधरी, श्री मथुरा
258. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
259. राजेश्वर सिंह, श्री लखनऊ
260. रानी पक्षालिका सिंह, श्रीमती आगरा
261. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
262. राम अवतार सिंह, श्री बिजनौर
263. रामकृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
264. रामकेश निषाद, श्री बांदा
265. रामखिलाड़ी सिंह, श्री सम्भल
266. रामचन्द्र यादव, श्री अयोध्या
267. रामदुलार, श्री सोनभद्र
268. रामनरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
269. राम निवास वर्मा, श्री बहराइच
270. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
271. राम प्रताप वर्मा उर्फ शशिकान्त वर्मा, श्री बलरामपुर
272. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
273. राम बिलाश चौहान, श्री मऊ
274. राम मूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
275. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर

276. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
277. राहुल प्रकाश कोल, श्री मिर्जापुर
278. राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, श्री रायबरेली
279. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
280. रेखा वर्मा, श्रीमती औरैया
281. लकी यादव, श्री जौनपुर
282. लक्ष्मी राज सिंह, श्री बुलन्दशहर
283. लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
284. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
285. वाचस्पति, श्री प्रयागराज
286. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
287. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
288. विजयपाल (आढ़ती), श्री हापुड़
289. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
290. विनय प्रकाश गोंड, श्री कुशीनगर
291. विनय वर्मा, श्री सिद्धार्थनगर
292. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
293. विनोद कुमार बिन्द, डॉ0 मिर्जापुर
294. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
295. विनोद शंकर अवस्थी, श्री खीरी
296. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
297. विपिन कुमार डेविड, श्री एटा
298. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
299. विपुल दुबे, श्री भदोही
300. विमलेश पासवान, डॉ0 गोरखपुर
301. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
302. विवेक कुमार वर्मा, श्री पीलीभीत
303. विवेकानन्द पाण्डेय, श्री कुशीनगर
304. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
305. वीर विक्रम सिंह, श्री शाहजहांपुर
306. वीरेन्द्र चौधरी, श्री महराजगंज
307. वीरेन्द्र सिंह लोधी, श्री एटा
308. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री अयोध्या
309. शलभ मणि त्रिपाठी, श्री देवरिया
310. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
311. शशांक वर्मा, श्री खीरी
312. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
313. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
314. शिव प्रताप यादव, डॉ0 बलरामपुर
315. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
316. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
317. श्याम बिहारी लाल, प्रो0 बरेली
318. श्यामधनी राही, श्री सिद्धार्थनगर
319. श्याम सुन्दर, श्री रायबरेली
320. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
321. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
322. श्रीराम चौहान, श्री गोरखपुर
323. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
324. संग्राम सिंह, श्री बलिया
325. संजय कुमार शर्मा, श्री बुलन्दशहर
326. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
327. संजीव अग्रवाल, श्री बरेली
328. संजीव कुमार गोंड, श्री सोनभद्र
329. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
330. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
331. संदीप सिंह, श्री प्रयागराज
332. सचिन यादव, श्री फिरोजाबाद
333. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
334. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर

335. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
336. सभाकुंवर, श्री देवरिया
337. समरपाल सिंह, श्री अमरोहा
338. सरवन कुमार निषाद, इंजी0 गोरखपुर
339. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
340. सरोज कुरील, श्रीमती कानपुर नगर
341. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
342. सर्वेश सिंह, श्री फिरोजाबाद
343. सलोना कुशवाहा, श्रीमती शाहजहांपुर
344. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
345. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री प्रयागराज
346. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
347. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
348. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
349. सुनील पटेल, डॉ0 वाराणसी
350. सुभाष त्रिपाठी, श्री बहराइच
351. सुरभी, डॉ0 फर्रुखाबाद
352. सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री कुशीनगर
353. सुरेन्द्र चौरसिया, श्री देवरिया
354. सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
355. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
356. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
357. सुरेश राही, श्री सीतापुर
358. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
359. सुशांत सिंह, कुँवर बिजनौर
360. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
361. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
362. सुहेब उर्फ मन्नु अन्सारी, श्री गाजीपुर
363. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
364. सैय्यदा खातून, श्रीमती सिद्धार्थनगर
365. सोमेन्द्र सिंह तोमर, डॉ0 मेरठ
366. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
367. सौरभ सिंह सोनू, श्री खीरी
368. स्वामी ओउमवेश, श्री बिजनौर
369. हंसु राम, श्री बलिया
370. हरिओम, श्री कासगंज
371. हरिप्रकाश वर्मा, श्री शाहजहांपुर
372. हरीश चन्द्र, श्री बदायूं
373. हरेन्द्र सिंह, श्री हापुड़
374. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री प्रयागराज
375. हाकिम लाल बिन्द, श्री प्रयागराज
376. हिमान्शु यादव, श्री बदायूं
377. हृदय नारायण सिंह पटेल, श्री आजमगढ़

नोट :-जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री स्वतंत्र देव सिंह), नगर विकास, शहरी समग्र विकास, ऊर्जा मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा), प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री आशीष पटेल), मत्स्य मंत्री (श्री संजय निषाद), सहकारिता राज्य मंत्री (श्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर), संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास राज्य मंत्री (श्री जसवन्त सैनी) भी सदन में उपस्थित थे।

[11:00] प्रदेश में ध्वस्त स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग

***नेता विरोधी दल (श्री अखिलेश यादव)-**

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आज प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं। कोई गरीब अगर इलाज कराने जाता है तो आज एम्बुलेंसेज नहीं है, दवाओं का इन्तजाम नहीं है, जैसे-तैसे अगर कहीं पहुंच भी जाए तो उसका इलाज सम्भव नहीं है, डाक्टर्स पर्याप्त नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मेरा निवेदन है कि आप अपनी बात कहिये, लेकिन आप यह तो बता दें कि आप किस नियम के तहत कह रहे हैं।

श्री अखिलेश यादव-

मान्यवर, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं इसलिए स्वास्थ्य विभाग पर आज सदन में चर्चा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष

किस नियम में चर्चा होनी चाहिए।

श्री अखिलेश यादव-

नियम-311 में चर्चा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

नियम-311 क्या है ?

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग क्या अपने नेता को नहीं बोलने देंगे ? आप लोग बैठ जाएं।

श्री अखिलेश यादव-

नियम यह है कि उत्तर प्रदेश में अगर जनता के हित में सवाल उठता है, तो सदन की कार्यवाही रोककर उस पर चर्चा होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

मा0 माता प्रसाद पाण्डेय जी, मैं आपसे इस बारे में सुनना चाहूंगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

आप सारे नियमों को निलम्बित करके नियम-311 में सुन लें, यही नियम-311 कहता है।

श्री अखिलेश यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर विपक्ष नहीं जानता है तो अध्यक्ष जी आप हाईलाइट कर दीजिये। हम लोग अगर नियम नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप हाईलाइटेड कर दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 माता प्रसाद पाण्डेय जी पूर्व विधान सभा अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमें यह बता दें कि किन नियमों को निलम्बित करके आपको सुना जाय।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

कौन सा नियम निलम्बित करने की बात नहीं बल्कि सारे ही नियमों को निलम्बित करके सुन लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसका मतलब कि आज नियम-51, नियम-301, नियम-56 सारे नियमों को निलम्बित कर दें। आप बता दें कि कौन से नियम को निलम्बित कर दूं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, और कोई कहे या न कहे, लेकिन अगर नियम-311 की लिस्ट निकाल करके देखी जाय, तो सबसे ज्यादा आपके द्वारा ही नियम-311 की सूचना दी गई है।

श्री अध्यक्ष-

आपने उसे स्वीकार करके परम्परा नहीं डाली ना।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

परम्परा यही है कि नियमों को निलम्बित करके मेरी बातों को आप सुनिये।

श्री अध्यक्ष-

कौन सा नियम स्थगित कर दूं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

सारे नियमों को स्थगित करके सुन लीजिये।

***श्री लालजी वर्मा-**

माननीय अध्यक्ष जी, जिन नियमों के तहत क्वैश्चन ऑवर को प्राथमिकता दी गई है, उन नियमों को स्थगित कर दें । मान्यवर, एक मिनट सुन लें, कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाय। यानि जिस प्राथमिकता से प्रश्न प्रहर लिया गया है, उसको निलम्बित करते हुए हमारा नियम-311 सुन लिया जाए। चूँकि यह प्रदेश की महत्वपूर्ण समस्या है, इसलिए उसको सुनने की कृपा करें, यही हमारा प्रस्ताव है।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

श्री अध्यक्ष-

मा0 लालजी वर्मा जी, आप शॉर्टकट नहीं मारिए, पूरे तरीके से बताइए।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष महोदय, जब आप उस पीठ पर बैठे थे। जब आप अध्यक्ष बने थे, तो बधाई संदेश में मैंने यही कहा था कि राइट की तरफ कम देखना, लेफ्ट की तरह ज्यादा देखना ।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष जी, मैं उधर की तरफ देख ही नही रहा हूँ, जबसे बैठा हूँ, आपकी ही तरफ देख रहा हूँ।

श्री अखिलेश यादव-

दूसरा, जिस सरकार को मानवाधिकार ने नोटिस दिया हो और यह कहा हो कि प्राथमिकता पर बच्चों का इलाज सबसे पहले हो।

श्री अध्यक्ष-

आप नियम 56 में कह लीजिएगा।

श्री अखिलेश यादव-

मान्यवर, एक पिता आक्सीजन साथ लेकर अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए सीतापुर से चला। उसको न सीतापुर में इलाज मिला, न लखनऊ में इलाज मिला, तो अध्यक्ष महोदय आप ही बताइए कि यह सवाल महत्वपूर्ण है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष जी, मेरे हिसाब से आप जो कह रहे हैं यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा, लेकिन आज की तिथि में जो प्रश्न लॉ एण्ड आर्डर के लगे हैं, शिक्षा से संबंधी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगे हैं, शिक्षा भी महत्वपूर्ण है। साईबर क्राइम के सम्बन्ध में लगे हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। विनोद चतुर्वेदी जी ने कृषि योग्य बंजर भूमि के लिए प्रश्न लगाया है, तो महत्पूर्ण कौन सा प्रश्न नहीं है ? जिस समय हम यहाँ चर्चा करते हैं, तो हर क्षेत्र के सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। सबको लेना मेरी जिम्मेदारी है। इसमें स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न जिस समय होगा, उसको भी लेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आज स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न नहीं लगे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, लोगों का जीवन बचाना और आज सबके जीवन पर खतरा उत्पन्न हो गया है। इसलिए मा0 नेता प्रतिपक्ष ने ये प्रस्ताव किया है कि सभी नियमों को निलम्बित करते हुए जो प्रस्ताव है, उनको आप ग्राह्यता पर सुन लें । मान्यवर, उस पर चर्चा करा दें, ये हमारा प्रस्ताव है। मान्यवर, इसमें इतना समय जाया करने की कोई बात नहीं थी। इतने समय में तो हमारी बात आ जाती।

श्री अध्यक्ष-

आदरणीय वर्मा जी, अभी तक नियम-311 के बारे में जब चर्चा होती थी, तो यह कहा जाता था कि पहले नहीं सुना गया, इसलिए नहीं सुनेंगे। मैं इसके ऊपर इस मेरिट में नहीं जा रहा हूँ कि आदरणीय श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी ने नहीं सुना, इसलिए मैं नहीं सुनूँगा, इस पर नहीं जा रहा हूँ। मै इसलिए जा रहा हूँ कि वह मेरिट्स कैसे बनती हैं, इसके ऊपर पर डिस्कशन हो, वह आप बताइए ?

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मानवाधिकार ने सरकार को नोटिस दिया कि एक पिता अपने बच्चे को आक्सीजन लेकर सीतापुर से चला और लखनऊ में इलाज नहीं मिला, नोटिस का जवाब सरकार को देना है या उस इंस्टीट्यूशन को देना है। अध्यक्ष महोदय, क्या यह महत्वपूर्ण सवाल नहीं है ? क्या सभी नियमों को तोड़ कर इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए ? अध्यक्ष महोदय, अगर समय पर इलाज नहीं मिलेगा, तो जान नहीं बच सकती।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपके नियम-311 की नोटिस को अग्राह्य करता हूँ। प्रश्न संख्या-01।

(समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य सदन के वेल में आकर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे, घोर व्यवधान के मध्य।)

*** वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मा0 अध्यक्ष जी, नियम-311 की कोई परिस्थिति विधान सभा के समक्ष नहीं है। इसलिए ये लोग केवल हंगामा करना, केवल सदन का समय बर्बाद करना। इनको विधान सभा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में इसलिए चुनकर भेजा गया है कि ये अपने क्षेत्र की बात करें, विकास की बात करें, रचनात्मक सहयोग दें, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। कोई परिस्थिति नियम-311 की नहीं बनती है। मान्यवर, ये लोग हाउस का समय बर्बाद कर रहे हैं।

(समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य लगातार वेल में नारेबाजी करते रहे)

श्री अध्यक्ष-

मेरा आपसे निवेदन है कि आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं। जो ये प्रश्न हैं, स्वाभाविक रूप से जो मा0 सदस्य प्रतिपक्ष में बैठे हैं, उनके प्रश्न हैं। एक-एक प्रश्न के ऊपर सरकार जवाब देने के लिए तैयार है।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य अपने स्थान से सरकार विरोधी नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष-

सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, मेरा आपसे निवेदन है आप उसे सुनें।

(इसी मध्य समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय लोकदल के अनेक सदस्य वेल मे आ गए और सरकार विरोधी नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष-

विषय यह है कि मा0 मनोज जी ने नियम-311 में अपनी बात कहने के लिए कहा और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह बात कही है कि कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं, जो इसे नियम-311 में लिया जाए। मैंने यह कहा है कि इसको मैं नियम 311 में नहीं लूंगा । आप क्या चाहते हैं ? या आपके पास इसके अलावा क्या विकल्प है, जिसके ऊपर मैं आपको आश्वासन दूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी नियमावली में 311 इसलिए रखा गया है कि अगर बहुत ही विषम परिस्थिति हो, पर ऐसी कोई परिस्थिति उत्तर प्रदेश के सामने नहीं है। जिस दिन से योगी सरकार आयी है, उस दिन से हर क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए हैं और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, जिसमें विधान सभा की कार्यवाही निलम्बित की जाए और सबसे पहले इनकी सुनी जाए। चिकित्सा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जबरदस्त सुधार हुआ है। आज 38 करोड़ वैक्सीनेशन डोज लोगों को मिल चुका है और 4 करोड़ प्रिकॉशन डोज लग चुका है। पूरे देश में 200 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि जिसमें नियम-311 के तहत विधान सभा की कार्यवाही निलम्बित करके इनकी बात सुनी जाए।

श्री अध्यक्ष-

आप क्या चाहते हैं ? अगर आप सोच रहे हैं कि मैं हाउस स्थगित करूंगा तो वह मैं नहीं करूंगा। मैं आगे की कार्यवाही एजेंडा लेकर पूरा कर दूंगा, आप क्या चाहते हैं वह आप बताइये ? जो आपकी जायज बात होगी, उसको मैं सुनूँगा।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

आप नियम-56 में इस पर चर्चा करा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष ने इस पर सुझाव दिया है कि इसको नियम-56 में कन्वर्ट करके ले लिया जाए। इसको प्रश्नकाल के बाद ले लिया जाएगा।

(वेल में उपस्थित विपक्ष के अनेक सदस्य सरकार विरोधी नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष के द्वारा यह सुझाव आया है कि इसको नियम-56 में ले लिया जाए। क्योंकि आपने नियम-56 में नोटिस नहीं दिया था, फिर भी मैंने यह निर्णय लिया है कि आपकी नियम-311 की नोटिस को अगर मा0 संसदीय कार्य मंत्री तैयार होंगे, तो प्रश्न के बाद ले लेंगे। आप सब लोग बैठ जाइये ।

[11:14] प्रश्नोत्तर

नत्थी 'क'

तारांकित प्रश्न

प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों एवं सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों की जानकारी

*** 1-श्री प्रसन्न कुमार तथा मनोज कुमार पारस-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों, सफाई कर्मचारियों आदि के स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद रिक्त है ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री संदीप कुमार सिंह)-

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के 5,80,084 पद सृजित हैं तथा वर्तमान में सीधी भर्ती के ग्रामीण क्षेत्र में 51,112 तथा नगर क्षेत्र में 12,149 पद रिक्त हैं। परिषदीय विद्यालयों में सफाई कर्मचारी के पद स्वीकृत नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में 1,37,517 समायोजित शिक्षामित्रों के समायोजन को मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25-07-2017 द्वारा निरस्त किये जाने के उपरान्त ग्रामीण क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के प्रथम चरण में 68500 तथा द्वितीय चरण में 69000 सहायक अध्यापक के पदों पर चयन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी, जिसके क्रम में 68500 पदों पर चयन की कार्यवाही की जा चुकी है। 69000 सहायक अध्यापक भर्ती मा0 उच्च न्यायालय में योजित विभिन्न वादों के कारण सम्प्रति विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री प्रसन्न कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कितने बच्चों पर कितने अध्यापक होने चाहिए ? विद्यालय में सफाई कर्मचारी नहीं हैं। इसका भी जवाब दिया जाए कि कितने अध्यापक कम हैं और सफाई कर्मचारी नहीं हैं। सरकार ने ऐसी व्यवस्था पैदा कर दी है कि वहां पर सफाई कर्मचारी नहीं हैं। खुद अध्यापक सफाई करते हैं या बच्चों से टायलेट साफ कराते हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। सरकार इस पर ध्यान दे। मा0 मंत्री जी इसका जवाब दें कि ऐसा क्यों हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष-

आप सुझाव दे रहे हैं या प्रश्न कर रहे हैं ?

श्री प्रसन्न कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न है।

श्री संदीप कुमार सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने प्रश्न उठाया है कि छात्र और शिक्षक के बीच में क्या अनुपात होना चाहिए ? छात्र और शिक्षक के बीच में अनुपात पीटीआर के अनुसार होता है। प्राइमरी में 30 बच्चों पर एक शिक्षक का होता है और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पर 1 शिक्षक का होता है। जहां तक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की बात कर रहे हैं कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है तो हमारे पास विद्यालयों में इस समय लगभग 6,28,915 अध्यापक हैं, जिसमें से हमारे पास 1,47,767 शिक्षामित्र हैं और अनुदेशक 27,715 है और जहां तक सफाई कर्मियों की बात है तो विद्यालयों में अलग से सफाई कर्मियों के लिए व्यवस्था नहीं होती है, जो गांवों में सफाई कर्मचारी नियुक्त होते हैं उन्हीं के माध्यम से विद्यालयों में सफाई का कार्य कराया जाता है।

श्री प्रसन्न कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, शामली जिले में रामपुर खेड़ी गांव है वहां पर 162 छात्र हैं और 2 अध्यापक हैं। गुरतान गांव में 200 छात्र हैं और 1 अध्यापक है चोंदा हेड़ी गांव में।

श्री अध्यक्ष-

यह जो सारे के सारे अनुपात आप बता रहे हैं यह मा0 मंत्री जी के संज्ञान में होंगे। आप लिख कर दे दीजिए।

श्री अवधेश प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रदेश में कितने शिक्षामित्र हैं, क्या इनको सरकार शिक्षक के रूप में जैसाकि हमारी सरकार ने जब माननीय अखिलेश जी मुख्य मंत्री थे, किया गया था तो क्या उस दिशा में सरकार विचार करेगी ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसाकि मैंने अभी अपने उत्तर में बताया है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्र 1,47,767 हैं। अभी मा0 सदस्य पूछ रहे थे कि शिक्षामित्रों को हम शिक्षक के रूप में नियुक्त करेंगे या नहीं करेंगे, तो शिक्षामित्रों को वर्ष 2014 में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और 2017 में मा0 न्यायालय के आदेश के अनुसार क्योंकि एन0सी0टी0 के जो नियम हैं, उसके अनुसार जो हमारे शिक्षक होते हैं, उनको हमारे विभाग के द्वारा भर्ती परीक्षा को पास करना होता है, उसके लिए स्नातक होना अनिवार्य होता है, बी0 टी0 सी0 या बी0एड0 होना आवश्यक होता है। इसके साथ-साथ टेट भी उत्तीर्ण किया होना आवश्यक होता है। अगर इन मानकों को पूरा करते हैं, तो शिक्षामित्रों को हम शिक्षक के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। अभी हाल ही में जब 69000 और 68500 शिक्षकों की नियुक्तियां हुई थीं तो 15240 शिक्षामित्रों को जिन्होंने इन सारे मानकों को पूरा किया है, उनको नियुक्त भी किया गया।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने यह जानना चाहा था कि क्या प्राथमिक विद्यालयों में सफाई कर्मी की नियुक्ति की जायेगी ? यह सबसे बड़ी समस्या है। आए दिन आपने भी देखा होगा कि बच्चों से सफाई करायी जाती है । मा0 मंत्री जी ने अभी कहा कि सफाई कर्मी हर गांव में नियुक्त है। हर गांव में जो सफाई कर्मी नियुक्त है, उनको आपने जो गौशाला बनी है, उसमें नियुक्त कर दिया है, इसके कारण गांवों में भी सफाई नहीं हो पा रही है। मेरा एक प्रश्न तो यह है कि क्या विद्यालयों में सफाई कर्मी की नियुक्ति की जायेगी जिससे विद्यालय साफ-सुथरा रहे, बच्चों से सफाई न करानी पड़े, क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

माननीय अध्यक्ष जी, दूसरा प्रश्न यह है कि हमारे जो शिक्षक हैं एक तो मानक के अनुरूप हैं भी नहीं माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि इक्यावन हजार से ज्यादा पद शिक्षकों के रिक्त हैं। उसके बावजूद भी उन्हीं शिक्षकों से कभी जनगणना का काम, कभी वोटर लिस्ट बनवाने का काम, कभी अन्य तमाम कार्यों के द्वारा भी हमारे जिले में मान्यवर जो अभी कावड़ियों का जुलूस चल रहा था, उस समय भी शिक्षकों की नियुक्ति उनकी सुरक्षा में की गई थी, अगर शिक्षक अन्य कार्यो में लगाए जाएंगे तो निश्चित रूप से व्यवधान पड़ेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को, जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों को पढ़ाई के अलावा शिक्षकों को किसी अन्य कार्यों में नही लगाया जाएगा।

श्री संदीप कुमार सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक माननीय सदस्य ने सफाई कर्मियों के बारे में प्रश्न किया है तो सफाई कर्मियों की जो व्यवस्था है आज विद्यालयों की अगर हम प्रशिक्षित विद्यालयों की स्थिति देखें तो हमारे प्रशिक्षित विद्यालय आज बहुत बेहतर स्थिति में हैं। सफाई कर्मचारियों की अलग से विद्यालयों में नियुक्त करने की कोई व्यवस्था नही है तो जो ग्राम में सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं, उन्हीं के माध्यम से यह सारे काम को कराए जाने की व्यवस्था बनाई गई है। माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न उठाया था शिक्षकों के अन्य कार्यों को ले करके तो मुझे लगता है कि शिक्षकों के द्वारा पुराने समय में अन्य कार्यों को जिस तरह से उनके द्वारा काम कराए जाते थे आज की व्यवस्था में इन सारी चीजों को समाप्त कर दिया गया है, शिक्षकों का पूरा ध्यान ज्यादातर वह पठन-पाठन के कार्य के लिए दे रहे हैं।

***2-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

***3-श्री महबूब अली-**

[बहुत ब्यौरे की जानकारी के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में जनवरी, 2021 से जुलाई, 2022 तक हुये साइबर अपराध की घटनाओं की जांच पूर्ण किये जाने एवं रोकथाम हेतु प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या के सम्बन्ध में

***4-श्री पंकज कुमार मलिक-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनवरी, 2021 से 20 जुलाई, 2022 तक साइबर अपराध की कितनी घटनाएं घटित हुईं और उक्त में कितने अपराधों की जांच पूर्ण कर कितने अपराधी जेल भेजे गये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि साइबर क्राइम से संबंधित अपराधों की रोकथाम हेतु अब तक कितने पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

प्रदेश में जनवरी, 2021 से 20 जुलाई, 2022 तक साइबर अपराध की कुल 16552 घटनायें घटित हुई हैं। इन घटित घटनाओं में से 5769 घटनाओं में अपराधों की जांच पूर्ण कर 3595 अपराधी जेल भेजे गये हैं ।

साइबर क्राइम से सम्बन्धित अपराधों की रोक-थाम हेतु अब तक 15202 अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। उन्होंने खुद सवाल के जवाब में यह भेजा है कि प्रदेश में जनवरी, 2021 से 20 जुलाई 2022 तक साइबर अपराधों की कुल 16552 घटनाएं आईं, इन्होंने इन घटित घटना में पांच हजार सात सौ उनहत्तर घटनाओं में अपराधों की जांच पूर्ण की, 3,595 अपराधी जेल भेजे गए, मैं यह जानना चाहता हूं कि देरी क्यों हुई। माननीय मंत्री जी आप मुझे इस देरी के सम्बन्ध में बताइए, क्योंकि यह बहुत ही गम्भीर मामला है, आज कोई भी साइबर अपराध से सुरक्षित नही है, किसी के भी साथ में कोई घटना घट सकती है, इस तरह का प्रदेश में माहौल बना हुआ है। हम लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि इसे तत्काल रूप में बढ़ावा न मिले। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इसमें क्या कारण रहा कि 16552 का निस्तारण क्यों नहीं हुआ ? दूसरा अगर इसमें देरी हुई है, तो जिन अधिकारियों ने देरी की है सरकार उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी ? इन्होंने लिखा है कि 15202 अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि किस तरह का प्रशिक्षण उनको दिया गया है। क्या वह कम्प्यूटर और आई0टी0 के बारे में जानते हैं ?

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, साइबर क्राइम निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हमारी सरकार ने इसके लिए पूरी व्यवस्था की है कि हम लोगों को प्रशिक्षित भी करें, इसकी रोक-थाम भी करें और हर स्थिति में जो लोग इसमें दोषी पाए जाएं, उनको तत्काल सजा भी दिलाई जाए। इसके लिए विशेष रूप से यह व्यवस्था की है कि अभी तक केवल दो साइबर क्राइम के थाने थे एक लखनऊ में था और एक नोएडा में था, लेकिन माननीय योगी जी की सरकार में 16 नये थानों का सृजन हुआ है। हर कमिश्नरी रेलिंग के ऊपर एक-एक थाना बनाया गया है और इसके साथ ही साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए एक हेल्प लाइन नम्बर भी दिया गया है 1930 जो चौबीसों घण्टे जिसमें

60 कर्मचारी 20 लाइनों पर 24 घण्टे प्रभावी ढंग से उपस्थित रहते हैं, इण्टरटेन करते है। यह सही है कि साइबर क्राइम में जितने लोग अभी तक प्रशिक्षित हुये हैं उनको लगातार हम और प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि हमारे सभी थानों में जो साइबर थानें नहीं भी हैं उन थानों में भी इस प्रकार के प्रशिक्षित लोग आ जाएं जिससे उन जनपदों में भी अगर कोई केस हो तो उसको भी प्रभावी तरीके से डील किया जा सके, उसको हैण्डिल किया जा सके, उसमें सजा दिलायी जा सके और उसमें प्रापरली विवेचना हो सके। मान्यवर, मैं आपको यह भी बता दूँ कि इसमें जितने भी केसेज हैं उसमें से 4625 केसेज में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है, 4021 केसेज में आरोप-पत्र दाखिल हुआ और यह सही है कि अभी विवेचना लम्बित है। यह एक दिन की चीज नहीं है, क्योंकि कई-कई मामलों में ऐसा होता है कि बहुत दूर-दूर तक उसके तार फैले रहते हैं। अब जैसे मध्य प्रदेश से, झारखण्ड से, उत्तराखण्ड से कोई व्यक्ति अगर उसमें मुल्जिम होता है तो उसमें निश्चित रूप से देरी होती है। इसलिये हम समझते हैं कि इस प्रकार की कोई नयी व्यवस्था जब आती है तो उसमें सहयोग करना चाहिये, उसमें यह देखना चाहिये कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा क्राइम को रोकने की है, हर प्रकार से उसको चेक करने की है। इसीलिये 24 घण्टे की व्यवस्था की गयी है और हमें आपको 1930 नम्बर दिया गया है कि अगर किसी के साथ किसी वक्त कोई बात हो तो कम से कम लगातार उसमें जानकारी करके रिपोर्ट लगायी जा सके। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में लगातार जागरूकता के कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं, ताकि लोग जागरूक हों और इस प्रकार की घटनाओं से बचने का भी प्रयास हो। धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष-

अब अगला प्रश्न संख्या-05 लेते हैं।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा एक महत्वपूर्ण सुझाव भी है और सवाल भी है। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिससे सरकार को भी फायदा होगा। चूंकि यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। चूंकि आपने बताया कि इतने सेल हैं और इतने थाने हैं और उनमें इतनी कमियाँ हैं, आपने खुद ही अपनी बात कह दी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उनमें उपकरण हैं ? जब डाटा कलेक्ट करने की बात आती है तो सॉफ्टवेयर की रिकवरी कैसे हो, उसका इन्तजाम होना, उनको ट्रेस करने के लिये उपकरण के साथ-साथ साधन की भी आवश्यकता है। क्या सरकार इस पर विचार करेगी ? मान्यवर, यह महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिये इसे मेरा सुझाव मान करके मा0 मंत्री जी इसका जवाब दें। विपक्ष हमेशा आलोचना नहीं करता, जानकारी भी देना चाहता है। हम सभी लोग सदन के सदस्य हैं। मेरा यही अनुरोध है कि इसका जवाब मा0 मंत्री जी दे दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जब हम पुलिस में किसी को नियुक्त करते तो आर्म्स एक्ट के तहत उसको एस0 एल0 आर0 की भी ट्रेनिंग देते है या उसके पास जो भी वेपन होगा उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग का मतलब ही यही होता हैं कि हम उसको वह इक्विपमेंट्स उपलब्ध करा दें, जिसके लिये उसको प्रशिक्षित किया जा रहा है। सरकार ने इक्विपमेंट्स पर खासतौर से दोगुना बजट किया है। जब हम प्रशिक्षण देते हैं तो प्रशिक्षण देने का मतलब यह है कि हम उनको सभी तरह से वेल इक्विप्ड करें और उनको सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स उपलब्ध करा दें तभी प्रशिक्षण पूर्ण होगा अन्यथा प्रशिक्षण देने का कोई मतलब नहीं है।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, वीडियो काल आप पर भी आ सकती है और किसी पर भी आ सकती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इसीलिये 24 घण्टे व्यवस्था की गयी है।

श्री अध्यक्ष-

अब अगला प्रश्न संख्या-05 मा0 श्री विनोद चतुर्वेदी जी का है।

प्रदेश में बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाये जाने सम्बन्धी कार्य योजना की जानकारी

***5-श्री विनोद चतुर्वेदी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितनी भूमि बंजर है ? क्या सरकार बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाये जाने की कोई प्रभावी योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

राजस्व अभिलेखों के अनुसार प्रदेश में कुल 304351.2142 हे0 बंजर भूमि है ।

वर्तमान में परती भूमि विकास विभाग की अधीनस्थ इकाई उ0 प्र0 भूमि सुधार निगम में कोई योजना संचालित नहीं है और न ही कोई योजना प्रस्तावित है ।

उपरोक्तानुसार ।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

मा0 अध्यक्ष जी, उत्तर दिया गया है कि वर्तमान में परती भूमि विकास विभाग की अधीनस्थ इकाई उ0प्र0 भूमि सुधार निगम में कोई योजना संचालित नहीं है और न ही कोई योजना प्रस्तावित है। यह 04 मई का डिटेल है जिसमें कहा गया है कि दीन दयाल उपाध्याय कृषि समृद्धि योजना के अन्तर्गत योगी गवर्नमेन्ट बंजर भूमि पर फसल उगाकर किसानों की आय बढ़ायेगी और इसमें यह डिटेल है कि एक सर्वेक्षण के अनुसार जिन क्षेत्रों में यह कार्य योजना लागू की गयी है वहाँ की उत्पादकता में औसत 8.58 कुन्तल की वृद्धि हुयी है। इसके साथ ही किसानों की आय में 48.53 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुयी है। यह इकोनॉमिक टाइम्स में 04 मई का डिटेल है, दूसरा डिटेल जून का है, लेकिन जवाब में आ रहा है कि कोई योजना नहीं चल रही है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 चतुर्वेदी जी, अखबार का संज्ञान नहीं लिया जाता है। आपके पास सरकार का इस प्रकार का कोई आदेश हो तो बता दें।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि वर्ष 2017 से 2021 तक कितनी बंजर भूमि उपजाऊ बनाये जाने पर व्यय हुआ है ? और दूसरा प्रश्न यह है कि जो दीन दयाल उपाध्याय योजना चल रही है उसमें कितना व्यय हुआ है और होगा ? तीसरा प्रश्न है कि भूमि संरक्षण की जो इकाइयाँ बुन्देलखण्ड में चल रही हैं, बुन्देलखण्ड में सबसे ज्यादा नदियाँ हैं और वहां पर बंजर भूमि बहुत है, वहां पर इकाइयाँ बहुत समय से चल रही हैं उनका पैसा तो जाता है, लेकिन धरातल पर कोई काम दिखायी नहीं देता है । मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि उनकी जांच करायी जाय और देखा जाय कि वहां पर काम हो रहा है या नहीं ? करोड़ों रुपया किसान के नाम पर जाता है और उसमें धांधली हो जाती है, इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि सरकार इसकी जांच भी कराये और आश्वासन दे तथा समेकित रूप से उत्तर दे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, सवाल बंजर भूमि से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में टोटल जितनी भूमि है, इस भूमि का हमने जो आंकड़ा दिया है वह मात्र 1.03 प्रतिशत है। हम अगर लैण्ड बैंक नहीं बनायेंगे तो इण्डस्ट्रिलाइजेशन कैसे करेंगे ? उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर इण्डस्ट्रिलाइजेशन हो रहा है। अभी 80 हजार करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री जी ने ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी करी थी । इसीलिए हमने कहा है कि बंजर भूमि को फसली बनाने में हमारी कोई योजना नहीं है और जहां तक बंजर भूमि पर फसल की बात है तो चाहे आम हो, चाहे आंवला हो या चाहे बेरी हो

आज इसी जमीन पर उगते हैं। ये अपने आप इनको समझना चाहिए कि हमको इंडस्ट्री डवलपमेन्ट के लिए लैण्ड बैंक चाहिए। 10 लाख करोड़ रुपये की मा0 मुख्य मंत्री जी ने घोषणा कर रखी है और जनवरी में उसकी शुरुआत भी करनी है। आखिरकार जब हमारे पास लैण्ड बैंक नहीं होगा तो हम कहां से जमीन देंगे।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, यह कृषि से जुड़ा हुआ प्रकरण है। मेरा प्रश्न है कि जो एरिया आपने अभी बताया है कि 1.03 प्रतिशत है इस पर मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि कृषि विभाग से संबंधित भी एक इकाई है, भूमि संरक्षण विभाग क्या वर्तमान में इस पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है और यदि कर रहा है तो वह क्या काम कर रहा है और कितनी बंजर जमीनों पर उसने काम किया है और कितना व्यय किया है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसकी जानकारी अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो प्रश्न था उसका जो जवाब मैंने दिया है वह पूरी तरह सत्य है।

प्रदेश के सभी जनपदों में मनरेगा संविदा कर्मियों के मानदेय से ईपीएफ कटौती किये जाने के सम्बन्ध में

***6-हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन जिलों में मनरेगा संविदा कर्मियों के मानदेय में से 12 प्रतिशत की दर से ईपीएफ कटौती कर धनराशि उनके खाते में जमा की जा रही है ? क्या सरकार शेष जिलों में मनरेगा संविदा कर्मियों के मानदेय में से ईपीएफ कटौती करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

जी हां।

जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार 75 जनपदों में से 72 जनपद में संविदा कार्मिकों के मानदेय से 12 प्रतिशत की दर से ई0 पी0 एफ0 कटौती की जा रही है। शेष 3 जनपदों गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़ में कोई भी कार्मिक तैनात नहीं है ।

जनपदों द्वारा की गयी ई0 पी0 एफ0 कटौती की धनराशि कार्मिकों के यू0 ए0 एन0 खातों में कुल 53 जनपदों (आगरा, बांदा, बुलन्दशहर, गोण्डा, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, चन्दौली, गोरखपुर, अमरोहा, बरेली, चित्रकूट, हमीरपुर, बहराइच, बदायूँ, देवरिया, खीरी, हाथरस, फतेहपुर, झांसी, कुशीनगर, जालौन, अयोध्या, कानपुर नगर, ललितपुर, कन्नौज, मीरजापुर, कासगंज, सम्भल, लखनऊ , मैनपुरी, रायबरेली, सन्तकबीरनगर, महाराजगंज, मथुरा,

रामपुर, शाहजहाँपुर, महोबा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, उन्नाव, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, सोनभद्र, पीलीभीत, सीतापुर, मऊ, फिरोजाबाद, गाजीपुर, बलरामपुर, बागपत, औरैया, आजमगढ़ एवं एटा) द्वारा जमा करायी गयी है ।

जी हां।

शेष 19 जनपदों (अमेठी, कौशाम्बी, सन्तरविदासनगर, बस्ती, हरदोई, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, वाराणसी, मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, इटावा, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, बलिया, शामली, जौनपुर एवं प्रयागराज) द्वारा ई0 पी0 एफ0 कटौती की धनराशि कार्मिकों के यू0 ए0 एन0 खातों में जमा किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के पत्र संख्या-एफएन-1(13) पी0 एफ0 एम0 एस0/एफ0 सी0 डी0/2020, दिनांक 23-03-2021 के माध्यम से राज्य स्तर पर एस0 एन0 ए0 बैंक खाता चिन्हित कर योजना का संचालन एक ही बैंक खाते के माध्यम से किये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम में जनपदों एवं विकास खण्डों में संचालित समस्त प्रशासनिक मद के बैंक खाते को बन्द कर दिया गया था, जिनके माध्यम से ई0 पी0 एफ0/कर का भुगतान किया जाता था। बैंक खातों के बन्द हो जाने के कारण माह नवम्बर, 2021 से कार्मिको के ई0 पी0 एफ0 कटौती की धनराशि उनके यू0ए0एन0 खाते में जमा करने में जनपदों/विकास खण्डों में समस्या उत्पन्न हो रही थी । माह नवम्बर, 2021 के उपरान्त ई0 पी0 एफ0 कटौती में हुई समस्या के निराकरण हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या-एफएन-1(13) पी0 एफ0 एम0 एस0/एफ0 सी0 डी0/2020, दिनांक 16-03-2022 के क्रम में राज्य मुख्यालय के कार्यालय पत्र संख्या-1132/मनरेगा सेल/पत्रा0 सं0-499/2022, दिनांक 06-06-2022 द्वारा ई0 पी0 एफ0 कटौती के सम्बन्ध में समस्त जनपदों को निर्देश निर्गत किये गये हैं। नवीन खोले गये बैंक खातों (होल्डिंग एकाउण्ट) में धनराशि आहरण हेतु तकनीकी प्रक्रिया नरेगा वेबसाइट पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित नहीं की गयी है, जिसकी कार्यवाही भारत सरकार के स्तर पर प्रकियाधीन है। कार्यवाही पूर्ण होते ही समस्त जनपदों के कार्मिकों के यू0ए0एन0 खाते में ई0 पी0 एफ0 की धनराशि हस्तान्तरित करना प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हाजी इरफान सोलंकी-

मान्यवर, प्रदेश के किन जिलों में मनरेगा संविदा कर्मियों के मानदेय में से 12 प्रतिशत की दर से ईपीएफ कटौती कर धनराशि उनके खाते में जमा की जा रही है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इसमें जो भी कार्यवाही करनी थी, जो भी पोर्टल के ऊपर अपलोड करना था, वह अपलोड कर दिया गया है। भारत सरकार का हमें जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलता है, हम उसे एक्टिवेट कर देंगे। सम्भावना यह है कि लगभग दो महीने में हो जायेगा।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

मा0 अध्यक्ष जी, जो माननीय विधायक जी का प्रश्न था उसमें ग्राम रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, ब्लाक व जिला समन्वय आदि संविदा कर्मियों की बदहाल आर्थिक स्थिति के मद्देनजर पूछा गया था। इस प्रश्न के उत्तर से यह सिद्ध होता है कि राज्य सरकार ने मनरेगा के संविदा कर्मियों के हितार्थ कोई कदम नहीं उठाया है।

श्री अध्यक्ष-

अगर पहले ही आप उन्हें समझा देते तो वे ही यह प्रश्न पूछ लेते।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

अध्यक्ष जी समय-समय पर जिम्मेदारी केन्द्र सरकार पर डाल कर अपने आपको बरी करने का प्रयास किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि उक्त मनरेगा कर्मियों का बहुत सा मानदेय अभी बकाया है, क्या उनके बकाये मानदेय को नियमित समय तक भुगतान करने का आश्वासन मंत्री जी सदन में देंगे।

श्री अध्यक्ष-

इसका जवाब मंत्री जी दे चुके हैं।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

अध्यक्ष जी क्या मनरेगा कर्मियों के संगठन पदाधिकारी द्वारा अपने हितार्थ सरकार के समक्ष रखी गयी मानदेय प्रतिवर्ष बढ़ाने व नियमित कराने जैसी जायज मांगों को स्वीकृत कराने का आश्वासन मंत्री जी सदन में देंगे।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न इसमें नहीं है जो आपने पहले प्रश्न पूछा था उसका उत्तर आ गया है।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी बैठें हैं, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे बिलारी ब्लाक के अन्दर कोई काम नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

वह आप अलग से प्रश्न दे दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अध्यक्ष जी, बिलारी का अलग से दिखवा लेंगे।

प्रदेश में मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली धनराशि की जानकारी एवं मृतक कृषक के परिवारों को योजना का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में

***7-राकेश प्रताप सिंह-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत प्रभावित कृषक परिवारों को कितनी धनराशि दी जा रही है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि किसानों की हत्या में मृतक कृषक के परिवारों को भी उक्त योजना का लाभ दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

इस योजना के अन्तर्गत कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की दशा में अधिकतम रुपये 5 लाख की सहायता राशि निम्नानुसार देय होगी, जोकि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी :-

क्र0	दुर्घटना के कारण मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में	देय धनराशि
1.	मृत्यु अथवा पूर्ण शारीरिक अक्षमता की स्थिति	100 प्रतिशत
2.	दोनों हाथ अथवा दोनों पैर अथवा दोनों आंखों की क्षति	100 प्रतिशत
3.	एक हाथ तथा एक पैर की क्षति	100 प्रतिशत
4.	एक हाथ या एक पैर या एक आंख की क्षति	50 प्रतिशत
5.	स्थायी दिव्यांगता 50 प्रतिशत से अधिक होने पर किन्तु 100 प्रतिशत से कम होने पर	50 प्रतिशत
6.	स्थायी दिव्यांगता 25 प्रतिशत से अधिक होने पर किन्तु 50 प्रतिशत से कम होने पर	25 प्रतिशत

(1) यदि कोई कृषक मृत्यु/दिव्यांगता की तिथि को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में बीमित है तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किसी भी अन्य योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता से आच्छादित है, तो उसकी दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की दशा में सामान्य रूप से उसके विधिक वारिस/वारिसों स्वयं कृषक को इन योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त सहायता की धनराशि को समायोजित करते हुये अन्तर की धनराशि देय होगी। इस अन्तर की धनराशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा ।

(2) इसी प्रकार प्राकृतिक आपदा में मृत्यु की दशा में रु0 4.00 लाख की धनराशि प्राप्त होती है तथा 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता होने पर 2.00 लाख रुपये तथा 40 से 60 प्रतिशत की दिव्यांगता होने पर रु0 59,100/- प्रति व्यक्ति राज्य आपदा मोचक निधि से प्राप्त होते हैं। राज्य आपदा मोचक निधि से प्राप्त होने वाली धनराशि मृत्यु की दशा में रुपये 4.00 लाख अथवा दिव्यांगता की दशा में प्राप्त हुयी धनराशि को घटाते हुये अन्तर की धनराशि देय होगी ।

(3) उपर्युक्त उप प्रस्तर (1) व (2) में उल्लिखित योजनाओं को सम्मिलित कर कृषक/विधिक वारिस/वारिसों को प्राप्त होने वाली धनराशि यदि रुपये 5.00 लाख से अधिक हो जाती है तो ऐसी दशा में मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना से कोई धनराशि देय नहीं होगी ।

जी नहीं। हत्या के प्रकरणों में मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत लाभ दिया जाना अनुमन्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-358/एक-9-2022, दिनांक 24-03-2022 द्वारा सम्बन्धित को निर्देशित किया गया है ।

उपरोक्तानुसार ।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह मुद्दा गरीबों, किसानों, मजदूरों, श्रमिकों से जुड़ा हुआ है। यदि किसान श्रमिक की दुर्घटना होती है तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसको 5 लाख का अनुदान दिया जाता है। यह 2012 से 2017 की सरकार में पूर्व मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी की सरकार ने दिया था। मंहगाई चरम पर बढ़ती गयी और इन 6 सालों से एक रुपये भी इसमें नहीं बढ़ाया गया है। किसानों की हितैषी सरकार को मैं यह जानकारी देना चाहता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि प्रश्न कैसे घुमाये जाते हैं इसको देख लीजिए । सरकार के अधिकारी एवं कर्मचारी कैसे जवाब तैयार करते हैं तथा जवाब देते हैं और कैसे बिना पढ़े मंत्री जी उस पर दस्तखत करके हम लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। बिन्दु संख्या-3 के प्रश्न पर जो जवाब आया है एक हाथ तथा एक पैर की क्षति 100 प्रतिशत है तो उसको 5 लाख अनुदान मिलेगा। बिन्दु संख्या-4 पर जवाब आया है कि एक हाथ या एक पैर की क्षति पर 50 प्रतिशत। तीसरे बिन्दु पर यदि एक हाथ एक पैर कट गये तो 100 प्रतिशत अनुदान है तो वहीं एक हाथ या एक पैर पर 50 प्रतिशत कैसे हो सकता है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय राकेश जी उसको ठीक तरीके से पढ़िये आप भी विद्वान सदस्य हैं। तीसरे नम्बर पर लिखा है एक हाथ तथा एक पैर। चौथे नम्बर पर है एक हाथ या एक पैर। दोनों में फर्क है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है। दूसरा क्या हत्या हुए किसानों या श्रमिकों को सरकार अनुदान देने का काम करेगी, जोकि पूर्व सरकार देती आई है। पूरे साढ़े पांच साल तक सरकार यह अनुदान देती आई है। 24-03-2022 को एक पत्र जारी किया गया 358/2022 कि अब अनुदान नहीं दिया जायेगा। अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि गरीब किसान 10000 का गेहूं और धान बेचकर अपने घर वापस आ रहा है। अपनी सब्जी बेचकर अपने घर वापस आ रहा है। अपराधी उससे 10000 रुपये छीनने के लिए जाता है और उसको गोली मार दी जाती है लेकिन उसको अनुदान नहीं दिया जायेगा। मैं अपने क्षेत्र का एक उदाहरण दे रहा हूं। गुरू सरन यादव निजामुद्दीन पुर के प्रधान थे जो अपने घर में सो रहे थे उनके घर में कुछ अराजक तत्व रात में लूट करने गये। उन्होंने सोते-सोते उठने का प्रयास किया तो उनको गोली मार दी गयी। उनको 5 लाख रुपये नहीं दिया जायेगा क्योंकि प्रधान जी अपने घर में सो रहे थे। मैं सरकार से यह अनुरोध भी करता हूं और यह प्रश्न करता हूं कि 24-03-2022 को जो पत्र जारी किया गया है कि हत्या हुए किसान को या श्रमिक किसान को जो 5 लाख अनुदान देना बन्द किया गया है क्या सरकार इसको दुबारा देने पर विचार करेगी ? जरूरत है उन श्रमिक किसानों की विधवा महिलाओं के बारे में, उनके नाबालिग बच्चों के विषय में, उनके बूढ़े माँ-बाप के विषय में सरकार इस सम्बन्ध में विचार कर ले।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, इनको तो इस बात के लिए बधाई देनी चाहिए कि योगी सरकार ने बटाईदार को भी इसमें हिस्सेदार बना दिया है। अभी तक ज्यादातर खेती लोग बटाई पर देते हैं, पिछली बार जब हम उधर बैठते थे तो बराबर इस बात की मांग होती थी। हमारी कमी निकाल रहे है लेकिन अपने आप ठीक से पढ़ नहीं रहे है और यहां पर इस तरह की बाते करते हैं खुद बटाईदार से खेती कराते हैं आपको इसके लिए तो सरकार को धन्यवाद देना चाहिए।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

आप इस तरह सदन में मेरी गरीबी का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं मैं खेती खुद करता हूं, बटाई पर कराता नहीं हूं।

नेता विरोधी दल (श्री अखिलेश यादव)-

अध्यक्ष महोदय, मा0 सदस्य कंफ्यूज न हो, मा0 नेता सदन ने मंत्री जी को बताया है कि ये खेती नहीं करते हैं बटाई पर खेती कराते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना -

मा0 अध्यक्ष जी, यह पूरा मैंने उत्तर में ही बता दिया है कि जो भी किसान को क्षति होती है, उसकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गयी है और इस सरकार का सबसे बड़ा निर्णय यह ही था कि हमने बटाईदार को भी इसमें हिस्सेदार बनाया है। मान्यवर, यह सही है कि हत्या के मामले में इस प्रकार की व्यवस्था ठीक नहीं लगी तो इसलिए उसको वापिस लिया गया है। मैं समझता हूं कि बहुत से मामलों में इस वक्त यह डिबेट का मौका नहीं है लेकिन किसी वक्त अगर यह होगा तो इस पर भी हम बोलेंगे लेकिन उसको यह माना गया कि बहुत सी जगह पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। हत्या के मामलों पर अगर आप देखे तो एनसीबीआरबी के जो आंकड़े सदन में कोट किये जाते थे और अब हत्याओं का आंकड़ा तो बहुत नीचे आ गया है।

श्री अध्यक्ष-

आप इस प्रश्न का जबाव दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसके ऊपर तो मैंने सवाल के जबाव में कहा है। हम इसको छुपा नहीं रहे है। लेकिन इन लोगों में जिस प्रकार की क्षति मान्यवर, होती है अभी तक बटाईदार को सबसे ज्यादा होती थी लेकिन हमने उसको भी इसमें हिस्सेदार बना दिया है और अगर किसान की दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार को ही उसका हक मिलेगा।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, हम बस यह कहना चाहते है कि सरकार की मंशा यही है कि किसानों को लाभ मिले यह योजना हमारी सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने शुरू की थी और हम धन्यवाद देते है कि आपने बटाई के लोगों को भी जोड़ा है और परिवार के लोगों को भी जोड़ा है लेकिन हम यह कहना चाहते है कि इस चीज को यहाँ सदन में पक्ष और विपक्ष बिना देखे हुए यह विचार करे कि अगर वह किसान चाहे 10 बिसवा या उसके आस पास खेती है और उसकी हत्या हो जाती है तो वह तो दिवंगत हो गया और उसका परिवार यतीम हो गया तो क्या सरकार ऐसे मामलों में भी किसानों को पांच लाख दुर्घटना बीमा योजना का लाभ देने पर पुनर्विचार करेगी कि क्या किसान को हितों को देखकर इनमें जोड़ा जायेगा बस हम यहीं पूछना चाहते है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, इस प्रकार का फिलहाल कोई विचार सरकार के पास अभी नहीं है लेकिन मा0 मुख्य मंत्री के द्वारा समय-समय पर अगर कोई घटना इस प्रकार की होती है तो

विवेकाधीन कोष से उन परिवारों की मदद की जाती रही है और आगे भी आवश्यकता होने पर की जायेगी ।

***8-श्री अजय कुमार-**

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

***9-श्री रविदास मेहरात्रा-**

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में स्वच्छ पेयजल मिशन के अन्तर्गत आम जनमानस के घरों तक पानी की सप्लाई पूर्ण कराये जाने की समय सीमा की जानकारी

***10-श्री अभय सिंह-**

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्वच्छ पेयजल मिशन के अन्तर्गत आम जनमानस के घरों तक पानी की सप्लाई पूर्ण करने की कोई समय-सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार वैकल्पिक रूप में आवश्यकतानुसार हैण्डपम्पों की मरम्मत, रि-बोर एवं अधिष्ठापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जल शक्ति मंत्री (श्री स्वतंत्र देव सिंह)-

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों को चरणबद्ध रूप से वर्ष 2024 तक पाइप पेयजल योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है। प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अभय सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण और आम आदमी तथा गरीबों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। माननीय मंत्री जी की विभागीय वेवसाइट पर है कि कुल लक्षित 58000 ग्राम पंचायतों में से इस समय मात्र 23000 ग्राम पंचायतों में कार्य चल रहा है अथवा प्रक्रिया के अधीन है। कई गांवों में अभी तक टंकी बनाने के लिए जमीन तक चिन्हित नहीं की गई है। इस प्रकार की लगभग 35000 ग्राम पंचायतें हैं जहां आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट, आयरन या अन्य हानिकारक तत्वों से भूजल प्रभावित है और वहां पर अभी तक कार्य भी शुरू नहीं किया गया है। मेरा प्रश्न है कि ऐसे में सरकार वर्ष 2024 तक हर घर जल योजना को कैसे पूरा करेगी। मेरा एक दूसरा प्रश्न भी है, एक ऐसे स्थान जहां पर गरीब लोग रहते हैं वह लोग वहां पर छोटा वाला देशी हैण्डपाइप लगाये हुये है। वहां पर वाटर का स्टेटा नीचे चला गया है या डार्क

जोन में चला गया है। ऐसे गरीब लोग 20, 25 या 28 हजार का इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प नहीं लगा सकते हैं, तो ऐसी दशा में सरकार उनके लिए हैण्डपाइप लगाने के लिए क्या काम कर रही है। वर्ष 2024 आने में अभी दो साल बाकी है और देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि वर्ष 2024 तक आपका लक्ष्य पूरा हो पायेगा, फिर भी यदि मान लें कि वर्ष 2024 में लक्ष्य पूरा हो भी जायेगा, तो ऐसी स्थिति में दो साल तक वह लोग कैसे पानी पियेंगे।

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा लक्ष्य वर्ष 2024 तक सभी घरों तक पानी देने का है। जल जीवन मिशन की यह योजना विश्व की सबसे बड़ी योजना है। पहले क्या स्थिति थी जब पानी घरों में नहीं रहता था, उस समय महिलाओं की क्या स्थिति रहती थी और बाकी लोगों की क्या स्थिति रहती थी यह सभी जानते हैं। योगी सरकार में सभी काम पूरे किए जा रहे हैं। गरीब के लिए जो भी आवश्यकतायें हैं, पक्के मकान से लेकर शौचालय तक, बिजली के कनेक्शन से लेकर पानी तक सभी कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है। योगी सरकार का इरादा नेक है, दृढ़ इच्छाशक्ति है और पूरी ईमानदारी है। अभी तक प्रतिदिन 10,000 कनेक्शन घरों को देने का लक्ष्य था। उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों ने व्रत लिया कि आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन पर हम 51000 घरों तक पानी पहुँचायेंगे, लेकिन उन्होंने उस दिन 1,20,821 कनेक्शन देने का लक्ष्य पूरा कर दिया। श्री अभय जी, कृपया आप चिंता ना करें। मैं वर्ष 2024 तक हर घर तक पानी पहुँचाऊंगा, यह आपको दृढ़ विश्वास दिलाता हूँ।

श्री ओम प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुपूरक प्रश्न करना चाहता हूँ। यहां पर बात माननीय मंत्री जी की नहीं है, बल्कि योगी सरकार की बात है । मैं बताना चाहता हूँ कि देश की बहुत बड़ी आबादी का विधान सभा क्षेत्र मेरे पास है। वहां पर 16 ग्राम ऐसे है जहां पर चार साल से काम हो रहा है, लेकिन एक भी गांव में अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि यह विश्व की सबसे बड़ी योजना है और वर्ष 2024 तक सबको पानी दे देंगे। यह अच्छे दिन वाले हैं, यह मैं जानता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, कृपया आप माननीय मंत्री जी से उत्तर दिलवा दीजिये कि अभी तक उन्होंने प्रदेश की कितनी ग्राम सभाओं को सेचुरेट करने का काम किया है।

श्री अध्यक्ष-

इसका जवाब तो प्रश्न के लिखित उत्तर में आपके पास आ गया होगा ।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, प्रश्न के उत्तर में इसका जवाब नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ।

श्री ओम प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे गाजीपुर जनपद का भदौरा विकास खण्ड बहुत बड़ा है। वहां पर इस योजना की स्थिति बहुत खराब है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी के पास ब्लाकवाइज उत्तर तो नहीं होगा।

श्री ओम प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, हमें आपका संरक्षण चाहिये। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड का उदाहरण देकर पूरे प्रदेश से संबंधित सूचना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मैं अभी आपको माननीय मंत्री जी से उत्तर दिलवा रहा हूँ।

श्री ओम प्रकाश-

माननीय मंत्री जी बता दें कि अभी तक उन्होंने प्रदेश के कितने ग्रामों को हर घर जल योजना से सेचुरेट कर दिया है। माननीय मंत्री जी को एक रूतबा है बार-बार योगी सरकार, योगी सरकार कहने का। तो हम लोग कहां कह रहे हैं कि हम लोगों की सरकार है। हम इन्हीं की सरकार की बात कह रहे हैं, तो हम इन्हीं से तो प्रश्न पूछेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिये। मैं उत्तर दिलवाता हूँ।

श्री ओम प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी शपथ लेकर कह देंगे वह वर्ष 2024 तक सबको पानी दे देंगे।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय मंत्री जी यह भी बता दें कि अभी तक कितना काम हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

दो अनुपूरक प्रश्न आ गये है जिनका माननीय मंत्री जी उत्तर दे देंगे।

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी तक 3040165 घरों को नल से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में 4200000 घरों तक पेयजल उपलब्ध कराया जाना निश्चित है और

4500000 घरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है। वैश्विक महामारी और चुनाव के कारण यह योजना साल भर और छह महीना लेट हो गई है। लेकिन आप विश्वास रखें जब योगी सरकार दृढ़ निश्चय कर लेती है तो वह काम पूरा होता है। आपके घर 2024 तक पानी न पहुंचे तो आप मुझे कहना। 2024 तक सबके घरों में पानी पहुंचेगा ।

श्री अजय कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

पहले प्रश्नकाल समाप्त हो जाये तब आप कहिये । आप जो कहना चाहते हैं कि किन कारणों से आपका प्रश्न नहीं आया। अभी उसकी जानकारी नहीं है कि किन कारणों से नहीं आया। पहले प्रश्नकाल हो जाने दें।

प्रदेश में जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा विकास प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने के सम्बन्ध में

***11-श्री जगदीश नारायण-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा क्षेत्र में विकास के प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से कराने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के पालन हेतु प्रभावी व्यवस्था करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। अतः जिला पंचायतें एवं क्षेत्र पंचायतें स्वायत्तशासी संस्थायें हैं प्रदेश की जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों को केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग से आवंटित होने वाले अनुदान के सापेक्ष निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला पंचायत सदस्यों एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा दिए गये प्रस्ताव को जिला पंचायत बोर्ड एवं क्षेत्र पंचायत बोर्ड की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं जिस पर बोर्ड स्वयं प्राथमिकता के आधार पर विचार कर निर्माण हेतु प्रस्ताव पारित करती है ।

उपरोक्तानुसार ।

श्री जगदीश नारायण-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 73वें संविधान संशोधन में जिला पंचायतों को जो अधिकार दिये गये हैं, वह स्पष्ट है। क्या उसमें मा0 विधायकों को सम्मिलित किया गया है ? क्या वह उस संशोधन के अनुसार उसमें

सदस्य हैं ? क्या उनका प्रस्ताव जिला पंचायत में लिया जाता है ? दूसरा आपने कहा है कि जो भी प्रस्ताव है वह बोर्ड द्वारा स्वीकृत होता है। क्या इस प्रक्रिया का पालन पूरे प्रदेश में हो रहा है ? यदि नहीं हो रहा है तो आप इसको स्पष्ट रूप से फिर से निर्देशित करने एवं मुख्य विकास अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपने का काम करेंगे ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)-

मा0 सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है 73वाँ संविधान संशोधन जो पंचायत को संवैधानिक दर्जा देता है, वह स्पष्ट दर्शाता है कि पंचायतों की स्वायत्तता है, एक इंडिपेंडेंट बाडी है। प्रदेश सरकार का उसमें कोई दखल नहीं है। अगर प्रदेश सरकार दखल देने लगे और प्रस्तावों को यहाँ से गाइड करने लगे तो उस अधिकार का सरासर उल्लंघन होगा । उसी को दृष्टिकोण में रखते हुये जो इंडिपेंडेंट बाडी है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और जो भी फैसले वहाँ विकास संबंधी होते हैं, वह बोर्ड फैसला लेता है और बोर्ड बहुमत के आधार पर चलता है और उसी के अधीन फैसले किये जाते हैं यही लोकतंत्र की मूल भावना है और उसी के अनुरूप कार्य किया जा रहा है।

श्री जगदीश नारायण-

यदि बोर्ड के फैसले का अनुपालन नहीं हो रहा होगा तो क्या कार्रवाई होगी, अध्यक्ष मनमानी कर रहे हों, बोर्ड का फैसला नहीं मान रहे हों तो समुचित विकास अगर जिले का नहीं हो रहा है तो उस पर कार्रवाई करने का सरकार को कोई अधिकार है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

तो उसमें कोई नियम होगा, उस नियम के अन्तर्गत कार्रवाई होगी।

श्री अतुल प्रधान-

मा0 अध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूँ कि आप जिला पंचायत का कहीं भी पता कर लीजिए कि विधायक अगर सदन में बोलते भी हैं और वह अपने प्रस्ताव देते भी है तो एक भी प्रस्ताव उनका मान्य नहीं होता है। जो इस सरकार से संरक्षित जिला पंचायत अध्यक्ष हैं किस तरह के काम वहाँ पर किये जा रहे हैं। अगर उसकी जांच मा0 मंत्री जी करा लें तो हमारे जिले में सात करोड़ रुपये की लाइटें लगी हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी उन लाइटों की क्वालिटी बहुत घटिया है। 3200 रुपये की एक सोलर लाइट लगायी है जिसकी कीमत 1200 रुपये है। आप जांच करा लें। सात करोड़ की लाइट में दो करोड़ का काम नहीं हुआ है। आपके लोग वहाँ पर पांच करोड़ रुपये खा गये हैं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने जो बात कही है, उसमें मैं यह कहना चाहता हूँ कि भारत में दो संविधान संशोधन हुये थे। एक 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान

संशोधन। उसमें नगर पंचायतों को और रूरल को स्वायत्तता दिये जाने की बात की गयी थी। दो चीजें मैं जानना चाहता हूँ कि उसकी जो अनुसूची भारत सरकार ने लोक सभा में लाकर पारित की थी । उत्तर प्रदेश में उसकी कितनी अनुसूची को स्वीकार किया गया है और लागू किया गया है ? दूसरा, मा0 अध्यक्ष जी आपका संरक्षण भी चाहता हूँ और आग्रह भी करना चाहता हूँ कि तमाम मा0 सदस्य जो जिला पंचायत के सदस्य हैं सच्चाई यह है कि कई कार्यकाल तो हमारा ही हो गया है। मान्यवर, जितने हमने जनहित के विषय जिला पंचायत में लिखकर दिए हैं और मैं समझता हूँ कि विपक्ष के साथी भी सहमत होंगे कि हम लोगों के एक भी जनहित के प्रस्ताव जिला पंचायत में नहीं लिए जाते हैं। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि जब हम लोगों के जनहित के प्रस्ताव विभाग में जाएं तो उनको प्राथमिकता दी जाए। यह मा0 मंत्री जी बता दें कि 73वें संशोधन की कितनी अनुसूची लागू है।

श्री जितिन प्रसाद-

मा0 अध्यक्ष जी, जो सवाल मा0 सदस्य जी ने पूछा है, उसकी सूची मैं उपलब्ध करा दूँगा और मैं मा0 सदस्य को अपने आफिस में चाय के लिए आमंत्रित करता हूँ। मगर मैं यह मा0 विधायकगण को बताना चाहता हूँ कि यह संवैधानिक दर्जा जो जिला पंचायतों को प्राप्त है यह आटोनामस एवं स्वत्रन्त होकर काम करती है। मा0 विधायक जी सवाल उठाएंगे कि केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार के कामों में हस्ताक्षेप कर सकती है, नहीं कर सकती है। जो काम प्रदेश सरकार के अधीन है, उसमें केन्द्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

प्रदेश में आउटसोर्सिग भर्तियों के स्थान पर स्थाई/संविदा पर नौकरी दिये जाने विषयक

***12-डॉ0 संग्राम यादव [अनुपस्थित]-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आउटसोर्सिंग से मैन पावर की भर्तियां की जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बेरोजगारों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए आउटसोर्सिंग के स्थान पर स्थाई/संविदा पर नौकरी दिये जाने की नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

शासनादेश संख्या-8/2019/20/1/91-का-2/2019, दिनांक 18-12-2019 द्वारा प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उसके अधीनस्थ संस्थाओं में मानव सम्पदा का क्रय (आउटसोर्सिंग ऑफ मैनपावर) जैम पोर्टल से लिए जाने की व्यवस्था है। सरकार द्वारा बेरोजगारों की सीधे लाभ पहुँचाने के लिए लोक सेवा आयोग/अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आदि के माध्यम से स्थाई रूप से नौकरी दिए जाने हेतु सतत रूप से भर्ती की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में कोरोना की वजह से पुलिस भर्ती न होने के कारण अभ्यर्थियों की उम्र सीमा में बदलाव करने के सम्बन्ध में

***13-श्री सचिन यादव-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत 02 वर्षों से कोरोना की वजह से पुलिस भर्ती न होने के कारण अभ्यर्थियों की भर्ती की उम्र सीमा में बदलाव करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में विगत 02 वर्षों में उ0 प्र0 पुलिस, पी0 ए0 सी0, उ0 प्र0 अग्निशमन विभाग में विभिन्न अराजपत्रित पदों तथा कारागार विभाग में जेल वार्डर के पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया सम्पन्न करते हुये कुल 64,907 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम घोषित किया गया है। चयन की प्रक्रिया कोविड अथवा किसी अन्य कारण से कभी बाधित नहीं रही है।

उक्त से स्पष्ट है कि उ0 प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा विगत 02 वर्षों में कोरोना काल के दौरान (वर्ष 2020-2021) में भी विभिन्न अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही सम्पन्न की गयी है । अतः अभ्यर्थियों की भर्ती हेतु उम्र सीमा में बदलाव का कोई औचित्य स्थापित नहीं होता है ।

श्री सचिन यादव -

मान्यवर, कोराना काल में जो अभ्यर्थी किसी वजह से अपना एग्जाम नहीं दे पाए हैं और जवाब में कहा गया है कि चयन कि प्रक्रिया कोविड अथवा किसी अन्य कारण से कभी बाधित नहीं है। इसीलिए सभी परिणाम घोषित किए गये। मैं इन बातों को सच मानता हूँ लेकिन बहुत सारे कोरोना के समय बीमार रहे और बीमारी के कारण एग्जाम नहीं दे पाएं या लिमिटेड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के कारण एग्जाम में नहीं पहुँच पाए। मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी दो या तीन दिन में जारी किया है कि जो लोग कोरोना काल में एग्जाम नहीं दे पाए हैं और आगे चलकर एग्जाम दे पाएं उनको आयु में तीन वर्ष की छूट दी गयी है। मेरा सरकार से दो-तीन सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि जो लोग बीमारी के कारण या लिमिटेड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के कारण एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुँच पाए है। क्या सरकार उनकी आयु को बढ़ाने के लिए कोई छूट देगी ? दूसरी बात यह है कि पेरिओडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट है इसके आधार पर सरकार में 12 लाख पद खाली है तो मेरा सवाल यह है कि उन 12 लाख खाली पदों को कब तक भर दिया जायेगा और अगर उन पदों को नहीं भरा जायेगा तो क्यों नहीं भरा जायेगा ? इसी सर्वे के अनुसार यह भी बताया गया है कि सरकार के जो एम्प्लायमेन्ट ब्यूरो हैं

उसमें वर्ष 2020 में सिर्फ 33 लोगों को नियुक्ति हुई है और वर्ष 2019 में सिर्फ 14 लोगों की नियुक्ति की गयी है। इससे मालूम होता है कि जो हमारी सरकार एम्प्लायमेन्ट ब्यूरो चला रही है वह पूरी तरह से असफल हैं। उनको फिर से बेहतर बनाने के लिए सरकार कोई योजना लाएगी और उसमें कैसे परमानेण्ट आफिसर की नियुक्ति होगी, कैसे स्कील मैपिंग होगी, उस तरह से अनएम्प्लायमेन्ट को कम करने के लिए सरकार क्या योजना लाएगी और कैसे विचार करेगी ? दूसरी बात यह है कि जहां पर ज्यादा बैक्वर्ड तहसील है। जैसे हमारे जसराना क्षेत्र में कोई भी इण्ड्रस्टी नहीं है और वहां पर राज्य सरकार का अनएम्प्लायमेन्ट रेट पोस्ट कोविड 10 प्रतिशत से 17 प्रतिशत तक फ्लैक्चुएट कर रहा है। जबकि जसराना क्षेत्र जैसी तहसील में मेरे अंदाज से अनएम्प्लायमेन्ट रेट 25-30 प्रतिशत से ऊपर होगा क्योंकि वहां पर नौकरी की कोई भी फैसिलिटीज नहीं है। तो क्या बैक्वर्ड तहसीलों के लिए सरकार कोई विशेष योजना बनाने पर विचार करेगी ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना -

मान्यवर, हमने मूल प्रश्न के उत्तर में भी इस बात का जिक्र किया है कि कोई भी कार्य कोरोना काल में भी नहीं रूका है और अगर मा0 सदस्य चाहें तो हम उसका आंकड़ा भी दे सकते है कि कब-कब, कितने-कितने लोगों को विभिन्न विभागों में सेवायोजित किया गया और हमें कोविड काल में कोई भी व्यवधान देखने को नहीं मिला है। हमारी ऐसी कोई योजना भी नहीं है कि हम उन्हें अलग से दो साल का ग्रेस पीरियड दें। इस प्रकार की फिलहाल कोई भी योजना नहीं है। जहां तक एम्प्लायमेन्ट आफिस की बात है हम बता सकते हैं कि चाहे पुलिस में हों, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से हो या फिर लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो। हमने हर क्षेत्र में लोगों को एम्प्लायमेन्ट दिया है।

मान्यवर, इसमें हमने वर्ष 2017 से लेकर अब तक 6,99,821 लोगों को रोजगार दिया है, ये ऑन पेपर है और अगर आप अलग-अलग इसका ब्रेकअप चाहते हैं तो हम ब्रेकअप बता देंगे।

श्री सचिन यादव -

मान्यवर, जो माननीय मंत्री जी ने जो कहा है वह नौकरी को देखते हुए कहा है कि हमने इतनी नौकरियां दी हैं लेकिन जो इम्प्लायमेंट ब्यूरो हर तहसील और जिले पर बने हुए हैं, अगर वह अच्छे से काम करने लग जाएंगे और स्कील मैपिंग करने लग जायेंगे तो हो सकता है कि अनइम्प्लायमेंट रेट कम हो जाए। जो इम्प्लायमेंट ब्यूरो है, वह बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। उसके थ्रू जो नौकरियां लग रही हैं, उसका आंकड़ा मैंने दिया है कि एक साल में पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ चौदह लोगों की नौकरी लगाई है, तो इम्प्लायमेंट ब्यूरो पूरी तरह फेल है। दूसरा, मेरा यह है कि बीमारी की वजह से, मतलब जिन्हें कोविड हो गया था उसकी वजह से जो लोग

एग्जाम नहीं दे पाये अगर सरकार उन पर विचार कर ले तो अच्छा रहेगा क्योंकि उन्होंने तीन-चार साल से तैयारी की है।

श्री अध्यक्ष-

उसका उत्तर आ चुका है कि कोविड के दौरान कोई एग्जाम नहीं हुये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, श्रम विभाग के माध्यम से जो हम रोजगार मेले लगाते हैं जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिला, वे ही उसे क्वारडिनेट करते हैं।

श्री सचिन यादव-

मान्यवर, मेरा सुझाव यही है कि उस पर कोई बेहतर योजना ले आइये जिससे वह बेहतर काम कर सके।

प्रदेश में अमृत सरोवर (तालाब) योजना में जल संचय प्रक्रिया की जानकारी एवं ग्रामों के तालाबों की स्वीकृत कैचमेन्ट एरिया की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में

***14-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अमृत सरोवर (तालाब) की नव सृजित योजना में जल संचय की प्रक्रिया क्या है ? क्या सरकार ग्रामों के तालाबों की स्वीकृति के पूर्व कैचमेन्ट एरिया की सघन जाँच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

प्रदेश में अमृत सरोवर (तालाब) में जल संचय के लिए कम से कम एक एकड़ का मानक तय किया गया है, जिसमें न्यूनतम जल संग्रहण क्षमता 10 हजार क्यूबिक मीटर होनी चाहिए। अमृत सरोवर में जल संचय हेतु शासनादेश संख्या-245/अड़तीस-7-2022-46 नरेगा/2019, संख्या-723/33-3-2022-723/2022, दिनांक 27-04-2022 के प्रस्तर-3 में निर्देश दिये गये हैं कि अमृत सरोवर में वर्ष पर्यन्त जल की उपलब्धता बनी रहे, इसकी व्यवस्था भी की जाएगी, परन्तु अमृत सरोवर को मुख्यतः वर्षा जल को संचित कर ही भरा जाएगा। अमृत सरोवर के तट पर अथवा आस-पास (मौके की स्थिति के अनुसार) नीम, पीपल, कटहल, जामुन, बरगद, सहजन, पाकड़, महुआ आदि के पौधे लगाये जायेंगे एवं प्रस्तर-4 में निर्देश दिये गये हैं कि अमृत सरोवर में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी दशा में गाँव की नालियों से होता हुआ गन्दा पानी नहीं पहुंचे। अमृत सरोवर में गंदा जल (सीवेज) न जाये, इसके लिए यथा आवश्यक डाइवर्जन नाली आदि का निर्माण किया जाएगा। अमृत सरोवर में वर्षा का जल पूर्ण रूपेण आ सके, इसके लिए समुचित इनलेट की व्यवस्था की जाएगी तथा वर्षा जल वहां तक पहुंच सके इसके लिए आवश्यक चौनलाइजेशन भी किया जायेगा। तालाब में साफ पानी अन्दर जाए, इसके लिए पानी के आगमन (इन्ट्री प्वाइन्ट) पर यथा आवश्यक स्क्रीन एवं सिल्ट

चौम्बर की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। जिस सरोवर में क्षमता से अधिक जल आने की सम्भावना हो, वहां जल निकासी की भी समुचित व्यवस्था बनायी जाए ।

जी हाँ ।

प्रत्येक जिले के लिए बी0आई0एस0ए0जी0एन0 द्वारा लगभग 100 संभावित स्थलों की सूची निम्नानुसार किये जाने की व्यवस्था है :-

नई साइटें बंजर भूमि और वर्षा जल की उपलब्धता।

स्थलाकृतिय मिट्टी (गहराई/गहराई प्रकार) या भूगर्भ शास्त्र। विशेष रूप से निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाएगा :-

भूमि की उपलब्धता (बंजर भूमि)

जल निकासी के माध्यम से वर्षा जल की उपलब्धता

स्थलाकृति-गड्ढ़ा, निचला क्षेत्र (बेहतर)

मिट्टी की गहराई-गहरा

मिट्टी का प्रकार- न क्षारीय, न लवणीय, न अम्लीय

भूविज्ञान– साइट पर कोई लाइनमेंट फाल्ट आदि नहीं

कायाकल्पतरू अतिरिक्त क्षमता

रिहायशी इलाकों और ढांचागत कार्यों से दूरी को ध्यान में रखते हुए ।

अमृत सरोवर के सम्बन्ध में निर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देश के बिन्दु सं0-6.3.4 में निर्देश दिये गये हैं कि संभावित साइटों पर जन प्रतिनिधियों, पंचायती राज संस्थायें, जनता के सदस्यों, नागरिक सामाजिक संगठनों, शैक्षणिक और अनुसंधान निकायों आदि से भी सुझाव प्राप्त कर सकते हैं। अमृत सरोवर पोर्टल का उपयोग ऐसी प्रत्येक सुझाई गई साइट के तकनीकी मानकों को उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। इस अभ्यास के आधार पर लगभग 100 संभावित स्थलों की सूची तैयार की जानी चाहिए। स्थलों को अंतिम रूप देते समय, जिला विशेष रूप से पेयजल के संदर्भ में पानी की कमी वाले ब्लाकों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।

इसी प्रकार बिन्दु सं0-6.3.5 में निर्देश दिये गये हैं कि तकनीकी और प्रशासनिक दोनों तरह की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक दोनों अधिकारियों की संयुक्त टीमों द्वारा ऐसी प्रत्येक साइट का दौरा किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा ऐसी टीमों का गठन किया जाएगा, जो सभी संबंधित एजेंसियों से ली गई मानव संसाधन पर आधारित होगी, ताकि इसे कम से कम समय में पूरा किया जा सके। टीमें किसानों, संभावित उपयोगकर्ताओं

सहित सभी संबंधित हितधारकों के साथ चर्चा करेंगी और जलग्रहण क्षेत्र (कैचमेंट एरिया), जल निकासी चैनलों आदि का भी दौरा करेगी। साइटों की व्यवहार्यता पर टिप्पणी करने के अलावा, टीमें अन्य संबंधित कार्यों पर भी रिपोर्ट करेंगी जैसे कि अतिक्रमण को हटाना, ग्रे-वाटर का उपचार, विवाद आदि । इस अभ्यास के आधार पर, संभावित स्थलों को वस्तुनिष्ठ मापदंडों पर रैंक किया जाएगा और 75 शीर्ष रैंक वाली साइटों का चयन किया जाएगा। यदि आवश्यक हो, तो जिले में स्थापित उचित निर्णय लेने वाली संस्थाओं द्वारा सूची का पुनरीक्षण किया जा सकता है

प्रश्न नहीं उठता।

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मेरा जो मूल प्रश्न था वह यह था कि जल सृजित योजना में जल संचय की प्रक्रिया क्या होगी ? आपने कहा कि हर तालाब में उसकी संग्रहण क्षमता 10 हजार क्यूबिक मीटर होनी चाहिए। मान्यवर, जब आपने यह योजना बनाई तो निःसंदेह इसमें आप चाहते हैं कि तालाबों में जल भरे तभी उसकी सार्थकता मालूम होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार आप इसमें जलभराव करेंगे ? आपने लिखा है कि सबसे अधिक जल संचय वर्षा जल से किया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितना पानी अब गिरता है ? कितनी बरसात होती है ? क्या उसके माध्यम से आप अपना तालाब भर पायेंगे ? दूसरा, मेरा प्रश्न था कि जब तक आप कैचमेन्ट एरिया नहीं बनाएंगे आप अपने तालाब को भर नहीं सकते, कैचमेन्ट एरिया में यदि रूकावट है, घर बन गये हैं, मेड़बंदी हो चुकी है, कब्जेदारी हो चुकी है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप तालाब में किस प्रकार जल भरेंगे ? आपने कहा कि पेड़ लगाएंगे, सौन्दर्यीकरण करेंगे। कौन बैठेगा आपकी कुर्सियों पर, क्या वह सूखे ताल देखेगा ?

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न क्या है ?

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

मैं यही पूछना चाहता हूं कि आखिरकार आप जल संचय किस प्रकार करेंगे ? क्योंकि मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि किस प्रकार उसमें जल जाएगा। आपकी स्कीम फेल न हो जाये इसका मुझे बहुत डर है। एक चीज मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि यह जन भागिता का कार्यक्रम होता है, यह संकल्प लेने की बात होती है।

श्री अध्यक्ष-

आप बताइये नहीं, प्रश्न पूछिए ।

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या आपने प्रधानों को बुलाकर पूछा ? क्या आपने अन्य लोगों को बुलाकर पूछा ? क्या आपने जिला पंचायत के सदस्यों को बुलाकर पूछा ? क्या आपने विधायकों को बुलाकर पूछा कि किस प्रकार से जल संचय किया जाये या योजना को बेहतर किया जाये ?

श्री अध्यक्ष-

आपने प्रश्न तो किया नहीं है, सुझाव दिया है और अच्छा सुझाव है, हम अगला प्रश्न लेते हैं।

श्री उमाशंकर सिंह--

मान्यवर, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। अगर आप अनुमति देंगे तो मैं अवश्य प्रश्न कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष -

ठीक है, प्रश्न कर लीजिए।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय सदस्य ने जो प्रश्न लगाया है वह बहुत ही अच्छा है और इसमें मैं आपका संरक्षण भी चाहूंगा। मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि इसका उत्तर आप एक बार जरूर पढ़िये ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने पढ़ लिया है, मेरे पास उत्तर है।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, प्रथम पैरा के लास्ट में पढ़िये, ऐसा लग रहा कि सुझाव दिया गया है। उसमें लिखा है कि तालाब में साफ पानी अन्दर जाए, इसके लिए पानी के आगमन (इन्ट्री प्वाइंट) पर यथा आवश्यक स्कीन एवं सिल्ट चैम्बर की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। इसके आगे लिखा है कि जिस सरोवर में क्षमता से अधिक जल आने की सम्भावना हो, वहां जल निकासी की भी समुचित व्यवस्था बनायी जाये।

श्री अध्यक्ष-

गवर्नमेण्ट की तरफ से यही आदेश हुआ है कि ''बनायी जाय'' ।

श्री उमाशंकर सिंह -

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से विनम्र निवेदन है कि जो भी तालाब खुद रहे है, यदि बोरिंग कराकर उन तालाबों को भरने की व्यवस्था नहीं करायेंगे तो

उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी। क्या सरकार उन तालाबों को भरने के लिए बोरिंग कराने की व्यवस्था करेगी या ऐसी कोई और व्यवस्था करने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष -

उमाशंकर जी, आप बैठिए, हम अगला प्रश्न लेते हैं।

प्रदेश में अपराध की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्य योजना की जानकारी

***15-श्री महेन्द्र नाथ यादव, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्रीमती सैय्यदा खातून, श्री जियाउर्रहमान एवं श्री अतुल प्रधान-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लूट, डकैती एवं हत्या की रोकथाम हेतु क्या सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में लूट/डकैती की घटनाओं का विश्लेषण कर संलिप्त/नामजद एवं प्रकाश में आये अभियुक्तगण की जानकारी कर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। साक्ष्य संकलन के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुये फुट एवं फिंगर प्रिन्ट, घटना के समय अभियुक्तों का लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज, घटना के समय अभियुक्त द्वारा छोड़े गये सामान आदि को कब्जे में लेकर विवेचना में समावेश करते हुये विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण की जाती है।

हत्या के अपराधों की प्रभावी रोकथाम हेतु भूमि, भवन, सम्पत्ति सम्बन्धी विवादों और पूर्व रंजिश सम्बन्धी प्रकरणों को चिन्हित कर सम्बन्धित पक्षों को पाबन्द कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है । थाने में ग्राम मोहल्ला विवाद रजिस्टर एवं बीट रजिस्टर को अनिवार्य रूप से अद्यावधिक कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। ऐसे प्रकरणों में संलिप्तता के दृष्टिगत लाईसेंसी शस्त्रों के निरस्तीकरण की कार्यवाही तथा अभियुक्तों के विरुद्ध रासुका, गैंगेस्टर ऐक्ट एवं गुण्डा ऐक्ट के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है। न्यायालय में विचाराधीन हत्या के अभियोगों में प्रभावी पैरवी के भी निर्देश दिये गये हैं ।

लखनऊ में प्रदेश स्तरीय केन्द्रीय मास्टर कोआर्डिनेशन सेन्टर के रूप में एक वृहद ''यू0पी0-112'' काल सेन्टर की स्थापना की गयी है, जो प्रदेश के पूरे क्षेत्र में तत्काल पुलिस सहायता पहुँचाने के उददेश्य को निरन्तर प्राप्त कर रही है ।

बीट प्रणाली/पुलिस गश्त एवं पिकेट व्यवस्था में सुधार हेतु निर्देश दिये गये हैं। बैंकों, सर्राफा दुकानों इत्यादि के आस-पास खुलने एवं बन्द होने के समय पर पुलिस गश्त प्रभावी ढंग से क्रियान्वित की जा रही है ।

प्रदेश में सायंकाल प्रतिदिन 60 मिनट, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में फुट पेट्रोलिंग करते हुए सुरक्षा का माहौल स्थापित करने एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं ।

विभाग की प्रभावी नीति के क्रियान्वयन के फलस्वरूप विगत 5 वर्ष 6 माह में इस प्रकार की घटनाओं में भारी कमी हुई है।

प्रश्न नही उठता ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय -

अध्यक्ष जी, इस प्रश्न के उत्तर में बहुत लम्बा विवरण माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से आया है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ, आज कल पुलिस के जिम्मे बहुत काम लग गया है, घर गिराना, इनकाउण्टर करना, तमाम काम है और उस काम के आगे विवेचना जितनी सही ढंग से मुकदमें की होनी चाहिए, वह नहीं कर पाते हैं। जिसके कारण कोर्ट से, न्यायालय से मुकदमें छूट जाते हैं। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी जो आपराधिक मुकदमें हैं, उनकी विवेचना करने के लिए पुलिस विंग में अलग से कोई विंग बनायेंगे जो स्वतंत्र रूप से केवल विवेचना का काम करे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना -

मान्यवर, यह सुझाव बहुत अच्छा है जो आपके माननीय सदस्य माता प्रसाद जी ने दिया है। निश्चित रूप से विवेचना के विषय पर विचार होना चाहिए। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, पुलिस में जितने भी सुधार हुए हैं, उसी का यह परिणाम है कि हमारा क्राइम रेट डाउन हुआ है। मान्यवर, यह उसी का परिणाम है और आपका जो प्रश्न है, वह ओवर ऑल कानून-व्यवस्था से ही सम्बन्धित है। तो कानून-व्यवस्था का ओवर ऑल जनता के ऊपर जो इम्पैक्ट है, उसमें विवेचना भी इसका एक अंग है। अगर विवेचना प्रॉपर नहीं होती तो इतनी जल्दी हम सजा नहीं दिला पाते। इतनी जल्दी सजा दिलाने का मतलब यह है कि विवेचना समय से परफॉर्म की गयी, यह उसका परिणाम है और यदि 05 साल में आप देखना चाहें तो हम आपको बता सकते हैं क्योंकि कानून-व्यवस्था का पार्ट है, विवेचना और यह सही है कि विवेचना जल्दी होनी चाहिए। अलग से विंग बने तो कोई हर्ज नहीं है लेकिन यह भी अपने आप में सही है कि मेरी सरकार में, पिछले 10 साल की सरकारों से 2010 से लेकर 2017 तक जो स्थिति थी, उससे जमीन-आसमान का आज फर्क है और मान्यवर, कुल मिलाकर जो हमारे सामने स्थिति है, विवेचना की वजह से, क्विक विवेचना की ही वजह से डकैती में 79.78 परसेण्ट गिरावट, लूट में 60.40 परसेण्ट की गिरावट, हत्या में 32.88 परसेण्ट की गिरावट, फिरौती में 40 परसेण्ट की गिरावट, बलात्कार में 22.64 परसेण्ट की गिरावट और मान्यवर, एनसीआरबी के आँकड़े यहाँ कोट किये जाते थे, उस एनसीआरबी ने भी इस बार

योगी सरकार को इस बात के लिए एप्रिसिएट किया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी की जो स्थिति है, हमसे 22 राज्य ज्यादा हैं, भारतीय दण्ड संहिता वाले मामले में, यह एनसीआरबी के आँकड़े हैं। मान्यवर, आप कहेंगे तो हम आपको भेज देंगे। तो मान्यवर, विवेचना इसका पार्ट है और विवेचना जल्दी होने की वजह से और क्विक होने की वजह से, चाहे महिलाओं की हो, चाहे पाक्सो हो, उसमें जल्दी से जल्दी फैसले कराये गए। मान्यवर, हम आपको यह भी बताना चाहते हैं, हमारा 59.1 परसेण्ट डिस्पोजल महिलाओं के मामले में है, हमने सजा दिलायी है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

अब श्रीमती सैय्यदा खातून ।

श्रीमती सैय्यदा खातून-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने डुमरियागंज विधान सभा क्षेत्र की जनता को बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी बात रखने के लिए यहाँ तक भेजा । स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि हमारे क्षेत्र में जो अभी 01 महीना पहले हुआ, एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई। अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ भवानीगंज क्षेत्र में एक गाँव है, उसमें 16 साल की एक दलित लड़की थी, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, लेकिन 15 दिन तक एफआईआर नहीं लिखी गयी। अभी तक एक आदमी घूम रहा है, थाने में बैठा हुआ है, लेकिन जेल नहीं भेजा गया है। मैंने आज सी0 ओ0 से बात किया तो उन्होंने कहा कि मैं उसकी जाँच करवाऊँगा, वह जेल चला गया है, लेकिन अभी तक वह थाने पर बैठा हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

आप लिखकर दे दीजिए, जाँच करा लेंगे और जाँच कराकर आपको बता देंगे।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी बहुत लंबे आंकड़ें बताए हैं जैसे कि लूट, हत्या, बलात्कार, छेड़छाड़, डकैती, छिनैती और जितनी भी चीजें हैं सब इकट्ठी कर लीं। आजकल कोई भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिस भी दिन सुर्खियां न बनती हों। दुष्कर्म ही नहीं सामूहिक दुष्कर्म की सुर्खियां बनती हैं। मैं पूछना चाहता हूं और मान्यवर आपका संरक्षण चाहता हूं, क्योंकि यह कोई मामूली प्रश्न नहीं है। मा0 मुख्य मंत्री जी आज यहां पर बैठे हुए हैं और हम उनके सामने यह बात कहना चाहते हैं कि जिस तरह की घटनाएं होती हैं और पुलिस उस घटना को किस तरीके से दर्शाती है इसके जीते-जागते उदाहरण आपके सामने हैं। मैं अपने मेरठ की घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं कि अभी मेरठ में 19 लाख की लूट हुई है और

हापुड़ में भरी कचहरी में सीधे गोली मार दी गई। मैं पूछना चाहता हूं कि जब इस तरह के क्राइम लगातार आपके डाटा में घट रहे हैं तो मानव अधिकार के नोटिस सरकार को सबसे ज्यादा कैसे मिल गए और कस्टोडियन डेथ पर अगर प्रश्न करने लगे हम लोग और जब हत्या का जिक्र आता है तो हत्या का जिक्र अगर बदमाश ने किया हो, गुंडे ने किया हो, मवाली ने किया हो तो आप जो कार्यवाही कर सकते हैं हम उसमें साथ देंगे, लेकिन हम पूछना चाहते हैं जब पुलिस कस्टोडियन डेथ पीट-पीट कर थाने के अन्दर किसी व्यक्ति को मार देती है। मान्यवर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मान्यवर एक घटना है प्रतापगढ़ की एक हमारा लड़का सिर्फ काला झण्डा दिखाने की वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं आप जांच करा लीजिए अगर उसकी वहीं से गिरफ्तारी न हुई हो।

श्री अध्यक्ष-

आप क्या पूछना चाह रहे हैं ?

श्री अतुल प्रधान-

मैं प्रश्न यह पूछना चाह रहा हूं कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है ?

श्री अखिलेश यादव -

मान्यवर, जो बात कही जा रही है उसको तो संज्ञान में लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

आप पर्टिकुलर हर केस के बारे में यहां से उत्तर चाहेंगे तो इंडविजुअली केस का उत्तर कहाँ से देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना -

मान्यवर, मा0 सदस्य को यह जरूर सोच लेना चाहिए कि सरकार किसके साथ खड़ी है अपराधी के साथ या जो अपराध कर रहा है उसके साथ। अपराधी के साथ यह आरोप मिथ्या है, गलत है और उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। किसी मामले में मान्यवर जब कोई अपराध हुआ तो उसी लेवल पर और उसी अनुपात में कार्रवाई की गई। वह इसीलिए भी की गई कि किसी भी तरीके से अपराधियों का मनोबल न बढ़े। आपने हापुड़ की घटना बताई क्या उसमें कार्रवाई नहीं हुई ? उसमें पूरी तरह से कार्रवाई हुई और इसी सरकार में हुई है। आप अगर आगे भी कोई बात कहेंगे तो आपकी बातों का पूरा सम्मान करते हुए और उसका संज्ञान लेकर कार्रवाई जरूर होगी यह मैं मा0 मुख्य मंत्री जी की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। कोई भी ऐसा अपराध नहीं है जो उत्तर प्रदेश में घटित हुआ हो और जिस पर कार्रवाई न हुई हो। चाहे वह जीरो टालरेंस की बात हमने अपराधियों के लिए

की हो कि हम अपराधियों को किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं देंगे, किसी भी प्रकार से माफी नहीं देंगे वह चाहे कितने भी बड़े स्तर का हो, यही इस सरकार की नीति है और इस सरकार ने 2017 से इसी नीति का पालन भी किया है और उसमें परवान भी आए हैं और आगे भी अगर कोई मा0 सदस्य कुछ भी लिखकर देंगे तो हम बकायदा उसका संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, मा0 मंत्री जी से मा0 सदस्य ने यह पूछा था कि एक नौजवान ने केवल सरकार के विरोध के लिए काला झण्डा दिखा दिया और लोकतंत्र में उसकी जगह है। कम से कम नेता सदन को इतने बड़े दिल का होना चाहिए कि अगर कोई विरोध कर रहा है तो आप उससे यह पूछें कि आखिर तुम विरोध क्यों कर रहे हो, जब हमारी डबल इंजन की सरकार इतनी अच्छी चल रही है। अध्यक्ष जी, मुझे याद है कि एक व्यक्ति ने गाजीपुर से मुझे फोन पर धमकी दी कि आपको उड़ा दिया जाएगा, मैं आपकी जान ले लूँगा। मैने उस व्यक्ति को बुलाया और उससे पूछा कि तुम मेरी जान क्यों ले लोगे तो उसने कहा कि हमारे गाँव की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है इसलिए उसको हाईलाइट करने के लिए मैंने ऐसा कहा तो उसकी समस्या का समाधान हुआ। लेकिन यहाँ सरकार में क्या हो रहा है, अगर कोई काला झण्डा दिखा दे, सरकार के खिलाफ अपनी बात उठाना चाहे और कोई अपनी बात क्यों न उठाएं ? जिस मेडिकल कालेज का प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया हो, क्या वह मेडिकल कालेज चल रहा है, क्या वहाँ पर इलाज हो रहा है, क्या वहाँ पर पर्याप्त डॉक्टर्स हैं, क्या वहाँ पर्याप्त मशीन्स पहुँच गई हैं, क्या वहाँ पर पर्याप्त पैरामेडिकल स्टाफ है ? यह एक घटना है और दूसरी घटना प्रतापगढ़ की है कि किसी छात्र, एक नौजवान ने विरोध के लिए काला झण्डा दिखा दिया। ऐसे तो हमें न जाने कितनी बार काला झण्डा दिखाया गया लेकिन उस नौजवान के ऊपर पुलिस ने फर्जी बम दिखा करके उसको जेल भेज दिया। मान्यवर, यह कोई मामूली घटना नहीं है और हम जो कस्टोडियन डेथ की बात कर रहे हैं तो अध्यक्ष महोदय, अभी गोण्डा में कस्टोडियन डेथ हुई, कस्टोडियन डेथ गोण्डा में हुई है। पुलिस ने एक नौजवान को बुला लिया और उसको पीट-पीट करके उसकी जान ले ली। अध्यक्ष महोदय, इसलिए कम से कम यदि कोई मा0 सदस्य पार्लियामेण्टरी अफेयर्स मिनिस्टर के संज्ञान में कोई पर्टिकुलर घटना हो तो फिर उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, हमने यह कभी नहीं कहा कि हम अपराधों को जीरो कर देंगे। हमने यह कभी नहीं कहा और ऐसा नहीं है कि आपके जमाने में अपराध नहीं हुए।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष जी, अगर अपराध कम नहीं होंगे तो फिर जीरो टालरेंस क्या है ? अध्यक्ष महोदय, यह जीरो टालरेंस क्या है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जीरो टालरेंस अपराधियों के प्रति है। अगर कोई अपराध करेगा तो वह सजा जरूर पाएगा। यह है जीरो टालरेंस और उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, उस पर कार्रवाई होगी।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, अगर कोई सूचना दे दी गई है तो फिर आप उसमें पुलिस के माध्यम से कार्रवाई करेंगे या नहीं ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हम कार्रवाई जरूर करेंगे। कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी स्तर का हो, अगर वह अपराध करेगा, यदि कानून की दृष्टि से अपराध होगा तो वह चाहे किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, कितनी ही पहुँच वाला व्यक्ति हो, कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, मेरे हाथ में यह जो गोण्डा की रिपोर्ट है, इसे आपके लिए सदन में टेबिल कर रहा हूँ।

(मंत्री डा0 संजय निषाद द्वारा खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, इसमें आपका विषय नहीं है, आप बैठ जाइए ।

(मंत्री डा0 संजय निषाद द्वारा सतत खड़े रहकर कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, अभी आपको अनुमति नहीं है, मा0 मंत्री जी यह अच्छी बात नहीं है कि मैं किसी मा0 मंत्री जी से बार-बार बैठने के लिए कहूँ ।

(तत्पश्चात् कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने से सदन में शोर की स्थिति)

(शोर के मध्य)

प्रदेश में अप्रैल, 2019 से 03 मार्च, 2022 तक भू-माफियाओं से अवमुक्त करायी गयी भूमि एवं भू-माफियाओं के विरुद्ध की गयी कार्रवाई की जानकारी

***16-श्रीमती पूजा पाल-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अप्रैल, 2019 से 3 मार्च, 2022 तक भू-माफियाओं से कुल कितनी भूमि अवमुक्त करायी गई है तथा कितने भू-माफियाओं के

विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में अप्रैल, 2019 से 03 मार्च, 2022 तक एण्टी भू-माफिया अभियान के अन्तर्गत कुल 11466.98 हे0 क्षेत्रफल भू-माफियाओं के अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। कुल 475 अतिक्रमणकर्ताओं को भू-माफिया के रूप में चिन्हित करते हुए 1429 राजस्व वाद, 89 सिविल वाद व 911 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। 50 अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध भा0द0वि0, 07 के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत, 01 के विरुद्ध गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत तथा 83 के विरुद्ध अन्य धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की गयी है। 21 भू-माफिया जेल में निरूद्ध हैं।

जी हाँ।

एण्टी भू–माफिया पोर्टल पर उपलब्ध विवरण संलग्न† है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष-

अब श्रीमती पूजा पाल जी, आप अनुपूरक प्रश्न पूछ लें, यदि आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए।

श्रीमती पूजा पाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि प्रदेश में अप्रैल, 2019 से 03 मार्च, 2022 तक भू-माफियाओं से कुल कितनी भूमि अवमुक्त कराई गई तथा कितने भू-माफियाओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी इसका उत्तर दें अनुपूरक यह है कि कितनी भूमि खाली कराई गई है और कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई।

चलिए अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है।††

---

†छापा नहीं गया।

नोट :-††नत्थी (क) के तारांकित प्रश्न संख्या-16 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश में भू-गर्भ जल के संरक्षण हेतु योजना की जानकारी के सम्बन्ध में

***17-श्री वीरेन्द्र यादव-**

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भू-गर्भ जल के संरक्षण हेतु सरकार की कोई प्रभावी योजना है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

प्रदेश में भू-गर्भ जल के संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 10 जनपदों यथा चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, झांसी, मुजफ्फरनगर, शामली, ललितपुर, महोबा, बागपत एवं मेरठ में अटल भू-जल योजना लागू है। इसके अन्तर्गत विभिन्न सम्बन्धित कार्यदायी विभागों द्वारा कन्वर्जेन्स के माध्यम से अपनी-अपनी योजनाओं के अधीन वर्षा जल संचयन एवं भू-गर्भ जल रिचार्ज के विभिन्न कार्य कराये जाते हैं, जिनमें चेकडैम का निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार, आन-फार्म हार्वेस्टिंग, यथा-मेड़बन्धी, रूफटाप, रेनवाटर, हार्वेस्टिंग आदि संरचनाओं के कार्य सम्मिलित हैं । (संलग्नक-1)[†]

प्रदेश में भू-जल संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण, प्रबन्धन एवं नियमन किये जाने हेतु 'उत्तर प्रदेश ग्राउण्ड वाटर (मैनेजमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) एक्ट-2019' प्रख्यापित है। अधिनियम में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम चरण में समस्त सरकारी अर्द्धसरकारी भवनों पर तथा द्वितीय चरण में समस्त सरकारी सहायता प्राप्त भवनों एवं नियमानुसार निजी क्षेत्रों के भवनों को अच्छादित करते हुए रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली अनिवार्य रूप से स्थापित किये जाने का प्राविधान है। (संलग्नक-2)[††]

प्रश्न नहीं उठता।

***18-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-**

[बहुत ब्यौरे की जानकारी के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में वित्त विहीन संचालित विद्यालयों की अध्यापिकाओं को मानदेय दिये जाने की मांग

***19-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्त विहीन संचालित विद्यालयों के अध्यापिकाओं को मानदेय दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[†] देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ सं0-279-281 पर।

[††] देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ सं0-282 पर।

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती गुलाब देवी)-

वित्त विहीन संचालित विद्यालयों के अध्यापिकाओं को मानदेय का भुगतान प्रबन्धतंत्र द्वारा अपने स्रोतों से दिये जाने की व्यवस्था है।

प्रदेश में संविदा के माध्यम से की जा रही नियुक्तियों के कारण अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्गों के आरक्षण प्रतिशत प्रभावित होने के सम्बन्ध में

***20-श्री अनिल कुमार-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकार द्वारा विभागों में संविदा के माध्यम से की जा रही नियुक्तियों के कारण अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों का नियुक्तियों में आरक्षण प्रतिशत प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार की संविधान में प्रदत्त आरक्षण को संविदा पर नियुक्ति की व्यवस्था में लागू करने की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं। वर्तमान में राज्य सरकार की संविदा पर नियुक्ति प्रदान करने की नीति नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में वर्ष 2002 की जनगणना में 250 से अधिक आबादी के गाँवों को मुख्य रोड से जोड़ने के सम्बन्ध में

1-श्रीमती पूजा पाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2002 की जनगणना में 250 से कम किन्तु वर्तमान में 250 से अधिक आबादी के गाँवों को मुख्य रोड से जोड़ने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश में 250 से अधिक आबादी के लोक निर्माण विभाग द्वारा चिन्हित राजस्व ग्राम/बसावटें, जो 500 मीटर से कम लम्बाई के हैं, उन्हें सम्पर्क मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में समस्त जिला पंचायतों को सूची संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु संदर्भित किया जा चुका है।

जिला पंचायतों द्वारा उक्त मार्गों के निर्माण हेतु जिला पंचायत बोर्ड में प्रस्ताव पारित कराने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जाती है।

प्रदेश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में विधान सभा सदस्यों की संस्तुति पर सबमर्सिबल/हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में

2-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आम जनता को पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में विधान सभा के सदस्यों की संस्तुति पर सबमर्सिबल/हैण्डपम्प लगाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

वर्तमान में विधान सभा के मा0 सदस्यों की संस्तुति पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सबमर्सिबल/हैण्डपम्प लगाने के सम्बन्ध में कोई योजना संचालित नहीं है। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों को चरणबद्ध रूप से वर्ष 2024 तक पाइप पेयजल योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड रानीजोत छपिया व सकदरपुर छपिया में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

3-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के रानीजोत छपिया व सकदरपुर छपिया विकास खण्डों में पानी की टंकी का निर्माण होने के उपरान्त भी गांव के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड रानीजोत छपिया व सकदरपुर छपिया में 04 पाइप पेयजल परियोजनाओं यथा-सकदरपुर जोन-1 व सकदरपुर जोन-2 एवं रानीजोत जोन-1 व रानीजोत जोन-2 में से रानीजोत जोन-2 पाइप पेयजल योजना संचालित है। शेष 03 पाइप पेयजल योजनाएँ यथा-सकदरपुर जोन-1 व सकदरपुर जोन-2 तथा रानीजोत जोन-1 बन्द है । सकदरपुर पाइप पेयजल योजना जोन-1, सकदरपुर पाइप पेयजल योजना जोन-2 तथा रानीजोत जोन-1 में मरम्मत की कार्यवाही कराकर शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करायी जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में सबमर्सिबुल/पानी की टंकी का कार्य पूर्ण न किये जाने पर कार्यदायी संस्था की जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने विषयक

4-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा सहित प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिये सबमर्सिबुल व पानी की टंकी लगाने का कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा पूरा नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्यों की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चित्रकूट के ब्लाक कर्वी के अन्तर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालय सेमरिया जगन्नाथवासी को उच्चीकृत कराये जाने की मांग

5-श्री अनिल प्रधान-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के ब्लॉक कर्वी अन्तर्गत स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय सेमरिया जगन्नाथवासी को उच्चीकृत करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी नहीं।

केन्द्र पुरोनिधानित योजना समग्र शिक्षा (माध्यमिक) के अन्तर्गत प्रश्नगत विद्यालय के उच्चीकृत किए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

6-श्रीमती सरोज सोनकर-

[5वें बुधवार के अतारांकित प्र0 सं0-166 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद झांसी में अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत झांसी पेयजल पुनर्गठन योजना में निर्माण एवं एम0ओ0यू0 के गठन की अनुमति के सम्बन्ध में

7-श्री रवि शर्मा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत झांसी पेयजल पुनर्गठन योजना फेज-1 एवं फेज-2 हेतु वांछित रॉ-वॉटर एवं तत्सम्बन्धी

कार्यों हेतु अनुमति/अनापत्ति की कार्यवाही लम्बित होने के कारण सी0पी0 टैंक एवं सब-स्टेशन के निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सके हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना के निर्माण एवं एम0ओ0यू0 के गठन की अनुमति के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ ।

एम0 ओ0 यू0 के गठन की अनुमति का शासनादेश निर्गत कर दिया गया है । एम0ओ0यू0 गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के अन्तर्गत निर्माणाधीन राजकीय इंजीनियरिंग कालेज शिवसत प्रतापगढ़ की गुणवत्ता एवं जनपद स्तरीय राजकीय इंजीनियरिंग कालेज से निर्माण व निर्माण सामग्री की जांच के सम्बन्ध में

8-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की रानीगंज विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, शिवसत, प्रतापगढ़ विगत लगभग 5 वर्षों से निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार बताएगी कि उक्त के निर्माण प्रारम्भ से दिनांक 20 जुलाई, 2022 तक गुणवत्ता सम्बन्धी जनपद स्तरीय एवं किसी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से निर्माण व निर्माण सामग्री से संबंधित कुल कितनी जांचें कराई गई हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री आशीष पटेल)-

जी हाँ।

कुल 15 जांचें (प्रति संलग्न)[†]।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील इटवा के ग्राम महादेव तप्पा हीर में प्राथमिक विद्यालय की जमीन पर माफियाओं द्वारा अवैध निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

9-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-04-2022 जो ग्राम महादेव तप्पा हीर, तहसील इटवा, जिला सिद्धार्थनगर के अस्पताल तथा प्रा0वि0 के जमीन

[†] छापा नहीं गया।

पर माफियाओं द्वारा अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ ।

जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार शिकायतकर्ता श्री दुर्गेश पुत्र श्री जगलाल, निवासी-ग्राम-महादेव-घुरहू, तप्पा-हीर, परगना-बांसी पश्चिम, तहसील-इटवा, जिला सिद्धार्थनगर के प्रार्थना पत्र का स्थलीय एवं अभिलेखीय जांच किया गया। ग्राम महादेव घुरहू तप्पा हीर का पुराना गाटा सं0-62 मि0 चकबन्दी प्रक्रिया के पश्चात् बनी नई गाटा सं0-127/737/0.013 हे0 जोत चकबन्दी आकार पत्र-45 में श्री शिवशंकर पुत्र श्री रामसेवक व श्री रामकृपाल पुत्र श्री विश्वनाथ ग्रामवासी के नाम अंकित है तथा वर्तमान खतौनी मे श्रीमती आसमा बानों पत्नी श्री हारून रजा ग्रामवासी के नाम अंकित है। इसी प्रकार पुराना गाटा सं0-234 चकबन्दी प्रक्रिया के पश्चात् बनी नई गाटा सं0-565/736 रकबा 0.013 हे0 जोत चकबन्दी आकार पत्र-45 में श्री शिवशंकर पुत्र श्री रामसेवक व श्री रामकृपाल पुत्र श्री विश्वनाथ ग्रामवासी के नाम अंकित है तथा वर्तमान खतौनी में भी गाटा सं0-565/736 श्री शिवशंकर पुत्र श्री रामसेवक व श्री रामेंपाल पुत्र श्री विश्वनाथ के नाम अंकित है साथ ही नई गाटा सं0-565/0.126 हे0 स्कूल व गाटा सं0-127क/0.120 हे0 अस्पताल के नाम दर्ज अभिलेख है तथा पुरानी गाटा सं0-69 मि0 से बनी नई गाटा सं0-168/0.021 हे0 जोत चकबन्दी आकार पत्र-45 मे श्रीमती लीलावती देवी पत्नी श्री शिवशंकर ग्रामवासी के नाम अंकित है तथा वर्तमान खतौनी मे श्रीमती लीलावती देवी पत्नी श्री शिवशंकर ग्रामवासी व श्रीमती अंजुम पुत्री श्री अब्दुल जलील निवासी ग्राम - भावपुर मीरा का नाम अंकित होना पाया गया ।

उपरोक्त प्रश्नगत पुराने व नवीन गाटे चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान भिन्न-भिन्न श्रेणियों में खातेदारों व सार्वजनिक भूमि के रूप में प्रदिष्ट किये गये । स्थलीय जांच में पाया गया कि वर्तमान गाटा सं0-565 रक्बा 0.126 हे0 स्कूल व गाटा सं0-127क/0.120 हे0 अस्पताल के नाम दर्ज अभिलेख है। उक्त विद्यालय पर वर्तमान में पठन-पाठन का कार्य हो रहा है, जो पूरी तरह से सुरक्षित है। विद्यालय की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। विद्यालय की बाउन्ड्री से बाहर सड़क से सटे कुछ व्यक्तियों के द्वारा पान की ढाबली, ठेला, चाय की गुमटी बनाकर अतिक्रमण किया गया था तथा अस्पताल की भूमि के सामने भी सड़क से सटे टीनशेड डालकर श्री रामनेवास, श्री रामपूजन द्वारा अतिक्रमण किया गया था। राजस्व कर्मी व पुलिस टीम द्वारा अभियान चलाकर उक्त अतिक्रमित भूमियों को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच में राजस्व ग्रामों के भू-राजस्व मानचित्र की उपलब्धता की जानकारी

10-श्री सुभाष त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के कितने तथा कौन से राजस्व ग्रामों के भू-राजस्व मानचित्र गायब हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि भू-राजस्व मानचित्र के अभाव में ग्रामों के राजस्व विवाद सम्बन्धी विवादों को निपटाने की क्या प्रक्रिया अपनायी जा रही है तथा ऐसे ग्रामों के भू-राजस्व मानचित्र उपलब्ध कराने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ? क्या सरकार ऐसे ग्रामों के भू-राजस्व मानचित्र उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद बहराइच में कुल 141 राजस्व ग्रामों के भू-मानचित्र जनपद स्तर पर उपलब्ध नही हैं। (सूची संलग्न)।[†]

मौके की वर्तमान स्थिति के भौतिक सत्यापन एवं पक्षकारों के मध्य आपसी सुलह-समझौते एवं भूमि प्रबन्धक समिति के सहयोग से विवादों का निस्तारण कराया जा रहा है। अनुपलब्ध 141 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 75 राजस्व ग्रामों के भू-मानचित्र मा0 राजस्व परिषद् अभिलेखागार में उपलब्ध है जिसके अनुरेखन का कार्य जनपद बहराइच की ट्रेसिंग टीम के द्वारा मा0 राजस्व परिषद् के अभिलेखागार में किया जा रहा है तथा शेष 66 ग्रामों के भू-मानचित्र की उपलब्धता के सम्बन्ध में राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, प्रयागराज (उ0 प्र0) से प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है ।

जी हां ।

उपर्युक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर की विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के अन्तर्गत मिर्जापुर टकौली नोनारा होते हुए सिजौली तक माइनर बम्बी को ठीक कराकर टेल तक पानी पहुँचाये जाने विषयक

11-श्री राजेन्द्र सिंह पटेल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर की विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के अन्तर्गत होली सरांय जहानाबाद से मिर्जापुर टकौली नोनारा होते हुए सिजौली तक माइनर बम्बी में लगभग 35 वर्षों से पानी नहीं आ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार माइनर बम्बी को ठीक कराकर टेल तक पानी पहुंचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[†] देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ संख्या-283-285 पर।

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ, निचली गंगा नहर प्रणाली के इटावा शाखा किमी0 177.595 (टेल) से घाटमपुर राजवाहा निकलती है । घाटमपुर राजवाहा (धरमपुर राजवाहा) की कुल लम्बाई किमी0 82.260 है। इस राजवाहे के टेल भाग के कि0 मी0 81.270 से सिजौली राजवाहा तथा 04 अल्पिकाएं बबई, नसेनियाँ, देवरी एवं दरियापुर निकलती हैं। नलकूप संगठन द्वारा राजकीय नलकूपों को स्थापित करते हुए नलकूपों के माध्यम से नहरों के उक्त कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर की विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड अमौली को डार्क जोन से हटवाये जाने विषयक

12-श्री राजेन्द्र सिंह पटेल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर की विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड अमौली डार्क जोन में दर्ज होने से उक्त क्षेत्र में बोर व ट्यूबवेल से पानी की समस्या बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार अमौली को डार्क जोन से हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

31-03-2020 के आकड़ों के आधार पर जनपद फतेहपुर की विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड अमौली डार्क जोन में वर्गीकृत है। क्षेत्र में भूजल की समस्या होने पर उन्हें डार्क जोन में वर्गीकृत किया जाता है ।

भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा भू-जल संसाधनों के आंगणन/वर्गीकरण का कार्य भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के तहत किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर की विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के विकास खण्ड अमौली में मानेपुर पतेउरा से चांदपुर यमुना महाना तक नोन नदी की खुदाई व सफाई कराये जाने विषयक

13-श्री राजेन्द्र सिंह पटेल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर की विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के विकास खण्ड अमौली में मानेपुर पतेउरा से चांदपुर यमुना महाना तक नोन नदी

की खुदाई व सफाई (लगभग 20 किमी0) सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के विकास खण्ड अमौली में मानेपुर पतेउरा से चांदपुर यमुना महाना तक (लगभग 20 किमी0) में नोन नदी स्थित है, जिसमें वर्तमान में पानी भरा हुआ है । पानी सूखने के पश्चात् सर्वे कराकर मनरेगा योजना से नदी का जीर्णोद्धार कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड अमौली के ग्राम बेहटी मजरे बेहटा में पेयजल की समस्या का निराकरण कराये जाने विषयक

14-श्री राजेन्द्र सिंह पटेल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड अमौली के ग्राम बेहटी मजरे बेहटा में पेयजल की समस्या का निराकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड अमौली के ग्राम बेहटी मजरे बेहटा में 'जल जीवन मिशन' कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च, 2024 तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति किया जाना लक्षित है ।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में स्थापित विश्वविद्यालयों के संस्थापक /मान्यता प्राप्त ट्रस्ट एवं सोसाइटीज द्वारा धारित भूमि पर निर्माण कराये जाने का प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने एवं निर्माण कार्य न पूर्ण किये जाने वाली अवशेष भूमि को राज्य सरकार में निहित किये जाने के सम्बन्ध में

15-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों के संस्थापक/मान्यता प्राप्त ट्रस्ट एवं सोसाइटीज ने धारित भूमि पर स्वीकृत अवधि में सम्पूर्ण भूमि पर निर्माण कार्य आदि पूरा कर लिया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि निर्माण कार्य पूरा करने वाली संस्थाओं से धारित सम्पूर्ण भूमि के उपयोग करने का प्रमाण-पत्र सक्षम

अधिकारियों से प्राप्त किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा निर्माण कार्य पूरा न करने वाली समस्त संस्थाओं को अवशेष भूमि राज्य सरकार में निहित करने के लिए कोई नोटिस दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 में प्रायोजक संस्था द्वारा धारित सम्पूर्ण भूमि पर निर्माण कार्य पूर्ण करने विषयक प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विकास खण्ड अछनेरा के ग्राम पनवारी में कतिपय विद्यालयों के फर्जी प्रमाण-पत्रों पर स्थापना की जांच के सम्बन्ध में

16-श्री बाबूलाल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विकास खण्ड अछनेरा के ग्राम पनवारी में संचालित श्रीराम आदर्श महाविद्यालय, पनवारी, श्री रतन समाज इण्टर कालेज पनवारी और श्री राम विद्या मन्दिर पनवारी, आगरा के फर्जी प्रमाण-पत्रों पर स्थापना की जांच के विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-6 नं0-688749 दिनांक 13-06-22 और प्रश्नकर्ता के सांसदकाल पत्रांक-एफ0एस0/166223, दिनांक 31-08-2018 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हाँ, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी हाँ।

प्रश्न में संदर्भित मा0 सदस्य, विधान सभा के पत्र आई0 जी0 आर0 एस0 के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा को प्राप्त हुए हैं।

श्रीराम आदर्श महाविद्यालय, पनवारी, आगरा के प्रकरण की जांच हेतु कुलपति, डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के आदेश दिनांक 13-09-2019 के अनुपालन में पत्र संख्या-सम्ब0 11127/2019, दिनांक 24-10-2019 के द्वारा तीन सदस्यीय समिति गठित की गयी थी। प्रकरण की जांच हेतु गठित समिति को अन्तिम स्मरण पत्र संख्या-सम्ब0/1749/2022, दिनांक 29-07-2022 द्वारा आख्या उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

श्री रतन समाज इण्टर कालेज, पनवारी के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा से जांच करायी गई। विद्यालय मान्यता प्राप्त है तथा इसमें सी0 बी0 एस0 ई0 की कोई कक्षाएं संचालित नहीं होती हैं। जांच में विद्यालय के विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं हुआ ।

श्रीराम विद्या मंदिर पनवारी, आगरा के सम्बन्ध में निदेशक, बेसिक शिक्षा के पत्र दिनांक 31-08-2022 द्वारा प्रकरण की जांच हेतु मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), आगरा मण्डल, आगरा को जांच अधिकारी नामित करते हुए जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सदर के ग्राम विसुन्धरा में सी0 सी0 रोड का नव निर्माण कराये जाने विषयक

17-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सदर बुलन्दशहर के ग्राम विसुन्धरा सम्पर्क मार्ग से गाँव में अन्दर की तरफ सी0सी0 रोड लम्बाई लगभग 800 मीटर का नव निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत मार्ग के स्थलीय निरीक्षण के अनुसार उक्त सम्पर्क मार्ग की कुल लम्बाई 800 मी0 है। इसमें 200 मी0 लम्बाई गांव के अन्दर एवं 600 मी0 लम्बाई गांव के बाहर है। 800 मी0 की लम्बाई में सी0 सी0 कार्य कराने पर लगभग रु0 62.00 लाख व्यय होने का अनुमान है। वर्तमान में जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 में प्राप्त होने वाले अनुदानों के सापेक्ष कार्य योजना स्वीकृत हो चुकी है। उक्त कार्य वित्तीय वर्ष 2023-24 की कार्य योजना में शामिल करने हेतु प्रस्ताव जिला पंचायत बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा एवं बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

जनपद बुलन्दशहर के ग्राम मालागा में ऋषि के खेत से लेकर काली नदी तक 500 मी0 काली सड़क निर्माण कराये जाने विषयक

18-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के ग्राम मालागा में ऋषि के खेत से लेकर काली नदी तक का मार्ग लम्बाई लगभग 500 मीटर का काली सड़क निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग की कुल लम्बाई 500 मीटर है, जो वर्तमान में कच्चा मार्ग है। इस मार्ग पर खड़न्जा कार्य कराने पर लगभग 8.50 लाख व्यय होने का अनुमान है।

वर्तमान में जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 में प्राप्त होने वाले अनुदानों के सापेक्ष कार्य योजना स्वीकृत हो चुकी है। अतः प्रस्तावित कार्य अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 की कार्य योजना में शामिल करने हेतु जिला पंचायत की आगामी बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखा जायेगा। बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

जनपद बांदा के अन्तर्गत स्थित केन नदी पर बने बरियारपुर बांध से बिसण्डा व बबेरू क्षेत्र तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में

19-श्रीमती ओममणी वर्मा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में सिंचाई मध्य प्रदेश में केन नदी पर बने बरियारपुर बांध से संचालित है तथा इस बांध का निर्माण तथा अनुरक्षण प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त बांध से बांदा स्थित बिसण्डा व बबेरू क्षेत्र तक पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे कृषकों को सिंचाई कार्य करने में परेशानी होती है ? क्या सरकार उक्त बांध से प्रदेश के कोटे का पानी नहरों की टेल तक पहुंचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

बरियारपुर बांध से निकली केन मुख्य नहर से पोषित अतर्रा शाखा से बिसण्डा एवं बबेरू क्षेत्र में खरीफ 1430 फसली में समस्त नहरें टेल फीड कराते हुए कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ।

जी हाँ ।

खरीफ 1430 फसली में केन नहर प्रणाली के माध्यम से रोस्टर के अनुसार नहरों की टेल तक पानी पहुंचाया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बारात घर/सामुदायिक भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

20-श्रीमती ओममणी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बारात घर/सामुदायिक भवन न होने के कारण लोगों को वैवाहिक तथा अन्य कार्यक्रम आयोजन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के ग्राम पंचायतों में बारात घर/सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

बारात घर/सामुदायिक भवन निर्माण से सम्बन्धित कोई योजना पंचायती राज विभाग में संचालित नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में मुक्तिधाम/अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

21-श्रीमती ओममणी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में मुक्तिधाम/अन्त्येष्टि स्थल न होने के कारण क्षेत्रीय लोगों को अन्तिम संस्कार करने में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में मुक्तिधाम/अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में अन्त्येष्टि स्थल विकास योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से अन्त्येष्टि स्थलों का निर्माण कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में विधान सभा क्षेत्र मल्हनी में जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2021 से दिनांक 20.07.2022 तक किये गये कार्यों में अनियमितता की जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के सम्बन्ध में

22-श्री लकी यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2021 से दिनांक 20-07-2022 तक विधान सभा क्षेत्र मल्हनी में जिला पंचायत द्वारा किन-किन सड़कों का निर्माण कार्य किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त सड़कों के निर्माण हेतु टेण्डर प्रक्रिया नियमों के विपरीत की गयी है तथा कार्यों की अनुबन्ध राशि अभी तक वापस नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी तथा अनुबन्ध राशि वापस करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

वर्ष 2021 से दिनांक 20.07.2022 तक विधान सभा क्षेत्र मल्हनी में जिला पंचायत द्वारा कराये गये कार्यों की सूची संलग्न[†] है।

[†] छापी नहीं गईं।

जिलाधिकारी, जौनपुर के पत्र दिनांक 13.09.2022 के अनुसार उक्त सड़को के निर्माण हेतु टेण्डर प्रक्रिया नियमानुसार किया गया है । स्वीकृत कार्यों पर अनुबन्ध राशि नहीं ली जाती है। अनुबन्ध के समय ठेकेदार से नियमानुसार जमानत राशि ली जाती है जो कार्य पूर्ण होने के बाद निर्धारित डिफेक्ट लाईबीलिटी पिरीयड 2 वर्ष पश्चात कार्य के संतोषजनक पाये जाने पर वापस की जाती है।

संलग्नकः यथोक्त।[†]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत नव निर्मित राजकीय पॉलीटेक्निक कालेज इम्ब्राहिमाबाद उपरवार भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि व्यय की जानकारी

23-श्री जयप्रकाश अंचल-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत नव निर्मित राजकीय पॉलीटेक्निक कालेज, इम्ब्राहिमाबाद उपरवार के भवन निर्माण हेतु कितना धन स्वीकृत हुआ एवं स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कितना धन व्यय हुआ है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि उक्त भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पूर्व ही उद्घाटन कर दिया गया, जबकि आज भी भवन निर्माण का कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशीष पटेल-

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में नव निर्मित राजकीय पॉलीटेक्निक निर्माण परियोजना की मूल्यांकित लागत रु0 1912.18 लाख के सापेक्ष रु0 1816.58 लाख की धनराशि निर्गत की जा चुकी है। माह अगस्त, 2022 तक परियोजना पर धनराशि रु0 1743.00 लाख का व्यय हो चुका है ।

प्रश्नगत राजकीय पॉलीटेक्निक, बैरिया, बलिया अभी निर्माणाधीन है, जिसका लोकार्पण/उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त पॉलीटेक्निक निर्माणाधीन है ।

जनपद मऊ के तहसील मधुबन के अन्तर्गत ग्राम सभा कासिमपुर मौजा होन्दुआ कोटिया के ग्राम प्रधान द्वारा कराये गये वर्ष 2021-22 के सम्पूर्ण निर्माण कार्यों की जांच विषयक

24-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के तहसील मधुबन अन्तर्गत ग्राम सभा कासिमपुर मौजा होन्दुआ कोटिया के गाटा संख्या-152 व 159 (चक नाली) व चक

[†] छापी नहीं गईं।

मार्ग का सीमांकन वर्ष 2020-21 में हुआ था, परन्तु ग्राम प्रधान उक्त मार्ग पर कार्य न कराकर अन्य मार्गों पर नाली जो पहले से बनी थी उन पर ही कार्य दिखाकर फर्जी भुगतान करने का कार्य कर रहे हैं ? क्या सरकार प्रधान द्वारा कराये गये वर्ष 2021-22 के सम्पूर्ण निर्माण कार्यों की जाँच कराकर पूर्व से पेन्डिंग चक मार्ग का कार्य पूर्ण कराने का निर्देश देगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

मौके पर चकमार्ग गाटा संख्या 152 खाली है । गाटा संख्या-159 मौके पर कच्ची नाली के रूप में पायी गयी।

ग्राम प्रधान के विरुद्ध निर्माण कार्यों की जाँच के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-3244/3-1-2013-32/13 के प्रस्तर-2.1 के अनुसार ग्राम प्रधान के विरुद्ध नोटरी के साथ अपनी शिकायत सरकार या जिला मजिस्ट्रेट को भेजकर कराये जाने का प्राविधान है ।

जी हां।

शिकायत प्राप्त होने पर जांच कराते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती में सरयू नहर परियोजना के खलीलाबाद एवं बस्ती के कतिपय शाखाओं में 2020-21 तथा 2021-22 में निर्माण कार्य एवं रख-रखाव की जानकारी

25-श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में सरयू नहर परियोजना के खलीलाबाद शाखा एवं बस्ती शाखा के रुधौली, पकरी, मुरादपुर डिवाई, पकरी रजवाहा सहित भानपुर, जमोहना, नाथपुर, धवाय माइन, आमा, डुमरी, औडजंगल, अमरौली शुमाली, कनेथू, परसाखाल, मझौवा, दसिया, वालेडीहा, वस्थान्वा, सूरतगढ़, संसारपुर, महादेवा माइनर, कोडरा सहित डिवाई एवं माइनरों के निर्माण एवं रख-रखाव में वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कितनी धनराशि खर्च की गई है ? क्या सरकार उक्त के निर्माण पर व्यय के बाद भी उपरोक्त माइनरों एवं डिवाइयों के टेलों पर पानी न पहुंचने के लिए जिम्मेदारों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ । जनपद बस्ती में सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत खलीलाबाद शाखा एवं बस्ती शाखा के रुधौली, पकरी, मुरादपुर डिवाई, पकरी रजवाहा सहित भानपुर, जमोहना, नाथपुर, धवाय माइन, आमा, डुमरी, औडजंगल, अमरौली शुमाली, कनेथू, परसाखाल, मझौवा,

दसिया, वालेडीहा, वस्थान्वा, सूरतगढ़, संसारपुर, महादेवा माइनर, कोडरा सहित डिवाई एवं माइनरो की सिल्ट सफाई में वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु0 23.41 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 50.89 लाख की धनराशि व्यय की गई। उक्त नहरों का निर्माण पूर्व वर्षों में होने के कारण वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में इन नहरों के निर्माण पर कोई धनराशि व्यय नहीं हुई है।

उपरोक्त अधिकांश नहरों की टेल तक पानी उपलब्ध है, अवशेष नहरों की टेल तक लक्ष्य एवं रोस्टर के अनुसार जल उपलब्ध कराने हेतु विभाग सतत् प्रयत्नशील है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार ।

26-श्री प्रदीप कुमार यादव-

[बहुत ब्यौरे की जानकारी के आधार पर निरस्त]

27-श्री प्रदीप कुमार यादव-

[मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

28-श्री अतुल प्रधान-

[01-गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-126 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मेरठ के अन्तर्गत निष्प्रयोज्य प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों की संख्या एवं उनके ध्वस्तीकरण की योजना के सम्बन्ध में

29-श्री अतुल प्रधान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के कितने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन जर्जर होने के कारण वर्तमान में निष्प्रयोज्य हैं ? क्या सरकार की उक्त भवनों के ध्वस्तीकरण की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जनपद मेरठ में 109 विद्यालय भवन जर्जर/निष्प्रयोज्य घोषित किये गये हैं।

जी हां।

बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालय परिसरों में जीर्ण-शीर्ण भवनों के ध्वस्तीकरण के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 22-01-2020, 03-09-2020, 04-12-2020 तथा 02-03-2022 द्वारा निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना में पानी टंकियाँ एवं टी0 टी0 एस0 पी0 की संख्या तथा उक्त क्षेत्र में बन्द टंकियों की मरम्मत कराये जाने की योजना की जानकारी विषयक

30-श्री सचिन यादव-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना में पानी की आपूर्ति हेतु कुल कितनी टंकियाँ एवं टी0टी0एस0पी0 है तथा वर्तमान में इनमें से कितनी टंकियों से पाइप लाइन से कितने घरों में पानी की आपूर्ति हो रही है ? क्या सरकार की उक्त क्षेत्रों में बन्द टंकियों की मरम्मत कराने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना में कुल 58 पाइप पेयजल योजनाएँ एवं 159 टैंक टाइप स्टैण्ड पोस्ट (टी0 टी0 एस0 पी0) अधिष्ठापित हैं, जिनका संचालन एवं अनुरक्षण सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में 'जल जीवन मिशन' कार्यक्रम के अन्तर्गत 36 पाइप पेयजल योजनाओं के रेट्रोफिटिंग का कार्य कराकर 17,559 घरों में गृह संयोजन उपलब्ध कराते हुये शुद्ध पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के कतिपय जनपदों में 70 वर्ष से अधिक समय से कृषि योग्य भूमि पर खेती कर रहे कृषकों के नाम भूमिधरी करने के सम्बन्ध में

31 -श्री राजपाल सिंह बालियान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ग-7 नं0-26622, दिनांक 18-07-22 जो जनपद पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर, बिजनौर, शाहजहाँपुर, बहराइच में लगभग 70 वर्षों से खेती योग्य उपजाऊ भूमि पर खेती कर रहे किसानों के नाम भूमिधरी करने एवं किसानों के उत्पीड़न रोकने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर के ग्राम समूह ढेमुवा रामपुर कछार की सुरक्षा हेतु कराये गये कार्यों में की गई अनियमितता की जांच के सम्बन्ध में

32-डा0 अमित सिंह चौहान-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-05-2022, दिनांक 20-05-2022 तथा दिनांक 08-06-2022 जो मुख्य मंत्री प्रमुख सचिव, सिंचाई, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित एवं पुनः अनुस्मारक-पत्र दिनांक 19-07-2022 जो मुख्य मंत्री को सम्बोधित है तथा जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर, विकास खण्ड सोहावल के अन्तर्गत ग्राम समूह ढेमुवा रामपुर कछार की सुरक्षा हेतु ढेमुवा पुल से ढेमुवा शमशान घाट के मध्य कटाव निरोधक कार्य एवं ग्राम समूह रौनाही आदि तथा रौनाही पम्प हाउस की सुरक्षा हेतु पम्प हाउस के अपर स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में स्टोन बोल्डर पिचिंग एवं निर्मित डैम्प सं0-1 से 9 तक के पुनरोद्धार कार्यों में की गई अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ ।

जनपद अयोध्या में दिनांक 06-05-2022 को मा0 मुख्य मंत्री जी की बैठक में मा0 विधायक जी द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किये गये थे, वे सभी तथ्य उक्त प्राप्त पत्रों में वर्णित किये गये हैं । मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रकरण में दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 06-05-2022 को तत्कालीन प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय जांच में कार्य मानक के अनुसार पाये गये।

उपरोक्तानुसार ।

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए विशेष पैकेज देने के सम्बन्ध में

33-श्री अनिल प्रधान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट सहित प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बरसात न होने के कारण किसानों की खरीफ की फसल पूरी तरह से सूख चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए विशेष पैकेज देने का एलान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपदवार सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

भारत सरकार द्वारा निर्गत सूखा मैनुअल-2016 के तहत, सूखा घोषित करने की प्रक्रिया उल्लिखित है, जिसके अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

सूखा मैनुअल-2016 में सूखा घोषित करने की अंतिम तिथि खरीफ हेतु 31 अक्टूबर नियत है। उसके पूर्व आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के कर्वी ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सेमरिया जगन्नाथवासी में स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय को उच्चीकृत कराये जाने विषयक

34-श्री अनिल प्रधान-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के कर्वी ब्लाक अन्तर्गत ग्राम पंचायत सेमरिया जगन्नाथवासी में पूर्व माध्यमिक विद्यालय सेमरिया जगन्नाथवासी को उच्चीकृत करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी नहीं।

केन्द्र पुरोनिधानित योजना समग्र शिक्षा (माध्यमिक) के अन्तर्गत प्रश्नगत विद्यालय के उच्चीकृत किए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

जनपद चित्रकूट के अन्तर्गत सीतापुर ग्रामीण में पेयजल हेतु पाइप लाइन की व्यवस्था कराये जाने विषयक

35-श्री अनिल प्रधान-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में दिव्यांग विश्विद्यालय के पास मंदाकिनी भवन के पीछे सीतापुर ग्रामीण में पेयजल हेतु पाइप लाइन की व्यवस्था सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद चित्रकूट में दिव्यांग विश्वविद्यालय के पास मंदाकिनी भवन के पीछे सीतापुर ग्रामीण क्षेत्र को चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना में सम्मिलित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बक्शा में क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2021 से दिनांक 22-07-2022 तक कराये गये विकास कार्यों की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई विषयक

36-श्री लकी यादव-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड-बक्शा में क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2021 से दिनांक 22-07-22 तक कराये गये विकास कार्यों का विवरण क्या है ? क्या सरकार को जानकारी है कि विकास खण्ड-बक्शा में कराये गये कार्य मानक के अनुसार न कराकर भ्रष्टाचार किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्यों की तकनीकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

वर्ष 2021 से दिनांक 22-07-2022 तक क्षेत्र पंचायत बक्शा द्वारा राज्य वित्त के अन्तर्गत 49 परियोजनाओं तथा केन्द्रीय वित्त के अन्तर्गत 104 परियोजनाओं का कार्य कराया गया है, जिसका विवरण संलग्न[†] है।

जो भी परियोजना पूर्ण करायी गयी, वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप ग्राम विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी को कार्य प्रभारी बनाकर अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा की गयी मापी के अनुसार करायी गयी है । कराये गये कार्यों की गुणवत्ता एवं मानक के विपरीत कार्य होने अथवा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में अभी तक किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुयी है ।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मथुरा में तैनात सफाई कर्मचारी, पति-पत्नी द्वारा एक ही जनपद में तैनात किये जाने विषयक

37-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्मिक अनुभाग-4 के सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति का शासनादेश सं0-3/2018/1/3/96-का-42018, दिनांक 29 मार्च, 2018 के अनुसार सफाई कर्मचारियों, पति-पत्नी को मथुरा से उन्नाव एक ही जनपद में तैनात करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-6 नं0-833472,

---

नोट :-[†] देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ संख्या-286-291 पर।

दिनांक 08 अप्रैल, 2022 एवं सं0-ख-7, दिनांक 28 मई, 2022 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ ।

सफाई कर्मचारियों के स्थानान्तरण से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-2/2016/2887/33-1-2016-2887/16, दिनांक 15-11-2016 के अन्तर्गत यह व्यवस्था प्राविधानित है कि सफाई कर्मचारी के पारस्परिक अनुरोध, मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) तथा दोनों जनपदों के जिला पंचायत राज अधिकारियों की संस्तुति/अनापत्ति के आधार पर पारस्परिक स्थानान्तरण निदेशक, पंचायतीराज, उ0 प्र0 राज्य द्वारा किये जायेंगे । इस प्रकार स्थानान्तरित सफाई कर्मचारी की ज्येष्ठता स्थानान्तरित जनपद में कनिष्ठतम होगी ।

उपरोक्त शासनादेश दिनांक 15-11-2016 में प्राविधानित व्यवस्था के विपरीत होने के कारण सम्बन्धित सफाई कर्मचारी का स्थानान्तरण सम्भव नहीं हो सका ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर की ग्राम पंचायत लखमदेमऊ में कतिपय लापता/मृतक व्यक्तियों को अभिलेखों में मृतक दर्ज करने विषयक

38-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर की ग्राम पंचायत लखमदेमऊ में कतिपय लापता/मृतक के नाम से की जा रही धोखाधड़ी को रोके जाने एवं उन्हें अभिलेखों में मृतक दर्ज करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र ख-7, दिनांक 03 जून, 2022 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ

महाबली पुत्र बुधई निवासी ग्राम गयाबक्सखेड़ा, म0 लखमदेमऊ, परगना पुरवा, तहसील बीघापुर, जनपद उन्नाव के लापता होने के कारण उनको मृतक मानते हुए रामसहाय पुत्र महाबली निवासी ग्राम गयाबक्सखेड़ा म0 लखमदेमऊ, परगना पुरवा, तहसील बीघापुर जनपद उन्नाव के नाम वरासतन अंकित करने का आदेश दिनांक 12-12-2011 को पारित किया गया। रामसहाय द्वारा गाटा संख्या - 719 रकबा 0-7510 हे0 के सम्पूर्ण भाग का बैनामा दिनांक 25-01-2019 को बेनीप्रसाद पुत्र महेश प्रसाद निवासी रम्माखेड़ा, म0 त्रिपुरारपुर, परगना

पुरवा, तहसील बीघापुर, जनपद उन्नाव के पक्ष में निष्पादित किया गया। उक्त बैनामा के आधार पर उ0 प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा-34 के अन्तर्गत योजित नामान्तरण वाद संख्या-टी 201910690500353 में न्यायालय नायब तहसीलदार बीघापुर जनपद उन्नाव द्वारा श्री बेनी प्रसाद पुत्र महेश प्रसाद के पक्ष में दिनांक 08-04-2022 को नामान्तरण आदेश पारित किया गया है। उक्त नामान्तरण आदेश दिनांक 08-04-2022 के विरुद्ध उपजिलाधिकारी, बीघापुर जनपद उन्नाव के न्यायालय में उ0 प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-35(2) के अन्तर्गत योजित वाद संख्या-टी 202210690500879 विचाराधीन है, जिसमें अगली सुनवाई हेतु दिनांक 23-09-2022 नियत है ।

जहाँ तक लापता महाबली को अभिलेखों में मृतक घोषित करने का प्रश्न है, सक्षम न्यायालय के आदेश पर किसी व्यक्ति को मृतक घोषित किया जा सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में शंकरगढ़ गिट्टी के स्थान पर ग्रेनाइट गिट्टी से निर्माण कराये जाने विषयक

39-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0एम0जी0एस0वाई0 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में शंकरगढ़ गिट्टी जो अत्याधिक कमजोर मानी जाती है उसके स्थान पर ग्रेनाइट गिट्टी से निर्माण कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं ।

पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत निर्मित होने वाले मार्गों का निर्माण ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्टियों के अनुसार किया जा रहा है। शंकरगढ़ से प्राप्त गिट्टी का प्रयोग मार्गों के सबबेस/बेसकोर्ट में किया जाता है। तकनीकी परीक्षण में शंकरगढ़ की गिट्टी सबबेस/बेसकोर्ट हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार पायी गयी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, कौशाम्बी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, अयोध्या, आदि जनपदों में सभी विभागों के अन्तर्गत शंकरगढ़ की गिट्टी का पूर्व से ही प्रयोग होता चला आ रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त जनपदों के लिए जारी दर सूची में शंकरगढ़ की खदान को अनुमोदित किया गया है तथा शासन द्वारा भी शंकरगढ़ की खदान को स्वीकृति प्रदान की गयी है। पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत निर्मित मार्गों के सबबेस/बेसकोर्ट में प्रयोग की जा रही शंकरगढ़ की गिट्टी का तकनीकी परीक्षण करने पर स्ट्रेन्थ (Strength) में भी कमजोर नहीं पायी गयी है, बल्कि स्वीकार्य सीमा में पायी गयी है तथा इसकी लागत भी कम है।

ग्रेनाइट गिट्टी बुन्देलखण्ड क्षेत्र में उपलब्ध है । शंकरगढ़ की गिट्टी का प्रयोग करने वाले उक्त जनपदों की दूरी बुन्देलखण्ड की खदानों से काफी अधिक है । इसीलिए ग्रेनाइट गिट्टी की ढुलाई की लागत अधिक होने के कारण ग्रेनाइट गिट्टी की लागत तुलनात्मक रूप से अधिक होगी ।

अतः लागत अधिक होने के कारण शंकरगढ़ की गिट्टी के स्थान पर ग्रेनाइट गिट्टी से निर्माण कराने पर विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि उपलब्धता होने के दृष्टिगत प्रदेश के बुन्देलखण्ड से लगे हुए नजदीकी क्षेत्रों के जनपदों में पी0एम0जी0एस0वाई0 के मार्गों के निर्माण में ग्रेनाइट गिट्टी का प्रयोग हो रहा है।

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी में क्लोराइड युक्त पेयजल की रोकथाम हेतु प्रभावी उपाय किये जाने के सम्बन्ध में

40-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी में क्लोराइड युक्त पेयजल की रोक-थाम के लिए कोई प्रभावी उपाय सरकार की ओर से प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का क्रियान्वयन समय-सीमा निर्धारित कर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों को जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से पाइप पेयजल योजना से आच्छादित किया जाना लक्षित है, जिसके अन्तर्गत गुणता प्रभावित समस्त बस्तियों को पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु चयनित कर सम्बन्धित फर्मो को आवंटित कर दिया गया है। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च, 2024 तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के तहसील शाहगंज के ग्राम नतौली की चक मार्ग सं0 720 पर भू-माफियाओं द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटवाये जाने के सम्बन्ध में

41-श्री विनय प्रकाश गोंड-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के तहसील शाहगंज के ग्राम नतौली की चक मार्ग सं0 720 पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा कर स्थायी निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चक मार्ग को अवैध कब्जे से मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां ।

प्रश्नगत चकमार्ग खाते की भूमि पर अरशद पुत्र अब्दुल्ला निवासी अहियापुर नं0-2 द्वारा पक्की दीवाल पर टीनशेड रखकर आवासीय अनाधिकार कब्जा किया गया है, जिसके विरुद्ध राजस्व संहिता 2006 की धारा-67(1) के अन्तर्गत वाद संख्या-टी0 202214360103184 योजित किया गया, जिस पर न्यायालय तहसीलदार शाहगंज जौनपुर आदेश दिनांक 02-08-2022 के द्वारा बेदखली सहित क्षतिपूर्ति मु0 8000.00 रुपये का आदेश पारित किया गया है । दिनांक 03-09-2022 को उक्त चकमार्ग पर से अतिक्रमण हटवाकर खाली करा दिया गया ।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुही में क्षतिग्रस्त नहरों की सफाई एवं पुनर्निर्माण कराकर टेल तक पानी पहुँचाये जाने विषयक

42-श्री असीम कुमार-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुही में अधिकांश नहरें क्षतिग्रस्त हैं तथा साफ-सफाई भी वर्षों से नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के नहरों की सफाई तथा पुनर्निर्माण कार्य कराकर हेड से टेल तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुही में राजवाहा की कुल लम्बाई 97.730 किमी0 एवं अल्पिका की कुल लम्बाई 116.500 किमी0 है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रबी 1429 फसली वर्ष में सिल्ट सफाई/स्क्रेपिंग का कार्य बजट आवंटन के फलस्वरूप तमकुही में आवश्यकतानुसार राजवाहा 27.000 किमी0 एवं अल्पिका 116.500 किमी0 सिल्ट सफाई/ स्क्रेपिंग का कार्य करा दिया गया था ।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुही में सभी नहरों के टेल भाग तक पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुही में स्नातक व परास्नातक कक्षाओं में विज्ञान वर्ग के पठन-पाठन की व्यवस्था कराये जाने विषयक

43-श्री असीम कुमार-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुही में स्नातक व परास्नातक कक्षाओं में विज्ञान वर्ग की पढ़ाई का प्रबन्ध नहीं होने से क्षेत्र

के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु अधिक दूरी पर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में स्नातक व परास्नातक कक्षाओं में विज्ञान वर्ग के पठन-पाठन की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुही राज में 01 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय तथा 09 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं, जिसमें से 02 स्ववित्तपोषित (विद्यावती देवी महाविद्यालय, वैष्णवी नगर, झरही, तमकुही राज, कुशीनगर तथा श्री राजरूप मैमोरियल महाविद्यालय टरपुर, वेलही, तमकुही राज, कुशीनगर) में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय संचालित है।

परास्नातक कक्षाओं में विज्ञान वर्ग के पठन-पाठन की व्यवस्था, वित्तीय व भौतिक संसाधनों के दृष्टिगत करने का अवसर वर्तमान में नहीं है ।

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम ऊबटी में निर्मित मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम की अनावरण पट्टिका/शिलालेख के सम्बन्ध में

44-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के ग्राम ऊबटी विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत सीमांकित है ? यदि हां तो क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 11 मई, 2022 को ग्राम ऊबटी में निर्मित मेजर ध्यानचंद स्टेडियम की अनावरण पट्टिका/शिलालेख पर ग्राम ऊबटी को विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में अंकित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शिलालेख/पट्टिका को बदल कर ग्राम ऊबटी, विधान सभा शिकोहाबाद में एवं विधायक शिकोहाबाद का नाम अंकित कराते हुये नयी पट्टिका लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ ।

दिनांक 11 मई, 2022 को ग्राम ऊबटी में निर्मित मेजर ध्यान चन्द, स्टेडियम का लोकार्पण श्री केशव प्रसाद मौर्य, मा0 उप मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के कर कमलों द्वारा किया गया । अनावरण पट्टिका/शिलालेख पर ग्राम ऊबटी को विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के स्थान पर त्रुटिवश सिरसागंज में अंकित हो गया था, जिसे जानकारी में आने के बाद विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के स्थान पर शिकोहाबाद अंकित करा दिया गया है। स्टेडियम के लोकार्पण के समय मा0 मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, मा0 सांसद, मा0 विधायक सदर, फिरोजाबाद, मा0 विधायक टूण्डला तथा मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत उपस्थित थे, जिनका नाम अनावरण

पट्टिका/शिलालेख पर अंकित किया गया है, डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, मा0 विधायक शिकोहाबाद तत्समय उपस्थित नहीं थे इसलिए उनका नाम अनावरण पट्टिका शिलालेख पर अंकित नहीं किया गया। नई पट्टिका लगाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा के ब्लाक भनवापुर के क्षेत्र पंचायत में राज्य वित्त व 15वां वित्त तथा मनरेगा से धन निकाल कर फर्जी फर्म के नाम से भुगतान की जांच कर दोषियों को दण्ड दिये जाने के सम्बन्ध में

45-श्री महेंद्र नाथ यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा के ब्लॉक भनवापुर के क्षेत्र पंचायत में राज्य वित्त व 15वां वित्त तथा मनरेगा से धन निकाल कर फर्जी फर्म के नाम से भुगतान कर दिया गया है जिसकी सूचना दिनांक 27-05-2022 में जिला अधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश को जांच करने के लिए भेजा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर के पत्र दिनांक 27-05-2022 के क्रम में शासन के पत्र सं0-1284/33-2-2022, दिनांक 29 अगस्त, 2022 द्वारा जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर को जांच कराकर जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए गये हैं।

जनपद वाराणसी के संस्कृत महाविद्यालय असबारी राजतालाब से सेवानिवृत्त जितेन्द्र सिंह सहायक अध्यापक (संस्कृत) का वर्ष 1981 से वर्ष 2000 तक के सेवानिवृत्तिक देयकों का भुगतान किये जाने विषयक

46-डॉ0 रागिनी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के संस्कृत महाविद्यालय, असबारी, राजतालाब में 30 जून, 2004 तक सेवानिवृत्त शिक्षकों के देयकों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि सेवानिवृत्त जितेन्द्र सिंह, सहायक अध्यापक (संस्कृत) का वर्ष 1981 से वर्ष 2000 तक के सेवानिवृत्तक देयकों का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जनपद वाराणसी के संस्कृत महाविद्यालय असवारी राजतालाब की अनियमितताओं के सम्बन्ध में शासन द्वारा समिति गठित कर जांच करायी गयी, जिसमें विभिन्न प्रकार की अनियमिततायें पायी गयीं । तदोपरान्त शासन स्तर पर लिये गये निर्णय के दृष्टिगत संस्कृत महाविद्यालय असबारी राजतालाब का अनुदान निलम्बित कर दिया गया।

संस्कृत महाविद्यालय असबारी राजतालाब का अनुदान निलम्बित किये जाने के दृष्टिगत सेवानिवृत्त शिक्षक श्री जितेन्द्र सिंह के अवशेष देयक का भुगतान किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा के ग्राम बिजौरा में उपजाऊ भूमि लुप्त हो जाने के सम्बन्ध में

47-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा के ग्राम बिजौरा में बांध बनाए जाने के कारण गांववासियों की उपजाऊ भूमि लुप्त होने से भुखमरी के कगार पर आ जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-7 न0 010004, दिनांक 27-06-22 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह--

जी हाँ।

जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत भोजपुर-शाहपुर के अधूरे गैप्स को पूर्ण किये जाने की परियोजना गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग एवं केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली से स्वीकृति उपरान्त कार्य कराया जा रहा है। कार्य स्थल पर उप जिलाधिकारी, इटवा द्वारा सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता के साथ संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया गया द्य ग्रामवासियों द्वारा सुझावित समरेखन पर बांध बनाया जाना तकनीकी दृष्टिकोण से साध्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2017 से 17 मई, 2022 तक दर्ज हत्या, डकैती, बलात्कार तथा छिनैती के विवरण के सम्बन्ध में

48-श्रीमती पूजा पाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हत्या, डकैती, बलात्कार तथा छिनैती के कुल कितने मामले वर्ष 2017 से 17 मई, 2022 तक दर्ज किए गये हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

क्राइम इन इण्डिया व एफ0 सी0 आर0 में संकलित आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में वर्ष 2017 से 31 मई 2022 तक हत्या, डकैती, बलात्कार तथा छिनैती की पंजीकृत घटित घटनाओं के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग की संख्या निम्नवत है-

अवधि	हत्या	डकैती	बलात्कार	लूट	स्रोत
वर्ष 2017	4324	263	4246	4089	NCRB
वर्ष 2018	4018	144	3946	3218	
वर्ष 2019	3806	124	3065	2241	
वर्ष 2020	3779	120	2769	1633	
वर्ष 2021	3717	130	2845	1909	
दि0 01-01-2022 से 15-05-2022 तक (यह सूचना पाक्षिक रूप से संकलित की जाती है।)					
	1122	20	894	589	FCR
दि0 16-05-2022 से 31-05-2022 तक					
	140	01	145	63	

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र बारा के शंकरगढ़ में स्थित राजकीय बालिका इण्टर कालेज के भवन का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

49-श्री वाचस्पति-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र बारा के शंकरगढ़ में स्थित राजकीय बालिका इण्टर कालेज का भवन जीर्ण-शीर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालेज को उच्चीकृत कराते हुए भवन का नवीनीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी हाँ ।

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित राजकीय विद्यालय के जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार कार्य व अवस्थापना सुविधाओं आदि का कार्य कराये जाने से सम्बन्धित ''प्रोजेक्ट अलंकार'' योजनान्तर्गत प्रश्नगत विद्यालय को नवीनीकृत किये जाने हेतु

शिक्षा निदेशक (मा0) के पंत्रांक-सा0 नि0 वि0 (मा0)/1063/2022-23, दिनांक 15 जुलाई, 2022 द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। तत्क्रम में कार्यवाही गतिमान है।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र बारा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु पानी की टंकियों का निर्माण कार्य कराये जाने विषयक

50-श्री वाचस्पति-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र बारा में अधिकांश भाग पठारी होने के कारण हैण्डपम्प से स्वच्छ पेयजल प्राप्त नहीं हो पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के निवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु पानी की टंकियों का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र बारा के विकास खण्ड बारा की वर्ष 2011 की कुल जनसंख्या 1,16,462 के सापेक्ष कुल 4,096 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प एवं विकास खण्ड शंकरगढ़ की कुल जनसंख्या 1,55,455 के सापेक्ष 2,826 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। उक्त के अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र बारा में वर्तमान कुल 27 पाइप पेयजल योजनाएँ निर्मित हैं, जिनमें से 14 पाइप पेयजल योजनाओं के रेट्रोफिटिंग का कार्य कराया जा रहा है तथा शेष 13 पाइप पेयजल योजनाएँ सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा अनुरक्षित एवं संचालित की जा रही है । 'जल जीवन मिशन' कार्यक्रम के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बारा के 121 ग्राम पंचायतों में सतही स्रोत आधारित योजना विरचित करते हुए वर्ष 2024 तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राथमिक/जूनियर विद्यालयों हेतु कम्प्यूटरों की व्यवस्था की जानकारी के सम्बन्ध में

51-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक/जूनियर विद्यालयों में कार्यों को कम्प्यूटर पर पूर्ण करने हेतु कम्प्यूटर की व्यवस्था है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नदियों की सफाई की प्रचलित योजना तथा जनपद शामली से होकर जाने वाली कृष्णा नदी की सफाई के सम्बन्ध में

52-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नदियों की सफाई की योजना प्रचलित है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद शामली से होकर निकलने वाली कृष्णा नदी की सफाई हेतु विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है

प्रदेश में सिंचाई हेतु रजवाहे व नहरों से पानी छोड़े जाने की समय-सीमा की जानकारी के सम्बन्ध में

53-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सिंचाई हेतु रजवाहे व नहरों से पानी छोड़े जाने की कोई समय-सीमा तय है ? यदि हां, तो जनपद शामली में स्थित कल्लरपुर रजवाहे की समय सारणी क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ ।

सिंचाई हेतु नहरों से पानी छोड़े जाने हेतु प्रत्येक वर्ष खरीफ फसल व रबी फसल हेतु अधिशासी अभियंता, जिला कृषि अधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित रोस्टर के अनुसार समय-सीमा निर्धारित है ।

वर्ष 2022 - 2023 के वर्तमान खरीफ फसल में कल्लरपुर राजवाह की समय सारणी रोस्टर के अनुसार निम्नानुसार है :-

माह	अवधि
अप्रैल, 2022	20-04-2022 से 27-04-2022
मई, 2022	18-05-2022 25-05-2022
जून, 2022	15-06-2022 22-06-2022

माह	अवधि
जुलाई, 2022	06-07-2022 से 13-07-2022 व 13-07-2022 से 20-07-2022
अगस्त, 2022	03-08-2022 से 10-08-2022 व 10-08-2022 से 17-08-2022
सितम्बर, 2022	07-09-2022 से 14-09-2022

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र केराकत के ब्लाक मुफ्तीगंज के ग्राम असवारा क्षतिग्रस्त मार्ग को इण्टरलॉकिंग कराये जाने के सम्बन्ध में

54-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के ब्लाक मुफ्तीगंज के ग्राम असवारा के शारदा सहायक खण्ड नहर के पुल से पहले, काली रोड से ग्राम लुरखुरी के मार्ग से रामकेश यादव तथा संजय यादव के घर से होते हुए सागर यादव के घर तक मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर इण्टरलॉकिंग का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां ।

निदेशक, पंचायतीराज के पत्र दिनांक 12-09-2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार खण्ड विकास अधिकारी, मुफ्तीगंज के पत्र दिनांक 09-09-2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि विकास खण्ड मुफ्तीगंज के ग्राम असवारा के शारदा सहायक खण्ड नहर के पुल से पहले काली रोड से ग्राम लुरखुरी के मार्ग से रामकेश यादव तथा संजय यादव के घर से होते हुए सागर यादव के घर तक इण्टरलॉकिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में स्थलीय मापी के उपरान्त अवर अभियन्ता द्वारा लागत रु0 14.20 लाख है । उक्त कार्य को क्षेत्र पंचायत की आगामी कार्य योजना में सम्मिलित कराकर कार्य करा दिया जायेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2022 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-6 के उत्तर के क्रम में प्रश्नगत नाला व मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने की जानकारी

55-श्री पंकज कुमार मलिक-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2022 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-6 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत नाला व मार्ग केन्द्रीय वित्त

आयोग, राज्य वित्त आयोग एवं ग्राम पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित कर उक्त मार्ग व नाले का निर्माण कार्य करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत कार्य को ग्राम पंचायत के केन्द्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग एवं मनरेगा से प्राप्त धनराशि से प्रस्ताव को ग्राम पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित कराकर कार्य को कराया जाना था परन्तु ग्राम पंचायत में उक्त योजना में इतनी अधिक धनराशि उपलब्ध न होने के कारण प्रश्नगत कार्य नहीं कराया जा सका। उक्त नाला, इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य को क्षेत्र पंचायत की आगामी बैठक की कार्य योजना में सम्मिलित कराकर कार्य को पूर्ण करा दिया जायेगा।

जनपद जालौन में हर घर नल योजना के अन्तर्गत ग्रामों में पानी की टंकी तथा पाइप लाइने बिछाये जाने का कार्य पूर्ण होने की समयावधि के सम्बन्ध में

56-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में हर घर नल योजना के अन्तर्गत किन ग्रामों में पानी की टंकी तथा पाइप लाइनें बिछने का कार्य संचालित है तथा उक्त कार्य को पूर्ण कराने की समयावधि क्या है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद जालौन में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के हर घर नल योजना के अन्तर्गत 384 पानी की टंकी एवं 923 ग्रामों में पाइप लाइन बिछाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष 29 पानी की टंकी का निर्माण एवं 32 ग्रामों में पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 355 ग्रामों में पानी की टंकी का निर्माण कार्य एवं 891 ग्रामों में पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। उक्त निर्माणाधीन योजनाओं को दिसम्बर, 2022 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन की हमीरपुर व कुठौंद शाखा की नहरों की सफाई कराये जाने की मांग

57-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन की हमीरपुर व कुठौंद शाखा की नहरों में सिल्ट जमा होने से नहरें जगह-जगह उथली हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नहरों की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जालौन की हमीरपुर शाखा व कुठौंद शाखा का आन्तरिक सैक्शन कतिपय रीचों में ज्यादा चौड़ा (over widened) एवं बैंक क्षतिग्रस्त हो गये हैं, जिनकी पुनर्स्थापना का कार्य उ0 प्र0 एकीकृत जल संसाधन विकास परियोजना (तृतीय चरण) के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है ।

जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र नरैनी के अन्तर्गत स्थित ग्राम सिंहपुरमाफी में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने विषयक

58-श्रीमती ओममणी वर्मा-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र नरैनी के अन्तर्गत स्थित ग्राम सिंहपुरमाफी में इण्टर कालेज न होने के कारण क्षेत्र के बच्चों को अध्ययन हेतु लगभग 20 किमी0 दूर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बांदा के विधान सभा क्षेत्र-नरैनी के अन्तर्गत स्थित ग्राम सिंहपुरमाफी से लगभग 10 किमी0 की दूरी पर गांधी राजकीय इण्टर कालेज, ओरन अवस्थित है, जिसमें छात्र/छात्रायें अध्ययन करते हैं ।

अतः प्रश्नगत स्थल मानकानुसार संतृप्त है ।

जनपद बांदा स्थित अतर्रा पी0जी0 कालेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाये के सम्बन्ध में

59-श्रीमती ओममणी वर्मा-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चित्रकूटधाम मण्डल, जनपद बांदा में विश्वविद्यालय न होने के कारण छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद बांदा स्थित अतर्रा पी0जी0 कालेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी नहीं।

सम्प्रति अतर्रा पी0जी0 कालेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

चित्रकूटधाम मण्डल के जनपद बांदा में 01 कृषि विश्वविद्यालय, 02 राजकीय महाविद्यालय, 02 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय एवं 69 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं, जिनसे (वर्तमान में) क्षेत्र के छात्र/छात्राओं की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है ।

जनपद फतेहपुर की विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के माझेपुर, अमौली, चांदपुर, जहानाबाद के स्थानों पर महिला महाविद्यालयों का निर्माण कराये जाने विषयक

60-श्री राजेन्द्र सिंह पटेल-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर की विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद में राजकीय महिला महाविद्यालय नही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के माझेपुर, अमौली, चांदपुर, जहानाबाद के स्थानों पर उक्त महाविद्यालय बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी हाँ ।

वित्तीय एवं भौतिक संसाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किए जाने का अवसर नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर सदर में रजवाहे की पटरी पर जैनपुर से लेकर बहलीपुरा तक जर्जर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

61-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर सदर में रजवाहे की पटरी पर जैनपुर से लेकर बहलीपुरा तक जर्जर सड़क का निर्माण कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां, जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर सदर में बुलन्दशहर राजवाह की पटरी पर जैनपुर से लेकर बहतीपुरा तक पटरी पर निर्मित सड़क जर्जर

अवस्था में है। बुलन्दशहर राजवाह के किमी0 10.815 पर जैनपुर स्थित है एवं किमी0 18.975 पर बहतीपुरा स्थित है। इन दोनों ग्रामों के मध्य की कुल दूरी 8.160 किमी0 है। पटरी मरम्मत की कार्य योजना गड्ढामुक्ति एवं नवीनीकरण के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पटरी के इस भाग की मरम्मत का कार्य धनावंटन होने पर कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में नदियों के किनारे खादर क्षेत्र में तटबन्ध /ठोकरो का निर्माण कराये जाने की योजना की जानकारी एवं जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड पुरकाजी के खादर क्षेत्र में तटबन्ध/ ठोकर निर्माण कराये जाने विषयक

62—श्री अनिल कुमार-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नदियों के किनारे खादर क्षेत्र में तटबन्ध/ठोकरों का निर्माण कराये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो क्या जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड पुरकाजी के खादर क्षेत्र में तटबन्ध/ठोकर निर्माण कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ ।

जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड पुरकाजी के खादर क्षेत्र में जनपद मुजफ्फरनगर में सोलानी नदी के दाँयें किनारे पर पुरकाजी खादर में तटबंध निर्माण के कार्य की 'परियोजना' लागत रु0 11075.00 लाख की प्रस्तावित है । प्रस्तावित परियोजना उ0प्र0 राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की स्थायी संचालन समिति की 52वीं बैठक दिनांक 02-12-2019 में अनुमोदित की गयी है तथा परियोजना पर भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, लखनऊ के पत्र दिनांक 05-09-2022 द्वारा 'टेक्नो इकोनॉमिक अप्रेजल क्लीयरेन्स आफ द स्कीम' प्रदान की गयी है तथा मंत्रालय के केन्द्रीय जल आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति के अनुमोदनार्थ सन्दर्भित किये जाने हेतु प्रक्रियाधीन है। परियोजना के सक्षम स्तर, केन्द्रीय जल आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति के अनुमोदनोपरान्त, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त क्षेत्र में ठोकर निर्माण की कोई योजना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी विधान सभा क्षेत्र में ग्राम वरौदा, परवी सदर महुआर में आलू प्रोसेसिंग प्लाण्ट लगाये जाने विषयक

63-श्री बाबूलाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी विधान सभा क्षेत्र में ग्राम वरौदा, परवी सदर महुआर के किसानों की सन् 2008 में लेदर पार्क के लिए अधिग्रहण की गई भूमि पर आलू किसानों के हितार्थ आलू प्रोसेसिंग प्लाण्ट लगाने का विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

वर्तमान में राजकीय क्षेत्र में आलू प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की कोई योजना संचालित नहीं है। निजी क्षेत्र में आलू प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु उ0 प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत मशीन उपकरणों तथा तकनीकी सिविल कार्य की लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम 50 लाख पूँजीगत उपादान तथा मशीन उपकरणों एवं भवन निर्माण हेतु बैंक से लिये गये सावधि ऋण पर ब्याज दर का 7 प्रतिशत अधिकतम 50 लाख प्रतिवर्ष 05 वर्षों हेतु ब्याज उपादान दिये जाने का प्राविधान है।

प्रदेश में वर्ष 2017 से 15 मई, 2022 तक नहरों पर सिल्ट एवं ड्रेनों की सफाई /खुदाई कराये जाने की जानकारी

64-श्री उमाशंकर सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2017 से 15 मई, 2022 तक किन-किन नहरों, माइनरों, रजवाहों एवं ड्रेनों आदि में कुल कितने किलोमीटर सिल्ट सफाई/खुदाई करायी गयी तथा उस पर कितना व्यय हुआ है एवं उपरोक्त में कितने किलोमीटर सफाई/खुदाई हेतु शेष है ? क्या सरकार शेष नहरों, माइनरों, रजवाहों एवं ड्रेनों की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ,

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक नहरों पर सिल्ट एवं ड्रेनों की सफाई के कार्यों का विवरण निम्नवत् है --

वित्तीय वर्ष	नहरों की सिल्ट सफाई	सम्बन्धित, ड्रेनों की सिल्ट सफाई	सम्बन्धित, लम्बाई (किमी0 में)	व्यय (करोड़ रु0 में)
1	2	3	4	5
2017-18	27551.15	111.55	3403	35.61

1	2	3	4	5
2018-19	29487.21	102.82	6304	36.18
2019-20	46822.11	177.76	13271	124.59
2020-21	45942,26	160.14	12675	123.11
2021-22	50961.73	186.47	18780	218.00

विगत पाँच वर्षों में लगभग सभी चलित माइनरों व राजवाहों की कम से कम एक बार सफाई करायी जा चुकी है।

जी हाँ, विभाग में नहरों व ड्रेनों की सिल्ट सफाई प्रतिवर्ष की एक सतत् प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत धनराशि की उपलब्धता एवं सफाई की आवश्यकतानुसार सिल्ट सफाई के कार्य कराये जाते हैं ।

वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था में केवल खरीफ में चलने वाली नहरों की सफाई प्रतिवर्ष दिनांक 15 अप्रैल से 15 जून तक एवं रबी की नहरों को प्रतिवर्ष दिनांक 15 अक्टूबर से दिनांक 15 दिसम्बर के मध्य सिल्ट सफाई कराये जाने का प्राविधान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आई0 जी0 आर0 एस0 सं0-18152220075337 के क्रम में पत्र कतिपय आरोपी पर 22 अभियोग पंजीकृत एवं अवैध शस्त्र असलहा की पुनः जांच कराकर कार्यवाही किये जाने विषयक

65-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई0जी0आर0एस0 सं0-18152220075337 के क्रम में पत्र कतिपय आरोपी पर 22 अभियोग पंजीकृत एवं अवैध शस्त्र असलहा की जांच के क्रम में कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद शाहजहांपुर के पत्रांक सं0-एसएचए आई0जी0आर0एस0/2022, दिनांक जून, 2022 के अनुसार पुलिस द्वारा प्रार्थना-पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की पुनः जांच कराकर कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत प्रकरण सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम-2000 की धारा-66ए से आच्छादित है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्रेया सिंघल बनाम भारत सरकार संघ के निर्णय में दिनांक 24-03-2015 को उक्त धारा को असंवैधानिक घोषित करते हुए समाप्त कर दिया गया है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19(1)(ए) में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करती है । अतः प्रकरण में किसी पुलिस कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में भुजही से बरही तक सड़क मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने विषयक

66-श्री अखिलेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के भुजही से बरही तक का सड़क मार्ग जो जिला पंचायत, आजमगढ़ द्वारा निर्मित है, के नवीनीकरण की कोई योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्न में संदर्भित मार्ग की लम्बाई 500 मी0 है एवं लागत रु0 12.62 लाख है। प्रश्नगत मार्ग जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में स्वीकृति के उपरान्त कार्य का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। उक्त कार्य की निविदा नियमानुसार आमंत्रित कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

जनपद श्रावस्ती में महामाया राजकीय महाविद्यालय में कतिपय विषयों के साथ स्नातक मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में

67-श्री राम फेरन पाण्डेय-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद श्रावस्ती में महामाया राजकीय महाविद्यालय में हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, समाज शास्त्र, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र व शारीरिक शिक्षा के साथ स्नातक मान्यता देने एवं भूगोल, गृह विज्ञान, अर्थ शास्त्र, मनोविज्ञान, चित्रकला की मान्यता देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

वित्तीय एवं भौतिक संसाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत विचार किये जाने का अवसर नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद श्रावस्ती अन्तर्गत महामाया महाविद्यालय में शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों हेतु आवास बनाये जाने विषयक

68-श्री राम फेरन पाण्डेय-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद श्रावस्ती अन्तर्गत महामाया महाविद्यालय में शिक्षकों व उनके अधीन कर्मचारियों के रहने के लिए आवास बनाने की योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी नहीं।

वर्तमान में इस स्थान हेतु ऐसी कोई योजना शासन में विचाराधीन नहीं है।

जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद में संचालित सिंचाई नलकूप की जानकारी एवं सिंचाई हेतु आवश्यक नलकूप अधिष्ठापित कराये जाने विषयक

69-श्री प्रदीप कुमार सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद में सिंचाई के लिए कितने सरकारी नलकूप संचालित हैं ? क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में सिंचाई हेतु आवश्यक नलकूप अधिष्ठापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद-हाथरस के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र-सादाबाद के विकास खण्ड-सेहपऊ में 29 राजकीय नलकूप, विकास खण्ड-सिकन्दराराऊ में 04 राजकीय नलकूप एवं विकास खण्ड-हसायन में 01 राजकीय नलकूप, कुल 34 राजकीय नलकूप संचालित हैं। उक्त राजकीय नलकूपों द्वारा कृषकों को मांग के अनुरूप सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की अधिसूचना सं0-824-76-3-2022-13एनजी-2020, दिनांक 14-06-2022 के अनुसार विकास खण्ड-सहपऊ अतिदोहित श्रेणी में, विकास खण्ड-सिकन्दराराऊ क्रिटिकल श्रेणी में एवं विकास खण्ड-हसायन सुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत है। उक्त अधिसूचना के अनुसार अतिदोहित एवं क्रिटिकल श्रेणी में वर्गीत विकास खण्डों में नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण प्रतिबन्धित है ।

वर्तमान में प्रदेश के सुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत विकास खण्डों में राजकीय नलकूप लगाये जाने हेतु 2100 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना के वित्त पोषण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नवीन राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों एवं कृषकों से प्राप्त प्रस्तावों में से प्रारम्भिक सर्वेक्षण में साध्य पाये गये स्थलों के प्रस्ताव जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला नलकूप स्थल चयन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं। समिति के अनुमोदनोपरान्त चयनित स्थलों पर राजकीय नलकूपों के निर्माण की कार्यवाही की जाती है ।

उपर्युक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद में कतिपय राजवाहों के टेल तक पानी पहुंचाये जाने विषयक

70-श्री प्रदीप कुमार सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद में राजवाह कुरसंडा सादाबाद, जुगसना व धर्गेटा तथा सहपऊ राजवाह में पानी टेल तक नहीं पहुँचता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राजवाहों के टेल तक पानी पहुँचाने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

अधिशासी अभियन्ता, मांट शाखा गंग नहर, मथुरा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सादाबाद में राजवाहा कुरसण्डा, राजवाहा सादाबाद, राजवाहा जुगसना, राजवाहा दघैटा, मांट शाखा से निकलते हैं। खरीफ 1430 फसली में राजवाहों की टेलफीड कराकर कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी है, टेलफीड का तिथिवार विवरण निम्नवत् है-

क्र0सं0	रजवाहा का नाम	टेल पर पानी पहुंचाने की तिथि
1	राजवाहा कुरसण्डा	दिनांक 30-06-2022
2	राजवाहा सादाबाद	दिनांक 03-06-2022
3	राजवाहा जुगसना	दिनांक 27-05-2022
4	राजवाह दघैटा	दिनांक 03-05-2022, 29-05-2022, 26-07-2022

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हाथरस के अन्तर्गत खरीफ 1430 फसली में राजवाहा सहपऊ में दिनांक 05-04-2022, दिनांक 29-05-2022, दिनांक 15-06-2022 एवं दिनांक 24-06-2022 को टेलफीड कराकर कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

राजवाहा कुरसण्डा, राजवाहा सादाबाद, राजवाहा जुगसना, राजवाहा दघैटा एवं राजवाहा सहपऊ की टेलफीड कराकर कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नही उठता ।

प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद नामान्तरण किये जाने में परेशान करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने विषयक

71-श्री जगदीश नारायण-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद नाम का स्थानान्तरण में विवाद न होने के बावजूद नाम स्थानान्तरण न किये जाने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे प्रकरणों में निश्चित समयावधि में उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करते हुए अनावश्यक लोगों को परेशान करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद नामान्तरण की कार्यवाही उ0 प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-34 के अन्तर्गत की जाती है।

उ0 प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-34(7) में यह व्यवस्था दी गयी है कि तहसीलदार नामान्तरण के अविवादित प्रकरण को उसके दर्ज किये जाने के दिनांक से 45 दिनों की अवधि के अन्दर और नामान्तरण के विवादित प्रकरण को 90 दिनों की अवधि के अन्दर तय करने का प्रयास करेगा और यदि कार्यवाही ऐसी अवधि के अन्तर्गत समाप्त नहीं होती है तो उसके लिये कारण अभिलिखित किया जायेगा ।

उ0 प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-34 के अन्तर्गत प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में दायर होने वाले प्रकरणों/वादों को उक्त नियमावली में दी गयी समय-सीमा के अन्दर निस्तारित किये जाने हेतु राजस्व परिषद् के परिषदादेश दिनांक 28-12-2021, 02-09-2022 एवं 09-09-2022 के अन्तर्गत विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। परिषदादेश दिनांक 09-09-2022 के प्रस्तर-3(6) में यह निर्देश दिये गये हैं कि सभी मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में लम्बित वादों की नियमित रूप से समीक्षा की जाय । न्यायालयों का निरीक्षण किया जाय तथा समयबद्ध ढंग से राजस्व वादों का निस्तारण न करने वाले पीठासीन अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए राजस्व वादों के निस्तारण की कारगुजारी का अंकन सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में अवश्य किया जाय ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों की कार्मिक नीति 1999 के प्रस्तर-4.2 के अनुसार डी0 आर0 डी0 ए0 में सीधी भर्ती से नियुक्त स्टाफ को अन्य विभागों में समावेश करने के सम्बन्ध में

72-श्री जगदीश नारायण-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों की कार्मिक नीति-1999 के प्रस्तर-4.2 के अनुसार डी0 आर0 डी0 ए0 में सीधी भर्ती से नियुक्त स्टाफ को अन्य विभागों में समावेश करने की योजना बनायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त निर्देशों का पालन पूर्ण करा दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के कार्मिक नीति-1999 के प्रस्तर-4.2 द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में अब किसी प्रकार की सीधी भर्ती की अनुमति न दिये जाने तथा जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में कार्य कर रहे कार्मिकों को लाइन विभागों में आमेलित करने के लिये 3-5 वर्षीय योजना तैयार करने की व्यवस्था दी गयी थी । उक्त के क्रम में डी0 आर0 डी0 ए0 में सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों को शासनादेश दिनांक 18-07-2016 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन ग्राम्य विकास विभाग में संविलियन किया गया है।

जी हाँ ।

उपरोक्तानुसार निर्देशों का पालन पूर्ण करा लिया गया है ।

शासनादेश-सं-13/2016/डी383/38-2-2016-2(17)डी/2016, दिनांक 18-07-2016 की प्रति संलग्न[†] है

प्रदेश में भू-खण्डों के सीमांकन करने की प्रक्रिया तथा समय-सीमा निर्धारण के विवरण की जानकारी

73-श्री जगदीश नारायण-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भू-खण्डों के सीमांकन करने की प्रक्रिया क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी की सीमांकन हेतु समय-सीमा का निर्धारण किया गया है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-[†] देखिये नत्थी 'ङ' पृष्ठ संख्या-292 पर।

श्री योगी आदित्यनाथ-

उ0 प्र0 राजस्व संहिता-2006 यथा संशोधित की धारा-24 (सीमा संबंधी विवाद) तथा उ0 प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 यथा संशोधित के नियम-22 में प्रदेश में भू-खण्डों के सीमांकन के सम्बन्ध में प्रक्रिया निम्नवत् है :-

1-संहिता की धारा-24 (1) के अधीन खातेदार एक या एक से अधिक समीपस्थ गाटों के लिए सीमा विवाद निस्तारण के लिए आवेदन-पत्र दो प्रतियों में उप जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगा और उसमें निम्नलिखित विशिष्टयां अन्तर्विष्टि होंगी :-

(क) गाटा का विवरण-गाटा संख्या, खातेदार का नाम, पिता/पति का नाम, ग्राम/तहसील का नाम। यदि एक से अधिक खातेदार हैं, तो सभी की विशिष्टयां उल्लिखित की जायेंगी, चालू अद्यतनकृत खतौनी भी आवेदन-पत्र के साथ संलग्न की जायेगी ।

(ख) समीपस्थ गाटों का विवरण-गाटा संख्या, खातेदार का नाम, पिता/पति का नाम, ग्राम/तहसील का नाम। यदि एक से अधिक खातेदार हों, तो सभी की विशिष्टियां उल्लिखित की जायेंगी। चालू अद्यतनकृत खतौनी भी आवदेन-पत्र के साथ संलग्न की जायेगी।

2-यदि खतौनी में खाता अलग है, किन्तु भू-चित्र में उप विभाजन नहीं है, तो भू-चित्र में उप विभाजन कराया जाना आवश्यक होगा ।

3-यदि सीमांकित किये जाने वाले गाटा/गाटों से ग्राम पंचायत/राज्य सरकार की किसी सम्पत्ति की सीमा संलग्न है, तो अध्यक्ष भूमि प्रबंधक समिति/ग्राम प्रधान और राज्य सरकार को तत्सम्बन्ध में पक्षकार बनाया जायेगा ।

4-समीपस्थ गाटों की सीमा के सीमांकन हेतु आवेदन किये जाने पर बाहरी सीमा का ही सीमांकन किया जायेगा।

5-आवेदक को गाटा/सम्बद्ध गाटों के सीमांकन हेतु राजकीय कोषागार में 1000/- की फीस जमा करनी होगी। आवेदन पत्र के साथ चालान, रसीद की प्रतिलिपि भी संलग्न की जायेगी।

6-सीमांकन हेतु आवेदन प्राप्त किये जाने पर उसी दिन या अगले कार्य दिवस पर उप जिलाधिकारी, राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (आर0 सी0 सी0 एम0 एस0) पर वाद दर्ज करेगा। कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से नोटिस की तीन प्रतियां जारी की जायेंगी और तहसीलदार के माध्यम से राजस्व निरीक्षक को प्रदत्त की जायेंगी ।

7-राजस्व निरीक्षक, लेखपाल या अन्य किसी माध्यम से उप नियम (1) में यथा उल्लिखित सम्बन्धित खातेदार/खातेदारों को नोटिस तामील करेगा। खातेदारों की अनुपस्थिति में

नोटिस, खातेदार/खातदारों के वयस्क पारिवारिक सदस्य को तामील की जायेगी। सीमांकन की सूचना, भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष को भी प्रदान की जायेगी ।

8-यदि राजस्व निरीक्षक सूचना भेजते समय या स्थलीय सीमांकन से पूर्व किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को तत्सम्बन्ध में पक्षकार बनाना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है।

9-राजस्व निरीक्षक अथवा कोई अन्य राजस्व पदाधिकारी सीमांकन हेतु दिनांक नियत करने के पश्चात् और सभी संबंधित खातेदारों को सूचित करने के पश्चात् यथास्थिति भू-खण्ड या भू-खण्डों का सीमांकन करेगा। सीमांकन करते समय यदि कोई प्रभावित खातेदार तत्सम्बन्ध में पक्षकार न हो, तो ऐसा खातेदार राजस्व निरीक्षक द्वारा तत्सम्बन्ध में स्थलीय पक्षकार बनायेगा तथा वह अपनी सीमांकन आख्या में इसका उल्लेख करेगा। सीमांकन उप जिलाधिकारी द्वारा तन्निमित्त आदेश के दिनांक से एक माह के भीतर पूर्ण किया जायेगा ।

10-राजस्व निरीक्षक या अन्य राजस्व पदाधिकारी स्थल ज्ञाप सहित सीमांकन आख्या तैयार करेंगे। यदि तत्निमित्त कोई आपत्तियां न हों, तो सीमांकन आख्या पर सभी संबंधित पक्षकारों की सहमति तथा हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चात् उसे तहसीलदार के माध्यम से उप जिलाधिकारी को एक सप्ताह में प्रेषित कर दिया जायेगा। राजस्व निरीक्षक की पूर्वोक्त आख्या प्राप्त करने पर उप जिलाधिकारी सीमांकन आख्या की पुष्टि करते हुए आदेश पारित करेगा ।

11-सीमांकन से प्रभावित पक्षकारों ने सीमांकन पर अपनी सहमति न दी हो अथवा यदि सीमांकन आख्या में कोई आपत्ति हो, तो उप जिलाधिकारी द्वारा सभी पक्षकारों को सुनवाई का दिनांक नियत करते हुए नोटिस (नोटिसें) जारी की जायेगी, जो नोटिस जारी किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के बाद की नहीं होगी ।

12-उप जिलाधिकारी समस्त सम्बन्धित पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् सीमा का सीमांकन करने के सम्बन्ध में आदेश पारित करेगा। राजस्व निरीक्षक को आदेश किये जाने के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर ऐसे आदेश का अनुपालन करना होगा और उप जिलाधिकारी को अपनी आख्या प्रस्तुत करनी होगी।

13-जहां पर गाटा/सर्वे संख्या की सीमा, भूमि के जलोढ़ या आप्लाव अथवा भारी वर्षा के कारण या किन्हीं, अन्य कारण से हुई क्षति के कारण शिनाख्त योग्य न हो, वहां पर उस ग्राम के ग्राम राजस्व समिति के अध्यक्ष के आवेदन पर अथवा राजस्व निरीक्षक या लेखपाल की आख्या पर अथवा सभी संबंधित पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त आवेदन-पत्र पर, उप जिलाधिकारी लिखित रूप से सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा राजस्व निरीक्षक अथवा लेखपाल को अनुदेश देगा कि वह वर्तमान सर्वे मानचित्र के आधार पर अथवा जहां पर सम्भव हो, कब्जा के आधार पर स्थल पर सीमा का सीमांकन करे और यदि कोई शिकायत हो तो राजस्व ग्राम समिति के परामर्श से पारस्परिक सहमति के आधार पर उसका समाधान करे।

राजस्व निरीक्षक या लेखपाल को आदेश किये जाने के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर ऐसे आदेश का अनुपालन करना होगा और अपनी आख्या उप जिलाधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।

14-उप नियम (10), (13) या (14) के अधीन सीमांकन के लिए आदेश पारित करते समय उप जिलाधिकारी सम्बन्धित थाने के थानाध्यक्ष को निर्देशित कर सकता है कि वह सीमांकन के समय स्थल पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस बल उपलब्ध करायें ।

15-उप जिलाधिकारी संहिता की धारा-24 (3) में यथा उल्लिखित निर्धारित समय के भीतर प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास करेगा और यदि प्रक्रिया ऐसे समय के भीतर पूर्ण नहीं होती है तो उसके लिए कारण अभिलिखित किया जायेगा।

उ0 प्र0 राजस्व संहिता-2006 यथा संशोधित की धारा-24 में पैमाइश हेतु समय सीमा के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था दी गयी है-

धारा-24 (3) ''इस धारा के अधीन प्रत्येक कार्यवाही उप जिलाधिकारी द्वारा आवेदन के दिनांक से, यथासम्भव (तीन माह) के भीतर समाप्त कर ली जायेगी ।''

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हाथरस के विकास खण्ड सादाबाद में ग्राम पंचायत बरामई खेड़ा से पिपरामई के रास्ते में नाले पर क्षतिग्रस्त पुलिया के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

74-श्री प्रदीप कुमार सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के विकास खण्ड सादाबाद में ग्राम पंचायत बरामई खेड़ा से पिपरामई के रास्ते में नाले पर पुलिया टूटी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त पुलिया का निर्माण कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार ।

मनरेगा योजनान्तर्गत प्रदेश में संविदा/आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कार्मिकों की मानव संसाधन नीति प्रख्यापित किये जाने के सम्बन्ध में

75-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 4 अक्टूबर, 2021 को जनपद लखनऊ के डिफेंस एक्सपो मैदान में सम्पन्न मनरेगा कर्मियों के सम्मेलन में हुई घोषणाओं के अनुरूप

मनरेगा कर्मियों के लिए एच0आर0 पॉलिसी लागू करने, ग्राम रोजगार सेवकों से ग्राम विकास विभाग के समस्त कार्य कराने, उनका शोषण रोकने तथा उनको हटाने में उपायुक्त (श्रम) व डी0सी0 मनरेगा की अनुमति लेने सम्बन्धी शासनादेश सरकार जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

मनरेगा योजनान्तर्गत प्रदेश में संविदा/आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कार्मिकों की मानव संसाधन नीति प्रख्यापित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जनपद फिरोजाबाद की तहसील सिरसागंज के ग्राम लखनपुर केशरी में स्थित गाटा संख्या-70 व 62 में विक्रय विलेख में स्टाम्प चोरी तथा फर्जीवाड़ा किये जाने की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही विषयक

76-श्री लकी यादव -

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की तहसील सिरसागंज के ग्राम लखनपुर केशरी में स्थित खाता सं0-136 में अंकित गाटा सं0-70 रकबा 0.169 में एवं खाता सं0 में अंकित खाता सं0-62 रकबा 0.572 हेक्टेयर से 0.324 हेक्टेयर में पूर्व के मोनी अवधूत आश्रम की क्रय फर्जी ट्रस्ट बनाकर तथा तथ्यों को बैनामे में छिपाकर स्टाम्प चोरी के साथ-साथ फर्जीवाड़ा किया गया है ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम लखनपुर स्थित गाटा संख्या-70 व 62 में विक्रय विलेख संख्या-9693/2017 में स्टाम्प कमी के सम्बन्ध में न्यायालय सहायक आयुक्त स्टाम्प मण्डल आगरा, जनपद फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 20-09-2021 द्वारा स्टाम्प कमी रु0 4050/- एवं निबन्धन शुल्क रु0 1680/- तथा अर्थदण्ड रु0 500/- निर्धारित किया गया है व प्रलेख संख्या- 10000/ 2017 में न्यायालय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के आदेश दिनांक 22-11-2021 द्वारा विपक्षी श्री श्री 108 स्वामी महारामदास चैरिटेवल ट्रस्ट द्वारा अध्यक्ष श्री श्री 108 स्वामी श्री महारामदास जी शिष्य बाबा पागलदास जी, निवासी-213 लखनपुर केसरी पर मु0-13800/- का स्टाम्प शुल्क एवं मु0-10000/- अर्थदण्ड तथा 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से प्रलेख निष्पादन की दिनांक 30-12-2017 से आरोपित किया गया है, जिसे प्रतिपक्षी द्वारा जमा करा दिया गया है ।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में वाद संख्या-296/2021 स्वामी आनन्द स्वरूप आदि बनाम स्वामी महारामदास आदि मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0) शिकोहाबाद, फिरोजाबाद में विचाराधीन है।

उक्त के अतिरिक्त न्यायालय नायब तहसीलदार मदनपुर वाद संख्या-95/2017 में दिनांक 10-02-2018 को पारित नामान्तरण आदेश व न्यायालय नायब तहसीलदार मदनपुर द्वारा वाद संख्या-119/2017-18, दिनांक 10-02-2018 को पारित नामान्तरण आदेश के विरुद्ध प्राप्त पुनर्स्थापना प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई हेतु वाद विचाराधीन है।

प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। मा0 न्यायालय के अंतिम निर्णय के पश्चात् ही कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ की तहसील बिजनौर के ग्राम ऐन परगना में खसरा संख्या-1287 पर किये गये अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में

77-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में ग्राम ऐन परगना खसरा संख्या-1287 जोकि भूमि आबादी के नाम पर दर्ज है, जिस पर अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जे को हटाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं ।

जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार ग्राम-ऐन, परगना- बिजनौर, तहसील-सरोजनीनगर, जिला-लखनऊ में स्थित भूमि गाटा सं0-1287 रकबा 0.660 हे0 अभिलेखों में आबादी दर्ज है। मौके पर कुछ अंश पर पुराना पशु चिकित्सालय, स्वयं सहायता समूह केन्द्र व मनरेगा पार्क बना है। शेष भाग पर आबादी बसी हुयी है तथा इन आवासित लोगों के द्वारा अपने पशु बांधकर एवं सहन के रूप में उपयोग में लायी जा रही है । उपरोक्त के अतिरिक्त शेष भूमि रिक्त पड़ी है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी की तहसील नवाबगंज के ग्राम मानमऊ परगना सतरिख में गाटा सं0-960 (नहर) पर अस्थाई कुलाबा निर्माण कराये जाने विषयक

78-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी तहसील नवाबगंज के ग्राम भानमऊ, परगना सतरिख में गाटा सं0-960 पर नहर से सिंचाई विभाग द्वारा अस्थाई कुलाबा पूर्व में मंजूर था, का निर्माण न होने से किसानों को सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में कुलाबा का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह

जी हाँ, जनपद बाराबंकी की तहसील-नवाबगंज के ग्राम-भानमऊ, परगना-सतरिख में नवाबगंज राजबहा के किमी0 18.000 दांयी पटरी पर अस्थायी कुलाबा गाटा सं0-960 पर पूर्व में मंजूर था। किसी भी नहर में अस्थायी कुलाबा मात्र एक फसल के लिये ही होता है । वह स्थायी नहीं होता है । वर्तमान में नवाबगंज राजबहा के कुलाबा नं0-66 से उक्त कमाण्ड में 152 हे0 सिंचाई होती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील सदर के दो भाग करके पुरकाजी को तहसील बनाये जाने विषयक

79-श्री अनिल कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील सदर के दो भाग करके पुरकाजी को तहसील बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

तहसील सदर में कुल 273 राजस्व ग्राम और 101 लेखपाल क्षेत्र हैं। विधान सभा पुरकाजी को प्रस्तावित नवसृजित तहसील बनाने हेतु इसके अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक क्षेत्र पुरकाजी के 10 पूर्ण लेखपाल क्षेत्र व राजस्व निरीक्षक क्षेत्र शेखपुर खादर के 10 पूर्ण लेखपाल क्षेत्र, राजस्व निरीक्षक क्षेत्र छपार के 07 पूर्ण लेखपाल क्षेत्र अर्थात् कुल 27 लेखपाल क्षेत्र सम्मिलित हो सकते हैं ।

तहसील सृजन हेतु निर्धारित मानक में एक नई तहसील सृजन करने हेतु 100-120 लेखपाल क्षेत्र का मानक निर्धारित है। इस प्रकार उक्त निर्धारित मानक के पूर्ण न होने के कारण तहसील सदर जनपद मुजफ्फरनगर स्थित कस्बा पुरकाजी को तहसील बनाया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद हाथरस के कतिपय विकास खण्डों में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप लाइन डालने हेतु खोदी गई सड़कों के मरम्मत कराए जाने एवं कार्यों की जांच करा कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने विषयक

80-श्री प्रदीप कुमार सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के विकास खण्ड सादाबाद, सहपऊ व मुरसान में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का संचालन व टंकी निर्माण एवं पाइप लाइन डालने के कार्य में कार्यदायी संस्था द्वारा लाइन डालने के लिए खोदे गए खड़न्जे व सड़कों की मरम्मत न कराए जाने से आवागमन बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्यों की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद हाथरस के ग्रामीण क्षेत्रों में 'जल जीवन मिशन' कार्यक्रम के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण/पुनर्गठन का कार्य कराया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं को जनसुविधाओं को बाधित न करते हुये कार्य कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत वितरण प्रणाली बिछाने हेतु काटे गये मार्गों को एक सप्ताह में अस्थाई रूप से ठीक कराकर आवागमन चालू करा दिया जाता है तथा कार्य पूर्ण होने पर सड़कों की स्थायी रूप से मरम्मत करा दिया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद अमेठी के ग्राम रामपुर मजरे पीपरपुर में कतिपय चकमार्गों को अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने विषयक

81-श्री जयप्रकाश अंचल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रामपुर मजरे पीपरपुर जिला अमेठी में श्री सूर्यदीन के घर से गाटा सं0 1036 व 1038 जो की गाटा सं0 1029, 1030, 1031, 1106 इमारती लकड़ी के जंगल के बगल से है, के चकमार्गों को तोड़कर अवैध रूप से कब्जा

कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त चकमार्गों को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर सरकार सीमांकन कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ ।

आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0 प्र0, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी आख्यानुसार ग्राम-मजरे पीपरपुर, परगना व तहसील–अमेठी, जनपद–अमेठी की गाटा संख्या--1036 0.036हे0 व गाटा संख्या-1038/0.0390 हे0 चकमार्ग खाते की भूमि है। उक्त गाटों की पैमाइश की गयी । गाटा संख्या-1038 के आंशिक भाग पर श्री सूर्यदीन द्वारा धान लगाया गया था, जिसे कटवाकर खाली करा दिया गया है एवं गाटा संख्या - 1036 मौके पर खाली है किन्तु चकमार्ग का निर्माण नहीं हुआ है । चकमार्ग के निर्माण हेतु ग्राम प्रधान को सुपुर्द करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रयागराज में राधारमण इण्टर कालेज की बाउन्ड्रीवाल से लगे तालाब तथा सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में

82-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज में राधारमण इण्टर कालेज की बाउन्ड्रीवाल से लगे तालाब तथा सरकारी जमीन पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त सरकारी जमीन तथा तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

राधारमण इण्टर कालेज से लगी भूमि जिस पर प्लाटिंग की गयी है वह मौजा मुस्तफाबाद मुनकस्मा उपरहार की आबादी एवं संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के श्रेणी की भूमि है। उक्त स्थल पर कोई सरकारी भूमि अथवा तालाबी रकबा उपलब्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

83-श्री अमिताभ बाजपेई-

[05 बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-167 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

84-श्री अमिताभ बाजपेई-

[05 बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-168 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के अयोध्या मण्डल में दिनांक 20 जुलाई, 2021 से दिनांक 20 जुलाई, 2022 तक संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक द्वारा विनियमित किये गये तदर्थ एवं अल्पकालिक शिक्षकों का विवरण

85-श्री अभय सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अयोध्या मण्डल में दिनांक 20 जुलाई, 2021 से दिनांक 20 जुलाई, 2022 तक संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक द्वारा उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की धारा-33 छ के अधीन विनियमित किये गये तदर्थ एवं अल्पकालिक शिक्षकों का विवरण आदेशों के साथ सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी हां (विवरण संलग्न है)[†]।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापकों के पदों पर विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा दिनांक 07 अगस्त, 1993 से दिनांक 30 दिसम्बर, 2000 तक की गई नियुक्तियों का विवरण

86-श्री अभय सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा विभाग की अनुमति के बिना प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापकों के पदों पर विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा दिनांक 07 अगस्त, 1993 से दिनांक 30 दिसम्बर, 2000 तक की नियुक्तियों को उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की धारा-33 में किस नियम द्वारा स्थापित किया गया हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी हाँ।

शासन की अधिसूचना सा0-588/79-वि-1-16-1(क)13-2016, दिनांक 22-03-2016 द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 (यथा

[†] देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ संख्या-293-298 पर।

संशोधित) में धारा-33 छ जोड़ी गयी, जिसके अन्तर्गत तदर्थ अध्यापकों को विनियमित किये जाने की व्यवस्था विहित की गयी, किन्तु उक्त अधिनियम की उप धारा-8 में निम्नवत् व्यवस्था की गयी-

''ऐसे तदर्थ शिक्षक, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश-1981 के अनुसार या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की धारा-18 के अनुसार नियुक्त नहीं किये गये हैं, और अन्यथा जो केवल माननीय न्यायालय के अन्तरिम/अन्तिम आदेश के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे हैं, विनियमितीकरण के हकदार नहीं होंगे ।''

जी हाँ ।

धारा-33 छ के प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 07 अगस्त, 1993 से दिनांक 30 दिसम्बर, 2000 तक धारा-18 के अन्तर्गत नियुक्त तदर्थ शिक्षकों के किये गये विनियमितीकरण का (मण्डलवार) विवरण संलग्न है[†]।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्यालय प्रबन्धतंत्रों द्वारा विभागीय अनुमोदन के बगैर की गई अध्यापक पदों की नियुक्तियों को नियमित किये जाने के प्रावधान की जानकारी

87-श्री अभय सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 में धारा-33 छ के दिनांक 22 मार्च, 2016 को स्थापित किये जाने के आलोक में विद्यालय प्रबन्धतंत्रों द्वारा विभागीय अनुमोदन के बगैर की गई अध्यापक पदों की नियुक्तियों को नियमित किये जाने का प्रावधान है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रकार की गई नियुक्तियों की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी नहीं।

ऐसी नियुक्तियों की जांच हेतु निदेशालय के पत्रांक सामान्य (1) तृतीय 7345-61/2022-23, दिनांक 12-9-2022 द्वारा मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0 प्र0 को जांच कर जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

[†] देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ सं0-299 पर।

चयन समिति द्वारा चयनित तदर्थ एवं अल्पकालिक अध्यापकों को विनियमित किये जाने के प्रावधान का विवरण दिये जाने के सम्बन्ध में

88-श्री अभय सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 में दिनांक 20 मार्च, 2016 को स्थापित धारा-33 छ में चयन समिति द्वारा चयनित तदर्थ एवं अल्पकालिक अध्यापकों को विनियमित करने का प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी

जी हाँ। (विवरण संलग्न है)[†]।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के अन्तर्गत हाटा नगर में स्थित कन्या जूनियर हाई स्कूल के जर्जर भवनों के नव-निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

89-श्री मोहन वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के अन्तर्गत हाटा नगर में स्थित कन्या जूनियर हाई स्कूल के जर्जर भवनों के नव-निर्माण के लिए सरकार कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालय परिसरों में जीर्ण-शीर्ण भवनों के ध्वस्तीकरण के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 03 सितम्बर, 2020 द्वारा त्रिसदस्यीय तकनीकी समिति गठित की गयी है।

त्रिस्तरीय समिति (अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कुशीनगर-अध्यक्ष, सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, कुशीनगर-सदस्य, सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, कुशीनगर-सदस्य) द्वारा किये गये सत्यापन में कन्या जूनियर हाई स्कूल हाटा, विकास खण्ड-हाटा के विद्यालय भवन की स्थिति पूर्णतः सही बतायी गयी है। इसलिये उक्त विद्यालय भवन के नव-निर्माण की आवश्यकता नहीं पायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

[†] देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ सं0-300 पर।

जनपद-बागपत में हिस्ट्रीशीटर का लाइसेंस निरस्त किये जाने एवं किसान की जमीन पर कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में

90-श्री योगेश धामा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के कतिपय हिस्ट्रीशीटर को जारी शस्त्र लाईसेंस एवं उक्त शस्त्र लाईसेंस निरस्त किये जाने तथा जनपद बागपत के किसानों की भूमि पर दबंगई के बल पर कब्जा किये जाने की जांच विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र क-7 नं0-51573, दिनांक 21-06-2022 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

हरीश कुमार पुत्र श्री अजब सिंह, ए-51 गांव गोकलपुरी, निवासी दिल्ली, मूल निवासी ग्राम बली, थाना- बागपत द्वारा फर्जी व कूटरचित अभिलेख के आधार पर जनपद बागपत से स्वीकृत कराये गये शस्त्र लाइसेंस के सम्बन्ध में थाना–बागपत पर मु0अ0सं0-854/2021, धारा-420, 467, 468, 471 भादवि पंजीकृत कराया गया। विवेचना से पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र संख्या-364/2022 अन्तर्गत धारा-420 भादवि व 30/25 शस्त्र अधिनियम, मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया, जो विचाराधीन न्यायालय है । शस्त्र लाइसेंस नोटिस जारी कर निलम्बित किया गया है। उक्त जनपद बागपत के अभिलेखों के अनुसार जनपद-बागपत में हिस्ट्रीशीटर नहीं है ।

जनपद-बागपत के किसानों की भूमि पर दबंगई के बल पर कब्जा के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के अधिकारियों की जांच समिति गठित की गयी । समिति द्वारा शिकायतकर्ता कु0 पवित्रा व श्री ध्रुव का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में बतौर सहखातेदार भगत सिंह पुत्र बलवीर सिंह, निवासी गोकलपुर दिल्ली के साथ दर्ज है, जो हरीश कुमार पुत्र अजब सिंह के पारिवारिक सदस्य है। प्रश्नगत भूमि के समस्त राजस्व अभिलेखों में कही पर भी हरीश कुमार पुत्र अजब सिंह का नाम अंकित नहीं है । प्रश्नगत भूमि पर भगत सिंह पुत्र बलवीर का कब्जा है। भूमि पर चहारदीवारी तथा 02 कमरे बने हुए है। उक्त चहारदीवारी के परिसर में भगत सिंह पुत्र बलवीर के द्वारा हाल का निर्माण किया जा रहा था जिस मौके पर रुकवा दिया गया। पक्षकारों के आपसी सहमति न होने के कारण भूमि पर कब्जा लिये जाने के सम्बन्ध में मा0 सिविल न्यायालय में विधिक रूप से वाद योजित कर अनुतोष प्राप्त करने के सम्बन्ध में

अवगत कराया गया है। प्रश्नगत भूमि पर कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में कभी मारपीट व झगड़ा होने का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

वर्तमान में हरीश कुमार उपरोक्त को कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं करायी गयी है ।

यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश व हरियाणा प्रदेश के किसानों की भूमि से सम्बन्धित सीमा विवाद का हल निकाले जाने विषयक

91-श्री योगेश धामा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश व हरियाणा प्रदेश के किसानों की भूमि से सम्बन्धित सीमा विवाद को सुलझाने हेतु दोनों राज्य के मध्य 'दीक्षित अवार्ड' के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के 25 गांवों के किसानों की भूमि जो नदी के बहाव में हरियाणा प्रदेश की ओर चली गयी है, को हरियाणा प्रदेश के राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराये जाने हेतु सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद बागपत के जिन 18 ग्रामों की भूमि दीक्षित अवार्ड के अन्तर्गत हरियाणा राज्य को गयी है उनके सम्बन्ध में हरियाणा राज्य के जिला सोनीपत व पानीपत के उच्च अधिकारीगण व बागपत जनपद के उच्च अधिकारीगण की समय-समय पर बैठक की जाती है, जिसमें ग्राम कोताना खादर व फैजपुर निवाना खादर की भूमि को हरियाणा राज्य के राजस्व ग्राम में दर्ज कर लिया गया है। ग्राम काठा, पाली व टान्डा खादर के कृषक मा0 उच्च न्यायालय चण्डीगढ़ में रिट योजित किये हैं। हरियाणा राज्य के जिला पानीपत व सोनीपत के अधिकारीगण के साथ समय-समय पर बैठक कर हरियाणा के राजस्व ग्राम में कृषकों का नाम दर्ज कराने का प्रयास किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

92-श्री गुलाम मौहम्मद-

[05 बुधवार के अतारांकित प्र0सं0-170 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद-बस्ती के तहसील-हरैया के कतिपय ग्रामों में ग्रामवासियों की खेती योग्य भूमि को घाघरा नदी के कटान से बचाव हेतु कार्य योजना बनाये जाने विषयक

93-श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बस्ती के ग्राम मोजपुर, लटेरा, पारा आदि तप्पा-उजी, तहसील-हरैया, के ग्रामवासियों की खेती योग्य भूमि को घाघरा नदी के

कटान से बचाव हेतु स्वर, डैम्पनर, लांचिंग अप्रन, परकूपाइन आदि के निर्माण के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

उक्त ग्राम नदी एवं तटबंध के बीच फ्लड प्लेन जोन में होने के कारण कृषि योग्य भूमि के कटान से बचाव हेतु सिंचाई विभाग की कोई कार्य योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में पेयजल की समस्या के निवारण हेतु जनपदों में इंडिया मार्क-2 हैण्डपम्प लगवाये जाने विषयक

94-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में पेयजल की समस्या के निवारण हेतु जनपदों में इंडिया मार्क-2 हैण्डपम्प लगवाने की व्यवस्था सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

पूर्व में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन की कार्यवाही की जा रही थी । वर्ष 2018 के पश्चात हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन को हतोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से विभिन्न पाइप पेयजल योजनाएं क्रियान्वित की जाने लगी है। जल जीवन मिशन कार्यक्रम आने के पश्चात हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन की कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद जालौन के अन्तर्गत तहसील मुख्यालय कोंच में मुंसिफ कोर्ट भवन का पुनः निर्माण कार्य कराये जाने विषयक

95-श्री मूल चन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के अन्तर्गत तहसील मुख्यालय कोंच में मुंसिफ कोर्ट भवन पूर्ण रूप से जीर्ण-शीर्ण हो गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त कोर्ट भवन का पुनः निर्माण कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद जालौन की तहसील मुख्यालय कोंच पर मुंसिफ कोर्ट भवन के पुनर्निर्माण हेतु महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 24-06-2021 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए रु0 124.15 लाख का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था। उक्त प्रस्ताव में ले-आउट प्लान एवं जिलाधिकारी की रिपोर्ट कार्यदायी संस्था से मांगी गयी है, जो अद्यतन अप्राप्त है । प्रश्नगत मुंसिफ कोर्ट के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग से उत्तर प्राप्त होने के उपरान्त आगणन का तकनीकी परीक्षण करा कर धनराशि निर्गत की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन के अन्तर्गत ग्राम कुरौती के पास से हरौली के पास तक कुठौंद शाख नहर में लाइनिंग (पक्का) निर्माण कार्य कराये जाने विषयक

96-श्री मूल चन्द्र सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के अन्तर्गत ग्राम कुरौती के पास से हरौली के पास तक कुठौंद शाख में जल रिसाव होने से किसानों की सैकड़ों एकड़ फसलें नष्ट हो जाती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार नहर में लाइनिंग (पक्का) निर्माण कार्य कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं, जनपद जालौन के अन्तर्गत ग्राम कुरौंती के पास से हरौली के पास तक कुठोंढ शाख की उक्त रीच में कहीं-कहीं जल रिसाव की कुछ समस्या है, परन्तु जल रिसाव के कारण किसानों की फसल नष्ट नहीं होती है ।

कुठौंद शाख उक्त रीच में आंशिक कटिंग व आंशिक फिलिंग में होने के कारण लाइनिंग का कार्य तकनीकी रूप से साध्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

विधान मण्डल सदस्यों तथा वी0आई0पी0 ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों को सचिवालय मुख्य भवन के बाहर प्रतीक्षा हेतु बैठने की व्यवस्था कराये जाने विषयक

97-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान मण्डल सदस्यों तथा वी0आई0पी0 ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों को सचिवालय मुख्य भवन के बाहर प्रतीक्षा हेतु बैठने का कोई

स्थान नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सुरक्षा कर्मियों के बैठने हेतु कोई व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

मा0 सदस्य, विधान सभा एवं विधान परिषद् के साथ आने वाले सुरक्षा कर्मियों को दारुलशफा स्थित विधायक निवास में बैठने की व्यवस्था राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा की गई है।

उपरोक्तानुसार ।

प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा संचालित एवं बन्द पशु वधशालाओं की संख्या तथा संचालित करने के निर्धारित मानकों के विवरण के सम्बन्ध में

98-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितनी पशु वधशालाएं जिला पंचायत द्वारा संचालित की जा रही हैं तथा कितनी बन्द हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त क्षेत्र में पशु वधशाला संचालित करने का निर्धारित मानक क्या है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार जिला पंचायतों द्वारा वर्तमान में किसी भी पशु वधशाला का संचालन नहीं किया जा रहा है।

प्रदेश में पूर्व माध्यमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक एवं गैर-शैक्षणिक कार्मिकों के पदों की संख्या एवं वर्तमान में रिक्त पदों की जानकारी

99-श्री अतुल प्रधान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पूर्व माध्यमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक एवं गैर-शैक्षणिक कार्मिकों में कितने पद सृजित हैं तथा उक्त में से वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के 5,80,084 पद सृजित हैं तथा वर्तमान में सीधी भर्ती के ग्रामीण क्षेत्र में 51,112 तथा नगर क्षेत्र में 12,149 पद रिक्त हैं।

प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में 63,229 पद रिक्त हैं, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरे जाने के प्राविधान हैं। सम्प्रति मा0 न्यायालय के समक्ष प्रकरण विचाराधीन होने के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया सम्पादित नहीं हो पा रही है।

परिषदीय विद्यालयों में गैर-शैक्षणिक कार्मिकों के पद स्वीकृत नहीं है

उपर्युक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के जिला पंचायतों द्वारा किये जाने वाले निर्माण कार्यों की समाप्ति पर लगने वाले शिलापट्ट सम्बन्धी नियमों/शासनादेशों के विवरण के सम्बन्ध में

100-श्री अतुल प्रधान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला पंचायतों द्वारा किये जाने वाले निर्माण कार्यों की समाप्ति पर लगने वाले शिलापट्ट संबंधी कोई नियम/शासनादेश है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0 प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-3586/33-सेल/2018, दिनांक 15 नवम्बर, 2018 तथा शासन के पत्र संख्या-727/33-2-2020-42/08 टी0सी0, दिनांक 13-03-2020 द्वारा जिला पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले कार्यों की समाप्ति पर नाम एवं शिलापट्ट सम्बन्धी निर्देश दिए गये है, जिसका विवरण संलग्न[†] है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा अन्तर्गत ग्राम काँथा में ग्राम योजनान्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु मृतकों को सरकारी धनराशि आवंटन विषयक

101-श्री राम अचल राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला उन्नाव के ब्लाक असोहा अन्तर्गत ग्राम कॉथा में ग्राम योजनान्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु मृतकों को सरकारी धनराशि आवंटित की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि किन-किन मृतक लाभार्थियों के व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण दूसरे भूमिधरों की निजी भूमि पर कराया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध क्या विधिक कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[†] देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ सं0-301-302 पर।

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ ।

ग्राम रमन्ना मजरा ग्राम पंचायत काँथा, विकास खण्ड असोहा में वित्तीय वर्ष 2017-18 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत काँथा के ग्राम निधि-6 में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

मात्र 01 शौचालय वर्ष 2018 में विकास खण्ड असोहा की ग्राम पंचायत काँथा के मोहल्ला रमन्ना में शासकीय धनराशि से विवादित भूमिधर (खण्ड विकास अधिकारी वि0 ख0 असोहा के कार्यालय पत्र संख्या-1525, दिनांक 15-02-2020 के अनुसार सम्बन्धित भूमि का मा0 न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन पुरवा में वाद संख्या-239/17, श्रीमती फूलमती बनाम बुद्धीलाल आदि) की निजी भूमि पर लगभग 06 वर्ष पूर्व स्वर्गवासी मृतक श्री छोटे लाल पुत्र जगन्नाथ के नाम पर बनवाया गया है। मुकदमें से सम्बन्धित आनलाइन नं0-120006022017 है।

पंचायतीराज अनुभाग-1, कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 16-01-2020 के क्रम में तत्कालीन जिला पंचायत राज अधिकारी, श्री राजेन्द्र प्रसाद के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी, जनपद उन्नाव को जांच अधिकारी नियुक्ति किया गया था। नियुक्त जांच अधिकारी की जांच आख्या के आधार पर उ0 प्र0 पंचायतीराज अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1240/33-1-2021, यू0ओ0-174/19 लखनऊ, दिनांक 23-06-2021 द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद, प्रभारी जिला पंचायतराज अधिकारी, उन्नाव को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान करते हुए संस्थित अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त कर दी गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत काँथा में वित्तीय वर्ष 2019-20 में उप जिलाधिकारी पुरवा, उन्नाव द्वारा आवंटित पट्टों की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक

102-श्री राम अचल राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कॉथा में सरकारी धनराशि से सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध मा0 न्यायालय तहसीलदार, पुरवा, उन्नाव में वाद विचाराधीन होते हुए एवं शासनादेश संख्या-650/एक-9- 15-रा-9, राजस्व अनुभाग-9 दिनांक 16-09-2015 द्वारा पारित आदेश को दर किनार करते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 में उप जिलाधिकारी पुरवा, उन्नाव द्वारा उक्त लोगों को भूमि के पट्टे आवंटित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा उपलब्ध करायी आख्यानुसार शासनादेश सं0-130/एक-2-2020, दिनांक 13-02-2020 के क्रम में उप जिलाधिकारी, पुरवा द्वारा वर्ष 2019-20 में स्वप्रेरणा से श्री अशोक पुत्र श्री मंगल, निवासी-ग्राम-रमना मजरा कॉथा, परगना-असोहा, तहसील-पुरवा, जिला-उन्नाव जाति पासी (अनुसूचित जाति) के पक्ष में 30 वर्ग मी0 आवास स्थल आवंटन उ0 प्र0 राजस्व संहिता-2006 के प्राविधान के अन्तर्गत किया गया है।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के ग्राम पंचायत काँथा में सरकारी अभिलेखों को गायब करने वाले तत्कालीन/वर्तमान सचिवों के विरुद्ध विधिक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने विषयक

103-श्री राम अचल राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के ग्राम पंचायत काँथा में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक राज्य वित्त आयोग एवं 14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों से सम्बन्धित कार्य योजना, कार्य का प्राक्कलन, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र एवं विकास कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचर आदि सरकारी अभिलेखों/विवरणों को सम्बन्धित सचिवों द्वारा गायब कर दिये जाने से संयुक्त जांच कमेटी द्वारा उक्त सम्बन्धित विकास कार्यों/अभिलेखों का सत्यापन नहीं किया जा सका है ? क्या यह सही है कि संयुक्त जांच कमेटी द्वारा दिनांक 23-12-2020 को प्रस्तुत जांच आख्या में तत्कालीन ग्राम सचिवों को दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दिनांक 17-05-2022 तक उक्त सरकारी अभिलेखों को गायब करने वाले तत्कालीन/वर्तमान सचिवों के विरुद्ध विधिक दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ ।

शिकायती प्रकरण में स्थलीय/अभिलेखीय जाँच के समय उपलब्ध अभिलेखानुसार सत्यापन उपरान्त प्रस्तुत जांच आख्या दिनांक 23-12-2020 के अनुसार व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में दुरुपयोगित धनराशि मु0 2,04,000.00 के लिए ग्राम प्रधान व तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत काँथा को दोषी सिद्ध पाये जाने के कारण जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव के आदेश दिनांक 23-03-2021 द्वारा ग्राम प्रधान व सचिव पंचायत से बराबर-बराबर भाग में दुरुपयोगित धनराशि की वसूली किये जाने का आदेश निर्गत किया गया है।

अवशेष अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी के पत्र दिनांक 17-05-2022 द्वारा सहायक विकास अधिकारी पंचायत व खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड असोहा को निर्देशित किया गया है कि अभिलेख सम्बन्धित जांच अधिकारी को उपलब्ध कराए अन्यथा की स्थिति में अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने का दोषी मानते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर अवगत कराया जाए। तत्क्रम में अवगत कराया गया है कि जिला पंचायत राज अधिकारी, उन्नाव के पत्र दिनांक 16-08-2022 द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त प्रकरण में नामित जांच अधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रदेश में आगजनी व दैवीय आपदा से किसानों के फसल नुकसान की भरपाई की अनुदान राशि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

104-श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आगजनी व दैवी आपदा से किसानों के फसल नुकसान की भरपाई के लिए दिये जाने वाला अनुदान/सहायता राशि रुपया 30,000/- (तीस हजार) प्रति हेक्टेयर को बढ़ती मंहगाई के दृष्टिगत रुपया 30,000/-(तीस हजार) प्रति एकड़ करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

भारत सरकार के आदेश संख्या-32-7/2014-एन0डी0एम0-1, दिनांक 08 अप्रैल, 2015 द्वारा विभिन्न अधिसूचित आपदाओं से होने वाली क्षति (जनहानि/पशुहानि/मकान क्षति/फसल क्षति) के सापेक्ष निर्धारित मानक एवं दरों के अनुसार राज्य आपदा मोचक निधि से सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है ।

अधिसूचित आपदाओं से होने वाली क्षतियों के सापेक्ष अनुग्रह सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा पृथक से कोई व्यवस्था/मानक निर्धारित नहीं है ।

105-श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

[बहुत ब्यौरे की जानकारी के आधार पर निरस्त]

जनपद-अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर में शारदा नहर के पुल पर रिटेनिंगवाल के निर्माण में की गई अनियमितता की शिकायत सम्बन्धी

106-डा0 अमित सिंह चौहान-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 04 व 05 अप्रैल, 2022 जो क्रमशः मुख्य मंत्री तथा जिलाधिकारी, अयोध्या को सम्बोधित है तथा

जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर के अन्तर्गत शारदा नहर के पुल पर रिटेनिंगवाल बनाये जाने हेतु आवंटित धनराशि तथा निर्माण कार्य में की गयी घोर अनियमितता व कार्य मानक के विपरीत कराये जाने की जांच विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित मा0 विधायक जी का पत्र दिनांक 05 अप्रैल, 2022 प्राप्त हुआ है तथा दिनांक 04 अप्रैल, 2022 का पत्र, जो जिलाधिकारी, अयोध्या को सम्बोधित है, प्राप्त नहीं हुआ है। अपितु इसी सन्दर्भ में जिलाधिकारी, अयोध्या को सम्बोधित मा0 विधायक जी का पत्र दिनांक 03-04-2022 का प्राप्त हुआ है ।

मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र आई0 जी0 आर0 एस0 पोर्टल के माध्यम से कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ है, जिसमें आख्या संलग्न करते हुए निस्तारित कर दिया गया है। जिलाधिकारी, अयोध्या को सम्बोधित मा0 विधायक, बीकापुर के पत्र दिनांक 03-04-2022 में ग्राम जगदीशपुर विकास खण्ड मसौधा के अन्तर्गत शारदा सहायक नहर पर बने नहर पुल पर रिटेनिंगवाल के निर्माण से सम्बन्धित अनियमितता किये जाने की शिकायत पर जिलाधिकारी, अयोध्या के पत्र दिनांक 05-04-2022 द्वारा प्रकरण की जांच हेतु 03 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, समिति द्वारा जांच के दौरान मौके पर नहर पर बालू होने तथा अत्यधिक पानी भरा होने के कारण रिटेनिंगवाल की जांच नहीं हो पायी है, जिसे नहर बंधी अवधि में किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-अयोध्या की विधान सभा क्षेत्र बीकापुर में ग्राम-गोपालपुर में खड़न्जा निर्माण में की गई अनियमितता की शिकायत के सम्बन्ध में

107-डा0 अमित सिंह चौहान-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 05 अप्रैल, 2022 तथा दिनांक 04 अप्रैल, 2022 का पत्र जिलाधिकारी, अयोध्या को सम्बोधित है तथा जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर के अन्तर्गत शारदा नहर पर ग्राम गोपालपुर के पास नहर की दाहिनी पटरी पर खड़न्जा निर्माण में मानक के अनुसार न करके धन का दुरुपयोग करते हुए भारी अनियमितता किये जाने विषयक की जांच है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित मा0 विधायक जी का पत्र दिनांक 05-04-2022 प्राप्त हुआ है। इसी सन्दर्भ में जिलाधिकारी, अयोध्या को सम्बोधित पत्र दिनांक 03-04-2022 प्राप्त हुआ है।

जिलाधिकारी, अयोध्या के पत्र दिनांक 05-04-2022 द्वारा प्रकरण की जांच हेतु 03 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। प्रकरण की जांच दिनांक 30-04-2022 को मा0 विधायक, बीकापुर के प्रतिनिधि श्री अमित सिंह उर्फ अंशू सिंह सहित अन्य ग्रामवासियों की उपस्थिति में की गयी। जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या में 9.750 कि0 मी0 लम्बाई में से 02 स्थानों/चैनेजों पर निम्न सामान्य कमियां इंगित की गयीं :-

1-नहर चैनेज के किमी0 50.370 पर खड़न्जा लगाने में ईट प्रथम श्रेणी व कुछ खन्जड़ ईटें पायी गयी। कुछ स्थलों पर वर्कमैनशिप खराब पाये जाने पर सुधार हेतु निर्देशित किया गया।

2-नहर चैनेज के किमी0 45.200 पर टूटी पायी गयी कुछ ईंटें, जिन्हें स्थानीय लोगों द्वारा रोलर चलने के कारण टूटने की पुष्टि की गयी। समिति द्वारा उसे बदलवाने हेतु निर्देशित किया गया।

जांच समिति द्वारा इंगित उक्त कमियों को ठेकेदारों से निराकरण कराकर कार्य मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में प्रधानमंत्री आवास योजना के समस्त लाभार्थियों को भूमि के पट्टे आवंटित किये जाने विषयक

108-श्री राम अचल राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थानीय अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को भूमि के पट्टे आवंटित करने का प्रावधान है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार को जानकारी है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में उप जिलाधिकारी, पुरवा, उन्नाव द्वारा स्वप्रेरणा से प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को भूमि के पट्टे आवंटित किये गये, जबकि उक्त लाभार्थियों को पूर्व में भी भूमि के पट्टे आवंटित किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में प्रधानमंत्री आवास योजना के समस्त लाभार्थियों को भूमि के पट्टे आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0 प्र0, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी आख्यानुसार उ0 प्र0 राजस्व संहिता की धारा-63 ऐसी भूमि जिसे आबादी स्थलों के लिये आवंटित किया जा सकता है-

1-उप जिलाधिकारी स्वप्रेरणा से या भूमि प्रबन्धक समिति के संकल्प के आधार पर धारा-64 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को आवंटन के लिये आबादी स्थलों की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित क्षेणी की भूमि चिन्हित कर सकता है :-

(क) धारा-59 की उपधारा (2) के खण्ड (1) के अधीन किसी ग्राम पंचायत को सौंपी गयी या सौपी हुयी समझी गयी समस्त भूमि।

(ख) इस संहिता के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन ग्राम पंचायत के कब्जे में आने वाली समस्त भूमि।

उप जिलाधिकारी, पुरवा की आख्या दिनांक 08-09-2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वप्रेरणा से श्री अशोक पुत्र श्री मंगल, निवासी ग्राम-रमना मजरा कांथा, परगना-असोहा, तहसील-पुरवा, जिला-उन्नाव जाति पासी (अनुसूचित जाति) के पक्ष जाति) के पक्ष में 30 वर्ग मी0 आवास स्थल आवंटन उ0 प्र0 राजस्व संहिता-2006 के प्राविधान के अन्तर्गत किया गया है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी की खजूरगांव रजवाहा में पानी की पूर्ति के सम्बन्ध में

109-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी की खजूरगांव रजवहा में पानी की मात्रा के अभाव के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त का निराकरण करते हुए खजूरगांव रजवाहे में पानी की पूर्ती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ, शारदा संगठन के अन्तर्गत जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी के खजूरगांव रजवहा में पानी की मात्रा के अभाव का कारण जनपद उन्नाव में गंगा नदी के बायें बैंक पर बार्ज आधारित पम्प नहर प्रणाली के विद्यमान पम्पों का काफी पुराना होना, पक्का पम्प हाउस का न होना एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु स्वतंत्र विद्युत उप केन्द्र का न होना है।

जी हाँ, जनपद उन्नाव में डलमऊ पम्प नहर प्रणाली के पक्के पम्प हाउस निर्माण की प्रस्तावित पुनरीक्षित परियोजना व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है। सक्षम स्तर से स्वीकृति के पश्चात परियोजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप खजूरगांव रजवहा में पानी की समुचित पूर्ति की जानी प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली सरेनी ब्लाक में राजापुर रजवहा में टेल तक पानी पहुँचाये जाने के सम्बन्ध में

110-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली सरेनी ब्लाक में राजापुर रजवहा के टेल तक पानी नहीं पहुँच रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार समय सीमा निर्धारित कर टेल तक पानी पहुँचायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ, शारदा संगठन के अन्तर्गत जनपद रायबरेली के सरेनी ब्लाक के ग्राम राजापुर को भोजपुर माइनर से सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जाता है, जिसकी कुल लम्बाई 6 किमी0 तथा शीर्ष निस्सरण 11 क्यूसेक है, जो शारदा नहर प्रणाली की उन्नाव शाखा नहर के टेल से निकली खजूरगांव रजवहा के किमी0 9.245 दाहिने बैंक से निकलती है। खजूरगांव रजवहा में पानी का अभाव रहता है, इस कारण इस रजवाहे से निकली भोजपुर माइनर में भी पानी का अभाव रहता है ।

जी हाँ, खजूरगांव रजवहा में पानी के अभाव को दूर करने के लिए जनपद उन्नाव में डलमऊ बी पम्प नहर प्रणाली के पक्के पम्प हाउस निर्माण की पुनरीक्षित परियोजना प्रस्तावित है, जो व्यय वित्त समिति से अनुमोदित है। सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त उक्त परियोजना का कार्य पूर्ण कराकर खजूरगांव रजवहा एवं उससे निकली भोजपुर माइनर में पानी के अभाव को दूर किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड ठेकमा लालगंज व पल्हना के अन्तर्गत आने वाली ग्राम सभाओं में शेष पात्र गरीबों की नयी सूची बनाकर प्रधानमंत्री आवास दिलाये जाने विषयक

111-श्री बेचई सरोज-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़, विकास खण्ड ठेकमा, लालगंज व पल्हना के अन्तर्गत आने वाली ग्राम सभाओं में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिलाये जाने हेतु लाभार्थियों की कोई सूची बनाई गई है ? यदि हां, तो वह सूची किस वर्ष बनाई गई है तथा उनमें से कितने लाभार्थियों को आवास उपलब्ध करा दिया गया है व कितने शेष हैं ? क्या

सरकार शेष पात्र गरीबों की नयी सूची बनाकर आवास उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ ।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना-2011 के आधार पर सेक सूची एवं सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 से छूटे हुए पात्र लाभार्थियों की वर्ष 2018 में आवास प्लस सूची तैयार की गयी। आवंटित आवासों का विकास खण्डवार विवरण निम्नवत् है :-

क्रम-सं0	विकास खण्ड	एस0 ई0 सी0 सी0 डाटा 2011 में कुल चिन्हित पात्र लाभार्थियों की संख्या	आवास प्लस डाटा में चिन्हित पात्र लाभार्थियों की संख्या	कुल चिन्हित लाभार्थियों की संख्या	आवंटित किये गये आवासों की संख्या	अवशेष आवासों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
2	टेकमा	2459	4904	7363	5500	1863
3	लालगंज	604	3538	4142	2251	1891
4	पल्हना	667	716	1383	929	455

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत आवास आवंटन हेतु दोबारा सर्वे कराकर नई सूची जारी करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अयोध्या के अन्तर्गत सौनैसा रसूलाबाद के ग्राम हैंसा के गाटा सं0-1, 2, 3 पर निर्मित पी0 डी0 पाण्डेय इण्टर कालेज की मान्यता प्रत्याहरण के सम्बन्ध में

112-श्री अभय सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0डी0 पाण्डेय इण्टर कालेज सौनैसा रसूलाबाद जनपद अयोध्या का भवन ग्राम हैंसा के गाटा सं0-1 (नाला) गाटा सं0-2 (सरकारी स्कूल हेतु सुरक्षित) गाटा सं0-3 (ग्रामवासियों के सहखातेदारी) पर निर्मित है ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी हाँ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के विनियमों के अनुसार विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही गतिमान है।

उपरोक्तानुसार।

अयोध्या मण्डल के मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के विरुद्ध पद के दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में

113-श्री अभय सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की धारा-33छ के प्राविधानों के विपरीत सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा चयनित एवं नियुक्त दिनांक 7 अगस्त, 1993 से दिनांक 30 दिसम्बर, 2000 तक नियुक्त तदर्थ, अल्पकालिक अध्यापकों को विनियमित करने वाले मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, अयोध्या मण्डल के विरुद्ध पद के दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार करने पर उक्त पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

निदेशालय में उपलब्ध अभिलेखानुसार अयोध्या मण्डल में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की धारा-33छ के प्राविधानों के विपरीत मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, अयोध्या द्वारा विनियमितीकरण किए जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

मा0 विधायक जी द्वारा पूछे गये प्रश्न के दृष्टिगत निदेशालय के पत्रांक सामान्य (1) तृतीय/7520/2022-23, दिनांक 14-9-2022 द्वारा अपर शिक्षा निदेशक (राजकीय) शिक्षा निदेशालय उ0 प्र0 प्रयागराज को अयोध्या मण्डल में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की धारा-33छ के अन्तर्गत शिक्षकों का किये गये विनियमितीकरण की जांच कर जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

जनपद जालौन के कालपी नगर में निर्माणाधीन महिला बालिका महाविद्यालय के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने विषयक

114-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के कालपी नगर में निर्माणाधीन महिला बालिका महाविद्यालय के निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की क्या समयावधि है ? क्या सरकार उक्त महाविद्यालय का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जनपद जालौन के कालपी नगर में कोई राजकीय महिला बालिका महाविद्यालय का निर्माण कार्य नहीं चल रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों को 12वीं शासी निकाय में अनुमोदित मॉडल मानव संसाधन (एच0आर0) पॉलिसी का लाभ दिलाये जाने विषयक

115-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों को 12वीं शासी निकाय में अनुमोदित मॉडल मानव संसाधन (एच0आर0) पॉलिसी का लाभ सरकार दिलाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की 12वीं शासी निकाय में अनुमोदित मानव संसाधन नियमावली के अनुसार ही सेवा प्रदाता कर्मियों को मानदेय, अवकाश, फिक्स लोकल ट्रैवल एलाउन्स (एफ0 एल0 टी0 ए0) आदि की सुविधा दी जा रही है। मानव संसाधन नियमावली में वार्षिक इन्क्रीमेन्ट दिये जाने का प्रावधान केवल थीमैटिक एक्सपर्ट हेतु अनुमन्य किया गया था। वर्तमान में थीमैटिक एक्सपर्ट पदनाम से कोई मिशन कर्मी मिशन में कार्यरत नहीं है।

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत कार्यरत समस्त कार्मिक सेवा प्रदाता कर्मी हैं। संविदा कार्मिकों को वार्षिक वेतन वृद्धि दिये जाने का वित्तीय नियमों में प्राविधान नहीं है। इसी प्रकार वित्त विभाग के शासनादेश सं0-4/2018/आर0 जी0-1021/दस/2018-मित0-1/2017, दिनांक 18-09-2018 के दृष्टिगत मिशन के समस्त कार्मिकों को मानव संसाधन नियमावली में अनुमन्य अन्य लाभ यथा-चाइल्ड एजूकेशन एलाउन्स, सेल्फ लर्निंग, मोबाइल इन्टरनेट आदि भत्तों को समाप्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद मुजफ्फरनगर में कोविड-19 के दौरान राज्य आपदा मोचक निधि के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से दी गई राशन किट में की गई अनियमितता की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक

116-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में कोविड-19 के दौरान राज्य आपदा मोचक निधि के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से दी गई राशन किट में की गई

अनियमितता की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त की जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद मुजफ्फरनगर में कोविड-19 के दौरान राज्य आपदा मोचक निधि के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से क्रय की गयी राशन किट के वितरण में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में निजी विद्यालयों द्वारा छात्रों के अभिभावकों से मनमानी धन वसूली को रोकने हेतु ठोस कदम उठाये जाने विषयक

117-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निजी विद्यालयों में छात्रों से मनमानी फीस वसूलना, किताबें तथा ड्रेस बेच कर अभिभावकों से मनमाना धन वसूल करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थिति से अभिभावकों को बचाने हेतु कोई ठोस कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

निजी विद्यालयों द्वारा ली जाने वाली शुल्क को विनियमित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 प्रख्यापित किया गया है। उक्त अधिनियम के अध्याय-2 में विद्यालयों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क तथा शुल्क वृद्धि के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। किसी छात्र को पुस्तकें, जूते, मोजे व यूनिफार्म आदि किसी विशिष्ट दुकान से क्रय करने के लिए बाध्य न किए जाने की भी स्पष्ट व्यवस्था अधिनियम की धारा-3 (10) में की गयी है।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर के ग्राम भडोली से ओलीना सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

118-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर के ग्राम भडोली से ओलीना सम्पर्क मार्ग पर संजीव के खेत से डल्लू के खेत तक मार्ग लम्बाई लगभग 400 मीटर का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत कार्य को जिला पंचायत बोर्ड की दिनांक 09-09-2022 की आहूत बैठक के प्रस्ताव संख्या-(6) के अन्तर्गत बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसको बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अस्वीकृत कर दिया गया।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के ग्राम महदऊ से नगला धीमर (महुदऊ) मार्ग को सड़क मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में

119-श्री बाबूलाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के ब्लाक फतेहपुर सीकरी के ग्राम महदऊ से नगला धीमर (यहुदऊ) तक का कच्चा मार्ग है, को सड़क मार्ग से जोड़ने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिला पंचायत, आगरा को वर्ष 2022-23 में प्राप्त होने वाली धनराशि के सापेक्ष कार्य योजना माह मई, 2022 में स्वीकृत है। प्रश्नगत मार्ग उक्त कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है। प्रश्नगत मार्ग कच्चा मार्ग है, जिसकी लम्बाई 900 मी0 है, जिसमें ग्राम महदऊ की ओर से 300 मी0 ग्रामीण भाग है एवं शेष 600 मी0 का भाग वन क्षेत्र में है । उक्त मार्ग के वन क्षेत्र में एक नाला भी पड़ता है, जिस पर पुल की भी आवश्यकता होगी। उपरोक्त कार्य की अनुमानित व्यय धनराशि रु0 65.00 लाख है। उक्त कार्य का 600 मी0 लम्बाई का भाग वन क्षेत्र का होने के कारण वन विभाग से अनापत्ति भी ली जानी होगी। उक्त कार्य को जिला पंचायत की आगामी बोर्ड बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा एवं बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के ग्राम पनवाटी ब्लाक अधमेरा में पानी की टंकी बनवाये जाने विषयक

120-श्री बाबूलाल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के ग्राम पनवाटी, ब्लाक अधमेरा में पीने के पानी की टंकी नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव में पानी पीने के लिए टंकी बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के ब्लाक अछनेरा में पनवासी पेयजल योजना का उच्च जलाशय ग्राम अटसू में निर्मित है एवं ग्राम पनवारी के कुछ हिस्से में

01 नलकूप से शुद्ध पेयजलापूर्ति की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त ग्राम पनवारी सहित जनपद आगरा के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों हेतु सतही स्रोत आधारित योजना विरचन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा एवं मथुरा को पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु उत्तरांचल में निर्मित लखवाड डैम से उत्तर प्रदेश में जमुना नदी को जोड़ने के सम्बन्ध में

121-श्री बाबूलाल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की नहरों को पानी देने के लिए आगरा और मथुरा जिलों के किसानों को पानी उपलब्ध कराने के लिए उत्तरांचल में निर्मित लखवाड डैम से उत्तर प्रदेश में जमुना नदी को जोड़ने की कोई योजना पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ ।

ऊपरी यमुना बेसिन में ओखला तक यमुना नदी में उपलब्ध सतही जल के बटवारे हेतु गठित एम0 ओ0 यू0 दिनांक 12-05-1994 के क्लाज 7 (पप) के प्राविधान के अन्तर्गत लखवार बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के क्रियान्वयन हेतु उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं एन0 सी0 टी0 दिल्ली की राज्य सरकारों एवं भारत सरकार के मध्य दिनांक 28 अगस्त, 2018 को अनुबन्ध निष्पादित किया गया। प्राविधानित डैम का निर्माण उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किया जाना है। डैम के निर्माण के उपरान्त उ0 प्र0 राज्य को आवंटित जलांश यमुना नदी के द्वारा ओखला बैराज तक लाया जाना प्रस्तावित है। फलस्वरूप जनपद मथुरा एवं आगरा के कृषकों को आगरा नहर के माध्यम से सिंचाई हेतु अतिरिक्त जल की सुविधा हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ब्लाक अधमेरा के ग्राम पनवारी में आबादी की गाटा संख्या-487, 488, 489 पर किये गये अवैध कब्जे को हटवाये जाने के सम्बन्ध में

122-श्री बाबूलाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ब्लाक अधमेरा के ग्राम पनवारी में आबादी की गाटा संख्या-487, 488, 489 पर दबंग लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया

है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिलाधिकारी, आगरा की आख्यानुसार तहसील किरावली जनपद आगरा ब्लाक अछनेरा के ग्राम पनवारी के गाटा संख्या-487, 488 व 489 राजस्व अभिलेखों में आबादी हेतु सुरक्षित भूमि दर्ज है, जिस पर ग्राम के लोगों ने रिहायशी मकान बनाकर अवैध कब्जा कर रखा है। गाटा संख्या-488 व 489 के आंशिक भाग में वर्तमान में पोखर बनी हुई है।

उक्त भूमियों पर अवैध अतिक्रमण के सम्बन्ध में उ0 प्र0 राजस्व संहिता की धारा-67 के अन्तर्गत तहसीलदार किरावली के न्यायालय में कुल 26 वाद विचाराधीन हैं। न्यायालय के निर्णय के उपरान्त नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता !

प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम सचिवों द्वारा जारी जन्म, मृत्यु रजिस्टर आदि आवश्यक अभिलेख को ग्राम में रखने हेतु दिशा निर्देश जारी किये जाने विषयक

123-श्री जगदीश नारायण-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम सचिवों को जन्म, मृत्यु रजिस्टर आदि आवश्यक अभिलेख को ग्राम में रखने का प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का कड़ाई से अनुपालन हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ ।

सीआरएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र शासनादेश के अनुरूप जनसामान्य को उपलब्ध कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में संचालित समस्त प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के बैठने हेतु कुर्सी, बेन्च आदि की व्यवस्था पूर्ण कराये जाने विषयक

124-श्री जगदीश नारायण-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित समस्त प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के बैठने हेतु कुर्सी, बेन्च आदि की व्यवस्था पूर्ण हो गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी नहीं।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा कुल 87,271 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें से 17,987 प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के बैठने हेतु डेस्क-बैंच उपलब्ध है।

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में डेस्क-बैंच की व्यवस्था बजट की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रदेश के थानों में आगन्तुक रजिस्टर रखने विषयक

125-श्री जगदीश नारायण-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के थानों में आगन्तुक रजिस्टर रखने की सरकार द्वारा कोई नियमावली बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश के थानों में आगन्तुक रजिस्टर रखने हेतु पुलिस महानिदेशक के परिपत्र सं0-डीजी-25/2017, दिनांक 12-08-2017 द्वारा समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक को निर्देश जारी किये गये हैं।

इस सम्बन्ध में डीजी परिपत्र सं0- 25/2017 दिनांक 12-08-2017 द्वारा निर्देशित किया गया है कि थाने पर आने वाले सभी आगन्तुकों का आगन्तुक रजिस्टर में इन्द्राज किया जाये तथा उनके द्वारा दिये जाने वाले सभी प्रकार के प्रार्थना-पत्र को प्राप्त कर जन शिकायत रजिस्टर में इन्द्राज कर संलग्न प्रारूपानुसार उनकी प्राप्ति रसीद दी जाए। यह भी उल्लेखनीय है कि जिन प्रकरणों में तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं एन0 सी0 आर0 लिखी जा रही है, उनमें प्राप्ति रसीद दिये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। प्राप्त होने वाले सभी प्रार्थना-पत्रों का सिटिजन चार्टर में दिये गये समयावधि के अनुसार ही निस्तारण सुनिश्चित किया जाये।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के अन्तर्गत कतिपय नगर पंचायतों एवं ग्रामों में प्राइमरी स्कूल बनवाये जाने विषयक

126-श्री गुलाम मौहम्मद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्रों, नगर पंचायत सिवालखास, खिवाई, हर्रा, ग्राम पिठलोकर व ग्राम रोहता में सरकार प्राइमरी स्कूल बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली- 2011 की धारा-6 के बिन्दु 4.1 के अन्तर्गत नवीन विद्यालय खोलने हेतु निम्न मानक निर्धारित है-

प्राथमिक विद्यालय/- कक्षा एक से पाँच तक के बच्चों के सम्बन्ध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसके 1-00 किलोमीटर की दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 300 है।

विधान सभा क्षेत्रों, नगर पंचायत सिवालखास, खिवाई, हर्रा, ग्राम पिठलोकर व ग्राम रोहटा मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय से सेवित हैं, जिनका विवरण निम्नवत है-

1-नगर पंचायत सिवालखास में बेसिक शिक्षा विभाग के 03 प्राथमिक विद्यालय-प्राथमिक विद्यालय सिवालखास नं0-1 (यू-डायस कोड-09070403901), प्राथमिक विद्यालय सिवालखास नं0-2 (यू-डायस कोड-09070403902) तथा प्राथमिक विद्यालय सिवालखास नं0-3 (यू-डायस कोड-09070403903) संचालित हैं।

2-नगर पंचायत खिवाई में 02 प्राथमिक विद्यालय-प्राथमिक विद्यालय खिवाई नं0-1 (यू-डायस कोड-09070703501) एवं प्राथमिक विद्यालय खिवाई नं0-2 (यू-डायस कोड-09070403502) संचालित है।

3-नगर पंचायत हर्रा में प्राथमिक विद्यालय हर्रा (यू-डायस कोड-09070703301) संचालित है।

4-ग्राम पिठलोकर में उच्च प्राथमिक विद्यालय पिठलोकर (कक्षा 01 से 08 तक, यू-डायस कोड -09070700402) संचालित है।

5-ग्राम रोहटा में 02 प्राथमिक विद्यालय-प्राथमिक विद्यालय रोहटा नं0-1 (यू-डायस कोड-09070500101) तथा प्राथमिक विद्यालय-रोहटा नं0-2 (यू-डायस कोड-09070500103) व उच्च प्राथमिक विद्यालय रोहटा (कक्षा 01 से 08 तक, यू-डायस कोड-09070500108) व राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रोहटा (यू-डायस कोड- 09070500104) संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली में स्थित मुपौली कैनाल की मुख्य नहर में लाइनिंग कराये जाने विषयक

127-श्री प्रभुनारायण सिंह यादव-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली में स्थित मुपौली कैनाल की मुख्य नहर में किसानों के हित में लाइनिंग कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ, जनपद चन्दौली में भुपौली पम्प नहर प्रणाली के मुख्य नहर पर आवश्यकतानुसार कि0 मी0 0.280 से कि0 मी0 6.030 एवं कि0मी0 6.506 से कि0मी0 7.940 तक की लाइनिंग कार्य हेतु रु0 3288.43 लाख की परियोजना प्रस्तावित है। उक्त परियोजना की सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जा सकेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी के तहसील भौगांव के ग्राम चौहानपुर मौजा गदरिपुर ब्लाक जागीर के गाटा संख्या-301/2 के सम्बन्ध में

128-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के तहसील भोगांव के ग्राम चौहानपुर मौजा गदरिपुर ब्लाक जागीर के गाटा संख्या-301/2 को नवीन परती को 1994 में परिवर्तित कर उप जिलाधिकारी, भौगांव एवं जिलाधिकारी, मैनपुरी द्वारा अनुमोदित के उपरान्त पट्टा प्राप्त लाभार्थियों के मकान निर्मित हैं ? क्या सरकार का दिनांक 28-04-22 को पुनः खाता सं0-286 की गाटा सं0-301 को नवीन परती के खाते से खारिज कर दिये जाने से उक्त से लाभार्थी प्रभावित हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार गाटा संख्या 301 पर पुनः पूर्व की स्थिति अनुसार निर्णय लेने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिलाधिकारी, मैनपुरी की आख्यानुसार ग्राम चौहानपुर, तहसील भोगांव जनपद मैनपुरी के जोत चकबन्दी आकार पत्र-41 व 45 में गाटा संख्या-301/2.023 हे0 चारागाह हेतु सुरक्षित है। न्यायालय परगनाधिकारी, भोगांव मुकदमा संख्या-72/93-94 में पारित आदेश दिनांक 05-05-94 के फलस्वरूप उक्त चारागाह भूमि में से 0.202 हे0 भूमि को नवीन परती आबादी हेतु सुरक्षित कर दिया गया था, जिस पर कुछ ग्रामीणों द्वारा मकानॅ/दुकानें निर्मित कर ली गयी।

उक्त सुरक्षित श्रेणी की 0.202 हे0 भूमि को वाद संख्या-टी-20201490301921 में पारित आदेश दिनांक 28-04-22 के द्वारा नवीन परती खाते से खाली करते हुए पूर्ववत् चारागाह (सुरक्षित भूमि) के रूप में दर्ज कर दिया गया है तथा भूमि पर ग्रामीणों द्वारा निर्मित मकानों/दुकानों के दृष्टिगत उ0 प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा-67 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही की गयी है।

सुरक्षित श्रेणी (चारागाह) की भूमि की नवैयत एवं प्रकृति में परिवर्तन किये जाने का प्राविधान नहीं है। अतः आदेश दिनांक 28-04-22 में परिवर्तन का औचित्य नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

आजादी के अमृत महोत्सव के सुअवसर पर सरकार द्वारा वीरांगना ऊदा देवी पासी के सम्मान में शिक्षण संस्थान बनाये जाने विषयक

129-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में आजादी के सिलसिले में देश में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के महान पावन पर्व के सुअवसर पर सरकार वीरांगना ऊदा देवी पासी के सम्मान में कोई (विश्वविद्यालय अथवा मेडिकल कालेज) शिक्षण संस्थान बनाने की घोषणा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

वर्तमान में वीरांगना ऊदा देवी पासी के सम्मान में कोई विश्वविद्यालय अथवा मेडिकल कालेज/मेडिकल शिक्षण संस्थान बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झाँसी के सीपरी बाजार क्षेत्र में स्थित सरस्वती इण्टर कालेज के प्रबन्धक एवं कार्यवाहक प्रधानाचार्य द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर विद्यालय के खेल मैदान को अपने परिजनों के नाम कराये जाने विषयक

130-श्री रवि शर्मा-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झाँसी के सीपरी बाजार क्षेत्र में स्थित सरस्वती इण्टर कॉलेज के खेल-मैदान में तत्कालीन प्रबंधक एवं कार्यवाहक प्रधानाचार्य द्वारा बिना प्रबन्ध समिति की अनुमति लिए उक्त भूमि के बैनामे में फर्जी चौहद्दी को विद्यालय के खेल मैदान में दिखाकर अपने परिजनों को बैनामे के माध्यम से विक्रय करा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कॉलेज के खेल मैदान को संरक्षित करते हुए फर्जी बैनामे को निरस्त कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

सरस्वती इण्टर कालेज, सीपरी बाजार झाँसी के तत्कालीन प्रबन्धक एवं कार्यवाहक प्रधानाचार्य द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर विद्यालय खेल के मैदान का अपने परिजनों के नाम बैनामा कराये जाने सम्बन्धी शिकायत की जाँच हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, झाँसी के पत्रांक-4828-332022-23, दिनांक 14-9-2022 द्वारा प्रधानाचार्य सूरज प्रसाद राजकीय

बालिका इण्टर कालेज, झाँसी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जाँच समिति गठित कर जाँच करायी जा रही है ।

जी हाँ जाँच में दोषी पाये जाने पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बलिया के अन्तर्गत एन0एच0-31 पर स्थित गंगा कटान से प्रभावित कतिपय ग्रामों के प्रभावित लोगों को जमीन क्रय कर बसाने हेतु योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में

131-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के अन्तर्गत एन0एच0-31 पर उदईछपरा, गोपालपुर, दुबेछपरा, केहरपुर, सुघरछपरा इत्यादि गांवों के लोग गंगा कटान से प्रभावित होकर अन्यत्र शरण लिए हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार गंगा कटान से प्रभावित लोगों को जमीन क्रय कर बसाने की कोई योजना बनाऐगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्य नाथ-

जी हाँ।

जनपद बलिया के तहसील बैरिया के अन्तर्गत एन0एच0-31 पर उदईछपरा, गोपालपुर, दुबेछपरा, केहरपुर, सुघरछपरा इत्यादि गांवों के गंगा नदी के कटान से प्रभावित लोगों को मौजा मानसिंह छपरा, परगना खरीद के अन्तर्गत ग्राम सभा की आराजी नं0-383 रकबा 0.376 हे0 भूमि आवंटित कर उक्त गांव के लोगों को बसाने की कार्यवाही की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के दोहरीघाट सहायक परियोजना मुख्यालय पम्प हाउस के पास जर्जर निरीक्षण गृह के पुनर्निर्माण विषयक

132-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के दोहरीघाट सहायक परियोजना मुख्यालय पम्प हाउस के पास निरीक्षण गृह जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गृह का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के अन्तर्गत दोहरीघाट सहायक पम्प नहर प्रणाली पर स्थित निरीक्षण गृह सही एवं सुसज्जित है। वर्तमान में किसी प्रकार का कार्य कराने की आवश्यकता नही है।

जनपद बलिया में जल निगम द्वारा लगाये गये अक्रियशील हैण्डपम्पों को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में

133-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में जल स्तर नीचा होने के कारण जल निगम द्वारा लगाये गये अधिकांश हैण्डपम्प कार्य नहीं कर रहे हैं जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में जनता को पानी के लिए काफी परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के हैण्डपम्पों को पुनः चालू कराने की कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जल स्तर नीचे जाने से बन्द हैण्डपम्पों को ग्राम पंचायतों द्वारा रि-बोर कराया जा रहा है। जनपद बलिया में अब तक 966 हैण्डपम्प रि-बोर कराये जा चुके हैं तथा 1581 हैण्डपम्प मरम्मत कराये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के अधिकांश ग्रामों में जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने विषयक

134-श्री राजपाल सिंह बालियान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के अधिकांश ग्रामों में जल निकासी न होने के कारण जल भराव होने से क्षेत्र में गम्भीर बीमारियां फैल रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों की जल निकासी के लिए कोई व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

जनपद मुजफ्फरनगर की समस्त ग्राम पंचायतों में तैनात सफाई कर्मियों द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार ग्राम पंचायत के रास्तों, नालियों की सफाई की जा रही है तथा जल निकासी हेतु राज्य वित्त आयोग-15वां वित्त आयोग की धनराशि से नालियों नालों की सफाई आदि का कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा आवश्यकतानुसार निरन्तर कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

135-श्री राजपाल सिंह बालियान-

[04 बुधवार के अतारांकित प्र0सं0-60 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

136-श्री प्रदीप कुमार सिंह-

[04 बुधवार के अतारांकित प्र0सं0-58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

137-श्रीमती पिंकी सिंह यादव-

[01 गुरुवार के अतारांकित प्र0सं0-125 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में मान्यता प्राप्त ट्रस्ट एवं सोसाइटी द्वारा स्थापित निजी विश्वविद्यालय परिसरों में स्थापित धार्मिक उपासना या धार्मिक गतिविधि स्थलों के सम्बन्ध में

138-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थापित निजी विश्वविद्यालय के संस्थापक/मान्यता प्राप्त ट्रस्ट एवं सोसाइटीज द्वारा समस्त धारित भूमि पर निर्माण एवं अन्य कार्यों के पूर्ण करने हेतु भूमि के शत-प्रतिशत उपयोग हेतु सरकार द्वारा शर्तों अथवा समय-सीमा की एकरूपता रखी गई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में कितने मान्यता प्राप्त ट्रस्ट एवं सोसाइटी द्वारा स्थापित निजी विश्वविद्यालय परिसरों में धार्मिक उपासना या धार्मिक गतिविधि स्थल स्थापित किए गए हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 में संस्था द्वारा समस्त धारित भूमि पर निर्माण एवं अन्य कार्यों के पूर्ण करने हेतु भूमि के शत-प्रतिशत उपयोग हेतु शर्तों अथवा समय-सीमा की एकरूपता का प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड-गिलौला के ग्राम-रामगढ़ी गौहनिया में जलाशय व चारागाह की सरकारी भूमि पर किये गये अवैध कब्जे के सम्बन्ध में

139-श्री राम फेरन पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड-गिलौला के ग्राम-रामगढ़ी गौहनिया में भूमि जलाशय व चारागाह की लगभग 56 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर कतिपय लोगों ने कब्जा कर लिया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त सरकारी भूमि को

भू-माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराकर भू-माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी आख्यानुसार स्थिति निम्नवत है-ग्राम-रामगढ़ी में सरकारी भूमि कुल 60 किता रकबा-24.985 हे0 का विवरण-

क्रम सं0	भूमि की स्थिति	कुल गाटा सं0	क्षेत्रफल
1	खाली भूमि	20 किता	7.066
2	जलमग्न भूमि	04 किता	0.420
3	नाला	02 किता	0.154
4	राप्ती नदी बह रही है	08 किता	4.993
5	गौशाला	10 किता	6.615
6	गौशाला के पशुओं के चारा हेतु	16 किता	5.737
	कुल योग :	**60 किता**	**24.985**

गाटा सं0-44 मि0 जिसमें गौशाला चल रही है के आंशिक भाग रकबा 0.200हे0 लगभग पर श्री मून अली पुत्र श्री गरीब अली का फूस का आवास बना हुआ है, जिसके सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में वाद संख्या-एम0 आई0 एस0 100/2021 विचाराधीन है एवं स्थगन आदेश पारित है।

ग्राम-गौहनिया में नदी, नाला कुल 63 किता रकबा-26.226 हे0 का विवरण

क्रम-सं0	भूमि की स्थिति	कुल गाटा सं0	क्षेत्रफल
1	खाली भूमि	04 किता	1.221
2	नाला	01 किता	0.090
3	राप्ती नदी बह रही है	58 किता	24.915
	कुल योग	**63 किता**	**26.226**

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद के माध्यमिक तथा संविलीयन विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा अनिवार्य किये जाने विषयक

140-श्री प्रदीप कुमार सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद के माध्यमिक तथा संविलीयन विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा नहीं दी जा रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा अनिवार्य कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी नहीं।

कम्प्यूटर विषय हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट में ऐच्छिक विषय के रूप में निर्धारित है।

141-श्री अनिल कुमार -

[04 बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-59 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मुजफ्फरनगर की रोहाना कला चौकी को थाना बनाये जाने के सम्बन्ध में

142-श्री अनिल कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कि प्रदेश में सरकार द्वारा नये थाने बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो जनपद मुजफ्फरनगर में रोहाना कला चौकी को थाना बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां ।

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत पुलिस चौकी रोहाना कलां को थाना बनाये जाने के सम्बन्ध में शासन के समक्ष कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । इस सम्बन्ध में संगत मानकों के आलोक में भूमि उपलब्धता सहित आख्या प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोंपरान्त आवश्यकता औचित्य पाये जाने पर यथासमय वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ की घोसी तहसील में मलेरीकोट-पहसा मार्ग से अवैध कब्जों को हटवाये जाने के सम्बन्ध में

143-श्री राजेन्द्र कुमार-

143-क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ की घोसी तहसील में मलेरीकोट-पहसा मार्ग पर स्थित ग्राम लखनी अनुसूचित जाति बस्ती के दक्षिणी छोर से मौजा बनहीं चौहान एवं अनुसूचित जाति बस्ती होते हुए मऊ-बलिया सरहद तक जाने वाली सड़क की चौड़ाई कितनी है ? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग के दोनों तरफ किसानों द्वारा सड़क काटकर अपने खेतों में मिला लिया गया है ? यदि हां तो क्या सरकार उक्त मार्ग की पक्की पैमाइश कराकर नक्शे एवं रकबे के अनुसार अवैध कब्जा हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रश्नगत सड़क ग्राम-लखनी मुबारकपुर में स्थित गाटा संख्या-1088 व गाटा संख्या-1237 से मिलकर बनी है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार दोनों चकमार्ग की चौड़ाई 03 मीटर है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मऊ की घोसी तहसील के ग्राम लखनी मुबारकपुर में वर्ष 2010 से 2020 के मध्य स्वीकृत आवासों का भौतिक सत्यापन कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने विषयक

144-श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2010 से 2020 के मध्य जनपद मऊ की घोसी तहसील के ग्राम लखनी मुबारकपुर में आवास बनाने हेतु धन पाने वाले लाभार्थियों का विवरण क्या है ? क्या यह सही है कि अधिकांश लाभार्थियों द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से आवास न बनाकर सभी किस्तें आहरित कर सरकारी धन का गबन कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्वीकृत आवासों का भौतिक सत्यापन कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कर सरकारी धन की वसूली करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

तहसील घोसी की ग्राम पंचायत लखनी मुबारकपुर में कुल आवंटित आवासों की संख्या 67 है, जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग का 01, अनुसूचित जाति वर्ग के 39 तथा सामान्य वर्ग (पिछड़ा वर्ग सहित) के 27 आवास हैं।

जी नहीं, कुल 67 आवासों में से 65 आवास पूर्ण हैं, शेष 02 आवास अपूर्ण हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है-

1- वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थी श्री बिरजू पुत्र शिवनाथ को प्रथम किश्त की धनराशि रु0 40,000/- आवंटित की गयी है, जिसका उपयोग लाभार्थी द्वारा नहीं किया गया है। प्रथम किश्त का उपयोग कर आवास निर्माण कराये जाने की नोटिस लाभार्थी को जारी की गयी है। वर्तमान समय में लाभार्थी घर से पलायित है। लाभार्थी द्वारा आवास निर्माण न कराने की स्थिति में उससे प्रथम किश्त की धनराशि वसूल करने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

2-वर्ष 2018-19 में सामान्य वर्ग के लाभार्थी श्री राम चरित चौहान पुत्र नारायण को प्रथम किश्त की धनराशि रु0 40,000/- एवं द्वितीय किश्त रु0 70,000/- आवंटित की गयी है। आवास निर्माणाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत थाना इटवा के मालखाने से गायब हुये शस्त्र एके-47 प्रकरण की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में

145-श्री माता प्रसाद पाण्डेय

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा में स्थित इटवा थाने से एक एके-47 शस्त्र दिनांक 03 फरवरी, 2019 को मालखाने से गायब होने की सूचना सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रकरण की जांच/विवेचना पूर्ण कर दिनांक 05-05-2019 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नही उठता ।

जनपद लखनऊ के उत्तर विधान सभा क्षेत्र में स्थित राजकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं, शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मियों के विद्यालयवार विवरण की जानकारी

146-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के उत्तर विधान सभा क्षेत्र स्थित राजकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं, शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मियों का विद्यालयवार विवरण क्या है ? क्या छात्र संख्या के अनुरूप कर्मियों की तैनाती सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जनपद लखनऊ के उत्तर विधान सभा क्षेत्र में स्थित राजकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं, शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मियों के विद्यालयवार विवरण की सूची संलग्न[†] है।

यथावश्यकता समय-समय पर तैनाती किये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के उत्तर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत जानकीपुरम के प्राथमिक विद्यालय सिकन्दरपुर को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराये जाने एवं अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध एफ0आई0आर दर्ज किये जाने विषयक

147-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के उत्तर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत जानकीपुरम के प्राथमिक विद्यालय सिकन्दरपुर में अवैध अतिक्रमण है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण हटवाने तथा अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की कार्यवाही करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के उत्तर विधान सभा क्षेत्र स्थित राजकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में साफ-सफाई हेतु नियुक्त कर्मियों के विवरण एवं साफ-सफाई की जिम्मेदारी सुनिश्चित किये जाने विषयक

148-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के उत्तर विधान सभा क्षेत्र स्थित राजकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में परिसर की साफ-सफाई के

[†] देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ सं0-303 पर।

लिए कर्मी नियुक्त हैं ? यदि हाँ, तो उनका विवरण क्या हैं ? क्या सरकार उक्त विद्यालयों में परिसर के साफ-सफाई की जिम्मेदारी सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पंचायतों में नियुक्त सफाई कर्मचारियों द्वारा स्कूल शौचालय, विद्यालय परिसर के बाहर की सफाई के साथ-साथ बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भीतरी परिसर की सफाई हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 25-06-2009 तथा 17-11-2014 व इसी क्रम में निदेशक, पंचायती राज द्वारा समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित पत्र दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 के माध्यम से दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं ।

प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेलो इण्डिया, यूथ गेम्स इण्डिया आदि कार्यक्रमों के अन्तर्गत बच्चों में खेल को प्रोत्साहित करने हेतु किये गये कार्यों की जानकारी

149-डॉ0 रागिनी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेलो इण्डिया, यूथ गेम्स इण्डिया आदि कार्यक्रमों के अन्तर्गत बच्चों में खेल को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? क्या सरकार प्रदेश के समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनिवार्य रूप से शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेलो इण्डिया, यूथ गेम्स इण्डिया आदि कार्यक्रमों के अन्तर्गत बच्चों में खेल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट-schoolfitness-kheloindia-gov-in पद पर विद्यालयों का पंजीकरण कराये जाने के निर्देश के क्रम में निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के पत्र दिनांक 26-06-2020 एवं शिक्षा निदेशक (बेसिक) के पत्र दिनांक 07-07-2020 द्वारा मण्डल/जनपद स्तर के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

जी नहीं।

प्रदेश में दिनांक 27 जुलाई 2011 से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 लागू होने के उपरान्त उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित परिषदीय

विद्यालयों में कक्षा 06 से 08 तक के लिए शिक्षक और छात्र अनुपात के दृष्टिगत जहाँ पर 100 से अधिक छात्र नामांकन है, वहाँ पर शिक्षण एवं स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा हेतु मानदेय पर अंशकालिक अनुदेशक की तैनाती का प्राविधान किया गया है। परिषदीय विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की अलग से नियुक्ति का प्राविधान नहीं है।

जनपद शाहजहाँपुर में जिलाधिकारी द्वारा 01-04-2020 से 30-06-2022 तक नये तथा विरासत के आधार पर बनाये गये शस्त्र लाइसेन्स के सम्बन्ध में

150-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर में जिलाधिकारी द्वारा 01-04-2020 से 30-06-2022 तक नये तथा विरासत के आधार पर कितने शस्त्र लाइसेन्स कब-कब उपरोक्त अवधि में बनाये हैं ? क्या सरकार उक्त लाइसेन्सधारकों का नाम, पते सहित पूरी सूची उपलब्ध करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ -

जनपद शाहजहाँपुर में दिनांक 01-04-2020 से 30-06-2022 तक विरासत के आधार पर 598 शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत किये गये हैं तथा आलोच्य अवधि में 02 नवीन शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत किये गये है ।

लाइसेंस धारकों की सूची उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जन मानस की सुरक्षा के दृष्टिगत किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत सूचना साझा किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के विभिन्न ग्राम सभाओं के मजरों में खराब इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों को ठीक कराये जाने तथा उनका विवरण सदन के पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में

151-श्री तुफानी सरोज-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के विभिन्न ग्राम सभाओं के मजरों में स्थापित इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों में से ग्राम सभा वार खराब हैण्डपम्पों को चिन्हित कर ठीक कराकर उक्त का विवरण सदन के पटल पर सरकार रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां,

विधान सभा क्षेत्र केराकत के अन्तर्गत विकास खण्ड - केराकत, डोभी, जलालपुर एवं मुफ्तीगंज के ग्राम सभाओं के मजरों में स्थापित इण्डिया मार्का - 2 हैण्डपम्पों में से ग्राम सभा वार चिन्हित खराब व मरम्मत कराए गए हैण्डपम्पों का विवरण निम्नवत है:-

विकास खण्ड का नाम	विकास खण्ड केराकत के अन्तर्गत ग्राम सभा की संख्या	ग्राम सभाओं में स्थापित हैण्डपम्पों की संख्या	चिन्हित खराब हैण्डपम्पों की संख्या	मरम्मत कराए गए हैण्डपम्पों की संख्या
केराकत	71	4525	93	93
डोभी	69	7432	149	149
जलालपुर	21	1529	242	242
मुफ्तीगंज	52	3686	106	106

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के अन्तर्गत पुरवा में उप जिलाधिकारी द्वारा अन्य लाभार्थियों/व्यक्तियों के सरकारी भूमि पर कब्जे के आधार पर विनियमितीकरण का आदेश किये जाने विषयक

152-श्री राम अचल राजभर -

विधान सभा के प्रथम सत्र 2022 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-14 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप जिलाधिकारी, पुरवा, उन्नाव द्वारा लाभार्थियों/व्यक्तियों के सरकारी भूमि पर कब्जे के आधार पर विनियमितीकरण का आदेश किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अन्य लाभार्थियों/व्यक्तियों को भी सरकारी भूमि पर कब्जे के आधार पर उनके पक्ष में विनियमितीकरण का आदेश करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी आख्यानुसार उप जिलाधिकारी पुरवा, उन्नाव द्वारा उ0 प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-67(क) के अन्तर्गत ग्राम सभा की भूमि पर कब्जे के आधार पर कुल 08 विनियमितीकरण के आदेश किये गये है।

कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो नियम संगत कार्यवाही की जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कॉथा में वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्राम योजनान्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु दी गई सरकारी धनराशि के लाभार्थियों के विवरण के सम्बन्ध में

153-श्री राम अचल राजभर -

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कॉथा में वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्राम योजनान्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु समस्त लाभार्थियों के बचत खाते में सरकारी धनराशि दी गयी है ? यदि हां, तो कितने लाभार्थियों को दी गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत कॉथा के ग्राम पंचायत निधि खाता-6 संख्या 7913000100078299 में 25 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु मु0 3,00,000.00 रुपये जिला पंचायत राज अधिकारी, उन्नाव के कार्यालय पत्र संख्या - 1694/पंचा0, दिनांक 22-03-2018 द्वारा हस्तान्तरित की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना के अन्तर्गत कतिपय विकासखण्डों एवं ग्राम पंचायतों में राजकीय टयूबवेल लगवाये जाने के सम्बन्ध में

154-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र-330, पडरौना अन्तर्गत विकास खण्डों के ग्रामों में किसानों की फसल के सिंचाई हेतु उचित सुविधा न होने के कारण सिंचाई कार्य में किसानों को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां तो क्या सरकार विकास खण्ड विशुनपुरा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बबुइयां हरपुर (मसही), हरपुर टोला सरसाल, ग्राम पंचायत पड़री तथा विकास खण्ड पडरौना अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुरमौर में किसानों की सिंचाई हेतु राजकीय ट्यूबवेल लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र-330 पडरौना के अन्तर्गत विकास खण्ड-पडरौना में 29 राजकीय नलकूप, विकास खण्ड-विशुनपुरा में 18 राजकीय नलकूप एवं विकास खण्ड-तमकुहीराज में 01 राजकीय नलकूप, कुल 48 राजकीय नलकूप संचालित हैं। उक्त नलकूपों द्वारा कृषकों को मांग के अनुरूप निःशुल्क सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ।

विकास खण्ड-विशुनपुरा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बबुईयां हरपुर (मसही), ग्राम पंचायत पड़री तथा विकास खण्ड-पडरौना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुरमौर में नवीन राजकीय नलकूप के निर्माण हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण कराया गया। उक्त सर्वेक्षण में प्रस्तावित ग्रामों में राजकीय नलकूप लगाया जाना साध्य पाया गया है।

विकास खण्ड-विशुनपुरा के अन्तर्गत हरपुर टोला सरसाल नाम का कोई ग्राम स्थित नहीं है बल्कि हरपुर टोला खरसाल नाम का ग्राम स्थित है, जिसमें राजकीय नलकूप के निर्माण हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण में उक्त ग्राम में राजकीय नलकूप लगाया जाना साध्य पाया गया है।

वर्तमान में प्रदेश में 2100 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना के वित्त पोषण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नवीन राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों एवं कृषकों से प्राप्त प्रस्तावों में से प्रारम्भिक सर्वेक्षण में साध्य पाये गये स्थलों के प्रस्ताव जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला नलकूप स्थल चयन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं। समिति के अनुमोदनोंपरान्त चयनित स्थलों पर राजकीय नलकूपों के निर्माण की कार्यवाही की जाती है ।

उपर्युक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के ग्राम अगया में राजस्व अभिलेखों में दर्ज बंजर व गोचर जमीनों का क्षेत्रफल एवं उक्त भूमि में से लोगों को आवंटित भूमि के विवरण के सम्बन्ध में

155-श्री महेंद्र नाथ यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के ग्राम अगया में बंजर व गोचर जमीनों का कितना क्षेत्रफल राजस्व अभिलेखों में दर्ज है क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त भूमि में से वर्तमान में किन किन लोगों को कितनी-कितनी भूमि आवंटित की गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा उपलब्ध करायी आख्यानुसार ग्राम-अगया, तप्पा-भानपुर, तहसील-डुमरियागंज की वर्तमान खतौनी 1428 से 1433 फसली वर्ष के खाता सं0-281 जो बंजर के नाम दर्ज है में कुल 08 गाटा क्षेत्रफल 1.045 हे0 व खाता सं0-279 जो नवीनपरती के नाम दर्ज है में कुल 08 गाटा क्षेत्रफल 0.450 हे0 अंकित है ।

गौचर/पशुचर के नाम से कोई भूमि अंकित नहीं है। ग्राम-अगया, तप्पा-भानपुर में कुल 60 व्यक्तियों के पक्ष में कृषि भूमि का आवंटन किया गया है ।

उक्त का विवरण संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र ललितपुर के विकास खण्ड एवं ग्राम बार में तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने विषयक

156-श्री रामरतन कुशवाहा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र ललितपुर के विकास खण्ड-बार के ग्राम बार में सिंचाई विभाग के अधीनस्थ तालाब का सौन्दर्यीकरण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र ललितपुर के विकास खण्ड-बार में सिंचाई विभाग के अधीनस्थ तालाब की जल संचयन क्षमता वृद्धि एवं नहरों के सुचारु संचालन हेतु वाटर बाडीज के रिपेयर, रेनोवेशन तथा रेस्टोरेशन की योजना (ए0आई0बी0पी0) के अन्तर्गत तालाब के गहरीकरण का कार्य वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में कराया गया है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज विकास खण्ड शिवगढ़ अन्तर्गत ग्राम पंचायत हथौड़ा सराय में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराये जाने विषयक

157-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज, विकास खण्ड शिवगढ़ अन्तर्गत ग्राम पंचायत हथौड़ा सराय में प्राथमिक विद्यालय नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[†] देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ सं0-304-305 पर।

श्री संदीप कुमार सिंह-

उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली-2011 की धारा-6 के बिन्दु 4.1 के अन्तर्गत नवीन विद्यालय खोलने हेतु निम्न मानक निर्धारित हैं-

प्राथमिक विद्यालय-कक्षा एक से पाँच तक के बच्चों के सम्बन्ध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जायेगा जिसके 1.00 किलोमीटर की दूरी के अन्तर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 300 है।

ग्राम पंचायत हथौड़ा सराय में कोई प्राथमिक विद्यालय स्थित नहीं है परन्तु ग्राम पंचायत हथौड़ा सराय पश्चिम दिशा में 900 मीटर की दूरी पर संचालित निकटतम प्राथमिक विद्यालय सराय जमुनी तथा दक्षिण पश्चिम दिशा से सटे हुए ग्राम सभा थाहीपुर में संचालित प्राथमिक विद्यालय थाहीपुर से सेवित है, जिसकी दूरी ग्राम सभा हथौड़ा सराय की परिधि से लगभग 900 मीटर है, से सेवित है

प्रश्न नहीं उठता ।

158-श्री महबूब अली-

[बहुत ब्यौरे की जानकारी के आधार पर निरस्त]

जनपद शामली में जिला न्यायालय के आवासीय एवं अनावासीय भवन के निर्माण हेतु कार्य योजना की जानकारी

159-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली में जिला न्यायालय के आवासीय एवं अनावासीय भवन के निर्माण हेतु कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां। जनपद शामली में जिला न्यायालय के आवासीय एवं अनावासीय भवन के निर्माण हेतु कार्य योजना इन्टीग्रेटेड कोर्ट काम्पलेक्स के अन्तर्गत दिनांक 08-06-2016 को प्राप्त हुआ था। इन्टीग्रेटेट कोर्ट काम्पलेक्स की परियोजना के सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 13-09-2019 में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा इन्टीग्रेटेड कोर्ट काम्पलेक्स की अवस्थापना सुविधाओं के स्थान पर इकाई स्ट्रक्चर का पृथक-पृथक मानकीकरण किये जाने का अभिमत दिया गया, जिसके क्रम में महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 26-03-2022 के माध्यम से मानकीकरण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी रजबहा में सिंचाई हेतु पानी की चोरी रोकने की कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में

160-श्री बाबूलाल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी रजबहा से हंसपुरा नयागांव ग्राम जो राजस्थान सीमा से लगा हुआ है तथा उक्त नया ग्राम हंसपुरा के आस-पास रजवाह से राजस्थान के किसानों द्वारा अवैध रूप से पानी की चोरी की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार फतेहपुर सीकरी रजवाह से सिंचाई के पानी की चोरी रोकने की कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

तीन माह पूर्व नहर से राजस्थान के किसानों द्वारा सिंचाई हेतु प्रयुक्त किये जा रहे अवैध साधनों को हटाये जाने की कार्यवाही कर्मियों द्वारा बार-बार गश्त कर एवं अधिकारियों द्वारा सघन निरीक्षण कर सुनिश्चित की गयी। इस हेतु जिला कलेक्टर, भरतपुर एवं पुलिस अधीक्षक, भरतपुर राजस्थान से पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध भी किया गया। इस प्रकार से ही सिंचाई हेतु प्रयुक्त अवैध साधनों को हटाये जाने की कार्य योजना सतत् विद्यमान है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी ब्लाक के ग्रामों में सिंचाई हेतु नहर की योजना बनाये जाने विषयक

161-श्री बाबूलाल -

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी ब्लाक के 90-100 ग्रामों में सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण सिंचाई कार्यों में असुविधा हो रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त गांवों में सिंचाई हेतु कोई नहर योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड अलीगढ़ द्वारा उक्त क्षेत्र के सर्वे/अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि उक्त क्षेत्र में गुरूत्व प्रवाह से सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जाना तकनीकि रूप से साध्य नहीं है तथा फतेहपुर सीकरी ब्लाक अति दोहित श्रेणी में वर्गीत होने के कारण नवीन राजकीय नलकूप भी नहीं लगाये जा सकते हैं।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में पेयजल आपूर्ति के समाधान हेतु योजना बनाये जाने विषयक

162-श्री बाबूलाल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के समाधान के लिए कोई योजना सरकार बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

''जल जीवन मिशन'' कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों हेतु सतही स्रोत आधारित योजना का प्राक्कलन विरचित कर अग्रेतर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ की तहसील बख्शी का तालाब के अन्तर्गत राजस्व ग्राम मड़ियांव में सरकारी भूमि पर किये गये अवैध कब्जे को हटवाये जाने विषयक

163-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ की तहसील बख्शी का तालाब के अन्तर्गत राजस्व ग्राम मड़ियांव में सरकारी भूमि उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त में से कतिपय भूमि पर भू-माफियाओं का कब्जा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जे को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ में कुड़िया घाट से आई0 आई0 एम0 बाईपास तक बन्धा निर्माण का कार्य पूर्ण न कराये जाने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कर उक्त बन्धे का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने विषयक

164-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में कुड़िया घाट से आई0आई0एम0 बाईपास तक बन्धे का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्या

विलम्ब के लिए दोषियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही कर उक्त बन्धे का निर्माण कार्य सरकार पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के उत्तर विधान सभा क्षेत्र स्थित राजकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय भवनों के उच्चीकरण की कार्य योजना एवं अंग्रेजी माध्यम की सुविधा वाले विद्यालयों का विवरण सदन के पटल पर रखे जाने विषयक

165-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के उत्तर विधान सभा क्षेत्र स्थित राजकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय भवनों के उच्चीकरण की कोई कार्य योजना है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त क्षेत्र में किन-किन विद्यालयों का चयन अंग्रेजी माध्यम की सुविधा हेतु किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित राजकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय भवनों के उच्चीकरण की अद्यतन कार्य योजना नहीं है।

लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय चांदगंज एवं बेसिक विद्यालय निरालानगर अंग्रेजी माध्यम से संचालित हैं।

उपर्युक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में महाराजा अग्रसेन की जीवनी को बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाने विषयक

166-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महापुरुषों से सम्बन्धित कतिपय सार्वजनिक अवकाश निरस्त करने पर सम्बन्धित महापुरुषों की जीवनी को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो क्या महाराजा अग्रसेन की जीवनी को बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

प्रदेश के महापुरुषों से सम्बन्धित कतिपय सार्वजनिक अवकाश निरस्त किए जाने पर उनसे सम्बन्धित महापुरुषों की जीवनी को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है।

जी हाँ, महाराजा अग्रसेन की जीवनी को बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के कक्षा-7 की पुस्तक 'भारत की महान विभूतियाँ' में सम्मिलित कर लिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

जनपद लखनऊ के उत्तर विधान सभा क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में बाउण्ड्री व पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्य योजना बनाये जाने विषयक

167-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के उत्तर विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने राजकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं तथा किन-किन विद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल और पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है ? क्या सरकार ने उक्त विद्यालयों की बाउण्ड्री व पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

जनपद लखनऊ के उत्तर विधान सभा क्षेत्र में कुल 19 प्राथमिक विद्यालय एवं 08 पूर्व माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें से 09 प्राथमिक विद्यालय एवं 02 पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बाउण्ड्रीवाल नहीं है तथा सभी 27 विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित है।

चहारदीवारी विहीन परिषदीय विद्यालयों में चहारदीवारी एवं गेट निर्माण हेतु ग्राम पंचायत की निधियों को मनरेगा से युगपत कराकर समयबद्ध रूप से किये जाने के निर्देश शासनादेश दिनांक 15 जून, 2020 द्वारा दिये गये हैं। साथ ही नगर क्षेत्र के विद्यालयों में बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य नगर निगम/नगर निकाय/प्राधिकरण/स्मार्ट सिटी फण्ड से कराये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 01 जुलाई, 2020 द्वारा निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के कतिपय विकास खण्डों में सर्वे कराकर छूटे हुए परिवारों के लिए शौचालय का निर्माण कराये जाने एवं ग्राम सभा वार विवरण सदन के पटल पर रखे जाने विषयक

168-श्री बेचई सरोज-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के विकास खण्ड ठेकमा, लालगंज व पल्हना के अन्तर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों

में वर्ष 2017 से 01 जुलाई, 2022 तक कितने परिवारों को शौचालय दिये गये हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त क्षेत्र में कतिपय गरीब परिवारों को वर्तमान तक शौचालय नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार सर्वे कराकर छूटे हुए परिवारों के लिए शौचालय का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या सरकार उक्त का ग्राम सभा वार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद आजमगढ़ की विधान सभा लालगंज के विकास खण्ड ठेकमा, लालगंज व पल्हना के अन्तर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों में वर्ष 2017 से 01 जुलाई, 2022 तक कुल 75499 शौचालय दिये गये हैं।

पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

जी हाँ।

प्रश्न ही नहीं उठता।

169-श्री अमिताभ बाजपेई-

[04-बुधवार के अतारांकित प्र0सं0-57 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के नगर पालिका क्षेत्र में कतिपय सरकारी कार्यालयों के जर्जर भवनों के नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

170-श्री मोहन वर्मा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के नगर पालिका क्षेत्र में सिंचाई विभाग के कार्यालय, अधिकारियों का आवास, अतिथि विश्राम गृह तथा भण्डार गृह जर्जर होकर गिर गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के नव निर्माण के लिए कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ।

भवन जर्जर हो गये हैं।

जी हाँ।

पुनर्निर्माण के लिए कार्य योजना प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में किसानों को मुफ्त नलकूप दिये जाने के सम्बन्ध में

171-श्री मोहन वर्मा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में खेती सिंचाई हेतु किसानों को मुफ्त नलकूप देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ ।

जनपद-कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र-हाटा में 40 राजकीय नलकूप संचालित हैं। उक्त नलकूपों द्वारा कृषकों को निःशुल्क सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

वर्तमान में प्रदेश में 2100 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना के वित्त पोषण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नवीन राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों एवं कृषकों से प्राप्त प्रस्तावों में से प्रारम्भिक सर्वेक्षण में साध्य पाये गये स्थलों के प्रस्ताव जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला नलकूप स्थल चयन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं। समिति के अनुमोदनोंपरान्त चयनित स्थलों पर राजकीय नलकूपों के निर्माण की कार्यवाही की जाती है ।

उपर्युक्तानुसार ।

प्रदेश में स्थित राजकीय इण्टर कालेजों की संख्या की जानकारी एवं जनपद मुरादाबाद के ब्लाक बिलारी के अन्तर्गत धांवला इण्टर कालेज सहित समस्त राजकीय इण्टर कालेजों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष अध्यापकों की तैनाती किये जाने विषयक

172-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने राजकीय इण्टर कॉलेज स्थापित हैं ? उक्त इण्टर कॉलेजों में स्वीकृत अध्यापकों के सापेक्ष वर्तमान में कितने अध्यापक तैनात हैं ? क्या सरकार राजकीय इण्टर कॉलेज, धांवला, ब्लॉक-बिलारी, जिला-मुरादाबाद सहित समस्त राजकीय इण्टर कॉलेजों में किसी निश्चित अवधि तक स्वीकृत पदों के सापेक्ष अध्यापकों की तैनाती सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

प्रदेश में 898 राजकीय इण्टर कालेज स्थापित हैं।

राजकीय इण्टर कालेजों में कुल 18919 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 9132 अध्यापक तैनात हैं।

अध्यापकों की तैनाती एक सतत् प्रक्रिया है। लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त हो गयी है जिनकी तैनाती की कार्यवाही ऑन-लाइन माध्यम से गतिमान है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नही उठता।

जनपद चन्दौली में नवीन पुलिस लाइन के निर्माण किये जाने की योजना की जानकारी

173-श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली में नवीन-पुलिस लाइन के निर्माण किये जाने की कोई योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ। जनपद चन्दौली में नवीन पुलिस लाइन के निर्माण के लिये भूमि क्रय हेतु रु0 3,55,71,389/- की धनराशि स्वीकृत/अवमुक्त की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली में सौ वर्ष पुराने जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों का जीर्णोद्धार कराये जाने विषयक

174-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के सौ वर्ष से पूर्व के निर्मित जूनियर हाई स्कूल अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं ? क्या सरकार उक्त विद्यालयों का जीर्णोद्धार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप कुमार सिंह-

शासनादेश दिनांक 22 जनवरी, 2022 एवं 03 सितम्बर, 2020 द्वारा परिषदीय विद्यालयों के प्रांगण में जर्जर/निष्प्रयोज्य भवनों के ध्वस्तीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में गठित तकनीकी समिति के सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार 43 उच्च प्राथमिक विद्यालय ध्वस्तीकरण योग्य पाये गये।

तकनीकी समिति द्वारा सत्यापित 43 ध्वस्तीकरण योग्य विद्यालयों में से 26 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता के सापेक्ष 01 उच्च प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराया जा चुका है तथा 03 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण कराया जा रहा है।

शेष 22 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण हेतु समग्र शिक्षा की आगामी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में प्रस्ताव किया जायेगा ।

समग्र शिक्षा की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति के उपरान्त विद्यालयों के पुनर्निर्माण का कार्य कराया जा सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में 1 अप्रैल, 2022 से 25 जुलाई, 2022 तक एस0 सी0/एस0 टी0 एक्ट के अन्तर्गत दर्ज मुकदमों की संख्या तथा उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण

175-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में 01 अप्रैल, 2022 से 25 जुलाई, 2022 तक एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट के अन्तर्गत कितने मुकदमें दर्ज हुए तथा दर्ज मुकदमों में कितने पर एफ0आई0आर0 लगाई गयी और कितने लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे गये हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद मैनपुरी में 01 अप्रैल 2022 से 25 जुलाई 2022 तक एस0 सी0/ एस0 टी0 एक्ट के अन्तर्गत 51 मुकदमें दर्ज हुए हैं तथा 07 अभियोगों में एफ0आर0 लगाई गयी है एवं 96 अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजे गये हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता

जनपद मैनपुरी में विगत 5 वर्षों में फर्मों द्वारा ग्राम पंचायतों को डस्टबिन की सप्लाई की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक

176-इंजी0 बृजेश कठेरिया -

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के विगत 5 वर्षों में ग्राम पंचायतों में हुए डस्टबिन घोटाला सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में जिन फर्मों ने डस्टबिन की सप्लाई की है, के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार उक्त फर्मों को ब्लैक लिस्टेड करके गबन धनराशि की वसूली कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ ।

जनपद मैनपुरी में विगत 05 वर्षों में फर्मों द्वारा ग्राम पंचायतों को डस्टबिन की आपूर्ति की जांच पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान, 4 वर्धमान हाउस बैंक कालोनी, एम0 जी0 रोड, आगरा द्वारा की जा रही है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में गौ-वंश आश्रय स्थलों पर गोबर गैस संयत्र लगवाकर ईंधन व खाद बनाये जाने की योजना के विवरण के सम्बन्ध में

177-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गौ-वंश आश्रय स्थलों पर गोबर गैस संयंत्र लगवाकर ईंधन व खाद बनाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त योजना का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हाँ।

महात्मा गाँधी नरेगा एक्ट की अनुसूची-2 में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 08-04-2022 द्वारा किये गये संशोधन के अनुक्रम में सामुदायिक एवं व्यक्तिगत स्थलों पर बायो गैस प्लांट बनाये जाने के सम्बन्ध में आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-मनरेगा/पत्रा0 सं0-519/1888/2022, दिनांक 06-09-2022 द्वारा समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश को निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं।

सामुदायिक स्थलों पर बनाये जाने वाले बायो गैस प्लांट में मनरेगा योजना से सिर्फ मजदूरी घटक प्राक्कलन में सम्मिलित किया जाए, अन्य व्यय यथा-सामग्री, ऑपरेशन एवं रख-रखाव हेतु अन्य योजनाओं यथा-स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, 15वां वित्त/राज्य वित्त, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग से युगपित करते हुए किया जाए। सामुदायिक बायो गैस प्लांट निर्मित किये जाने हेतु ऐसे स्थल का चयन किया जाए, जहां आस-पास के क्षेत्रों में पर्याप्त पशु हों, जिससे बायो गैस प्लांट की उपायोगिता सिद्ध हो सके।

व्यक्तिगत स्थलों पर बनाये जाने वाले बायो गैस प्लांट हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के मास्टर सर्कुलर-2021-22 के प्रस्तर 4.12 के अनुसार व्यक्तिगत लाभार्थी का चयन करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाए।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वादों की संख्या तथा उनके निस्तारण हेतु किये गये उपायों के विवरण के सम्बन्ध में

178-श्री अतुल प्रधान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में प्रदेश में विभिन्न न्यायालयों में कितने वाद लम्बित हैं तथा सरकार वर्तमान में लम्बित वादों के निस्तारण हेतु क्या उपाय कर रही है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

दिनांक 31-08-2022 की स्थिति के अनुसार प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में निम्न विवरण के अनुसार वाद लम्बित हैं :-

उच्च न्यायालय	सिविल	क्रिमिनल	योग
इलाहाबाद एवं लखनऊ बेंच लखनऊ	560494	475447	1035941
अधीनस्थ न्यायालय			
जिला न्यायालय	1680071	8875658	10555729
परिवार न्यायालय	190491	203920	394411

मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित सभी वादों को कम करने हेतु निम्नलिखित सुझावों पर कार्यवाही की जा रही है :-

1-लम्बित वादों के वास्तविक सत्यापन और लम्बित एवं निस्तारित वादों के डेटाफीडिंग को ठीक किये जाने का कार्य। वर्ष 1980 तक के पुराने वादों को त्वरित निस्तारण हेतु सूचीबद्ध कराया जाना।

2-वर्ष 1980-90 के प्रकरणों को प्रतिदिन टेकअप किये जाने और पूर्ण प्रयास करके उन्हें निस्तारित किया जाना ।

3-वर्ष 1990 और उसके पश्चात् के वादों को निस्तारण हेतु फेजवाइज पंचवर्षीय योजनायें बनाये जाने का कार्य। अन्तिम सुनवाई वाले मामलों को सूचीबद्ध किये जाने का कार्य । वादों के निस्तारण हेतु यथावश्यकता सिंगल एवं डिवीजन बेंच के गठन का कार्य। वादों को सूचीबद्ध किये जाने एवं उनके निस्तारण को गति देने के लिए वादों को बंच में लिस्ट किये जाने के वर्गीकरण का कार्य।

4-वरिष्ठ नागरिकों, मा0 उच्चतम न्यायालय के एक्सपीडाइटेड केसेस एवं व्यक्तियों से संबंधित वादों को प्राथमिकता पर सूचीबद्ध किये जाने का कार्य। पुराने लम्बित केसों को खत्म करने के लिए सबसे पुराने वादों को पहले सूचीबद्ध कर सुनवाई का कार्य ।

अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित वादों को कम करने के लिए मा0 अवशेष समिति द्वारा सुझाये गये निम्नलिखित उपायों पर कार्यवाही की जा रही है-

1-अतिआवश्यक एवं महत्वपूर्ण वादों की प्रत्येक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रभावी समीक्षा किया जाना।

2-सिविल एवं जूडीशियल मजिस्ट्रेट न्यायालयों द्वारा उक्त पर तत्काल ध्यान दिया जाना तथा न्याय द्वार पर है इस आशय के साथ कार्य किया जाना।

3-आपराधिक न्यायालयों में प्रत्येक न्यायिक अधिकारियों द्वारा अपने न्यायालयों में लम्बित वादों के निस्तारण हेतु स्वयं ध्यान दिया जाना और पेन्डिंग केसेस को उनकी प्रकृति के अनुसार चिन्हित करके वर्गीकृत करते हुए शीघ्रता से निस्तारित किया जाना। जो वाद कम समय पर निस्तारित हो सकते हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाना।

4-जनपद जजशिप के सभी न्यायिक अधिकारियों द्वारा साप्ताहिक बैठक कर व्यवहारिक कठिनाइयों और अन्य समस्याओं का निराकरण करते हुए कार्यो को निस्तारित करने में दिन प्रतिदिन सुधार लाया जाना ।

5-वादों के निस्तारण में अनुभव किये जा रहे व्यवहारिक कठिनाइयों एवं समस्याओं को दूर किये जाने हेतु न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण का कार्य। न्यायिक अधिकारियों और उनके सहवर्ती स्टाफ की भर्ती एवं नियुक्ति के कार्य। तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी तथा स्टेनोग्राफर के पदों की संख्या बढ़ाया जाना। इसी प्रकार के अन्य आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं जो लम्बित वादों को कम करने हेतु आवश्यक है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय इण्टर कालेज, डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर के भवन निर्माण सम्बन्धी

179-श्रीमती सैय्यदा खातून-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 06-06-2022 जो राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज, डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर के भवन निर्माण विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी हाँ ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, सिद्धार्थनगर के पत्रांकः मा0-04/3986-88/2022-23 दिनांक 15 सितम्बर, 2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0 एस0 डी0 पी0) के अन्तर्गत जनपद- सिद्धार्थनगर में राजकीय कन्या इण्टर कालेज, डुमरियागंज के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी । शासनादेश सं0-84/2021/1426/बावन 1-2021-11 (पी0एम0जे0वी0के0)/21 दिनांक 11-10-2021 द्वारा कुल लागत रु0 484.10 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में केन्द्रांश की धनराशि रु0 145.23 लाख नामित कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (सी0एल0डी0एफ0) को हस्तान्तरित करने के निर्देश निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0 प्र0, लखनऊ को दिये गये । तत्क्रम में निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0 प्र0 के कार्यालय आदेश पत्रांकः 3980/अं0सं0 क0 नि0/-पी0एम0जे0वी0के0/सी0एल0डी0एफ0 (351)/ 2021-22, दिनांक 06-01-22 द्वारा विषयगत धनराशि रु0 145.23 लाख (रुपया एक करोड़ पैतालीस लाख तेईस हजार मात्र) को कार्यदायी संस्था सी0 एल0 डी0 एफ0 को कतिपय शर्तों के साथ हस्तान्तरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी। उक्त राजकीय कन्या इण्टर कालेज, डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर के भवन निर्माण हेतु भूमि ग्राम कोसी खुर्द बुजुर्ग, गाटा सं0-160, क्षेत्रफल 2.996 में से 0.275 (हे0), मिल्कियत सरकार की भूमि को जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पत्रांक-402/डी0एल0आर0सी0/2022-23 दिनांक 05 जुलाई, 2022 द्वारा पुनर्ग्रहीत की गयी।

उक्त राजकीय कन्या इण्टर कालेज, डुमरियागंज के भवन निर्माण हेतु मानचित्र अनुमोदन प्रक्रियाधीन है। कार्यदायी संस्था सी0 एल0 डी0 एफ0 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मानचित्र अनुमोदन के उपरान्त ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया पूर्ण कर तत्काल कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

180-श्री संदीप कुमार सिंह-

[02-सोमवार के अतारांकित प्र0सं0-121 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बुलन्दशहर में काले आम स्थित जिला पंचायत की भूमि पर निर्मित शापिंग माल व आवासों के माचचित्र की स्वीकृति एवं आवंटियों को कब्जे दिये जाने विषयक

181-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में काले आम स्थित जिला पंचायत की भूमि पर निर्मित शॉपिंग मॉल व आवासों के निर्माण हेतु बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण द्वारा कितनी दुकानों व कितने आवासों का नक्शा पास किया गया है तथा वर्तमान में

उक्त शॉपिंग मॉल में कितनी दुकानें व आवास निर्मित हैं तथा कितनी दुकानों एवं आवासों के आवंटियों को कब्जा दे दिया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिलाधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर के पत्रांक 9272, दिनांक 09 मई, 2013 एवं पत्रांक-41, दिनांक 12-03-2014 मानचित्र सं0-40/2013 द्वारा काले आम स्थित जिला पंचायत की भूमि पर 208 दुकानें एवं 01 मल्टीप्लेक्स तथा 68 आवास के निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृत किया गया है।

जिला पंचायत द्वारा उक्त शापिंग माल में 208 दुकानें, 01 मल्टीप्लेक्स एवं 68 आवासों का निर्माण कराया गया है ।

प्रश्नगत शापिंग माल में लगभग 38 आवंटी अध्यासित हैं। कब्जा दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

विवरण संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर में काले आम स्थित जिला पंचायत की भूमि पर निर्मित शापिंग माल व आवासों के निर्माण की स्वीकृति एवं निर्माण हेतु लिये गये ऋण की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक

182-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में काले आम स्थित जिला पंचायत की भूमि पर निर्मित शॉपिंग मॉल व आवासों के निर्माण की स्वीकृति किसके द्वारा और कब प्रदान की गयी है तथा इसके निर्माण हेतु किस बैंक से किसकी अनुमति से कितना ऋण लिया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त का निर्माण नियमानुसार नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिलाधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार जिला पंचायत बुलन्दशहर के काले आम स्थित जिला पंचायत की भूमि पर आवासीय/अनावासीय भवन बनाये जाने की स्वीकृति प्रमुख सचिव पंचायतीराज, उ0 प्र0 शासन के पत्र सं0-71/33-2-14-400

[†] देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ सं0-306-307 पर।

(8)/2013, दिनांक 09 फरवरी, 2014 को एवं भवन मानचित्र की स्वीकृति विकास प्राधिकरण बुलन्दशहर के पत्रांक-41/बु0 वि0 प्रा0, दिनांक 12-03-2014 द्वारा प्रदान की गई है ।

जिला पंचायत द्वारा बोर्ड बैठक दिनांक 23-08-2014 के प्रस्ताव सं0-04छ-1 द्वारा ऋण की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके क्रम में पंजाब नेशनल बैंक बुलन्दशहर शाखा यमुनापुरम द्वारा दिनांक 15-09-2015 को रु0 9.50 करोड़ की धनराशि का ऋण स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण वापस किया जा चुका है।

जनपद बुलन्दशहर में काले आम स्थित जिला पंचायत की भूमि पर निर्मित शापिंग माल की दुकानों एवं आवासों का आवंटन निरस्त करके खुली नीलामी में पुनः आवंटन किये जाने विषयक

183-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में काले आम स्थित जिला पंचायत की भूमि पर निर्मित शॉपिंग मॉल की दुकानों एवं आवासों का आवंटन खुली नीलामी में किया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त आवंटन निरस्त करके खुली नीलामी में पुनः आवंटन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिलाधिकारी, बुलन्दशहर की आख्या के अनुसार तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत बुलन्दशहर के पत्रांक 2223, दिनांक 11-01-2013, पत्रांक 2405, दिनांक 11-02-2013 एवं आदेश सं0-2837, दिनांक 08-03-2013 द्वारा प्रथम आवक/प्रथम आवंटन आधार पर आवंटन किया गया है ।

जनपद बुलन्दशहर में काले आम स्थित जिला पंचायत की भूमि पर निर्मित शापिंग माल की दुकानों एवं आवासों से दिनांक 25-07-2022 तक किराया प्राप्ति की जानकारी तथा नियमानुसार शासन की अनुमति से किराये का पुनः निर्धारण कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक

184-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में काले आम स्थित जिला पंचायत की भूमि पर निर्मित शॉपिंग मॉल की दुकानो एवं आवासों का दिनांक 25-07-2022 तक कितना किराया प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि उक्त दुकानों और आवासों के किराए का निर्धारण बिना किसी शासनादेश के किया गया है ? यदि हां, तो क्या

सरकार उक्त के लिए दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए शासन की अनुमति से किराये का पुनः निर्धारण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिलाधिकारी, बुलन्दशहर की आख्या के अनुसार प्रश्नगत शापिंग माल की दुकानों एवं आवासों से दिनांक 25-07-2022 तक कोई किराया प्राप्त नहीं हुआ है। वर्तमान में दुकानों एवं आवासों से किराया लिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। आवासीय/अनावासीय भवनों की निर्माण की स्वीकृति पंचायतीराज उ0 प्र0 शासन के आदेश सं0-71, दिनांक 09-02-2014 को प्रदान की गई है तथा किराया अनुबंध की स्वीकृति जिला पंचायत की बोर्ड बैठक दिनांक 05-12-2020 के प्रस्ताव संख्या-10 (5) द्वारा प्रदान की गई है।

प्रदेश में नहरों की सफाई व नहर के जर्जर पटरी बन्धी की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में

185-श्री राजपाल सिंह बालियान-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नहरों की सफाई व नहर के जर्जर पटरी बन्धी की मरम्मत हेतु सरकार कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ ।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बुलन्दशहर में काले आम स्थित जिला पंचायत की भूमि पर निर्मित शापिंग माल व आवासों के निर्माण हेतु पंजाब नेशनल बैंक से लिये गये ऋण के सम्बन्ध में

186-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा -

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में काले आम स्थित जिला पंचायत की भूमि पर निर्मित शॉपिंग मॉल व आवासों के निर्माण हेतु पंजाब नेशनल बैंक से कितना ऋण लिया गया है ? क्या सरकार बतायेगी की उक्त ऋण लेने की परमीशन किस शासनादेश के अन्तर्गत दी गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिलाधिकारी, बुलन्दशहर से प्राप्त आख्यानुसार जिला पंचायत की बोर्ड बैठक दिनांक 23-08-2014 के प्रस्ताव सं0-4 छ(1) द्वारा बैंक से ऋण लेने का प्रस्ताव पारित हुआ है, फलस्वरूप दिनांक 15-09-2015 द्वारा रु0 9.50 करोड़ की धनराशि का ऋण जिला पंचायत बुलन्दशहर को स्वीकृत किया गया है।

विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस की तहसील सादाबाद में वर्ष 2007 से 2017 तक टी0 टी0 एस0 पी0 निर्मित टंकियों के सम्बन्ध में

187-श्री प्रदीप कुमार सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के तहसील सादाबाद में वर्ष 2007 से 2017 तक कितनी टी0टी0एस0पी0 टंकियों का अधिष्ठापन कराया गया एवं वर्तमान में कितनी टी0टी0एस0पी0 चालू हैं और कितनी बन्द हैं तथा कितनी टंकी नष्ट हो चुकी हैं ? क्या सरकार बन्द टंकियों को पुनः चालू करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद हाथरस की तहसील सादाबाद में वर्ष 2007 से 2017 तक कुल 212 टैंक टाइप स्टैण्ड पोस्ट (टी0टी0एस0पी0) का निर्माण कराकर सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया जा चुका है। वर्तमान में उक्त समस्त पाइप पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण एवं संचालन सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा शासकीय कर्मियों के चयन में टंकण दक्षता एवं उनके कार्य स्थल की आवश्यकता की असमानता को दूर किये जाने विषयक

188-श्री अखिलेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 01/2018/ 421/बीस-13-वि-2018-1 (विविध)/18, दिनांक 15 मार्च, 2018 जो शासकीय कार्य हेतु यूनिकोड मंगल फाण्ट के प्रयोग के सम्बन्ध में था, जारी किये जाने के पश्चात् भी उत्तर प्रदेश

† छापा नहीं गया।

लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारियों के चयन हेतु भर्ती परीक्षा में कुर्तीदेव फाण्ट में परीक्षा आयोजित की जा रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार शासकीय कर्मियों के चयन में टंकण दक्षता एवं उनके कार्य स्थल की आवश्यकता की असमानता को दूर करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उत्तर प्रदेश सचिवालय अधीनस्थ सेवा नियमावली-1999 (यथा संशोधित) के नियम-8(2) में प्राविधानित व्यवस्थानुसार सहायक समीक्षा अधिकारी के लिये निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग द्वारा कम्प्यूटर टाईपिंग परीक्षा आयोजित की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के ग्रामों में स्थापित टंकियों से पानी की सप्लाई कराये जाने विषयक

189-श्री महेंद्र नाथ यादव-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के गांवों में पानी की टंकी बन चुकी है, किन्तु पानी की सप्लाई नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के ग्रामों में स्थापित टंकियों से पानी की सप्लाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के ग्रामों में कुल 39 पाइप पेयजल योजनायें निर्मित हैं, जिनमें से 28 पेयजल योजनाओं में से आंशिक जलापूर्ति की जा रही है तथा शेष 11 पेयजल योजनाओं से पूर्ण क्षमता पर शुद्ध पेयजल आपूर्ति की जा रही है। जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के ग्रामों में आंशिक जलापूर्ति की 28 पेयजल योजनाओं के रेट्रोफिटिंग का कार्य कराकर पूर्ण क्षमता पर शुद्ध पेयजलापूर्ति सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र के पीर जलील गोलागंज वार्ड में वजीरगंज थाने के अन्तर्गत हैदर मिर्जा रोड पर श्री अब्दुल्लाह अहद पुत्र मो0 रिजवान की दुर्घटना में मृत्यु पर मुआवजा देने के सम्बन्ध में

190-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र के पीर जलील गोलागंज वार्ड में वजीरगंज थाने के अन्तर्गत हैदर मिर्जा रोड पर सड़क में गड्ढा होने के

कारण 23 जुलाई, 2022 को ई-रिक्शा पलटने से कई लोग घायल हो गए और एक बच्चे अब्दुल्लाह अहद पुत्र मो0 रिजवान की मृत्यु हो गई ? यदि हाँ, तो क्या सरकार मृतक के परिवारजनों को मुआवजा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

इस सम्बन्ध में कोतवाली वजीरगंज, लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार कथित घटना के सम्बन्ध में कोई लिखित सूचना तहरीर स्थानीय थाने पर नहीं दी गयी है और न ही कोई अभियोग पंजीकृत है ।

ऐसे प्रकरणों में मुआवजे का कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्वामित्व योजना के अन्तर्गत दिनांक 30 जून, 2022 तक आवासीय अभिलेख वितरण के सम्बन्ध में

191-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वामित्व योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण आवासीय अभिलेख (घरौनी प्रमाण-पत्र) लोगों को वितरित करने से पूर्व उनकी वास्तविकता से सम्बन्धित आपत्तियां ली गई हैं ? प्रदेश में 30 जून, 2022 तक कितने लोगों को उक्त प्रमाण-पत्र वितरित किए जा चुके हैं ? क्या उक्त प्रमाण-पत्रों के शत-प्रतिशत वितरण हेतु कोई समय-सीमा सरकार ने निर्धारित की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ। आबादी सर्वे एवं अभिलेख क्रिया विनियमावली, 2020 के नियम-22 (1) के अन्तर्गत आपत्तियां प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में उक्तानुसार आपत्तियां प्राप्त करने एवं उनका नियमानुसार निस्तारण करने के उपरांत ही अंतिम (फाइनल) रूप से घरौनियों को वितरित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रदेश में 30 जून 2022 तक कुल 34,69,879 (चौंतीस लाख उनहत्तर हजार आठ सौ उन्यासी) घरौनियाँ वितरित की जा चुकी हैं।

जी नहीं।

घरौनी तैयार किया जाना एक तकनीकी कार्य है जो आधुनिक ड्रोन तकनीकी के माध्यम से प्रक्रियाधीन है, जिसके दृष्टिगत घरौनी प्रमाण-पत्रों के शत-प्रतिशत वितरण हेतु सटीक रूप से कोई समय-सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी हेतु हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जाने के सम्बन्ध में

192-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी हेतु हैण्डपम्प अधिष्ठापित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

पूर्व में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन की कार्यवाही की जा रही थी । वर्ष, 2018 के पश्चात हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन को हतोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से विभिन्न पाइप पेयजल योजनाएं क्रियान्वित की जाने लगी है। जल जीवन मिशन कार्यक्रम आने के पश्चात हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन की कार्यवाही नहीं की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अयोध्या के ग्राम धौरहरा के लेखपाल द्वारा कुल गाटा संख्याओं को श्री दीनानाथ सिंह के नाम दर्ज करने सम्बन्धी

193-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री तेज पाल सिंह नागर, सदस्य, विधान सभा का दिनांक 16-06-2021 का पत्र जो ग्राम रामनगर धौरहरा, ब्लाक सोहावल, जिला अयोध्या स्थित कुल गाटा संख्याओं को क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा श्री दीनानाथ सिंह, निवासी रामनगर, धौरहरा का नाम दर्ज करने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ

जी हाँ ।

राजस्व ग्राम रामनगर धौरहरा, परगना मंगलसी तहसील सोहावल, जिला अयोध्या की खतौनी फसली सन् 1428 से 1433 के गाटा संख्या-86, 88 व 630 पर नियम-109 चकबंदी अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश का अमलदरामद दर्ज है। राजस्व ग्राम रामनगर धौरहरा की खतौनी सन् 1428-1433 फसली के खाता संख्या-1048 के गाटा संख्या-86 व खाता संख्या-397 के गाटा संख्या-630 तथा खाता संख्या-546 के गाटा संख्या-88 पर अमलदरामद के कालम 7 से 12 में दिनांक 05-09-2011 को चकबंदी न्यायालय के आदेश का अंकन है। रोस्टर खतौनी के पश्चात् अमलदरामद के कालम में अंकित आदेश का अनुपालन खतौनी के मूल कालम-2 में हो जाना चाहिए था, किन्तु क्षेत्रीय लेखपाल श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव की

उदासीनता एवं लापरवाही के कारण अमलदरामद के कालम में अंकित आदेश का अनुपालन मूल कालम में खतौनी रोस्टर में होने के पश्चात् भी आमेलन (मर्ज) नहीं किया गया, जिसके लिए लेखपाल श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। वर्तमान में श्री श्रीवास्तव सेवानिवृत्त हो चुके हैं। राजस्व ग्राम रामनगर धौरहरा की खतौनी रोस्टर से बाहर हो चुकी है इसलिए आमेलन (मर्ज) की कार्यवाही वर्तमान में किया जाना सम्भव नहीं है। आगामी रोस्टर में नियमानुसार आमेलन (मर्ज) की कार्यवाही करा दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अयोध्या के ग्राम धौरहरा में एक राजकीय नलकूप लगवाये जाने विषयक

194-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा का दिनांक 11-05-2022 का पत्र जो ग्राम सभा धौरहरा, ब्लाक सोहावल, जनपद अयोध्या में एक राजकीय नलकूप लगाये जाने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हाँ ।

श्री जवाहर लाल राजपूत, मा0 सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 11-05-2022 में की गयी अपेक्षा के क्रम में जनपद-अयोध्या के विकास खण्ड- सोहावल के मौजा ग्राम-रामनगर धौरहरा व मौजा सीवार के मध्य एक नवीन राजकीय नलकूप लगाये जाने हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण में उक्त स्थल पर नवीन राजकीय नलकूप लगाया जाना प्रारम्भिक रूप से साध्य पाया गया है।

वर्तमान में प्रदेश में 2100 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना के वित्त पोषण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नवीन राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों एवं कृषकों से प्राप्त प्रस्तावों में से प्रारम्भिक सर्वेक्षण में साध्य पाये गये स्थलों के प्रस्ताव जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला नलकूप स्थल चयन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं। समिति के अनुमोदनोपरान्त चयनित स्थलों पर राजकीय नलकूपों के निर्माण की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अयोध्या के विकास खण्ड सोहावल के ग्राम पिलखावां में दबंगों द्वारा भूमि कब्जा किये जाने विषयक

195-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अयोध्या के विकास खण्ड सोहावल के ग्राम पंचायत पिलखावां में दबंगों द्वारा भूमि पर कब्जा किये जाने विषयक जनसुनवाई ऑनलाइन संदर्भ संख्या-40017720049383, दिनांक 22-11-2020 पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिलाधिकारी अयोध्या से प्राप्त आख्यानुसार प्रकरण पुरानी आबादी श्रेणी-6 (2) के बीच रास्ते से संबंधित है जोकि राजस्व अभिलेखों में रास्ता दर्ज नहीं है। मौके पर अयोध्या-लखनऊ मार्ग पर ग्राम पिलखावा (अरकुना) स्थित है तथा हाई-वे से अन्दर अरकुना के लिए सी0 सी0 रोड निर्मित है, रास्ता चल रहा है, आवागमन बाधित नहीं है । प्रार्थी से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया किन्तु बाहर होने के कारण वार्ता नहीं हो सकी। उप जिलाधिकारी, सोहावल द्वारा प्रार्थी के मो0 संख्या-9453151547 पर वार्ता की गई तथा प्रार्थी को संतुष्ट किया गया। चूंकि प्रकरण पुरानी आबादी श्रेणी-6 (2) के बीच से जाने वाले रास्ते से संबंधित है, परम्परागत तरीके से जो रास्ता चल रहा है उसमें कोई फेर-बदल नहीं किया जा सकता। प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है तथा स्थल पर मार्ग कहीं भी अवरुद्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मल्हनी के ग्राम अकबालपुर में गाटा संख्या-154 को अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने विषयक

196-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मल्हनी के ग्राम अकबालपुर में गाटा संख्या-154, जो कि ग्रामवासियों के आवागमन हेतु रास्ता प्रयोग किया जाता है, पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कब्जा को हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिलाधिकारी, जौनपुर की आख्यानुसार स्थलीय व अभिलेखीय जांचोपरान्त पाया गया कि ग्राम अकबालपुर परगना हवेली तहसील सदर जिला जौनपुर स्थित आराजी संख्या 154/0.062, हे0 अभिलेख में चकमार्ग खाते की भूमि है । उक्त के सम्बन्ध में उ0 प्र0 राजस्व संहिता की धारा 30 के अंर्तगत न्यायालय अपर जिलाधिकारी (भू0-राजस्व) के न्यायालय में वाद

संख्या डी202114360004255/2021 आदेश दिनांक 19-05-2022 को नक्शा संशोधन के क्रम में 05 कड़ी विपक्षी चन्द्रबली पुत्र सूर्यनारायण आदि की चक संख्या 159 में प्रभावित हुआ है। उक्त आदेश दिनांक 19-05-2022 नक्शा संशोधन के विरुद्ध विपक्षी चन्द्रबली पुत्र सूर्यनारायण द्वारा तजवीजसानी वाद अपर जिलाधिकारी (भू0-राजस्व) के न्यायालय में दाखिल किया गया है। जो विचाराधीन है। चकमार्ग का ग्रामवासियों द्वारा सामान्य आवागमन के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में वर्ष 2018 से दिनांक 26-07-2022 तक दैवीय आपदा से प्रभावित लोगों को आवास दिये जाने का विवरण विषयक

197-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दैवीय आपदा से प्रभावित लाभार्थियों के लिए आवास हेतु निश्चित कोटा का प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि जनपद मैनपुरी में दैवीय आपदा से प्रभावित वर्ष 2018 से 26-07-22 तक कितने और किन-किन लोगों को आवास दिए गए ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य

जी नहीं, दैवीय आपदा से प्रभावित लाभार्थियों के लिए आवास हेतु कोई कोटा (मात्रा) निर्धारित नहीं है ।

दैवीय आपदा से प्रभावित लाभार्थियों को अन्य अनुमन्य श्रेणी के लाभार्थियों के साथ मुख्य मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत आवास दिये जाने का प्राविधान है। श्रेणीवार (पात्रता श्रेणी) आवास के लक्ष्य का आवंटन बजट की उपलब्धता एवं जनपदों की मांग के आधार पर उपलब्ध पात्र लाभार्थियों के अनुपात के क्रम में किया जाता है ।

जनपद मैनपुरी में वर्ष 2018 से 26-07-2022 तक दैवीय आपदा से प्रभावित 95 लाभार्थियों को आवास आवंटित किये गये हैं। लाभार्थियों की सूची संलग्न[†] है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

[†] देखिये नत्थी 'ड' पृष्ठ संख्या-308-310 पर।

जनपद मैनपुरी की तहसील किशनी में स्थापित पालीटेक्निक का संचालन आरम्भ कराये जाने विषयक

198-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी की तहसील किशनी में स्थापित पॉलीटेक्निक का संचालन सरकार आरम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशीष पटेल-

जी हाँ ।

संस्थान हेतु पद सृजित हो जाने की दशा में ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में गंगा और घाघरा नदी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के भूजल आर्सेनिक संदूषण की समस्या के स्थायी निदान हेतु योजना कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में

199-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गंगा और घाघरा नदी के बाढ.ग्रस्त क्षेत्रों में आर्सेनिक पानी पीने से अधिकांश लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसके स्थायी निदान के लिए कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

प्रदेश के गंगा और घाघरा नदी के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के भूजल में आर्सेनिक संदूषण की समस्या है। आर्सेनिक व अन्य गुणवत्ता से प्रभावित क्षेत्रों में स्थाई समाधान हेतु जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत सतही स्रोत आधारित पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण कर शुद्ध पेयजलापूर्ति सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली की तहसील, बहेड़ी की ग्राम पंचायत सैदपुर बुजुर्ग के अन्तर्गत कतिपय गाटा संख्याओं की अपेक्षित नियमों के विपरीत की गई नीलामी को निरस्त कर दोषियों को दण्डित किये जाने विषयक

200-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी की ग्राम पंचायत सैदपुर बुजुर्ग की गाटा संख्या 154, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165,

166, 168, 169, 170, 176, 182, 199 एवं 200 कुल रकबा 3.757 हे0 की नीलामी की गयी है ? यदि हां, तो किस अधिनियम के अन्तर्गत तथा नीलामी के समय भूमि की सरकारी अभिलेखों के आधार पर कीमत क्या थी और वसूली हेतु जारी आर0सी0 की धनराशि क्या थी ? क्या यह सही है कि उक्त नीलामी में अपेक्षित नियमों का अनुपालन नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों को दण्डित करते हुए उक्त नीलामी को निरस्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रकरण में राजस्व परिषद् से प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत गाटा संख्याओं के कुल रकवा 3.757 हे0 की नीलामी के सम्बन्ध में बिड शीट उपलब्ध है, इसके अतिरिक्त नीलामी की स्वीकृति के सम्बन्ध में अन्य कोई अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं।

अचल सम्पत्तियों की नीलामी यू0 पी0 जेड0 ए0 एण्ड एल0 आर0 एक्ट अधिनियम, 1950 की धारा-284 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत की जाती है।

कार्यालय में अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण नीलामी के समय भूमि की सरकारी अभिलेखों के आधार पर कीमत के सम्बन्ध में कोई सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

वसूली हेतु जारी आर0 सी0 की कुल धनराशि 29925.00 रुपये थी।

नीलामी के सम्बन्ध में बिड शीट के अतिरिक्त कोई अन्य अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण अपेक्षित नियमों के अनुपालन के सम्बन्ध में कोई सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

यह भी कि प्रश्नगत प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

कार्यालय में अभिलेख उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में प्रकरण की जाँच कराकर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश जिलाधिकारी, बरेली को दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

मा0 सदस्यों को उनके जन्म दिवस पर सदन की ओर से बधाई

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20 सितम्बर, 2022 को इस सदन के माननीय सदस्य श्री श्रीराम चौहान का जन्म दिन है। उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्य, श्री श्रीराम चौहान, निर्वाचन क्षेत्र खजनी जिला गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधान सभा में पाँचवीं बार निर्वाचित हुए हैं। आपके पिता का नाम स्व0 राम नरेश चौहान था, आपका जन्म 20 सितम्बर, 1953 को खलीलाबाद सन्तकबीरनगर में हुआ था। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा ग्रहण की है।

आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं अपने और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।

(मेजों की थपथपाहट)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्य श्री सर्वेश सिंह, निर्वाचन क्षेत्र सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधान सभा में प्रथम बार निर्वाचित हुये हैं। आपके पिता का नाम श्री उदयवीर सिंह है। आपका जन्म 20 सितम्बर, 1971 को फतेहपुर-नसीरपुर में हुआ था। आपने स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की है।

आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं अपने और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ व्यक्त करता हूँ।

(मेजों की थपथपाहट)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्य श्री सुहेब उर्फ मन्नु अंसारी निर्वाचन क्षेत्र मोहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधान सभा में प्रथम बार निर्वाचित हुये हैं। आपके पिता का नाम श्री सिबगतुल्लाह अंसारी है। आपका जन्म 20 सितम्बर, 1988 में गाजीपुर में हुआ था। आपने स्नातक, बी0बी0ए0 तथा एच0आर0 डिप्लोमा तक की शिक्षा ग्रहण की है।

आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं अपने और इस सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

[12:23] नियम-56 के अन्तर्गत नियम-311 की परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब अनुमति हो तो नियम-301 ले लें अन्यथा नियम-56 ले लें। जैसा आप लोग कहें।

(विपक्ष की तरफ से नियम-301 बाद में ले लें की आवाजें सुनाई दीं)

नेता विरोधी दल (श्री अखिलेश यादव)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया और जिस घटना का मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि एक पिता अपने बेटे का इलाज कराने के लिए सीतापुर से आक्सीजन सिलेण्डर ले करके चला, जहाँ सीतापुर में ही उसे पर्याप्त इलाज मिल जाना चाहिए था, लेकिन सीतापुर में इलाज नहीं हो पाया, तो वह अपने साथ आक्सीजन का सिलेण्डर लेकर चला उसे लगा कि लखनऊ में आकर उसके बच्चे का इलाज हो जायेगा । वह गरीब लखनऊ आया और अस्पतालों में जाने के बाद भी उसे इलाज नहीं मिलता है और किसी दलाल के माध्यम से उसे

प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ा और अब जानकारी मिली है कि बच्चे की भर्ती को लेकर मानवाधिकार ने सरकार को नोटिस दी है कि आखिरकार बच्चे का इलाज क्यों नहीं हो पा रहा है और उसको भर्ती क्यों नहीं किया गया तथा उसे आक्सीजन क्यों नहीं मिल पायी। यह तो मात्र एक घटना है, लेकिन यदि हम इसकी तह में जायें और ऐसी अन्य घटनाओं की जानकारी करें तो पता चलेगा। यहाँ अधिकांश माननीय सदस्य ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। यदि एम्बुलेंस के लिए फोन किया जाए तो आज स्थिति यह पैदा हो गई है कि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुँच पा रही है और अगर ग्रामीण क्षेत्र में कहीं से 108 एम्बुलेंस के लिए फोन आया होगा तो वह एम्बुलेंस नहीं पहुँची थी। कई बार यह जानकारी मिली है, अखबारों में भी छपा है, टी0वी0 में चला है और न्यूज में भी यह बातें आयी हैं, एम्बुलेंस तब मिली है, जब उसमें कुछ पैसा वसूल लिया गया है और अगर मरीज पैसा नहीं दे पाया है तो उसको वहीं उतार दिया गया है। यह 108 की सुविधा और 102 की सुविधा इसलिए उत्तर प्रदेश में चलायी गयी थी और समाजवादी पार्टी की सरकार में शुरू की गयी थी कि कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग दूर-दराज क्षेत्रों में हैं और गरीब हैं, उनके पास अस्पताल पहुँचने का इंतजाम नहीं है, वह फोन मिलायें, जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस आये और वह अपना इलाज करा सकें। पहली बात तो एम्बुलेंस नहीं आ रही है और अगर एम्बुलेंस आ भी जाये तो अस्पताल पहुँच कर वहां पर इलाज नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां पर्याप्त डाक्टर नहीं हैं। डाक्टर किस समय आएंगे, यह भी जानकारी नहीं है। अगर इलाज के लिए डाक्टर मिल गये, पर्चा बन गया और डाक्टर साहब ने देख लिया तो जाँच के लिए कहाँ जायें ? और अगर उसकी जाँच नहीं होगी तो इलाज क्या होगा ? एक्स-रे के लिए जाँचों के लिए सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं है।

अध्यक्ष जी, फिर जहां दवाई का संकट है तो उसमें अवगत करा दूँ कि यह संकट बड़े पैमाने पर है। इधर जो अखबारों की खबरें आयी हैं, उनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी जो जानकारियाँ मिली हैं जिसमें हमारे लोग मौके पर पहुँचे हैं, अगर किसी परिवार के सदस्य को इलाज नहीं मिल पाया और उसकी मृत्यु हो गयी तो ऐसी कई सूचनाएँ हैं, जहाँ पर मोटरसाइकिल पर, अपने कन्धों पर, अपने परिवार के सदस्य को गाँव तक भी लेकर गये हैं। क्या सरकार लाश को ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कर सकती ? यदि अस्पताल में मरीज आ रहा है तो स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं है। सबसे बेसिक चीज है एम्बुलेंस, फिर अस्पताल पहुँचकर स्ट्रेचर्स और किस विभाग में जाकर इलाज हो वो और उसके बाद जाँचें। इस सरकार ने जो अपने आप में दावा करती है कि डबल इंजन की सरकार है और पता नहीं कहाँ से सीखकर आये हैं कि विश्व में सबसे अच्छी योजना यही चलाते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा पहचान इन्होंने ही बनायी है। अभी इसी सदन में मा0 मंत्री जी कह रहे थे कि विश्व की सबसे बड़ी योजना पानी की उत्तर प्रदेश में चल रही है। यह देश में सबसे बड़ी योजना विश्व की चल रही है। विश्व की क्यों नहीं होगी ? विश्व में पाइप वाटर सप्लाई कब शुरू हो गया था ?

किस जमाने में पाइप वाटर सप्लाई थी ? हर योजना इनकी विश्व वाली है। कोरोना के बाद और कोरोना के समय पर जो लोगों ने सरकारी अस्पताल में जाने के बाद देखा है, उसको आज भी भूला नहीं जा सकता। जो दुर्दशा कोरोना में हुई, उसके बावजूद हम अपने अस्पतालों को नहीं सुधार पाये। आप किसी भी अस्पताल में चले जाइये, पी0एच0सी0, सी0एच0सी0, जिला अस्पताल, मेडिकल कालेज, सबमें डाक्टरों ने हाथ खड़े कर दिये। मैं स्वयं मौके पर गया हूँ। जिस समय कन्नौज का मेडिकल कालेज बन रहा था, मैंने कोशिश की कि सबसे बेहतरीन मेडिकल कालेज बने। वहां दो विभाग, जिनको मैं खुद वहां यह देखने गया कि यह विभाग शुरू हुए या नहीं, परन्तु जैसे ही मैं विभागों की तरफ बढ़ा तो मैंने कुत्ते ही कुत्ते वहां पर देखे। एक-दो नहीं, दस-बारह कुत्ते घूम रहे थे। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेण्ट में ताला है, आपके कैंसर डिपार्टमेण्ट में ताला है, दोनों में ताला है। दवाई है नहीं, मशीनें नहीं हैं और जो हमारी इंस्टीट्यूशंस खड़ी की गयीं, पुरानी सरकारों ने भी बहुत कोशिश करके जो इंस्टीट्यूशंस खड़ी की है, अगर हम सबसे फी में इंस्टीट्यूशन को अपना मानें तो पी0जी0आई0 में आप किसी विभाग में, किसी डाक्टर से पूछ लीजिए कि जिन मशीनों में, जिन लैबों में आपको काम करने का मौका मिल रहा है, क्या वह मशीनें आब्सोलीट हो गयी हैं कि नहीं हो गयी हैं ? यह सरकार बताये कि इन्होंने कितनी मशीनें खरीद कर डाक्टर्स को दे दी ? मरीज ठेले पर जा रहा है, मरीज आटो में जा रहा है, बैलगाड़ी में मरीज जा रहा है। आपकी एम्बुलेंस कहाँ हैं ? कन्धे पर लाश जाना ? मोटरसाइकिल पर लाश जाना ? यह कहाँ की तस्वीरें हैं ? यह विश्व तस्वीरें देखेगा तो आप कहाँ जायेंगे ?

जिस दिन गोण्डा में कस्टोडियन डेथ की घटना हुई थी। नवाबगंज थाने में जिस दिन घटना हुई उसी दिन गोण्डा में एक गर्भवती मां ने बच्चे को जन्म दिया, उसे बोतल चढ़ रही थी, नर्स ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, उस मां की उसी समय जान चली गयी। क्या मेडिकल निगलिजेंस की वजह से जाने नहीं जा रही है ? क्या मेडिकल निगलिजेंस की वजह से लोगों की किडनियां नहीं खराब हो रही हैं ? ये सरकार दावा करती है कि झोला छाप डाक्टरों की दवाई नहीं चलने देंगे। माननीय मंत्री खुद बन गये हैं छापामार मंत्री । इनके छापों का असर क्या है ? एक बच्चा अपनी मां के साथ गोण्डा के एक अस्पताल में एडमिट था, जाने कहां से वहां जानवर आया, और उसने नोच लिया, जिसके कारण उसकी जान चली गयी। जब पत्रकारों ने हंगामा किया, शोर किया, सवाल पूछा, तो माननीय मंत्री जी के पास उसका कोई जवाब नहीं था। पता नहीं माननीय मंत्री जी ने पत्रकार के कान में क्या कह दिया ? आपका ये कान वाला इलाज क्या है कि पत्रकारों ने उसके बाद आपसे सवाल ही नहीं पूछा ? आपने जहां-जहां छापे मारे हैं, आपके वहां से जाने के बाद वहां की क्या तस्वीर बदल गयी, उसे कभी माननीय मंत्री जी ने सोचा है ? एक जानकारी मुझे मिली, मैंने एक सी0एच0सी0 की तस्वीर लगा दी और

कहा कि देखिये एम्बुलेंस बन्द पड़ी पानी भरा हुआ है, मरीज इंतजार कर रहे हैं, डाक्टर आये नहीं हैं, क्योंकि माननीय मंत्री जी आज कल डिजिटली बहुत स्मार्ट बन रहे हैं। दवा नहीं है, उन्होंने तुरन्त अपने अधिकारियों को खड़खड़ाया होगा। वहां के अधिकारियों ने वहां जाकर पूरा का पूरा सफाई कर दी और तस्वीर लगा दी इन्होंने और कहा कि जो पूर्व मुख्य मंत्री हैं वह झूठ बोल रहे हैं, सत्य नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का ही वो चौनल है जिसने माननीय मंत्री जी की पोल खोल दी। हमारी तरफ से कोई असत्य बात नहीं थी, अगर कोई सच छुपा रहा था तो सरकार सच छुपा रही थी। मैं फिर माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि क्या आपकी सफाई से उस सी0एच0सी0 में लिफ्ट चल गयी थी ? जो नेशनल मेडिकल काउन्सिल है उसके मानक हैं उसका एक अपना प्रोसिजर है। ये सरकार दावा कर रही है कि हमनें मेडिकल कालेज बहुत बना दिये। आजादी के बाद जितने मेडिकल कालेज बनाये गये ये लोग सबकी सूची जारी कर देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे पार्लियामेंट मिनिस्टर जो बैठे हैं वो शायद यह जानते होंगे। इनके जिले शाहजहांपुर में सबसे पहले अगर किसी ने मेडिकल कालेज का शिलान्यास किया था तो मैं गया था और उस समय के स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी गये थे कि नहीं गये थे ? वह योजना दिल्ली की थी कि जिला अस्पतालों को कैसे मेडिकल कालेज बनाया जाय। मैंने पिछली बार भी सुझाव दिया था और मैं फिर सुझाव देता हूं कि अगर आपके पास बजट की कमी है तो नेता सदन स्वीकार क्यों नहीं कर रहे ? नेता सदन को अपने डिप्टी सी0एम0 को बजट देना चाहिए। आप डिप्टी सी0एम0 को बजट क्यों नहीं दे रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि ये डिप्टी सी0एम0 को बजट इसलिए नहीं दे रहे हों, क्योंकि उन्होंने 02 मंत्रियों को बेरोजगार कर दिया ? ये विभाग 02 लोगों के पास था, क्योंकि वो डिप्टी सी0एम0 बन गये तो इन्होंने 02 मंत्रियों को बेरोजगार कर दिया। जिसके दिल पर कुछ गुजर रहा होगा वही जान रहा होगा कि 02 चले गये और ये सरकार जो निजीकरण का रास्ता अपना रही है ये स्मोक स्क्रीन है कि हम विश्व में सबसे अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ये हमारी संस्थाओं को बन्द करना चाहते हैं। ये हास्पिटल भी बन्द करना चाहते हैं। ये सब प्राइवेट हाथों में देना चाहते हैं। रेलवे दे दिया। अभी लॉजिस्टिक के नाम पर रेलवे की जमीनें दे दी। पहले 05 साल के लिये दी फिर 30 साल के लिये दे दी। 35 साल हो गये। अध्यक्ष जी, आप खुद इतने बड़े महानगर कानपुर के माननीय सदस्य हैं, वहां से जीत करके आये हैं। अध्यक्ष जी आप डेली खबर सुनते होंगे कि हैलट अस्पताल का हाल क्या है ?

किसी भी जिला अस्पताल में मरीज का एडमिशन नहीं हो रहा है, उनको रेफर कर देते हैं, यहाँ चला आया तो उसको आगे बढ़ा देते हैं। मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो मरीज इमरजेंसी में आते हैं, उनमें से आप कितनों की

भर्ती कर देते हैं और कितनों को इलाज मिल जाता है ? स्टाफ की कमी है। आप कह रहे हैं कि नौकरी मिल जायेगी, आप भर्ती क्यों नहीं कर पा रहे हैं ? आपने कितनों की भर्ती कर दी ? इनका सीधा-सीधा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें जो संविधान में हक और सम्मान दिया है, उसको छीनने की तैयारी है, जैसे आउटसोर्स। यह आउटसोर्स नौकरी देने का नया तरीका है। यह आउटसोर्स पर रख रहे हैं। यह चाहते हैं कि सरकारी अस्पताल बन्द हो जायें और प्राइवेट फल-फूल जायें, बड़े हो जायें। हमें इस बात की खुशी है कि समाजवादियों ने मेदान्ता अस्पताल बना दिया। अस्पताल में जाते हैं तो लगता है कि अस्पताल है कुछ।

अध्यक्ष महोदय, जिस समय उसका शिलान्यास हो रहा था, उस समय उसी अस्पताल के सबसे बड़े मालिक से मैंने कहा कि हम समाजवादी लोग कम से कम ऐसे अस्पताल बनायेंगे जो आपके मेदान्ता के बराबर लगें, वह इन्फ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। अगर आप विश्व में कम्पटीशन दिखाना चाहते हैं तो आखिरकार आप वह इन्फ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बना पा रहे हैं ? आप सम्मान के लिए प्रतिमा लगा दें, आपने माननीय कल्याण सिंह जी की प्रतिमा लगाई, हमें उसमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए आप पर्याप्त बजट देंगे या नहीं देंगे ? हमें कोई शिकायत नहीं है, आपने 5 साल इन्तजार कराया, आप और इन्तजार करायेंगे, जो इस प्रदेश के सबसे बड़े नेता रहे, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बननी थी। प्रधानमंत्री जी ने लोकभवन के सामने उसका शिलान्यास किया था। 5 साल समय निकाल दिया और नया सत्र शुरू हो गया और जनता ने दोबारा मौका भी दे दिया, लेकिन अभी तक वह यूनिवर्सिटी नहीं बनी। नेता सदन, गोरखपुर मेडिकल कालेज में 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी बच्चों का अस्पताल समाजवादियों ने बनाया था या नहीं बनाया था? 200 बेड का जापानी इंसेफेलाइटिस के लिए बनाया था या नहीं बनाया था। नेता सदन, आप जानते होंगे, आपके लोग एम्स रोक रहे थे, वह राजनीति आप जानें, लेकिन बताइये, एम्स के लिए जमीन समाजवादी सरकार में दी गई थी या नहीं दी गई थी ? कोई अपना प्राइवेट संस्थान बनाये, उसमें हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन आप सरकारी संस्थाओं को खत्म कर दे रहे हैं। यहाँ पर लखनऊ में लाखों-लाख लोग आ रहे हैं, जो इलाज कराने के लिए आते हैं। जिन-जिन मेडिकल कालेजों में मैं गया हूँ, जो समाजवादी सरकार में बन रहे थे, उससे एक इंच आप आगे नहीं बढ़ा पाये।

मैं नेता सदन से कहना चाहता हूँ कि जब आपको आक्सीजन का प्लांट देखना था तो आप सैफई की तैयारी करके गये थे, अगर थोड़ा दायें-बायें भी देख लेते। इस देश की वन आफ द बेस्ट जो कान्स्ट्रक्शन कम्पनी है, उससे बनवाने के लिए एक मेडिकल कालेज दिया था, सुपर स्पेशलिटी बन रहा था। हमसे नाराजगी हो सकती है, क्योंकि हम सत्ता में भागीदार हो सकते हैं। लेकिन आस-पास के गाँवों के लोगों से आपकी क्या नाराजगी है, मध्य प्रदेश के लोगों

से क्या नाराजगी है और आस-पास के लोग जो इलाज कराने आते हैं, उनसे आपकी क्या नाराजगी है ? जितना बना था, उतना ही बना है, आगे नहीं बन पाया और केवल एक मेडिकल कालेज नहीं, आजमगढ़ मेडिकल कालेज, मैंने जौनपुर का बता ही दिया। हमारे अध्यक्ष जी हैं, उनका मेडिकल कालेज है। क्या काउन्सिल के जो मानक हैं, उसके तहत मेडिकल कालेज चल रहे हैं, जहाँ पर पर्याप्त डाक्टर हैं ? जब आपके इंस्पेक्शन के लिए लोग आते हैं, नेता सदन जानते होंगे कि अधिकारी लोग मिल करके इस अस्पताल के वहाँ पर, उस अस्पताल के यहाँ पर करके, ऐसे ही मान्यता ले रहे हैं। आप कैसे डाक्टर तैयार कर रहे हैं, डाक्टरों का भविष्य क्या होगा ? इसलिए जो पी0एच0सी0, सी0एच0सी0, जिला अस्पताल और मेडिकल कालेज हैं, उनमें आप पर्याप्त डाक्टर्स को उपलब्ध करायेंगे या नहीं करायेंगे ? जो सुविधा गरीब मरीज को मिलनी चाहिए। वह सुविधायें आप दिला पायेंगे या नहीं दिला पायेंगे ? आपने एक रुपये का पर्चा 10 रुपये में कर दिया हैं, अब जांचों में भी पैसा लगेगा। आप एम0आर0आई, सी0 टी0 स्कैन और जितनी भी जांचे हैं सब प्राइवेट हाथों में देते जा रहे हो तो गरीब कहां से जांच करायेगा और जो मशीनें आप्सलीट हो गई हैं, उनको कब ठीक करोगे। कैंसर बढ़ रहा है, कैंसर के इलाज के लिए कैंसर इन्स्टीट्यूट बनना था, आज भी लोगों को इलाज के लिए दिल्ली और मुम्बई जाना पड़ रहा है और जो कुछ मदद सरकार करती है वह आधे-अधूरे मन से करती है, यहाँ माननीय सदस्य बैठे हैं, वह इलाज के लिए पत्र लिखते हैं, कोई अपने इलाज के लिए पत्र नहीं लिखते हैं जो गरीब जनता आती है उनके लिए पत्र लिखते हैं। नेता सदन आप इतने गरीब कबसे हो गये आपकी तो डबल इंजन की सरकार है, आपको तो डबल पैसा देना चाहिए और फिर उसमें भी हिसाब-किताब देखते हैं कि कितना देंगे। कोई बीमारी एक बार तो आयेगी नहीं पता नहीं बीमारी कितनी बार आ जाये तो बीमारी आ जायेगी उसके लिए केवल आप कंजूसी करके थोड़ा सा पैसा दे देंगे क्या उससे इलाज हो जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कह देना चाहता हूँ कि अगर कोई गरीब आये सरकारी अस्पताल में तो उसे इधर-उधर नहीं देखना पड़े पूरा का पूरा इलाज सरकारी अस्पताल में हो जाये। यह समाजवादियों का मानना है यह हमारी सोच थी मुझे याद है जब नेता जी ने लोहिया इंस्टीट्यूट बनाया था तब एक रुपये का पर्चा किया, इलाज फ्री करा दिया और हर मेडिकल कालेज में अलग से बजट देते थे गरीब के इलाज के लिए, गरीब इलाज करा ले उसको पैसा न देना पड़े, कहां लेकर जाओगे इतना पैसा अब तो आपने आउटसोर्स करके कम्पनी हायर की है कि हम यू0पी0 की वन ट्रिलियन डालर (इकोनॉमी) कैसे बनायेंगे। वन ट्रिलियन डालर (इकोनॉमी) बनने में आपको लगता है दिल्ली वाले मदद नहीं कर रहे हैं, जितनी मदद करनी चाहिए थी। आपकी दिल्ली की सरकार यू0पी0 से बनती है, आप बताइये दिल्ली वालों को और पैसा लाइये। आप अपना घोषणा-पत्र दोबारा पलट कर नहीं देखते क्या?

आपने कितने एम्स बनाने के लिए कहा था 5 साल चले गये, कितने एम्स बन गये। यह दोनों एम्स जो उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं यह समाजवादियों की देन है जिसकी वजह से एम्स बन रहे हैं। आप नये एम्स कब लाओगे। बुन्देलखण्ड में जो मेडिकल कालेज था जालौन का, उरई और झांसी का उसको आपने बर्बाद कर दिया, अम्बेडकरनगर में जो पर्याप्त स्टाफ होना चाहिए वह नहीं है, कोई इलाज नहीं है, आजमगढ़ का क्या हाल है जो नये बना रहे हो उसका हाल आप बेहतर जानते होंगे और इसीलिए जो डिप्टी सी0एम0 हैं वह जहाँ जाते हैं छापा मारते हैं बाद में कहते हैं हम तो शर्मिंदा हो गये हम यहाँ पर छापा मारने क्यों आये हैं आप छापा मंत्री बनोगे या कुछ कार्यवाई भी करोगे जैसे झोला छाप डाक्टर की कोई मान्यता नहीं है वैसे इनकी भी होने जा रही है यहाँ पर कोई भी इसमें नहीं पूछ रहा है। झोला छाप डाक्टरों के ट्रांसफर हो गये इन्हें पता ही नहीं, भागीदारी किसकी थी। इसलिए जो घटनायें हैं वह मैं जानता हूँ। एम्बुलेंस से निजी अस्पताल में हो रही है मरीजों की सिफ्टिंग, यह है उत्तर प्रदेश । विश्व की सबसे बड़ी योजना चला रहे हैं। आप लोगों द्वारा 250 रुपये का आक्सीजन सिलेंडर 6 गुना वसूला जा रहा है। बेटे को ले करके भटकता रहा बेबस पिता यह कहानी बताई मैंने आपको और भी इस तरह की घटनायें हुई हैं। अस्पताल में पत्नी का शव पीठ पर लाद कर लौटा व्यक्ति क्या दिन देख रहे हैं हम लोग और प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा दोनों की मौत, क्या दवा दे रहे हैं, क्या इलाज कर रहे हैं आप लोग, क्या हमारी नर्सेज ट्रेंड हैं या हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है वह वेल ट्रेंड है, क्या हम उसके लिए विशेष ट्रेनिंग योजना चला रहे हैं।

साइबर क्राइम के लिए अभी मंत्री जी बता रहे थे कि जैसे हम असलहा चलाना सीखते हैं वैसे हम साइबर क्राइम में सिखा रहे हैं साइबर क्राइम और असलहे में फर्क ही नहीं जानते हैं। रास्ते में एम्बुलेंस खराब है उसी में मरीज की जान चली गई, एम्बुलेंस के इंतजार में जान चली गई। अध्यक्ष महोदय मैं चाहता हूँ कि सरकार कम से कम इस विभाग को तो बेहतर करे और जो मौका मिला है आपको डबल इंजन की सरकार कहते हैं और दावा करते हैं कि बजट में कोई कमी नहीं है। आप बजट पर्याप्त दीजिये, आपके डाक्टर दूसरे प्राइवेट अस्पतालों में नहीं भागेंगे। प्राइवेट में सुविधाएं अच्छी हैं और सरकार जानबूझ कर सरकारी अस्पतालों को बर्बाद कर रही है जिससे कि अच्छे-अच्छे हमारे डाक्टर चले जाएं। जो सुविधाएं पीजीआई को मिलती थीं, वही सुविधाएं केजीएमयू और लोहिया अस्पताल को दी, नेता सदन बतायें कि वही सुविधाएं गोरखपुर और पूरे प्रदेश के डाक्टरों को या अन्य मेडिकल कालेजों को वह सुविधा कब मिलेगी ? मुझे माननीय मंत्री जी से उम्मीद है कि वह 108 की व्यवस्था में सुधार लायेंगे, अगर बजट की कमी हो तो शर्मिन्दा न हों, नेता सदन के पास जाएं, कुछ समझाएं, मनायें, शायद आपको बजट मिल जाय । मान्यवर, यह सदन छोटा और यह विभाग बहुत महत्वपूर्ण है, सीधे लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ विभाग है इसलिए मैं चाहूंगा कि इस विषय पर सदन में चर्चा करा दी जाय।

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

माननीय नेता प्रतिपक्ष की बातों से स्पष्ट हो रहा था कि ''पर उपदेश कुशल बहुतेरे'' और उनको यह भी नहीं पता था कि वह जो बोल रहे आखिर वह किसको बोलना चाहते हैं।

श्री अखिलेश यादव-

सरकार को।

श्री योगी आदित्यनाथ-

इस प्रदेश में चार बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही है और मुझे नहीं लगता है कि प्रदेश की 25 करोड़ जनता या 135 करोड़ देश की आबादी से कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक रूप से उनसे उपकृत होगा उनको छोड़ करके शेष कोई भी व्यक्ति समाजवादी पार्टी को सही नजरिये से देखता होगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फोर्थ और फिफ्थ जो आये हैं या इससे पहले जो सर्वे हुए हैं वह सर्वे इस बात की गवाही देते हैं कि उत्तर प्रदेश में विगत साढ़े पाँच वर्षों के अन्दर स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरीन सुधार हुआ है। चाहे एनीमिया से जुड़े हुए मामलों में सुधार का प्रश्न हो, यह नेशनल एवरेज से अच्छा हुआ है, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में पहले की तुलना में काफी सुधार हुआ है। अन्य मामलों में भी उत्तर प्रदेश ने उत्तरोत्तर वृद्धि की है, उसमें काफी अच्छी प्रगति हुई है। मैं केवल एक उद्धरण देना चाहता हूं, गोरखपुर की चर्चा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने की है और बोलते-बोलते उनको बहुत सारी चीजें याद आती है, स्वाभाविक रूप से जब कोई चीज और खास तौर पर जनता-जनार्दन अपना फैसला करके दे देती है और जब सपने तार-तार होते हैं तो उसका दुःख होता ही है और उनकी बातों में वह दुःख झलक भी रहा था, लेकिन हमें जनता-जनार्दन के फैसले को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। मान्यवर, यह सीजन पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए हमेशा भय का प्रतीक होता था। एक कंपकपी छूटती थी, जुलाई से लेकर नवम्बर तक एन्सेफेलाइटिस से प्रतिवर्ष वहां पर 12 सौ, 15 सौ, 2 हजार तक मौतें होती थीं। अकेले गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कालेज, पाँच-पाँच सौ मौतें उस मेडिकल कालेज में एक छत के नीचे एक-एक वर्ष में होती थीं। जनपदों के अन्दर जो मौतें हो रही थीं वह अलग है, जो लोग हास्पिटल तक नहीं पहुंच पाते थे, वह अलग हैं। डबल इंजन की सरकार का प्रभाव है और संयुक्त कार्रवाई का परिणाम है कि आज एन्सेफेलाइटिस जीरो तक पहुंच रही है, एन्सेफेलाइटिस से होने वाली मौत जीरो तक पहुंची है। अभी मैं गोरखपुर के दौरे पर था, स्वास्थ्य विभाग के साथ एक बैठक मेरी हो रही थी, उसमें बताया गया कि एन्सेफेलाइटिस के केवल 40 मामले इस वर्ष अभी तक वहां आये हैं।

40 में से 35 इक्यूट एन्सेफेलाइटिस और 5 जापानी एन्सेफेलाइटिस के आए हैं। मौत शून्य है। यह मैं गोरखपुर जनपद की बात कर रहा हूँ। गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महराजगंज और हमारे श्री माता प्रसाद पाण्डेय, पूर्व विधान सभा अध्यक्ष जी का जनपद सिद्धार्थनगर, सन्त कबीरनगर, बस्ती एवं इधर देवीपाटन कमिश्नरी के जनपद इन सभी जनपदों

में बड़े पैमाने पर मौतें होती थीं, लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार एक भी बार अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए उन क्षेत्रों में उन मरीजों से मिलने तक कोई नहीं गया, क्योंकि इन्हें फुर्सत ही नहीं थी। जो मरने वाले बच्चे थे, ये विषय/प्रश्न उनसे जुड़ा हुआ है।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, जो बच्चे मरे थे, अगर उनकी किसी ने मदद की थी, तो समाजवादियों ने मदद की थी।

श्री योगी आदित्यनाथ-

ये प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी की सरकार दुर्भाग्य से इस प्रदेश में चार बार थी और चारों बार कभी भी एन्सेफेलाइटिस से होने वाली हजारों मौतों पर कोई संवेदना समाजवादी की सरकार ने नहीं व्यक्त किया।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, जहाँ इलाज हो रहा है, वह अस्पताल किसके बनाए हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष जी, जब आप बोल रहे थे, तो सत्ता पक्ष से कोई नहीं बोला। अब नेता सदन मा0 मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं, तो उनको आप सुनिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना -

मा0 अध्यक्ष जी, जब मा0 नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, तो किसी ने कोई व्यवधान नहीं किया। तो अब आप नेता सदन की बात को सुनें।

श्री योगी आदित्यनाथ-

मान्यवर, कोई प्रयास नहीं हुए। ये लोग दूसरों को उपदेश देते हैं। सच्चाई क्या थी ? वर्ष 2012-2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस समय प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बन्द कर दिए गए थे। वहाँ कोई डाक्टर नहीं था।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने एक स्वर में झूठ-झूठ की आवाज लगायी।)

श्री अध्यक्ष-

आप सब शांति बनाकर नेता सदन की बात को सुनिए ।

श्री योगी आदित्यनाथ-

मान्यवर, जिला चिकित्सालयों की स्थिति कितनी दयनीय/जर्जर थी और आज मैं कह सकता हूँ कि 108 एम्बुलेन्स के रिस्पॉन्स टाइम को इस सरकार ने और अच्छा करने का प्रयास किया है, उसमें सुधार हुआ है। आज सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रदेश में 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कालेज' की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आज मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अन्दर डबल इंजन की ही सरकार का प्रभाव है और संयुक्त कार्रवाई का ही

परिणाम है कि आज प्रदेश के 59 जनपदों में एक-एक मेडिकल कालेज या तो बन चुका है या बनने की ओर अग्रसर है। उस पर कार्रवाई चल रही है। जो शेष 16 जनपद हैं, उन पर भी इस कार्रवाई को सरकार आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मेडिकल कालेज से उनको परहेज है, हास्पिटल की सुविधा से उनको परहेज है और तो और, कोरोना महामारी के दौरान पता नहीं नेता प्रतिपक्ष कहां गए थे ? मुझे तो लगता है कि किसी ने उनको बाहर निकलते हुए नहीं देखा, हम लोगों ने उनको बाहर निकलते हुए कभी भी नहीं देखा। दुर्भाग्य से कोविड महामारी आयी थी और उन चार चरणों में, हमें तो आशंका कि कोरोना काल खण्ड में 5वीं चरण न आ जाए, नहीं तो इनका क्या होगा, लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि कोरोना को नियंत्रित करने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की।

श्री अखिलेश यादव-

नेता सदन, हमने तो अभी तक वैक्सीन नहीं लगवायी।

श्री योगी आदित्यनाथ-

कौन देख रहा है। हम लोंगों ने तो वैक्सीन फ्री भी की है। फ्री में वैक्सीन है। हम लोगों ने तो वैक्सीन ली है। पहली बार सामाजवादी पार्टी की सरकार वर्ष 1989 में आयी थी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी थी। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी थी, यह भी सच है। भारतीय जनता पार्टी ने उस सरकार को जनता दल की सराकर को सपोर्ट किया था।

(समाजवादी पार्टी के किसी सदस्य द्वारा टिप्पणी करने पर।)

श्री योगी आदित्यनाथ-

सच स्वीकार करो।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य श्री रविदास मेहरोत्रा जी के कुछ बोलने पर।)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, रविदास जी, चुप रहिए ।

श्री योगी आदित्यनाथ-

सन् 1989 से आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी को चार बार मौका मिला है, ठीक है नाम पहले कुछ रहा होगा पर लीडर तो वही थे और इनको प्रदेश में चार बार रहने का अवसर प्राप्त हुआ। यह मैं नहीं कहता हूं पूरा देश और पूरी दुनिया इस बात को कहती है कि इनके शासनकाल में प्रदेश के हर क्षेत्र का अवमूल्यन हुआ है, उसमें अभिवृद्धि कहीं नहीं हुई है। यह हर व्यक्ति कहता है और मैं इस बात को फिर कह सकता हूँ कि प्रश्न स्वास्थ्य का हो या प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का जितनी क्षति और जितना नुकसान इन तथाकथित

समाजवादियों ने किया है, उतना प्रदेश में कभी नहीं हुआ। प्रदेश को उसकी पहचान दिलाने के लिए ही राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है। आज प्रदेश में हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर सप्ताह आरोग्य मेला का आयोजन होता है। हर आरोग्य मेले में डेढ़ लाख से लेकर 3 लाख तक पेसेंट आते हैं। आयुष्मान भारत की योजना हो या मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना, हर गरीब को 5 लाख रुपये की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी यह डबल इंजन की सरकार प्रदेशवासियों को उपलब्ध करवा रही है और जहां तक कोरोना वैक्सीन की बात है, कोरोना वैक्सीन पहली बार यह हुआ है कि किसी महामारी के आने के मात्र 9 महीने के अन्दर वैक्सीन भी देशवासियों को प्राप्त हो गया था और इसके लिए प्रदेश प्रधानमंत्री जी का आभारी है। जिनके प्रयास से देश के अन्दर 2 करोड़ स्वदेशी वैक्सीन आए और 2 करोड़ से भी अधिक वैक्सीन की डोसे़ज देशवासियों को प्राप्त हुए।

कोरोना वैक्सीन ने देश के नागरिकों को सुरक्षा कवच के रूप में एक संबल दिया, आज कोरोना वैक्सीन के नाते कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रण करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई। लेकिन कुछ लोगों ने कोरोना काल खण्ड में जनता-जर्नादन का ध्यान तो नहीं रखा, लेकिन दुष्प्रचार जरूर करते रहे। कभी वैक्सीन के खिलाफ करते थे और कभी किसी बात को लेकर अनावश्यक एक नकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास करते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब तक 38 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजें हम दे चुके हैं और यह सभी वैक्सीन की डोजें फ्री में ही उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हुई हैं। राज्य सरकार को कहीं बाहर से प्रमाण-पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। नेशनल फैमली हेल्थ सर्वे इस बात के प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं कि राज्य सरकार ने प्रदेश के अन्दर हर व्यक्ति को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने को हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और सरकार उसको पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढायेगी, जो भी अगर कहीं पर लापरवाही होती है तो उसकी जवाबदेही उस स्तर पर विभाग के द्वारा शासन के स्तर पर सुनिश्चित होती है। प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के प्रति सरकार पूरी जवाबदेही के साथ कार्य कर रही है और कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए, जो भी बेहतर से बेहतर सुविधा हो सकती है उत्तर प्रदेश के अन्दर उसे उपलब्ध करवाने की कार्रवाई राज्य सरकार कर रही है। जहां तक प्रदेश के अन्दर इन सभी कार्रवाई को आगे बढ़ाने की पहली बार उत्तर प्रदेश के अन्दर मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है, पहली बार उत्तर प्रदेश के अन्दर ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए आयुष इण्डस्ट्री भी बन रही है और पहली बार उत्तर प्रदेश के अन्दर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है। यह प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं। दूसरा एम्स गोरखपुर मामले में सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी ही थी इन लोगों ने एम्स के लिए भूमि दी ही नहीं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार

प्रदेश में आई उसके बाद उस जमीन की रजिस्ट्री की कार्रवाई मेरे आदेश पर सम्पन्न की गयी। आज एम्स गोरखपुर में संचालित हो चुका है।

श्री अखिलेश यादव-

शिलान्यास तो आपने ही किया था।

श्री योगी आदित्यनाथ-

उन्होंने प्रस्ताव नहीं दिया था, रजिस्ट्री की कार्रवाई तो हम लोगों ने आने के बाद सम्पन्न की। एन्सेफेलाइटिस जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। यही नहीं आज प्रदेश के अन्दर जितने प्रकार के संचारी रोग जैसे-डेंगू, कालाजार या मलेरिया है, इन सभी प्रकार के संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए वर्ष में तीन बार विशेष अभियान चलाने की कार्रवाई भी राज्य और केन्द्र सरकार के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। आज प्रदेश के अन्दर विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है और बिना भेद-भाव के समाज के हर एक तबके को उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्य मंत्री रह चुके हैं और प्रतिपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता भी हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि उनको सदन में सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। मैंने कल भी कहा था कि समाजवादी और सच कभी एक साथ नहीं चलते हैं। उनको इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि जो विकृति हमें विरासत में प्राप्त हुई थी, उसी विकृति को हम सुधार रहे हैं, उसी विकृति को ठीक करते हुए उसको और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए अपने किये पर जब वह इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं तो वह स्वयं कटघरे में खड़े होते हैं। जब वह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर हर घर नल की योजना क्यों लागू हो रही है ? तो उनको इस पर अफसोस होता है क्योंकि ये नहीं कर पाये थे। लेकिन आज डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अन्दर हर घर नल से जल देने के लिए प्रतिबद्ध है और उस पर कार्रवाई कर रही है तो उनको इस पर भी अफसोस हो रहा है। (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं।) कम से कम अच्छे कार्यों को स्वीकार करो, अच्छा लगेगा।

मुझे लगता है कि बुन्देलखण्ड और विन्ध्य क्षेत्र में इस वर्ष के अन्त तक हम हर घर नल की योजना हर घर तक पहुँचाने की कार्रवाई सम्पन्न कर चुके है। प्रदेश में 30 हजार गाँवों की कार्य योजना अंतिम चरणों में चल करके उन पर कार्य भी प्रारम्भ हो चुका है। जो हमारे गाजीपुर के माननीय सदस्य बोल रहे थे कि हमारे क्षेत्र में नहीं हो रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि चाहे वह बलिया हो, गाजीपुर हो पूरे क्षेत्र में हो रहा है। जहाँ पर फ्लोराइड और आर्सेनिक से जुड़ी हुई जो समस्यायें हैं इन सभी क्षेत्रों को हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से लिया है।

आर्सेनिक, फ्लोराइड, एन्सेफेलाइटिस से ग्रसित क्षेत्र या फिर उन क्षेत्रों में जहाँ पर खारे पानी की समस्या है, जो पहले से ही डार्क जोन में चिन्हित हैं, सर्फेस वाटर हो या ग्राउण्ड वाटर हो, इसका बेहतरीन उपयोग करते हुए हर घर नल की योजना को लागू करने की कार्रवाई चल रही है, लेकिन इनको उस पर भी अफसोस है कि यह क्यों हो रहा है ? वे नहीं कर पाये तो उनको अपने किये पर पश्चाताप नहीं है, लेकिन जब आज यह काम हो रहा है तो इनको बुरा लग रहा है। मुझे लगता है कि यह अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। राज्य के अन्दर इन्फ्रास्ट्रक्चर के कार्य हों, बेहतरीन शिक्षा के केन्द्र खोलने के कार्य हों, प्रदेश के अन्दर स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा को उपलब्ध करवाने की कार्यवाही हो या फिर प्रदेश के हर गाँव को बेहतरीन कनेक्टिविटी देने, इन सभी कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार के पास संसाधन उपलब्ध हैं, राजस्व में भी वृद्धि हुई है। कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए भी राज्य सरकार ने पूरी मजबूती के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। यही नहीं उसी अभियान के तहत हम लोग प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश भी अपनी इकोनामी को 1 ट्रिलियन डालर की इकोनामी में बदलने के लिए उस दिशा में अपने प्रयास को आगे बढ़ाया है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं।)

एक पूर्व मुख्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष को तो कम से कम इस पर प्रसन्नता होनी चाहिए थी कि जो काम वे नहीं कर पाये हैं, आज भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार उस कार्य को कर रही है, तो कम से कम इसमें वे सहयोग नहीं कर सकते हैं तो अड़ंगा लगाने का कार्य तो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार ही नहीं प्रतिपक्ष भी लोकतंत्र की व्यवस्था का एक पहिया है और मुझे लगता है कि इसमें उन्हें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और उस गम्भीरता का परिचय देना चाहिए। कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए जो गुमराह करने वाला हो, जो सत्य से परे हो और जो अनावश्यक रूप से आम-जनमानस के मन में तमाम प्रकार की भ्रान्ति पैदा करते हुए उनके स्वयं के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला हो। कभी-कभी छोटी-छोटी बातें व्यक्ति मजाक में कहता है, लेकिन जब उसको कोई गम्भीरता से लेने लगता है तो कभी-कभी उसके जीवन के साथ खिलवाड़ होता है। एन्सेफेलाइटिस और कोरोना के मामले में हमने देखा है कि जब उन्होंने कहा था कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे और वैक्सीन का परिणाम क्या हुआ होगा, बहुत सारे लोगों के जीवन के साथ उस समय खिलवाड़ हुआ होगा, लेकिन ये फ्री में वैक्सीन थी। पूरी दुनिया इसको स्वीकार कर रही है, डब्लू0एच0ओ0 ने इसको मान्यता दी। कभी-कभी हमें बताते हुए बड़ा अफसोस होता है कि

एन्सेफेलाइटिस की वैक्सीन जापान में 1905 में बन गयी थी, परन्तु भारत में इस वैक्सीन को आने में 100 वर्ष लग गये और 2005 में यह वैक्सीन भारत में आया है। हम आजादी के बाद से क्या कर रहे थे ? 1947 से 2005 तक क्या हो रहा था ? एन्सेफेलाइटिस से मरने वाले ज्यादातर बच्चे कौन थे ? अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति और अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए बच्चे थे, लेकिन वोट बैंक बनाने का प्रयास तो हुआ, लेकिन उन पीड़ितों के प्रति कभी ईमानदारी से संवेदना व्यक्त करने का प्रयास नहीं हुआ। वह कभी मुद्दा नहीं बन पाया। एन्सेफेलाइटिस के मुद्दे पर वैक्सीन को जापान से भारत आने में 100 साल लगे। लेकिन भारत के अन्दर कोरोना जैसी महामारी आती है और नौ महीने के अन्दर एक नहीं दो-दो स्वदेशी वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी देते हैं ....

(सदस्यों ने मेजें थपथपायीं।)

इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के बजाय लोगों को गुमराह करते हुए उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करे, यह स्वीकार्य नहीं होना चाहिए और किसी भी जिम्मेदार नेता को और जिम्मेदार राजनीतिक दल को इस प्रकार की हरकत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यह लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने जैसे मुद्दे होते हैं इस तरह के मुद्दों पर उसकी संवेदनशीलता को समझना चाहिए। यहाँ पर जो भी मुद्दे उठते हैं यह हर व्यक्ति की संवेदना है।

108 की एक व्यवस्था है आप काल करेंगे, उसके रिस्पांस टाइम के अनुसार आपको वह एम्बुलेंस प्रदान करने का प्रयास होता है और हमेशा यह प्रयास होता है। एक व्यवस्था दी गयी है, लेकिन आप उसको कटघरे में खड़ा करें। कुछ शासकीय व्यवस्थायें हैं, हर सी0एच0सी0, पी0एच0सी0, डिस्ट्रिक्ट्स हास्पिटल्स या मेडिकल कालेजेज की हम उसको ही कटघरे में खड़ा करके आम नागरिक के सामने एक भ्रम की स्थिति पैदा करें, यह अच्छी स्थिति नहीं है। मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष को एक जिम्मेदार नेता के रूप में सदन में बोलना चाहिए, तथ्यों पर बोलना चाहिए और जो आँकड़े हैं, उन आँकड़ों को एक बार सत्यापन कराकर अगर बोलेंगे तो यह विश्वसनीयता उनकी भी और उनके दल की भी रहेगी और साथ ही साथ इस व्यवस्था के प्रति आम-जनमानस का विश्वास डगमगायेगा नहीं। अगर विश्वास डगमगायेगा तो यह लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि जनमानस की भावनाओं के विरुद्ध जब भी कोई व्यक्ति आचरण करता है तो वह अविश्वास की स्थिति पैदा करेगा और लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक दिन होगा। दुर्भाग्य से कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए इस प्रकार का आचरण करते हैं। इसको लोकतंत्र में कहीं मान्यता नहीं देनी चाहिए। सरकार अपने स्तर पर बेहतरीन प्रयास कर रही है और जो कुछ भी होगा, मैंने बेहतरी के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए। हमने इसको जाति, मत, मजहब, क्षेत्र

और भाषा के आधार पर नहीं बाँटा है। 25 करोड़ की जनता को डबल इंजन की सरकार ने अपने परिवार के रूप में ट्रीट किया है और बिना भेद-भाव के शासन की योजनायें पूरे प्रदेश के ऊपर लागू हो रही हैं। हमने उसी रूप में उसको देने का प्रयास भी किया है। इसलिए कृपया इस सदन की कार्यवाही के माध्यम से अन्य माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण मुद्दों को हम इस प्रकार के मुद्दों के आधार पर जो तथ्यों पर आधारित न हो उससे हम अन्य माननीय सदस्यों के समय को जाया न करें तो अच्छा होगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष को तथा माननीय मुख्य मंत्री जी को सुना, यह नियम-56 में नहीं आता है, इसलिए मैं इसको अग्राह्य करता हूँ।

श्री अखिलेश यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इण्डिया की जो रिपोर्ट है, उसमें उत्तर प्रदेश कहां पर खड़ा है ? आप देखें आज 1 लाख की आबादी पर कितने बेड्स उपलब्ध हैं ? मैं माननीय नेता सदन के जवाब से संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए हम लोग सदन से वॉकआउट कर रहे है।

[नेता प्रतिपक्ष (श्री अखिलेश यादव) अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये।]

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, अब नियम-56 है।

श्री अध्यक्ष-

जब नियम-56 का क्रम आयेगा तो उसको ले लेंगे।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी सूचना नियम-311 में है, उसको भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

नियम-311 को मैंने कहा था कि मैं सुन लूंगा। जब नियम-56 का क्रम आयेगा तो उसको ले लेंगे। नियम-301 के अन्तर्गत जो अनुपस्थित होगा उसकी सूचना नहीं ली जायेगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, अब एजेंडे के अनुसार ले लें।

श्री अध्यक्ष-

एजेण्डे के अनुसार ही लिया जा रहा है।

[01:10] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

नियम-301 की सूचनाएं ले रहा हूँ।

आज नियम-301 के अन्तर्गत कुल 60 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें से 20 मा0 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं ।

प्रथम सूचना श्री सचिन यादव की जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित 'जल जीवन मिशन' के पैकेज-04 के अन्तर्गत पानी की टंकियों का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र में बेतवा नदी पर खिरिया घाट पर रपटा की जगह पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री राज प्रसाद उपाध्याय की जनपद सुल्तानपुर की विधान सभा क्षेत्र सदर में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त हुयी सड़कों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में हैं, चौथी सूचना श्री हंसु राम की जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड के अन्तर्गत कतिपय सड़कों एवं पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री बेदी की जनपद गाजीपुर की विधान सभा क्षेत्र जखनियाँ के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू की जनपद कुशीनगर पडरौना में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये समस्त कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं गत वर्ष 2022-23 में सामग्री की खरीद में किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराकर कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री विवेक कुमार वर्मा की जनपद पीलीभीत की विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में मार्ग एवं नालियों के निर्माण के सम्बन्ध में है, आठवी सूचना श्री देवेन्द्र निम की जनपद सहारनपुर विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन में हिंडन नदी पर पुल के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री विकास गुप्ता की जनपद फतेहपुर के अशोक नगर में स्मृति द्वार बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री सुनील दत्त द्विवेदी की जनपद फर्रुखाबाद के ग्राम भोजपुर से लैनगांव तक मार्ग का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री विनोद शंकर अवस्थी की जनपद खीरी के तहसील धौरहरा में ग्राम प्रधान, लेखपाल तथा एस0डी0एम0 द्वारा हो रहे भ्रष्टाचार की जांच किये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री प्रसन्न कुमार की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र सदर में लिंक रोड का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद फतेहपुर में यमुना नदी पर पुल निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना डा0 मुकेश वर्मा की जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में एन0पी0एच0सी0 केन्द्र पर प्रसव की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्रीमती सैय्यदा खातून की जनपद सिद्धार्थनगर में सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में

है, सोलहवीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर में पुलिस चौकी खोले जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों/स्थलों पर लगे ट्रांसफार्मरों की क्षमता को उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री मौ0 फहीम इरफान की जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी में सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना डा0 नीरज बोरा की लखनऊ में कुर्सी रोड पर प्रस्तावित वाटर ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा बीसवीं सूचना श्री मुकेश चौधरी की जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र नकुड़ में बिडवी शुगर मिल एवं शाकुम्भरी शुगर मिल टोडरपुर के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित 'जल जीवन मिशन' के पैकेज-04 के अन्तर्गत पानी की टंकियों का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में निमय-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सचिन यादव-

[महोदय, आपके माध्यम से सरकार से यह सूचना प्राप्त करना चाहता हूँ कि जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित 'जल जीवन मिशन' के पैकेज-04 के अन्तर्गत कितनी पानी की टंकियों का निर्माण/मरम्मत कार्य किया जाना प्रस्तावित है एवं इन कार्यों के पूर्ण होने की तय समय-सीमा क्या है ? कृपया इस योजना के अन्तर्गत आने वाली सभी टंकियों की सूची विकास खण्डवार/ग्रामवार उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये तहसील जसराना में 'जल जीवन मिशन' के पैकेज-04 के अन्तर्गत आने वाली सभी टंकियों के निर्माण/मरम्मत कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद झांसी के गरौठा विधान सभा क्षेत्र में बेतवा नदी पर खिरिया घाट पर रपटा की जगह पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जवाहर लाल राजपूत-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लोक महत्व के विषय को लाना चाहता हूँ।

जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र में बेतवा नदी के खिरिया घाट के आस-पास के लगभग 50 गांवों के स्थानीय निवासियों को बीच से बहने वाली बेतवा नदी को पार करने के लिए एक अस्थायी रपटा बनाया गया है। लेकिन यह बरसात में डूब जाता है या फिर बह

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जाता है। स्थानीय निवासियों की परेशानी को देखते हुए उक्त स्थान पर पुल बनाया जाना आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि जनहित में जनपद-झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र में बेतवा नदी के खिरिया घाट पर रपटा की जगह पुल बनवाये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद सुल्तानपुर की विधान सभा क्षेत्र सदर में पूर्वांचल एक्स्प्रेस-वे के निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज प्रसाद उपाध्याय-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लोक महत्व के गम्भीर विषय को लाना चाहता हूँ, जो मेरी विधान सभा क्षेत्र-189, सदर के अधिकांश हिस्से से जनपद सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण हुआ है, जिसके निर्माण के दौरान लोडेड ट्रकों व डम्फरों के चलने के कारण कई रोड ध्वस्त हो गई है, परन्तु अभी तक मरम्मत नहीं करायी गयी है, जिससे स्कूली बच्चों तथा आम-जनमानस को आने-जाने में बड़ी कठिनाई हो रही है।

अतः जनहित में इस गम्भीर विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल मेरी विधान सभा की वे सभी सड़कें जो पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण के दौरान ध्वस्त हो गयीं हैं उनके पुनर्निर्माण की सरकार से माँग करता हूँ।]

जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड के अन्तर्गत कतिपय सड़कों एवं पुलों का निर्माण कराने जाने के सम्बन्ध मैं नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हंसु राम-

[महोदय, अविलम्बनीय व अत्यन्त लोकहित के विषय पर मा0 मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड के अन्तर्गत निम्नलिखित सड़कों एवं पुलों का निर्माण न होने से क्षेत्रीय जनता को आवागम में अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है :-

1-सीयर-सोनाडीह पी0डब्ल्यू0डी0 मार्ग पर से बहोरवा गेट से बहोरवा अम्बेडकर मूर्ति तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण लम्बाई लगभग 1.5 किमी0,

2-नगरा बरौली मार्ग पर से बनकटवा होते हुए मऊ बार्डर तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण लम्बाई लगभग 4 किमी0,

3-बेल्थरा बाजार से बिन्द बस्ती होते हुए शाहपुर अफगां तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण लम्बाई लगभग 6 किमी0,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

4-आर0 एन0 टी0 मार्ग पर तिरनई चट्टी से रामपुर माइनर होते हुए तेलमा चट्टी तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण लम्बाई लगभग 5 किमी0,

5-कोइली मोहान ड्रेन पर बने फाटक व मोटर का विशेष मरम्मत का कार्य,

6-आर0 एन0 टी0 मार्ग पर से तिरनई चट्टी से पलिया होते हुए राजपुर तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण लम्बाई लगभग 3 किमी0,

7-फत्तापुर चट्टी से इग्लिशपुर होते हुए जमुआंव आर0 एन0 टी0 मार्ग तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण लम्बाई लगभग 2.5 किमी0,

8-रतनपुरा मार्ग पर से बहापुर से सिधौना होते हुए त्रिलोकमंदा तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण लम्बाई लगभग 4 किमी0,

9-मालीपुर कैम्प से विशुनपुरा सुजनापुर चटटी तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण लम्बाई लगभग 3 किमी0,

10-अखोप-सोनाडीह मार्ग पर भिंडकुल गांव के सामने कुड़ी नाला तक पुल का निर्माण,

11-सुजनापुर विशुनपुरा चट्टी से बिहरा होते हुए चंदाडीह तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण लम्बाई लगभग 5 किमी0,

12-सुजनापुर रनऊपुर मार्ग पर से पूरापर राजभर बस्ती दीनानाथ के घर होते हुए कौवापुर अनुसूचित बस्ती तक नव निर्माण कार्य लम्बाई लगभग 3 किमी0,

13-मझौवां में गनेश यादव के घर से राजभर बस्ती मझौवां गौरा राजभर बस्ती तक नवनिर्माण कार्य लम्बाई 1 किमी0,

14-आंवरा ड्रेन पर (नगरा) लहसनी गांव एवं ललहवा का पूरा के सामने पुल एवं एप्रोच का निर्माण कार्य,

15-असढ़िया-रामपुर-नथना सम्पर्क मार्ग फरही नाला पर पुल का निर्माण कार्य,

16-सुजनापुर चट्टी से चाड़ी माइनर शिवलाल के खेत के बगल से होते हुए कौवापुर सुजनापुर, रनऊपुर सम्पर्क मार्ग तक नव निर्माण कार्य लम्बाई लगभग 2 किमी0,

17-बनकटवां चट्टी से प्राथमिक विद्यालय सवापुर होते हुए निगहुवा ढाला तक नव निर्माण कार्य लम्बाई लगभग 2 किमी0,

18-मोहम्मदपुर टावर से कटैया चौहान बस्ती होते हुए महमूदपुर सराय बार्डर तक नव निर्माण कार्य लम्बाई लगभग 2.5 किमी0,

19-सिकन्दरपुर रजबहा से कछुइया होते हुए करनी तक नवनिर्माण कार्य लम्बाई लगभग 2.5 किमी0,

20-चौकिया मधुबन मार्ग पर से सन फ्लावर स्कूल के बगल से बिठुआं गांव तक नव निर्माण कार्य लम्बाई लगभग 2 किमी0।

अतः इस अविलम्बनीय व अत्यन्त लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद गाजीपुर की विधान सभा क्षेत्र जखनियाँ के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बेदी-

[महोदय, अविलम्बनीय व अत्यन्त लोक हित के विषय पर मा0 मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मेरा विधान सभा क्षेत्र जखनियाँ अति पिछड़ा क्षेत्र है। यहां की सड़कों पर काफी बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं तथा कई मार्ग अपूर्ण अवस्था में हैं। वर्षा के समय में जल जमाव से क्षेत्रवासी/ग्रामवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़क की हालत खराब होने के कारण आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

1-ब्लाक मुख्यालय मनिहारी को 2 लेन से जोड़ने हेतु गाजीपुर, शादियाबाद, बहरियाबाद किमी0 18 से 24 तक मार्ग का चौड़ीकरण का कार्य,

2-दुल्लहपुर तिरकारीपुर मार्ग से आगापुर, चौबरापुर, भिटवा राजभर बस्ती होते हुए सराय गोविन्दपुर पण्डित बस्ती एवं ठाकुर बस्ती सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य,

3-हंसराजपुर से नसीरपुर चौराहा चिरार एवं चौरा राजभर बस्ती होते हुए पहेतियां नहर पटरी का सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य,

4-रामपुर जीवन सम्पर्क मार्ग से रामपुर जीवन राजभर बस्ती होते हुए रामगढ़ सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य,

5-बरईपारा राजभर बस्ती सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य,

6-पहेतियां-धुरेहरा सम्पर्क मार्ग से खेमाजीत हनुमान जी मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य,

7-मनिहारी ब्लाक से जखनियां मुख्यालय मार्ग का पुनः निर्माण कार्य,

8-शादियाबाद से मौधियां होते हुए सैदपुर भितरी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

9-बहरियाबाद मार्ग से अलावलपुर बेनी का पुरा, शिव मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य,

10-पहेतियां-धुरेहरा सम्पर्क मार्ग से कालीमाता मंदिर होते हुए धुरेश्वर धाम शिव मंदिर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य,

11-बुढ़ानपुर-हथियाराम सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य,

12-गाजीपुर बहरियां मार्ग किमी0 20 से बौरीबीर सिंहपुर सम्पर्क मार्ग,

13-मनिहारी ब्लाक से खडबाडीह सम्पर्क मार्ग,

14-खालिसपुर रजवाहा के पटरी पर ग्राम धावा से जलालपुर सराय गोविन्द होते हुए तलवल बुजुर्गी मार्ग पर ग्राम कोठवां तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य,

15-देवकली पम्प कैनाल से आदित्य के मशीन पर होते हुए ब्लोरी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य,

16-सराय मनीकराज प्राथमिक पाठशाला से शादियाबाद से जखनियां मार्ग का निर्माण कार्य,

17-जखनियां कोड़िला जाहीं, जोठना मार्ग से जखनियां गोविन्द होते हुए मजुई दुल्लहपुर मार्ग/मिक्सिंग मार्ग का निर्माण कार्य,

18-चकमलुख हरिजन बस्ती से सिखड़ी चौहान बस्ती से होते हुए सिखड़ी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य,

19-एमावंशी प्राथमिक विद्यालय से अनुसूचित बस्ती से होते हुए जखनियां मार्ग तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य,

20-शिवपुर सम्पर्क मार्ग से नारायणपुर होते हुए शेष भाग का निर्माण कार्य,

21-नत्थूपुर-सलेमपुर से औदार तक निर्माण कार्य,

22-मरदह-जलालाबाद मार्ग से किमी0 14 से देवरीबारी चौहान बस्ती सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य,

23-शिहाबारी सम्पर्क मार्ग से किमी 1 से दिवालपट्टी बस्ती सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य,

24-रायपुर-गदायपुर मार्ग के किमी0 5 से पालीवार से बस्ती सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य तथा

25-नियांव पिच रोड से विसम्बरपुर, त्रिलोकपुर, धुरेहरा बस्ती सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।

अतः इस अविलम्बनीय व अत्यन्त लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद कुशीनगर के पडरौना में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये समस्त कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं गत वर्ष 2022-2023 में सामग्री की खरीद में किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराकर कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

[महोदय, उपरोक्त विषयक प्रकरण में आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना चाहता हूँ कि जनपद कुशीनगर के पडरौना में तैनात मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा मानक के विपरीत एवं शासनादेशों का उलंघन्न करते हुए स्वास्थ्य विभाग के जिले स्तर के समस्त कर्मचारियों का स्थानान्तरण पैसे लेकर इधर-उधर किया गया है । इनके खिलाफ लगातार विभाग के कर्मचारियों, क्षेत्रीय जनता के द्वारा शिकायतें की जा रही हैं।

उक्त के सम्बन्ध में ये भी आपके संज्ञान में लाना है कि इनके द्वारा गत वर्ष 2022-23 में समाग्री की खरीददारी में बहुत बड़ा घोटाला/भ्रष्टाचार किया गया है । इनके इस कृत्य से क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है एवं इनके द्वारा सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रकरण में इनके द्वारा किये गये भ्रष्टाचार से तथा जनहित से, स्वास्थ्य से जुड़ा अति लोक महत्व का प्रश्न है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद पीलीभीत की विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में कतिपय मार्गों एवं नालियों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विवेक कुमार वर्मा-

[महोदय, जनपद पीलीभीत की विधान सभा क्षेत्र-130-बीसलपुर के अन्तर्गत गांव सितारगंज नवदिया, इमलिया मरौरी, पैनिया हिम्मत, टेहरी, बड़ागांव, मीरपुर वाहनपुर, कोकिला, रसयाखानपुर, बुधौली, मो0पुर रामपुर अमृत, पुरैना, पतिजिया, भदेंगकंजा, कोकिली तथा मघैया उर्फ रामशाला में आबादी के मध्य मार्ग अत्यन्त जीर्ण-क्षीर्ण होने के साथ ही साथ पानी भरा रहता हैं तथा दल-दल सा बन गया है। ऐसे दल-दल युक्त मार्गों के किनारे नाली निर्माण कराके मार्ग निर्माण इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये, ताकि मार्ग में कीचड़ और दल-दल की समाप्ति हो जाये, ताकि आवागमन भी प्रभावित न हो सके।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय व लोक महत्व के इस विषय पर सदन में चर्चा करायी जाये और उल्लिखित मार्गों का निर्माण भी अतिशीघ्र सुनिश्चित किया जाय।]

जनपद-सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन में हिंडन नदी पर पुल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद-सहारनपुर की मेरी विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन में हिंडन नदी पर पुल न होने के कारण यहां के निवासियों/कृषकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिंडन नदी पर सहारनपुर से ग्राम हसनपुर, भलसवा, कर्पूरी, बेरीजमा, कपासा-कपासी आदि 30 गांवों का सम्पर्क रास्ता नदी के ऊपर से छोटी क्षतिग्रस्त पुलिया से होकर निकलता है, जिस कारण से प्रायः यहां पर गम्भीर हादसे एवं जान-माल की क्षति भी होती रहती है। पुल के निर्माण न हो पाने के कारण इन ग्रामवासियों को 7-8 किलोमीटर की लम्बी दूरी तय करके आना पड़ता है, जिस कारण से रामपुर मनिहारन में हिंडन नदी पर पुल का निर्माण किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मै आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद फतेहपुर के अशोक नगर में स्मृति द्वार बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 अन्तर्गत सूचना

श्री विकास गुप्ता-

[महोदय, अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद् जनपद फतेहपुर के अर्न्तगत अशोक नगर से भिखारीपुर मार्ग पर स्व0 मां रामा अग्रहरि जी गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाने का कार्य करती थीं और वह गरीब व असहाय लोगों की सेवा भी करती थीं। जनहित में स्व0 मां रामा अग्रहरि जी के नाम से अशोक नगर में भिखारीपुर मार्ग पर एक स्मृति द्वार बनाये जाने की नितान्त आवश्यकता है।

अतः मै आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद फर्रुखाबाद के ग्राम भोजपुर के लैनागांव तक मार्ग का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

मेजर सुनील दत्त द्विवेदी-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत ग्राम भोजपुर से लैनगांव तक सम्पर्क मार्ग न होने से क्षेत्रीय ग्रामवासियों को अत्यधिक कठिनाइयों

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

का सामना करना पड़ता है और दुर्घटना होने का भय बना रहता है। जनहित में उक्त मार्ग का निर्माण कराना आवश्यक है। उक्त मार्ग से कई गांव का आना जाना रहता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय व लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद-खीरी के तहसील-धौरहरा में ग्राम प्रधान, लेखपाल तथा एस0डी0एम0 द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनोद शंकर अवस्थी-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र धौरहरा जनपद खीरी के तहसील धौरहरा की ग्राम पंचायत बेलागढ़ी में ग्राम प्रधान, लेखपाल तथा एस0 डी0 एम0 द्वारा अवैध रूप से अपात्रों को पट्टा दिया गया है और पात्र गरीब परिवार को वंचित रखा गया है । ग्राम प्रधान द्वारा अपने पारिवारिक जनों के नाम से पट्टा कर दिया गया है। जैसे कि गाटा संख्या-4.018 रकबा 0.093 हे0 हीरालाल व मिश्रीलाल तथा गाटा संख्या-3772 रकबा 0.1780 हे0 मनोहर पुत्र विन्द्रा नन्हू व अजनेश पुत्रगण मनोज, अशोक व रक्षराज, राजेश जिनके 25 वर्षों से घर बने हैं इनके नाम किया और प्रधान अपने पति के भाई हरिनाम यादव के लड़के विनोद कुमार के नाम कृषि पट्टा किया गया है। तथा गाटा संख्या-4080 रकबा 0.372 हे0 सार्वजनिक आबादी की जमीन प्रधान ने अपने जेठ के पुत्र विजय कुमार (शिक्षामित्र) के नाम कृषि पट्टा दिया गया है, जबकि प्रधान के पति तीरथराम व उनके सगे भाइयों के पास ट्रैक्टर, ट्रक, स्कारपियो आदि वाहन हैं। इस प्रकार जितने पट्टे किये गये सभी अपात्र तथा अपने चहेतों के नाम किये हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कारवाई करके पात्र व्यक्तियों को पट्टा दिया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाई करके पात्रों को पट्टा दिलाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र सदर में कांधला- गंगेरू से गढ़ी दौलत लिंक रोड का निर्माण कराये जाने के में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रसन्न कुमार-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-10, सदर, शामली में कांधला गंगेरू से गढ़ी दौलत लिंक रोड बहुत ही जर्जर/क्षतिग्रस्त है, जिस पर आवागमन में काफी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राहगीरों के साथ आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं एवं छात्र-छात्रायें आये दिन मार्ग में बड़े-बड़े गड्ढे होने से उसमें गिरकर शारीरिक रूप से घायल हो रहे हैं। क्षेत्रीय जनता का आवागमन बाधित है। क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार स्थानीय उच्चाधिकारियों से उक्त मार्ग के निर्माण यथाशीघ्र किये जाने का अनेको बार अनुरोध किया गया, परन्तु अभी तक उपरोक्त मार्ग का नव निर्माण कार्य नहीं हो सका।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में जनपद-शामली के विधान सभा क्षेत्र 10, सदर, शामली में कांधला-गंगेरू से गढ़ी दौलत लिंक रोड का पुनः निर्माण कार्य कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद फतेहपुर में यमुना नदी पर पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती कृष्णा पासवान-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद फतेहपुर के 243, खागा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम धाने मजरा गढा एवं चित्रकूट जनपद के ग्राम चिल्लीमल के आस-पास यमुना नदी में कोई स्थायी पुल न होने से क्षेत्र के जनमानस को छोटी-छोटी नौकाओं के माध्यम से यमुना नदी के आर-पार आवागमन करना पड़ता है, जिससे प्रतिवर्ष नौका दुर्घटनाओं से जन-धन की हानि के साथ आपदा राहत से सरकार पर आर्थिक बोझ एवं प्रशासन के समय एवं श्रम का दुरुपयोग होता है। इस समस्या के समाधान हेतु ग्राम धाने मजरा गढा एवं चिल्लीमल के मध्य यमुना नदी में पुल निर्माण अति आवश्यक है। क्षेत्रीय जनमानस आये दिन पुल निर्माण हेतु ज्ञापन, धरना-प्रदर्शन तथा आक्रोश व्यक्त करते रहते हैं जिसके सापेक्ष मेरे द्वारा कई वर्षों से लगातार पुल निर्माण हेतु प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गयी ।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में एन0 पी0 एच0 सी0 केन्द्र पर प्रसव की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

[महोदय, जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम नगला चूरा में एन0 पी0 एच0 सी0 केन्द्र है, यहाँ करीब पचास से भी अधिक गाँव के लोग दवा लेने आते हैं

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

। ग्रामीण महिलायें प्रसव के समय जिला अस्पताल जाती हैं, जिला अस्पताल की अधिक दूरी एवं अधिक भीड़ के कारण महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पडता है।

अतः माननीय अध्यक्ष जी विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम नगला चूरा में महिलाओं की समस्या को देखते हुए एन0 पी0 एच0 सी0 केन्द्र नगला चूरा पर महिलाओं के हित में प्रसव की व्यवस्था कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई कराने की कृपा करे।]

जनपद सिद्धार्थनगर में कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सैय्यदा खातून-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सोनहटी-रुधौली मार्ग पर कोरई बनिया से तैरैना तक पी0डब्लू0डी0 मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। जिस पर आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। क्षेत्र के लोगों द्वारा इस सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग बार-बार की जा रही है। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा सम्बन्धित विभाग एवं अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। यह प्रकरण लोक महत्व का है, जनहित में मरम्मत कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए जनता की समस्याओं को देखते हुए उक्त सड़क के मरम्मत कार्य कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर अन्तर्गत नाका खरीद गांव में पुलिस चौकी खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। मेरी विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर जनपद बलिया घाघरा नदी के किनारे स्थित है। घाघरा के उस पार बिहार सिवान जनपद इस पार उत्तर प्रदेश बलिया जनपद है। इस घाघरा नदी पर खरीद-दरौली घाट पर पीपा पुल लगता है एवं पक्का पुल का निर्माण हो रहा है। इस घाट से हजारों लोग बिहार सिवान, छपरा जाकर कारोबार करते हैं एवं अनेक रिश्तेदारियां भी बिहार, उत्तर प्रदेश में हैं। इस रास्ते से अपराधी एवं तस्कर आते-जाते हैं एवं उत्तर प्रदेश में अपराध करके बिहार चले जाते हैं। शराब तस्कर, मवेशी तस्कर एवं छिनैती, डकैती प्रायः होती हैं। इस घाट पर दो सिपाहियों की गोली मारकर पिछले वर्ष हत्या कर दी गयी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

थी। इस खरीद-दरौली घाट के खरीद नाका पर एक पुलिस चौकी का होना जनहित में आवश्यक है। पुलिस चौकी खुल जाने से अपराध रुकेगा एवं बिहार से आने वाले तस्कर एवं अपराधियों पर नियंत्रण होगा।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए पुलिस विभाग को निर्देशित करने की कृपा करें कि जनपद बलिया के खरीद-दरौली घाट के नाका खरीद गांव में तत्काल एक पुलिस चौकी खोलकर अपराधियों को रोकने की कृपा करें।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों/स्थलों पर लगे ट्रांसफार्मरों की क्षमता को उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[महोदय, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र रसड़ा में निम्नलिखित ग्रामों/स्थलों पर लगे विद्युत ट्रांसफार्मर कम क्षमता की वजह से आये दिन जल जाते हैं, जिससे इन सभी क्षेत्र के निवासी लगातार अंधेरे में रहने हेतु बाध्य होते हैं।

1-नरांव पश्चिम टोला में लगे 100 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर को 250 के0वी0ए0 में उच्चीकृत किये जाने का कार्य,

2-रोहना में लगे 100 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर को 250 के0वी0ए0 में उच्चीकृत किये जाने का कार्य,

3-मटीही में लगे 100 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर को 250 के0वी0ए0 में उच्चीकृत किये जाने का कार्य,

4-अठिला गढ़ी पर लगे 100 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर को 250 के0वी0ए0 में उच्चीकृत किये जाने का कार्य,

5-खनवर में लगे 100 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर को 250 के0वी0ए0 में उच्चीकृत किये जाने का कार्य,

6-हजौली के टेकारी में लगे 100 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर को 250 के0वी0ए0 में उच्चीकृत किये जाने का कार्य,

7-संवरा के बीच गांव में लगे 100 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर को 250 के0वी0ए0 में उच्चीकृत किये जाने का कार्य,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

8-नगपुरा पंचमंदिर पर लगे 100 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर को 250 के0वी0ए0 में उच्चीकृत किये जाने का कार्य,

9-कोटवारी मेन गांव में लगे 100 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर को 250 के0वी0ए0 में उच्चीकृत किये जाने का कार्य,

10-पाण्डेयपुर (संवरा) मेन गांव में लगे 100 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर को 250 के0वी0ए0 में उच्चीकृत किये जाने का कार्य,

11-सवन में लगे 100 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर को 250 के0वी0ए0 में उच्चीकृत किये जाने का कार्य।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर रसड़ा विधान सभा अन्तर्गत उपरोक्त सभी ग्रामों/स्थलों में लगे ट्रांसफार्मरों की क्षमता को उच्चीकृत किये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी में सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

मौहम्मद फहीम इरफान-

[महोदय, मुरादाबाद जनपद की तहसील बिलारी के ग्राम रुस्तमनगर सहसपुर से ग्राम थांवला मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त पड़ा है। उक्त रास्ते पर तीन इंटर कॉलेज, एक आई0टी0आई0 कॉलेज है। इसके अलावा यह मार्ग कई गांवों को जोड़ता है। इस रास्ते के जर्जर होने से जहां एक ओर छात्र-छात्राएं परेशान है, तो वहीं ग्रामीण और किसान भी परेशान हैं। कई बार उक्त सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, परन्तु अभी तक उक्त रास्ते का निर्माण नहीं हो पाया है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए ग्राम रुस्तमनगर सहसुपर से ग्राम थांवला तक सड़क निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

लखनऊ में कुर्सी रोड पर प्रस्तावित वॉटर ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 नीरज बोरा-

[महोदय, शहरी क्षेत्र में निरन्तर बढ़ती आबादी के सामने पेयजल एक बड़े संकट के रूप में उपस्थित है। जनप्रतिनिधि होने के नाते लखनऊ में कुर्सी रोड पर एक नये वाटर वर्क्स के निर्माण हेतु मैं निरन्तर आवाज उठाता रहा हूँ । फलस्वरूप सरकार द्वारा लखनऊ नगर की

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पेयजल आपूर्ति हेतु विभागीय डिस्ट्रिक्ट-बी के पार्ट कुकरैल नाले से सीतापुर रोड तक नगर निगम सीमा क्षेत्र की जनता को पाइप पेयजल उपलब्ध कराये जाने के लिए कुर्सी रोड पर सतही जल हेतु वाटर ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस महती कार्य हेतु परियोजना प्रबन्धक पेयजल (द्वितीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-731/ डब्ल्यू-39/25, दिनांक 23-07-2019 को जिलाधिकारी, लखनऊ से पाँच हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। राजस्व विभाग इतनी भूमि एक स्थान पर उपलब्ध नहीं होने की बात करते हुए जिम्मेदारी से भाग रहा है। एक ओर सरकार अपनी अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना 'हर घर नल' के प्रति गम्भीर है, वहीं विभाग इतने महत्वपूर्ण कार्य पर उदासीन बना हुआ है। कार्य की प्रकृति को देखते हुए यदि आवश्यक हो तो वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित भूमि अधिग्रहीत किया जाना अथवा प्रस्तावित क्षेत्र कुर्सी रोड से सटे बाराबंकी जनपद में उपलब्ध भूमि पर विचार करते हुए व्यापक जनहित में तत्काल भूमि उपलब्ध कराते हुए वाटर ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट स्थापना का कार्यारम्भ अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत इस व्यापक लोक महत्व के विषय पर सम्मानित सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये तत्काल भूमि उपलब्ध कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र नकुड में बिडवी शुगर मिल एवं शाकुम्भरी शुगर मिल टोडरपुर के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकेश चौधरी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर ले जाना चाहता हूं कि जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र नकुड में बिड़वी शुगर मिल एवं शाकुम्भरी शुगर मिल टोडरपुर स्थापित है। बिडवी शुगर मिल को बसपा कार्यकाल में नीलाम कर दिया गया था और शाकुम्भरी शुगर मिल विगत कई वर्षों से बन्द है, दोनों शुगर मिल का गन्ना जनपद की अन्य मिलों को आवंटित कर दिया गया था, जिस कारण किसानों को परेशानी होती है। क्रय केन्द्रों से गन्ने की सप्लाई व गन्ना उठान कम होता है, जिससे किसानों को गन्ना पर्ची समय से नहीं मिलती और किसान समय पर गेहूँ बुवाई नही कर पाते हैं।

अतः नियम-301 के अर्न्तगत इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

[01:15] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20 सितम्बर, 2022 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 05 सूचनाएं प्राप्त हुयीं, जिसमें श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री लालजी वर्मा, श्री राकेश प्रताप सिंह, श्री राम अचल राजभर को ग्राह्यता हेतु सुना जाएगा।

समाजवादी पार्टी के सभी निर्वाचित विधायकों को विधान सभा सत्र में सम्मिलित होने से रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*** श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

माननीय अध्यक्ष जी, यह सूचना हम सबने कल ही हुई घटना जिसमें आपके आदेशानुसार 18वीं विधान सभा का द्वितीय सत्र उत्तर प्रदेश में आहूत था। उस सत्र में हम सब भाग लेने के लिए कल विधान मंडल दल की बैठक जो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में सुबह 9 बजे आहूत थी उस बैठक में हम लोगों ने अपने पार्टी के विधान मंडल दल की बैठक में हिस्सा लिया और बैठक के बाद हम लोग अपने पूर्व कार्यक्रम के अनुसार हम सभी लोग पैदल शांति से विधान सभा की बैठक के लिए अपनी पार्टी कार्यालय के गेट से बाहर निकल रहे थे। जब हम सभी माननीय सदस्यगण अपनी पार्टी कार्यालय के गेट से पूरी शांति व्यवस्था को बनाए रखते हुए विधान सभा के आहूत सत्र में भाग लेने आ रहे थे ठीक उसी समय हम लोगों ने देखा कि सड़क पर भारी पुलिस बल लगाकर लगभग तीन-चार सौ कान्सटेबल, इन्स्पेक्टर्स, सी0ओ0, ए0सी0पी0, असिस्टेन्ट पुलिस कमिश्नर, भारी मात्रा में पुलिस व तमाम पुलिस की गाड़ियां उन्होंने बैरिकेटिंग लगाकर रास्ते को रोक रखा था, हम और हमारे सभी माननीय सदस्य जो नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में विधान सभा सत्र में भाग लेने आ रहे थे वहां पर उपस्थित पुलिस अधिकारी कई अन्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने हम लोगों को रोका हम लोगों ने उन्हें अपना विधान सभा से प्राप्त परिचय-पत्र भी दिखाया और उनको यह भी बताया कि यह हमारा परिचय-पत्र है, हम लोग चुने हुए विधायक हैं और सत्र की कार्यवाही में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी हमें लगता है कि शायद लोकतंत्र में कभी ऐसा हुआ हो कि जब निर्वाचित विधायक को खास तौर पर उस समय जब उत्तर प्रदेश की विधान सभा का सत्र आहूत हो उस सत्र में भाग लेने के लिए विधायक जा रहे हों उसके बाद भी हमारे परिचय-पत्र को दिखाने के बाद भी पुलिस अधिकारियों ने हम लोगों को जबरन रोक दिया और उन्होंने कहा कि आपके पास परिचय-पत्र होगा, आप विधायक होंगे, मैं यह सब नहीं जानता, लेकिन हम आपको विधान सभा की कार्रवाई में भाग लेने नहीं जाने देंगे। मैं यह सोचता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी पुलिस द्वारा बलपूर्वक जो यह कार्रवाई विधायकों को विधान सभा की कार्यवाही/सत्र में भाग न लेने के लिए की गई है यह जहाँ पर लोकतंत्र की हत्या है वहीं कहीं न कहीं सभी सम्मानित माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन भी किया गया है, इसलिए इस सदन से और माननीय अध्यक्ष जी से हमारा आग्रह है और विनती है कि जिस तरह सत्र में भाग लेने आते हुए हम विधायकों को अपना परिचय-पत्र दिखाने के बाद भी जबरन रोका गया है, इसको

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संज्ञान में लेकर विशेषाधिकार के हनन और अवमानना के अन्तर्गत कार्रवाई और निर्देश देने की कृपा करें।

हम निवेदन करेंगे कि मा0 सदस्य लाल जी वर्मा जी इस पर अपनी बात रखें।

श्री अध्यक्ष-

हमनें आपसे पहले बोला था कि इस पर कोई एक मा0 सदस्य बोल ले।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।

श्री अध्यक्ष-

आपको ग्राह्यता के ऊपर सुनना था वह मैंने सुन लिया। अगर आपकी बात महत्वपूर्ण है तो उन्होंने भी महत्वपूर्ण बात ही कही है, उन्होंने कोई अनइम्पार्टेन्ट बात तो कही नहीं है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, कृपा करके आप मेरी बात तो सुन लें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मा0 सदस्यों को सदन में आने से इस तरह से रोकना इस सदन की अवमानना है। एक पुलिस अधिकारी पीयूष मोर्डिया जी थे, उनसे हम लोगों ने कहा कि हमारा परिचय-पत्र देखकर आप हमें जाने दें। हमें सदन में एक इम्पार्टेन्ट विषय पर सम्मिलित होना है। लोकतंत्र में और संविधान के अनुसार भी हमें विधान सभा में आने से रोकने का कोई उपबन्ध नहीं है कि हमें रोका जा सकता है। मान्यवर, इस स्थिति में हमें विधान सभा से अपनी बात कहने और अपना पक्ष रखने से रोकने का काम किया गया। निश्चित रूप में एक तरफ जहाँ यह औचित्य का विषय तो है ही, दूसरी तरफ यह सदन की अवमानना भी है। हमें जो विशेषाधिकार मिला हुआ है उस अधिकार का हनन भी है। अभी मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हो सकते हैं कि आप पैदल आ रहे थे तो आप पैदल क्यों आ रहे थे ? हमारा यह अधिकार है कि हम पैदल भी चलें, साईकिल से चलें, गाड़ी से चलें। हम देखते थे कि 1980 तक के सभी विधायक पैदल आते थे, सारे के सारे विधायक सदन में पैदल आते थे। 1985 में 90 परसेंट विधायक सदन में पैदल आते थे। इसलिये अगर हम लोग पैदल आ रहे थे तो इसमें कहाँ से लोकतंत्र की अवमानना है अथवा कहाँ से कानून-व्यवस्था का उल्लंघन करने का प्रश्न उठता है ? मान्यवर, ऐसी स्थिति में हमारा परिचय-पत्र देखकर हमें अन्दर आने देना चाहिये था, लेकिन परिचय-पत्र होने के बावजूद भी सदन में न आने देना निश्चित रूप से औचित्य का भी विषय बनता है और अवमानना का भी विषय बनता है। इसलिये मैं आप जैसे विद्वान अध्यक्ष से यह अपेक्षा करता हूँ कि आप इसी सदन में उस अधिकारी को जिन्होंने हम लोगों को जबरन रोका, श्री पीयूष मोर्डिया के नेतृत्व में जो पुलिस बल था, उनको गवाह के रूप

में, साक्ष्य के रूप में इस सदन में बुलाकर इस सदन को एक अदालत के रूप में परिवर्तित करने का काम करें, जिससे भविष्य में कभी भी किसी विधायक को कोई रोकने की हिम्मत न कर सके। मान्यवर, 110-115 विधायकों को रोक लेना निश्चित रूप से औचित्य का भी विषय है और अवमानना का भी विषय है। इसलिये मैं चाहूँगा कि इस पर आप अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्र (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, इस सदन की पहली मान्यता तो यह है कि सदन में जो भी मा0 सदस्य बोलेंगे वह सच बोलेंगे और मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी हमारे दोनों मा0 सदस्यों ने कहा वह सत्य से बहुत परे है। किसी भी मा0 सदस्य को विधान सभा में आने से रोका नहीं गया है।

(इस मध्य समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ 'सबको रोका गया, सबको रोका गया' कहने पर सदन में शोर)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, हम सभी लोग अपना-अपना परिचय-पत्र हाथ में लिये हुये थे। परिचय-पत्र देखकर हमें सदन में आने देना चाहिये था। आपके पास फोर्स थी।

(इसी मध्य समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्यों द्वारा अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर अपना परिचय-पत्र दिखाने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी खड़े हैं उनकी पूरी बात तो आ जाये। उनकी पूरी बात तो सुन लीजिये। यहाँ आपके पास परिचय-पत्र है, इसीलिये तो आप सदन के अन्दर हैं। आप यहाँ पर परिचय-पत्र मत दिखायें। आप लोग पूरी बात सुन तो लीजिये। आप लोग प्लीज बैठ जाइये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी आप बोलें।

डा0 रागिनी-

मा0 अध्यक्ष जी, हम लोगों को सदन में आने नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी का जवाब तो आ जाये ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, आप लोग अपने पार्टी कार्यालय में मीटिंग करें अथवा कहीं जाएं-आएं, इसके ऊपर न तो आज कोई प्रतिबन्ध है और न ही कल था। आप लोग मेरी पूरी बात सुन लें।

मान्यवर, हाई कोर्ट के भी आदेश हैं कि स्कूल, अस्पताल या किसी भी हाई सिक्योरिटी जोन में कम से कम इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि बिना अनुमति के जुलूस निकाला जाय। मान्यवर, वहां पर समाजवादी पार्टी के जो भी सदस्य इकट्ठा हुए उनमें से तीन मा0 सदस्य विधान परिषद् में आए, उनको वहां से आने दिया गया। जिन लोगों ने अकेले आने को कहा उनको आने दिया गया उनके साथ किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं की गयी। अगर किसी हाई सिक्योरिटी जोन में जुलूस निकालना हो तो प्रापर्ली उसकी अनुमति लेनी चाहिए। आखिरकार कैसे लॉ एण्ड आर्डर मेनटेन करेंगे ? यदि बिना अनुमति के जुलूस निकाला जाता है तो पता चलता है कि भीड़ के साथ में बहुत से ऐसे असामाजिक तत्व आ जाते हैं जो फायदा उठाते हैं। (विपक्ष के सदस्यों द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया गया)

मान्यवर, मेरा यह कहना है कि अगर इनको पैदल मार्च करना था तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जो हाई सिक्योरिटी जोन है वहां पर जुलूस निकालने के लिए प्रॉपर्ली इनफार्म करके अगर अनुमति ले लेते तो हम समझते हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं होता। इन लोगों से यह भी कहा गया कि आप हाई सिक्योरिटी जोन छोड़ कर वैकल्पिक रास्ते से चले जाएं लेकिन इन लोगों ने उस रास्ते से जाने से मना कर दिया और वहीं पर बैठ गये। इसमें किसी प्रकार से किसी भी मा0 विधायक को रोका नहीं गया है, लोक दल के सदस्यों को नहीं रोका गया वह भी इनके सहयोगी हैं, इनको तो नहीं रोका गया। यह इनका पॉलिटिकल एजेंडा था कि हम जुलूस निकाल कर आयेंगे ताकि हम रोके जायें। यहां गेट पर भी किसी ने किसी को नहीं रोका, तीनों सदस्यों ने विधान परिषद् में पार्टीसिपेट किया था। अगर आप जुलूस निकालने की अनुमति ले लेते तो आप लोगों को क्यों रोका जाता। विधायक को न रोका गया, न आज रोका गया है और न ही कल रोका जायेगा। इनको वैकल्पिक रास्ता बताया गया कि इस रास्ते से नहीं उस रास्तें से चले जायें, लेकिन उसके लिए ये तैयार नहीं हुए। इसलिए मान्यवर, यह नियम-300 में औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है, इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी मेरा एक निवेदन सुन लीजिए । मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी हम सबके बहुत वरिष्ठ हैं और हम लोग उनसे सीखने का भी प्रयास करते हैं इसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जो घटना घटी उसके एक दिन पहले लखनऊ कमिश्नरी से पुलिस के सबसे वरिष्ठ

अधिकारियों ने आ करके नेता प्रतिपक्ष से बाकायदा इस रूट यात्रा के लिए डिस्कस किया और तय हुआ। उनकी स्वीकृति हुई कि ठीक है सर आप लोग 10:00 बजे की जगह 09:45 पर निकल लीजिएगा और 10:15 तक विधान सभा के हाउस में आ जाइयेगा। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी मैंने पहले भी कहा था कि यह सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष का नहीं है, सवाल विधायिका का है। वर्ष 2012 की सरकार में हम लोग भी मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी की एक सदस्य बहन के साथ जौनपुर के एक इंस्पेकटर ने अवमानना का कार्य किया था, अपमान किया था। मा0 अध्यक्ष जी, आप उस समय भाजपा के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे। यहाँ पर यह सवाल उठा था और मा0 अध्यक्ष जी ने अपना निर्णय दिया था, उस इंस्पेक्टर के खिलाफ निर्णय दिया था और कहा था कि 24 घण्टे के अन्दर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कल जिस तरीके से माननीय सदस्य बहनों के साथ पुलिस ने हाथापाई की। जिस तरीके से हम लोगों को रोका, हम लोग कार्ड दिखा रहे थे कि केवल विधायकों को जाने दीजिए। आपने कह दिया कि हम लोग असामाजिक हैं। हम भी आपके सदन के सदस्य हैं, हम असामाजिक कैसे हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं उन्होंने असामाजिक नहीं कहा। उन्होंने कहा कि बाहर से असामाजिक तत्व आ जाते हैं। किसी भी सदस्य के लिए उन्होंने ऐसा नहीं कहा।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

इसलिए मैं निवेदन के साथ, विनती के साथ विधान सभा अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूं तथा संसदीय कार्य मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि यह सवाल केवल समाजवादी पार्टी के सदस्यों के लिए नहीं है। यह सवाल इस हाउस के सभी माननीय सदस्यों के लिए है। कहीं न कही सदस्यों के साथ जो अवमानना हुई है, हाउस में आने से उन्हें रोका गया है। जैसा कि माननीय लाल जी वर्मा जी ने कहा है उस अधिकारी को यहां पर तलब करना चाहिए और यह पूछा जाना चाहिए कि किन अधिकारों के तहत तथा किसके आदेशों से उसने विधायकों को आने से रोका है। अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहिए, क्योंकि यह सवाल पूरे सदन का है। अगर ऐसा नहीं होता है, तो हम लोग वेल में आयेंगे।

(सरकार विरोधी नारे लगाते हुए समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य वेल में आ गये)

श्री अध्यक्ष-

यह सुसंगत नियमों के अन्तर्गत नहीं है। मैंने माननीय मनोज पाण्डेय जी को सुना, माननीय लालजी वर्मा जी को सुना, मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह औचित्य में नहीं आता, इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं।

मद संख्या-2 से लेकर मद संख्या-118 तक जो विभिन्न विषय सदन के पटल पर रखे जाने है। यथा कार्य-सूची के अन्तर्गत जो आये हैं वे कार्यवाही में अंकित हो जायेंगे। (सभी बिन्दु संलग्न हैं)

उत्तर प्रदेश महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2022†

उत्तर प्रदेश महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-5 सन् 2022) को सदन के पटल रखा हुआ माना गया।

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 नियम-12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-6 सन् 2022) को सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-7 सन् 2022) को सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 नियम-12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2022 †

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 नियम-12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-6 सन् 2022) को सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2022 †

इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-7 सन् 2022) को सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-365/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (175)-2021, दिनांक 31 मार्च, 2021† †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 365/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (175)-2021, दिनांक 31 मार्च, 2021, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 18 अगस्त, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

---

† छापा नहीं गया।

† † छापी नहीं गईं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-335/ग्यारह- 2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (176)-2021, दिनांक 06 अप्रैल, 2021 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-335/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (176)-2021, दिनांक 06 अप्रैल, 2021, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 18 अगस्त, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-491/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (177)-2021, दिनांक 21 मई, 2021†

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-491/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (177)-2021, दिनांक 21 मई, 2021, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 18 अगस्त, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-511/ग्यारह-2- 21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (178)-2021, दिनांक 02 जून, 2021 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-511/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (178)-2021, दिनांक 02 जून, 2021, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 18 अगस्त, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-512/ग्यारह-2- 21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (179)-2021, दिनांक 02 जून, 2021 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-512/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (179)-2021, दिनांक 02 जून, 2021, जिसे उत्तर प्रदेश माल

† छापी नहीं गईं।

और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 18 अगस्त, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-513/ग्यारह-2- 21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (180)-2021, दिनांक 02 जून, 2021†

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-513/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (180)-2021, दिनांक 02 जून, 202, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 18 अगस्त, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-586/ग्यारह-2- 21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (181)-2021, दिनांक 16 जून, 2021 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-586/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (181)-2021, दिनांक 16 जून, 2021, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 18 अगस्त, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-587/ग्यारह-2- 21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (182)-2021, दिनांक 16 जून, 2021 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-587/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (182)-2021, दिनांक 16 जून, 2021, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 18 अगस्त, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप

† छापी नहीं गई।

सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-495/ग्यारह-2-21-9(42)/17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश (183)-2021, दिनांक 19 जून, 2021†

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-495/ग्यारह-2-21-9(42)/17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश (183)-2021, दिनांक 19 जून, 2021, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 18 अगस्त, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-494/ग्यारह-2-21- 9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(184)-2021, दिनांक 19 जून, 2021†

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 494/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(184)-2021, दिनांक 19 जून, 2021, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 18 अगस्त, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 492/ग्यारह-2-21- 9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(185)-2021, दिनांक 19 जून, 2021 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 492/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(185)-2021, दिनांक 19 जून, 2021, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 18 अगस्त, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप

† छापी नहीं गईं।

सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 594/ग्यारह-2-21 9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(189)-2021, दिनांक 29 जून, 2021 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 594/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(189)-2021, दिनांक 29 जून, 2021 जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 18 अगस्त, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-595/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(190)-2021, दिनांक 29 जून, 2021†

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 595/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(190)-2021, दिनांक 29 जून, 2021, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 18 अगस्त, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-673/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(191)-2021, दिनांक 01 जुलाई, 2021 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 673/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(191)-2021, दिनांक 01 जुलाई, 2021, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 18 अगस्त, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गईं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-593/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(188)-2021, दिनांक 29 जून, 2021 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-593/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(188)-2021, दिनांक 29 जून, 2021, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 18 अगस्त, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-651/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(192)-2021, दिनांक 13 जुलाई, 2021 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-651/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(192)-2021, दिनांक 13 जुलाई, 2021, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 18 अगस्त, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-493/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(187)-2021, दिनांक 29 जून, 2021 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-493/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(187)-2021, दिनांक 29 जून, 2021, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 18 अगस्त, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

† छापी नहीं गईं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-496/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(186)-2021, दिनांक 28 जून, 2021 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-496/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(186)-2021, दिनांक 28 जून, 2021, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 18 अगस्त, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधिपूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1365/ग्यारह-2-20-9 (42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(168)-2020, दिनांक 17 दिसम्बर, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1365/ग्यारह-2-20-9 (42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(168)-2020, दिनांक 17 दिसम्बर, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 18 अगस्त, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1285/ग्यारह-2-20-9 (42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियमावली, 2017-आदेश-(160)-2020, दिनांक 02 नवम्बर, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1285/ग्यारह-2-20-9 (42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियमावली, 2017-आदेश-(160)-2020, दिनांक 02 नवम्बर, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 18 अगस्त, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गईं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-02/ग्यारह-2-21- 9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(172)-2021, दिनांक 29 जनवरी, 2021 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-02/ग्यारह-2-21-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(172)-2021, दिनांक 29 जनवरी, 2021, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 18 अगस्त, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-206/ग्यारह-2-21-9(42)/17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(173)-2021, दिनांक 23 फरवरी, 2021 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-206/ग्यारह-2-21-9(42)/17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(173)-2021, दिनांक 23 फरवरी, 2021, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 18 अगस्त, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-650/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(193)-2021, दिनांक 28 जुलाई, 2021 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-650/ग्यारह-2-21- 9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(193)-2021, दिनांक 28 जुलाई, 2021, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 18 अगस्त, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गईं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-652/ग्यारह-2-21-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(194)-2021, दिनांक 29 जुलाई, 2021 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-652/ग्यारह-2-21-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(194)-2021, दिनांक 29 जुलाई, 2021, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 18 अगस्त, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1555/ग्यारह-2-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(74)-2019, दिनांक 11 दिसम्बर, 2019 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1555/ग्यारह-2-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(74)-2019, दिनांक 11 दिसम्बर, 2019, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 28 फरवरी, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1524/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(76)-2019, दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1524/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(76)-2019, दिनांक 13 दिसम्बर, 2019, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 28 फरवरी, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गईं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1526/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(83)-2019, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1526/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(83)-2019, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 28 फरवरी, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-77/ग्यारह-2-9(42)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(85)-2020, दिनांक 14 जनवरी, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-77/ग्यारह- 2-9(42)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(85)-2020, दिनांक 14 जनवरी, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 28 फरवरी, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-79/ग्यारह-2-9(42)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(87)-2020, दिनांक 14 जनवरी, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-79/ग्यारह-2-9(42)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(87)-2020, दिनांक 14 जनवरी, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 28 फरवरी, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गईं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-80/ग्यारह-2-9(42)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(88)-2020, दिनांक 14 जनवरी, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-80/ग्यारह-2-9(42)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(88)-2020, दिनांक 14 जनवरी, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 28 फरवरी, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-83/ग्यारह-2-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(89)-2020, दिनांक 28 जनवरी, 2020†

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-83/ग्यारह-2-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(89)-2020, दिनांक 28 जनवरी, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 28 फरवरी, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-84/ग्यारह-2- 9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(90)-2020, दिनांक 28 जनवरी, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-84/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(90)-2020, दिनांक 28 जनवरी, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 28 फरवरी, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गईं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-82/ग्यारह-2-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(93)-2020, दिनांक 05 फरवरी, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-82/ग्यारह-2-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(93)-2020, दिनांक 05 फरवरी, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 28 फरवरी, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-446/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(103)-2020, दिनांक 29 अप्रैल, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-446/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(103)-2020, दिनांक 29 अप्रैल, 2020, (विलम्ब के कारण सहित) जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 23 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-426/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(104)-2020, दिनांक 30 अप्रैल, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-426/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(104)-2020, दिनांक 30 अप्रैल, 2020, (विलम्ब के कारण सहित) जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 23 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गईं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-428/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(106)-2020, दिनांक 30 अप्रैल, 2020†

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-428/ग्यारह-2- 9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(106)-2020, दिनांक 30 अप्रैल, 2020, (विलम्ब के कारण सहित) जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 23 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-661/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(128)-2020, दिनांक 07 जुलाई, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-661/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(128)-2020, दिनांक 07 जुलाई, 2020, (विलम्ब के कारण सहित) जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 23 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-839/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(129)-2020, दिनांक 20 जुलाई, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-839/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(129)-2020, दिनांक 20 जुलाई, 2020, (विलम्ब के कारण सहित) जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 23 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गईं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-869/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(130)-2020, दिनांक 24 जुलाई, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-869/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(130)-2020, दिनांक 24 जुलाई, 2020, (विलम्ब के कारण सहित) जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 23 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-790/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(131)-2020, दिनांक 29 जुलाई, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-790/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(131)-2020, दिनांक 29 जुलाई, 2020 (विलम्ब के कारण सहित) जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 23 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-793/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(132)-2020, दिनांक 29 जुलाई, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-793/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(132)-2020, दिनांक 29 जुलाई, 2020, (विलम्ब के कारण सहित) जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 23 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

† छापी नहीं गईं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-794/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(133)-2020, दिनांक 29 जुलाई, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-794/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(133)-2020, दिनांक 29 जुलाई, 2020, (विलम्ब के कारण सहित) जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 23 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-795/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(134)-2020, दिनांक 29 जुलाई, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-795/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(134)-2020, दिनांक 29 जुलाई, 2020, (विलम्ब के कारण सहित) जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 23 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-840/ग्यारह-2-20- 9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(135)-2020, दिनांक 07 अगस्त, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-840/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(135)-2020, दिनांक 07 अगस्त, 2020, (विलम्ब के कारण सहित) जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 23 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गईं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-841/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(136)-2020, दिनांक 07 अगस्त, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-841/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(136)-2020, दिनांक 07 अगस्त, 2020, (विलम्ब के कारण सहित) जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 23 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-842/ग्यारह-2-20- 9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(137)-2020, दिनांक 07 अगस्त, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-842/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(137)-2020, दिनांक 07 अगस्त, 2020, (विलम्ब के कारण सहित) जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 23 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-882/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(138)-2020, दिनांक 17 अगस्त, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-882/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(138)-2020, दिनांक 17 अगस्त, 2020, (विलम्ब के कारण सहित) जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 23 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गईं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-883/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(139)-2020, दिनांक 17 अगस्त, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-883/ग्यारह-2-20- 9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(139)-2020, दिनांक 17 अगस्त, 2020, (विलम्ब के कारण सहित) जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 23 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-827/ग्यारह-2-20-9(46)-20-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(140)-2020, दिनांक 17 अगस्त, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-827/ग्यारह-2-20-9(46)-20-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(140)-2020, दिनांक 17 अगस्त, 2020, (विलम्ब के कारण सहित) जिसे उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5 सन् 2008) की धारा-04 की उपधारा (5) के अधीन दिनांक 23 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-403/ग्यारह-2-9(18)/2012-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(98)-2020, दिनांक 27 मार्च, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-403/ग्यारह-2-9(18)/2012-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(98)-2020, दिनांक 27 मार्च, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5 सन् 2008) की धारा-04 की उपधारा (5) के अधीन दिनांक 20 अगस्त, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गईं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-411/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(99)-2020, दिनांक 31 मार्च, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-411/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(99)-2020, दिनांक 31 मार्च, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 20 अगस्त, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-412/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(100)-2020, दिनांक 31 मार्च, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-412/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(100)-2020, दिनांक 31 मार्च, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 20 अगस्त, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-362/ग्यारह-2-9 (42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(101)-2020, दिनांक 24 अप्रैल, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-362/ग्यारह-2-9 (42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(101)-2020, दिनांक 24 अप्रैल, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 20 अगस्त, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

† छापी नहीं गईं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-399/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(102)-2020, दिनांक 24 अप्रैल, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-399/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(102)-2020, दिनांक 24 अप्रैल, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 20 अगस्त, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-427/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(105)-2020, दिनांक 30 अप्रैल, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-427/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(105)-2020, दिनांक 30 अप्रैल, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 20 अगस्त, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-429/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(107)-2020, दिनांक 30 अप्रैल, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-429/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(107)-2020, दिनांक 30 अप्रैल, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 20 अगस्त, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

† छापी नहीं गईं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-466/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(108)-2020, दिनांक 05 मई, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-466/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(108)-2020, दिनांक 05 मई, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 20 अगस्त, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-424/ग्यारह-2-20-9(01)-2008-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(109)-2020, दिनांक 06 मई, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-424/ग्यारह-2-20-9(01)-2008-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(109)-2020, दिनांक 06 मई, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5 सन् 2008) की धारा-04 की उपधारा (5) के अधीन दिनांक 20 अगस्त, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-436/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(110)-2020, दिनांक 11 मई, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-436/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(110)-2020, दिनांक 11 मई, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 20 अगस्त, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गईं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-437/ग्यारह-2- 9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(111)-2020, दिनांक 11 मई, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-437/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(111)-2020, दिनांक 11 मई, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 20 अगस्त, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-438/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(112)-2020, दिनांक 11 मई, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-438/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(112)-2020, दिनांक 11 मई, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 20 अगस्त, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-439/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(113)-2020, दिनांक 11 मई, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-439/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(113)-2020, दिनांक 11 मई, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 20 अगस्त, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गईं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-441/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(114)-2020, दिनांक 11 मई, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-441/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(114)-2020, दिनांक 11 मई, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 20 अगस्त, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-442/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(115)-2020, दिनांक 11 मई, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-442/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(115)-2020, दिनांक 11 मई, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 20 अगस्त, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-443/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(116)-2020, दिनांक 11 मई, 2020†

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-443/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(116)-2020, दिनांक 11 मई, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 20 अगस्त, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गईं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-444/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(117)-2020, दिनांक 11 मई, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-444/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(117)-2020, दिनांक 11 मई, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 20 अगस्त, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-445/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(118)-2020, दिनांक 11 मई, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-445/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(118)-2020, दिनांक 11 मई, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 20 अगस्त, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-435/ग्यारह-2-9 (42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(119)-2020,

दिनांक 11 मई, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-435/ग्यारह-2-9 (42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(119)-2020, दिनांक 11 मई, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 20 अगस्त, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

† छापी नहीं गईं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-469/ग्यारह-2-20- 9(46)-20-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(120)-2020, दिनांक 13 मई, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-469/ग्यारह-2-20-9(46)-20-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(120)-2020, दिनांक 13 मई, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5 सन् 2008) की धारा-04 की उपधारा (5) के अधीन दिनांक 20 अगस्त, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-467/ग्यारह-2-20- 9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(121)-2020,

दिनांक 15 मई, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-467/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(121)-2020, दिनांक 15 मई, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 20 अगस्त, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-440/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(122)-2020,

दिनांक 18 मई, 2020 †

मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-440/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(122)-2020, दिनांक 18 मई, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 20 अगस्त, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गईं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-488/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(123)-2020, दिनांक 26 मई, 2020†

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-488/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(123)-2020, दिनांक 26 मई, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 20 अगस्त, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-489/ग्यारह-2-20- 9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(124)-2020, दिनांक 26 मई, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-489/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(124)-2020, दिनांक 26 मई, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 20 अगस्त, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-490/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(125)-2020, दिनांक 26 मई, 2020

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-490/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(125)-2020, दिनांक 26 मई, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 20 अगस्त, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गईं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-662/ग्यारह-2-20- 9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(126)-2020, दिनांक 01 जुलाई, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-662/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(126)-2020, दिनांक 01 जुलाई, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 20 अगस्त, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-663/ग्यारह-2-20- 9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(127)-2020, दिनांक 01 जुलाई, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-663/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(127)-2020, दिनांक 01 जुलाई, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 20 अगस्त, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1532/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(72)-2019, दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1532/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(72)-2019, दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 (विलम्ब के कारण सहित) जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 20 अगस्त, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गईं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1763/ग्यारह-2-9 (42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(84)-2019, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1763/ग्यारह-2-9 (42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(84)-2019, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 (विलम्ब के कारण सहित), जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 20 अगस्त, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-78/ग्यारह-2-9 (42)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(86)-2020, दिनांक 14 जनवरी, 2020

मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-78/ग्यारह-2-9 (42)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(86)-2020, दिनांक 14 जनवरी, 2020 (विलम्ब के कारण सहित) जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 20 अगस्त, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई है।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-85/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(91)-2020, दिनांक 28 जनवरी, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-85/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(91)-2020, दिनांक 28 जनवरी, 2020 (विलम्ब के कारण सहित), जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 20 अगस्त, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गईं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-159/ग्यारह-2-9 (42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियमावली-2017-आदेश-(92)-2020, दिनांक 28 जनवरी, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-159/ग्यारह-2-9 (42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियमावली-2017-आदेश-(92)-2020, दिनांक 28 जनवरी, 2020 (विलम्ब के कारण सहित), जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 20 अगस्त, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-86/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(94)-2020, दिनांक 05 फरवरी, 2020

86-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-86/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(94)-2020, दिनांक 05 फरवरी, 2020 (विलम्ब के कारण सहित) जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 20 अगस्त, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-110/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(95)-2020, दिनांक 05 फरवरी, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-110/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(95)-2020, दिनांक 05 फरवरी, 2020 (विलम्ब के कारण सहित), जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 20 अगस्त, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

† छापी नहीं गईं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-111/ग्यारह-2-9 (42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(96)-2020, दिनांक 17 फरवरी, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-111/ग्यारह-2-9 (42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(96)-2020, दिनांक 17 फरवरी, 2020 (विलम्ब के कारण सहित), जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 20 अगस्त, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-271/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(97)-2020, दिनांक 28 फरवरी, 2020†

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-271/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(97)-2020, दिनांक 28 फरवरी, 2020 (विलम्ब के कारण सहित), जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 20 अगस्त, 2020 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-979/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(141)-2020, दिनांक 01 सितम्बर, 2020†

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-979/ग्यारह-2-20- 9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(141)-2020, दिनांक 01 सितम्बर, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 24 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

† छापी नहीं गईं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-791/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(142)-2020, दिनांक 04 सितम्बर, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-791/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(142)-2020, दिनांक 04 सितम्बर, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 24 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-823/ग्यारह-2-20- 9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(143)-2020, दिनांक 23 सितम्बर, 2020

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-823/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(143)-2020, दिनांक 23 सितम्बर, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 24 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1038/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(144)-2020, दिनांक 23 सितम्बर, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1038/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(144)-2020, दिनांक 23 सितम्बर, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 24 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसे दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गईं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1039/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(145)-2020, दिनांक 23 सितम्बर, 2020[†]

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1039/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(145)-2020, दिनांक 23 सितम्बर, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 24 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसे दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1040/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(146)-2020, दिनांक 23 सितम्बर, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1040/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(146)-2020, दिनांक 23 सितम्बर, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 24 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसे दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-820/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(147)-2020, दिनांक 29 सितम्बर, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 820/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(147)-2020, दिनांक 29 सितम्बर, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 24 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

[†] छापी नहीं गईं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1155/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(148)-2020, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1155/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(148)-2020, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 24 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1160/ग्यारह-2-20-9 (42)/17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(149)-2020, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1160/ग्यारह-2-20-9 (42)/17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(149)-2020, दिनांक 05 अक्टूबर, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 24 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1154/ग्यारह-2-21-9 (42)/17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(150)-2020, दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1154/ग्यारह-2-21-9 (42)/17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश-(150)-2020, दिनांक 13 अक्टूबर, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 24 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गईं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1183/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(151)-2020, दिनांक 15 अक्टूबर, 2020†

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1183/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(151)-2020, दिनांक 15 अक्टूबर, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 24 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1247/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(152)-2020, दिनांक 26 अक्टूबर, 2020

101-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1247/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(152)-2020, दिनांक 26 अक्टूबर, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 24 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1248/ग्यारह-2- 20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(153)-2020, दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1248/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(153)-2020, दिनांक 26 अक्टूबर, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 24 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

† छापी नहीं गईं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1307/ग्यारह-2-20-9(42)/17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-(154)-2020, दिनांक 29 अक्टूबर, 2020

मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1307/ग्यारह-2-20-9(42)/17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-(154)-2020, दिनांक 29 अक्टूबर, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 24 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1245/ग्यारह-2- 20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(155)-2020, दिनांक 02 नवम्बर, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1245/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(155)-2020, दिनांक 02 नवम्बर, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 24 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1246/ग्यारह-2- 20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(156)-2020, दिनांक 02 नवम्बर, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1246/ग्यारह-2- 20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(156)-2020, दिनांक 02 नवम्बर, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 24 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गईं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1282/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(157)-2020, दिनांक 02 नवम्बर, 2020

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1282/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(157)-2020, दिनांक 02 नवम्बर, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 24 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1283/ग्यारह-2- 20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(158)-2020, दिनांक 02 नवम्बर, 2020 †

मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1283/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(158)-2020, दिनांक 02 नवम्बर, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 24 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1284/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(159)-2020, दिनांक 02 नवम्बर, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1284/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(159)-2020, दिनांक 02 नवम्बर, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 24 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

† छापी नहीं गईं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1381/ग्यारह-2- 20-9(42)/17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-(161)-2020, दिनांक 27 नवम्बर, 2020

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1381/ग्यारह-2-20-9(42)/17-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-(161)-2020, दिनांक 27 नवम्बर, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 24 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1382/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(162)-2020, दिनांक 27 नवम्बर, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1382/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(162)-2020, दिनांक 27 नवम्बर, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 24 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1371/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(163)-2020, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1371/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(163)-2020, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 24 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गईं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1372/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(164)-2020, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1372/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(164)-2020, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 24 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1373/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(165)-2020, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1373/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(165)-2020, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 24 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 1374/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(166)-2020, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 †

मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1374/ग्यारह-2-20-9 (47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(166)-2020, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 24 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गईं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1376/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(167)-2020, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1376/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(167)-2020, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 24 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1404/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(169)-2020, दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1404/ग्यारह-2-20-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(169)-2020, दिनांक 22 दिसम्बर, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 24 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-04/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(170)-2021, दिनांक 15 जनवरी, 2021 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-04/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(170)-2021, दिनांक 15 जनवरी, 2021, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 24 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गईं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-03/ग्यारह-2- 21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(171)-2021, दिनांक 20 जनवरी, 2021 †

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-03/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(171)-2021, दिनांक 20 जनवरी, 2021, जिसे उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन दिनांक 24 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखा गया था और जिसके दिनांक 11 मार्च, 2022 को सत्रहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखी हुई मानी गई।

भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2022

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 27 मई, 2022 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 01 जून, 2022 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 27 मई, 2022 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 01 जून, 2022 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 30 मई, 2022 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 01 जून, 2022 को वापस प्राप्त हो गया ।

---

† छापी नहीं गई।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2022

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 30 मई, 2022 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 01 जून, 2022 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम- 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 30 मई, 2022 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 01 जून, 2022 को वापस प्राप्त हो गया।

भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2022

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय विधेयक, 2022, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 मई, 2022 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश पर विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 31 मई, 2022 की बैठक में पारित किया था, पर श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 03 जून, 2022 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2022 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 मई, 2022 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 31 मई, 2022 की बैठक में पारित किया था, पर श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 03 जून, 2022 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2022 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 30 मई, 2022 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 31 मई, 2022 की बैठक में पारित किया था, पर श्री राज्यपाल

महोदय की अनुमति दिनांक 03 जून, 2022 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2022 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2022

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2022, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 30 मई, 2022 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 31 मई, 2022 की बैठक में पारित किया था, पर श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 03 जून, 2022 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2022 का उत्तर प्रदेश का पाँचवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 30 मई, 2022 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 31 मई, 2022 की बैठक में पारित किया था, पर श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 03 जून, 2022 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2022 का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2022

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2022, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 मई, 2022 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 01 जून, 2022 को वापस प्राप्त हुआ था, पर श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 03 जून, 2022 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2022 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

श्री सचिन यादव, डा0 मुकेश वर्मा, डा0 रागिनी, श्री अतुल प्रधान, श्री उमर अली खान, श्री चन्दन चौहान, श्री प्रकाश द्विवेदी, श्री बेचई सरोज, श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री महेन्द्र नाथ यादव, श्री राकेश प्रताप सिंह, श्री राजीव कुमार सिंह, श्री रामरतन कुशवाहा, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री विवेक कुमार वर्मा। यह मा0 सदस्य अनुपस्थित हैं।

डा0 एम0 पी0 आर्य, डा0 नीरज बोरा, श्री अनिल कुमार, श्री अमिताभ बाजपेई, श्री अशरफ अली खान, श्री गौरी शंकर वर्मा, श्री जगदीश नारायण राय, श्री जवाहर लाल

राजपूत, श्री पल्टूराम, श्री बम्बा लाल दिवाकर, श्री बावन सिंह, श्री बेदी, श्री मोहन वर्मा, श्री मौ0 फहीम इरफान, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री विनोद सरोज। जितने मा0 सदस्य उपस्थित हैं, सबकी याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गयीं।

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई व जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित एक-एक याचिका तथा जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित आठ याचिकाएं (व्यपगत)[†]

1-जनपद हरदोई की नगर पालिका परिषद् साण्डी के मा0 सैय्यदबाड़ा स्थित स्मृतिशेष स्थल का नवीनीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री एस0के0 कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका,

2-जनपद प्रयागराज के मेजा तहसील के अन्तर्गत ग्राम दघिया में गाटा सं0 903 व 903/1682 का सीमांकन कर पूरे प्रकरण की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला, निवासी जनपद प्रयागराज की याचिका,

3-जनपद फिरोजाबाद के वि0ख0 एका के ग्राम सुनारी के मजरा आर्य नगर में एटा-अवागढ़ मुख्य मार्ग से श्री उदयवीर सिंह के घर तक सीसी मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बारीलाल व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

4-जनपद फिरोजाबाद के तहसील जसराना के गांव इंदरई व कतिपय अन्य गांवों में बारात घर बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामवकील प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

5-जनपद फिरोजाबाद में तहसील जसराना, वि0ख0 हाथवंत के ग्राम फतेहपुर रामायण सिंह में गांव से पूर्व दिशा में बम्बे से 2 गट्ठे की नाली/गूल खुदवाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्यारे लाल व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

6-जनपद फिरोजाबाद में तहसील जसराना के गांव टीकामई में नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

7-जनपद फिरोजाबाद में तहसील जसराना, वि0ख0 खैरगढ़ के गांव इटाहरी में नवनिर्मित राजकीय पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक एवं दवाइयों का उचित प्रबंध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विमल यादव उर्फ गुड्डू व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गईं।

8-जनपद फिरोजाबाद में तहसील जसराना, वि0ख0 खैरगढ़ के कस्बा फरिहा में स्थित नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक व दवाइयों, जांच हेतु मशीनों का उचित प्रबंध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कुमार उर्फ अंगद व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

9-जनपद फिरोजाबाद में तहसील जसराना, वि0ख0 एका के गांव पिलख्तर जैत में स्थित प्राचीन महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विपनेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका तथा

10-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में सर्पदंश के इलाज की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विपिन कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका मा0 सदस्य की अनुपस्थिति में व्यपगत हुई।

डा0 एम0पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित दो याचिकाएं †

1-जनपद बरेली के तहसील नवाबगंज के अन्तर्गत ग्राम सुंदरी से सुनौर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका तथा

2-जनपद बरेली के तहसील नवाबगंज के अन्तर्गत ग्राम गोशलपुर से डडिया बाबूराम पुलिया तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जमुना प्रसाद सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डा0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित दस याचिकाएं †

1-जनपद लखनऊ में गोमती नदी पक्का पुल से पुरनिया सीतापुर रोड तक बंधा मार्ग का चौड़ीकरण एवं मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लवकुश त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

2-जनपद लखनऊ के जानकीपुरम सेक्टर-एफ में अधूरे पड़े सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव मेहरोत्रा व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

3-जनपद लखनऊ के जानकीपुरम सेक्टर-जे में पार्क की भूमि से श्मशान को विस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री विद्याधर द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

4-जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज के चारों वार्डों हेतु प्रस्तावित पेयजल योजना को स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप कुमार शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

5-जनपद लखनऊ के जानकीपुरम स्थित सहारा स्टेट में तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आई0एस0 मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

6-जनपद लखनऊ के अलीगंज में इंडियन आयल तिराहा-बर्मा बेकरी से रैदास मंदिर तक की सड़क का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पृथ्वी गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

7-जनपद लखनऊ के जानकीपुरम में कुर्सी रोड स्पोर्ट्स कॉलेज से डी0एच0-2 कालोनी, जानकीपुरम (गड़रियनपुरवा) को जाने वाले मुख्य मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री नागेन्द्र श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

8-जनपद लखनऊ के जानकीपुरम स्थित सहारा स्टेट तिराहे से कुर्सी रोड तक की सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

9-जनपद लखनऊ में घनी आबादी के ऊपर से गुजर रहे हाईटेंशन लाइन तारों को भूमिगत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप कुमार शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका तथा

10-जनपद लखनऊ के थाना मदेयगंज, हनुमन्त नगर चौराहे के निकट पुलिस चौकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवनीश शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित दस याचिकाएं (व्यपगत) †

1-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम नरिगापुर में रामकबीर के खेत से लेकर मुन्नालाल के पोखर तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री साधु यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

2-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम कुर्री में फौजी के मकान से रामू के मन्दिर तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दर्शन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

† छापी नहीं गईं।

3-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम नगला आशा से नगला गिरधारी तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकिशोर व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

4-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम जहांगीरपुर में महावीर सिंह के बाग से देवी के मन्दिर तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

5-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत वासदेवपुर में शिव मन्दिर से दारा सिंह के घर तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामलाल व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

6-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम रानीपुर में शिकोहाबाद दतावली मार्ग की पक्की सड़क से सरकारी नलकूप तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नैम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

7-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत अरमराजट्ट के बम्बा की पुलिया से श्रीमती जयमाला देवी मेमोरियल स्कूल तक का सी0सी0 कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रह्मदत्त व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

8-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम हरदासपुर निस्पी में सुग्रीव की झोपड़ी से परिक्रमा मार्ग तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोनू व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

9-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम किशनदासपुरा में रामकिशोर के घर से वीनेस के घर तक नाली एवं सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुन्दर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका तथा

10-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत मेबली के गांव कुतकपुर में उच्च प्राथमिक विद्यालय से लेकर श्री बलवीर सिंह के मकान तक का सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंकुश यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका मा0 सदस्य की अनुपस्थिति में व्यपगत हुई।

डा0 रागिनी, सदस्य विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित दस याचिकाएं (व्यपगत)[†]

1-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम आलमगंज से कूषा सुरियावां को जाने वाली सड़क का मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोनू यादव निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

2-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम बनकट में गिरी बस्ती होते हुये मछलीशहर को जाने वाली सड़क तक मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुबाष चन्द निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

3-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम बसहरा से पिलकथुआ वाया कटवार स्टेशन मार्ग तक मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शेषनाथ यादव निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

4-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम बारी गाँव से सहरमा-कटवार मार्ग तक मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अर्जुन यादव निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

5-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम महुआरी से बनकट पाल बस्ती होते हुये मछलीशहर को जाने वाली सड़क तक मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना लाल सरोज निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

6-जनपद जौनपुर में मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बारीगांव से सहरमा-कटवार मार्ग तक विशेष मरम्मत/निर्माण कार्य के सम्बन्ध में श्री अर्जुन यादव निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

7-जनपद जौनपुर में मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम निगोह से कूषा मार्ग तक पक्की सड़क का विशेष मरम्मत/निर्माण कार्य के सम्बन्ध में श्री सत्यराम यादव निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

8-जनपद जौनपुर में मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम परियत बाजार से आलमगंज तक पक्की सड़क की विशेष मरम्मत/निर्माण कार्य के सम्बन्ध में श्री रईस अहमद निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

9-जनपद जौनपुर में मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम आलमगंज से कूषा सुरियावां मार्ग तक पक्की सड़क की विशेष मरम्मत/निर्माण कार्य के सम्बन्ध में श्री सोनू यादव निवासी जनपद जौनपुर की याचिका तथा

[†] छापी नहीं गईं।

10-जनपद जौनपुर में मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बनकट में गिरी बस्ती होते हुए मछलीशहर को जाने वाली सड़क की विशेष मरम्मत/निर्माण कार्य के सम्बन्ध में श्री सुबाष चन्द निवासी जनपद जौनपुर की याचिका मा0 सदस्य की अनुपस्थिति में व्यपगत हुई।

श्री अतुल प्रधान, सदस्य विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

जनपद मेरठ में मुख्य विकास अधिकारी के आशुलिपिक श्री नैपाल सिंह पर भ्रष्टाचार का दोष सिद्ध होने के बाद भी उन्हें पदस्थापित कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिए जाने के सम्बन्ध में श्री मन्नू सिंह निवासी जनपद मेरठ की याचिका मा0 सदस्य की अनुपस्थिति में व्यपगत हुई।

श्री अनिल कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित दस याचिकाएं †

1-जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड पुरकाजी के ग्राम-रतनपुरी एवं रामनगर के मध्य धू-धू नदी (सोलानी नदी) पर सेतु पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण पाल प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

2-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र-13, पुरकाजी के ग्राम होशियारपुर में 250 मी0 का पक्का नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लोकेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

3-जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड सदर के ग्राम सरवठ में बने कच्चे नाले को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध श्री इन्तजार व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

4-जनपद मुजफ्फरनगर में विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित सी0सी0 रोड के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मांगेराम व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

5-जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड सदर के ग्राम सरवठ में मदीना चौक से रूढ़की चुंगी तक क्षतिग्रस्त मार्ग का नव निर्माण एवं दोनों ओर नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शाहआलम व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

6-जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड-पुरकाजी के कस्बा में रोडवेज बस डिपो बनाये जाने तथा परिवहन विभाग की खाली पड़ी भूमि पर डिपो भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

7-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र-13, पुरकाजी के ग्राम हुसैनपुर में सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बचन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

8-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र-13, पुरकाजी के ग्राम शेरपुर नंगला व रामनगर के मध्य सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

9-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र-13, पुरकाजी के ग्राम दादूपुर से नानूपुर तक सम्पर्क मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री गुरूनाम व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका तथा

10-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र-13, पुरकाजी के ग्राम भूराहेडी से धमात सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका, उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अमिताभ बाजपेयी, सदस्य विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं[†]

1-प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक क्षय रोग के समूल उन्मूलन के लक्ष्य के सापेक्ष जनहित में बी0सी0जी0 टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर योग्यताधारी बेरोजगार युवकों की शीघ्रातिशीघ्र नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

2-जनपद कानपुर नगर के शिवाला नगर की बाजार को विकसित कर आधुनिक बनाने व बहुमंजिला पार्किंग बनाने के सम्बन्ध में श्री अभिषेक गुप्ता मोनू व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

3-जनपद कानपुर नगर में धार्मिक, सामाजिक उत्सव आयोजन हेतु 'महोत्सव पंडाल' बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुपम अग्रवाल व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गईं।

4-जनपद कानपुर नगर में याचीगण को वर्तमान भूमि अधिग्रहण बिल के अनुसार मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में श्री सोहन लाल भाटिया व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका तथा

5-जनपद कानपुर नगर के जिला अस्पताल उर्सला में सी0टी0 स्कैन, एम0आर0आई0 व मुफ्त डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री अशरफ अली खान, सदस्य विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित दस याचिकाएं[†]

1-जनपद शामली में वि0ख0 थानाभवन के कस्बा जलालाबाद में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण एवं अन्य सुविधाओं से युक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अब्दुल गफ्फार व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

2-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम गोगवान से गोगा माढ़ी ग्राम कुतुबगढ़ तक मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकुमार व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

3-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन से हिण्ड रेलवे स्टेशन से दिल्ली सहारनपुर हाई-वे राजमार्ग तक मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद अली व अन्य निवासी जनपद शामली की याचिका,

4-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में ग्राम भैसवाल से ग्राम पेलखा तक मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र सिंह व अन्य निवासी जनपद शामली की याचिका,

5-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में ग्राम टपराना ईदगाह से लपराना चौराहा तक मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सौदान तोमर व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

6-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में ग्राम बाबरी से बनती खेड़ा तक सड़क मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मेहरबान राव व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

7-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में ग्राम लाडो माझली से ग्राम रायपुर तक सड़क मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री यासीन व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गईं।

8-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में कस्बा जलालाबाद में कालावाला जोहड से ग्राम इरशादपुर उमरपुर सड़क मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जोगेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

9-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में कस्बा जलालाबाद में आशु के मकान से लतीफबाबा के पीर तक सड़क मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वसीउल्लाह खान व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका तथा

10-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम मुंडेट खादर मार्ग के आबादी वाले भाग में सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री उमर अली खान, सदस्य विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित आठ याचिकाएं (व्यपगत)[†]

1-जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट में जर्जर तारों तथा आबादी के ऊपर से गुजर रहे तारों को बदलवाने के सम्बन्ध में श्री इकराम व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

2-जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट में नदी के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फारूक व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

3-जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र बेहट में ग्राम मिर्जापुर में फायर स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फजलुर्रहमान निवासी जनपद सहारनपुर की याचिका,

4-जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र बेहट में सहारनपुर बेहट बस अड्डे से सिद्धपीठ माता शाकुंभरी देवी जी तक फोर लाइन सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मंसूब अली व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

5-जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र बेहट के ग्राम बादशाही बाग यमुनोत्री मार्ग फोर लाइन सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जावेद राना व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गईं।

6-जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र बेहट में कतिपय ग्रामों एवं मजरों में हैण्डपम्प रि-बोर कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 रब्बानी व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

7-जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र बेहट से सटी फूल कॉलोनी एवं इन्द्रा कॉलोनी को कस्बा बेहेट या अन्य ग्राम पंचायत में सम्मलित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शौकत शेख व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका तथा

8-जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र बेहट में इंटर कॉलेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फैजान व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका, मा0 सदस्य की अनुपस्थिति में व्यपगत हुई।

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित दस याचिकाएं[†]

1-जनपद जालौन के नगर पालिका उरई के अन्तर्गत जेल रोड पर स्थित नाला उरई बाईपास से ग्राम सरसान से आने वाले मलंगा नाला मोहल्ला शिवपुरी का अवैध कब्जा हटाये जाने व नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आकास त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

2-जनपद जालौन के नगर पालिका उरई के अन्तर्गत मोहल्ला शांति नगर झांसी चुंगी के बगल से उरई ग्रीन गार्डन तक मलंगा नाला के दोनों ओर अवैध कब्जा हटाये जाने एवं जल निकासी के लिए नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विक्रम भदौरिया व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

3-जनपद जालौन के ब्लाक कोंच के अन्तर्गत ग्राम बिरासनी से मवई तक सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री परमेंन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

4-जनपद जालौन के नगर पालिका उरई के अन्तर्गत मोहल्ला मैकेनिक नगर श्रीराम पैलेस के पास देवेन्द्र गुप्ता के मकान से संतोष निरंजन के मकान तक जल निकासी के लिए नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जय नारायण चंसौलिया व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

5-जनपद जालौन के नगर पालिका उरई के अन्तर्गत जिला परिषद् से जालौन चौराहे तक दोनों ओर चौड़ीकरण एवं बीच में डिवाइडर एवं बिजली के पोल स्थापित

[†] छापी नहीं गईं।

कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुराग श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

6-जनपद जालौन के नगर पालिका उरई के गोविन्दम चौराहे से मेडिकल चौराहा एवं जालौन चौराहा तक बीच एवं दोनों ओर अच्छे पेड़ लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

7-जनपद जालौन के नगर पालिका उरई के अन्तर्गत कोंच की ओर जाने वाले रास्ते सुहाग महल के पास मंगला नाले पर 200 वर्ष पुराने जर्जर पुल का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जय नारायण साहू व अन्य निवासीगण जनपद उरई की याचिका,

8-जनपद जालौन के नगर पालिका उरई के अन्तर्गत कोंच बस स्टाप चौराहा से लेकर पीली कोठी के आगे इलाहाबाद बैंक चौराहे तक 10 मी0 चौड़ा रोड बनाये जाने तथा सी0सी0 रोड या डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री डॉ0 गिरीश चुतर्वेदी व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

9-जनपद जालौन के नगर पालिका उरई के अन्तर्गत जी0टी0 रोड रीनिया रेलवे फाटक से रामनगर महिल तालाब, घंटाघर, शहीद भगत सिंह चौराहा, सरदार पटेल मेडिकल चौराहा तक चौड़ीकरण एवं अवैध निर्माण हटाने, 10 मी0 डामरीकरण, चौड़ीकरण, डिवाइडर सहित विद्युत विभाग के पोल डिवाइडर में लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रशान्त तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका तथा

10-जनपद जालौन के विकास खण्ड कौंच के ग्राम चमारी में सहादत के घर से राम जानकी मंदिर तक 200 मी0 सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरीशचन्द्र सिरोठिया व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री चन्दन चौहान, सदस्य विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित नौ याचिकाएं व जनपद लखनऊ की एक याचिका (व्यपगत)[†]

1-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के ग्राम फिरोजपुर खादर में सोनाली नदी में पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पूरनचंद व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गईं।

2-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर की कतिपय सड़कों की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शावेज व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

3-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर में कतिपय सड़कों की मरम्मत/नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भीषम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

4-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर में कतिपय सड़कों की मरम्मत/नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

5-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर में कतिपय सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महकार व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

6-जनपद-लखनऊ के वि0ख0-सदर के अन्तर्गत पारा के गोविन्द नगर (नियर सुरेन्द्र विहार कालोनी के सामने वाली गली) में कम वोल्टेज की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शुभम कुमार व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

7-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र-16, मीरापुर ग्राम-मजलिसपुर-तौफिर आबादी भाग में पुलिया का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकला व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

8-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र-16 मीरापुर की सड़कों का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंजुम प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

9-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर की सड़कों का विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सलीम अहमद व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका तथा

10-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर की सड़कों ग्राम-कम्हेडा में जियाज वकील के कांटे से जमीरे के खेत तक ग्राम चौरावाला के खतौली मौरना मार्ग से चौरावाला हरिजन बस्ती तक व कतिपय अन्य सड़कों की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रकाश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका मा0 सदस्य की अनुपस्थिति में व्यपगत हुई।

श्री जगदीश नारायण, सदस्य विधान सभा की जनपद जौनपुर सम्बन्धित दस याचिकाएं[†]

1-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र-366 के अन्तर्गत सर्किट हाउस, आडिटोरियम बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रवण जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

2-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र-366 के अन्तर्गत चारों तरफ रिंग रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री गुड्डू सोनकर व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

3-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र-366 के अन्तर्गत प्राकृतिक नालों पर अतिक्रमण हटवाकर उनका सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्र बहादुर व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

4-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र-371 के अन्तर्गत जफराबाद में ओ0डी0आर0 मार्ग आजमगढ़ रोड से कबीरुद्दीनपुर त्रिलोचन महादेव तक (27 कि0मी0) का चौड़ीकरण, उच्चीकरण तथा रेलवे का अन्डरपास बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्र बहादुर व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

5-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र-371 के अन्तर्गत जफराबाद में जलालपुर कस्बे को टाउन एरिया घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मक्खन व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

6-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र-371 के अन्तर्गत जफराबाद में जलालपुर एवं सरकोनी ग्रामों को मिला कर एक नयी तहसील बनाए जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

7-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र-366 के अन्तर्गत बन्द पड़ी पराग डेयरी को चलाए जाने के सम्बन्ध में श्री आजाद हिन्द व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

8-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र-371 के अन्तर्गत जफराबाद में एटाएं एवं शीतमसराय गुतवन के बीच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्र बहादुर व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गईं।

9-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र-371 के अन्तर्गत जफराबाद में एटाएं बाजार के आस-पास एवं धनेजा के आस-पास 33 के0बी0 पावर स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्दीप व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका तथा

10-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र-366 में सिंचाई विभाग के सभी कार्यालय मुख्यालय जौनपुर में ही बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अंकित व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित छः जनपद उन्नाव से सम्बन्धित तीन व जनपद अम्बेडकर नगर से सम्बन्धित एक याचिका[†]

1-जनपद झांसी के विकास खण्ड बामौर के ग्राम अस्ता तालाब का सौन्दर्यीकरण के लिए बुन्देलखण्ड पैकेज बचत की धनराशि में सम्मलित करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

2-जनपद झांसी में 33/11 के0वी0ए0 के सब-स्टेशन गरौठा गुरसरांय के मध्य चौथमिल के पास बाइवार झील के पास, बकवां गांव के पास बडा बेलमा बसोवई के मध्य स्थापित करने के सम्बन्ध में श्री सुरजीत व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

3-जनपद उन्नाव के वि0ख0 पुरवा, ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर के रम्माखेड़ा में मंदिरों का जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रशान्त लोधी व अन्य की याचिका,

4-जनपद उन्नाव के वि0ख0 पुरवा, ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर में पशु चिकित्सालय बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रशान्त लोधी व अन्य की याचिका,

5-जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरोठा के ग्राम एवनी में जर्जर जूनियर हाई स्कूल भवन का पुनर्निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबू जी व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

6-जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में दमोह- समथर-सिकंदरा स्टेट हाई-वे पर चितगुआं गांव के पास हमीरपुर राजबहा पर बने पुल का डिजाइन बदलकर पुनर्निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजाराम राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गईं।

7-जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र में धसान नदी पर विश्वामित्र की स्थली के पास परठा/पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप पाठक व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

8-जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम रमौरा व एवनी के मजरा में प्राथमिक पाठशाला बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रताप राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

9-जनपद उन्नाव की पुरवा रजबहा से चमियानी माइनर में रामाअमरापुर गांव के पास पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव कुमार व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका तथा

10-जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील जलालपुर के जीवत खुर्रम, किछौछा की गाटा सं0-1051 पर जबरन/अवैध रूप से बनवाये गये चक मार्ग को हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री बजरंगी लाल निवासी जनपद अम्बेडकर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री पल्टूराम, सदस्य विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित तीन याचिकाएं[†]

1-जनपद बलरामपुर के तहसील बलरामपुर सदर के अन्तर्गत (ओ0डी0आर0) बालपुर तिलकपुर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राज किशोर व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका,

2-जनपद बलरामपुर के तहसील बलरामपुर सदर के अन्तर्गत महेश भारी भैसहावां मार्ग (ओ0डी0आर0) निर्माण के सम्बन्ध में श्री राकेश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका तथा

3-जनपद बलरामपुर के तहसील बलरामपुर के अन्तर्गत अग्निशमन केन्द्र के बाउंड्रीवाल व आरक्षियों के रहने हेतु बैरक इत्यादि निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री प्रकाश द्विवेदी, सदस्य विधान सभा की जनपद बांदा से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (व्यपगत)[†]

1-जनपद बांदा के नगर बाँदा में सड़कों को लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पुष्कर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बाँदा की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गईं।

2-जनपद बाँदा के भूरागढ़ में डैम बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री संतोष गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बाँदा की याचिका,

3-जनपद बाँदा के महुआ लोक के ग्राम अजीतपारा, बिलगांवा इटरा व कतिपय अन्य गाँवों में राजकीय नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटेलाल तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद बाँदा की याचिका,

4-जनपद बाँदा के विकास खण्ड बिसण्डा के ग्राम भिलौली, सिकलोढी, पवई, पिण्डखर, अमवां तेन्दुरी, चौसड में श्मशान स्थल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विनय कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद बाँदा की याचिका तथा

5-जनपद बाँदा के विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द के अन्तर्गत ग्राम कहला में पावर हाउस की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश निषाद व अन्य निवासीगण जनपद बाँदा की याचिका मा0 सदस्य की अनुपस्थिति में व्यपगत हुई।

श्री बम्बा लाल, सदस्य विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित नौ याचिकाएं[†]

1-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त ग्रामीण सम्पर्क मार्गों की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिनव गौड़ व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

2-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर के ग्राम सभा सालेहनगर करौदी में राजन मिश्रा के दरवाजे से महावीर रैदास के घर तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गजराज रावत व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर के ग्राम सभा बम्हना में देवगांव सम्पर्क मार्ग से कन्या विद्यालय तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लारेश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

4-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर के ग्राम सभा जमालनगर एहतमाली में रज्जन के दरवाजे से राजाराम के घर तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रज्जन व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

5-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर के ग्राम सभा सालेहपुर खलीलनगर में मिर्जापुर मुस्तफाबाद सम्पर्क मार्ग से शिव गोपाल के घर तक सी0सी0

[†] छापी नहीं गईं।

रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पुरुषोत्तम शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

6-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड मियागंज के ग्राम सभा कोरारी कला में लाधई के घर से शंकर बाजपेई के घर तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रवण कुमार व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

7-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड मियागंज के ग्राम सभा मुस्तफाबाद में नगुवा तालाब से संजय सिंह के घर तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

8-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर के ग्राम सभा रैय्यामऊ में बारीथाना सम्पर्क मार्ग वीरेन्द्र के खेत से रैय्यामऊ दिलपति के घर तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवीन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका तथा

9-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर के ग्राम सभा जमालनगर एहतमाली में नोनारी देवी मन्दिर से तालाब तक इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री बावन सिंह, सदस्य विधान सभा जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका†

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड रूपईडीह के जयरामपुरवा-कोचवा में प्राइमरी स्कूल से भैरमपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ललित कुमार मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री बेचई सरोज, सदस्य विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित दस याचिकाएं (व्यपगत) †

1-जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत भीरा-लालगंज सड़क मार्ग के बीच से ग्राम सभा अवदह, प्राथमिक विद्यालय होते हुए ग्राम सभा हदिशादयालपुर व रामपुर तक सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 06 किमी0 की सड़क का चौड़ीकरण व मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

† छापी नहीं गईं।

2-जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत देवगांव, बसही होते हुए खुम्मादेवरी तक सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 05 किमी0 की सड़क का चौड़ीकरण व मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सहीम खां व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

3-जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ठेकमा से मुड़हर होते हुए उबारपुर तक सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 08 किमी0 की सड़क का चौड़ीकरण व मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बंकू सेठ व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

4-जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत लालगंज से लहुआं होते हुए कटौली बुजुर्ग तक सम्पर्क मार्ग लम्बाई 05 किमी0 की सड़क का चौड़ीकरण व मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

5-जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत लालगंज, बेलामोड़ से रोहुआं तक की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजेन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

6-जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत भीरा-लालगंज सम्पर्क मार्ग के बीच से ग्राम सोफीपुर, मानिकपुर होते हुए बहादुरपुर जाने वाली गड्ढायुक्त जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सर्वेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

7-जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत आजमगढ़-जौनपुर सड़क मार्ग से सरायमोहन बरबसपुर स्व0 श्री बुधिराम सरोज के घर से होते हुए टड़िया अनुसूचित बस्ती तक की सड़क गड्ढायुक्त, जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज राय व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

8-जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत आजमगढ़-जौनपुर सड़क मार्ग से ग्राम सिंहणा होते हुए चिवटहीं तक सड़क गड्ढायुक्त, जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संतोष यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

9-जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत सरायमारू छावनी पर कटौली बुजुर्ग होते हुए दौना ईदगाह तक की जर्जर सड़क की मरम्मत

कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित कन्नौजिया व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका तथा

10-जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत लालगंज, बैरीडीह होते हुए गायत्री मोड़ तक की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नदीम अहमद व अन्य निवासीगण जनपद जनपद आजमगढ़ की याचिका मा0 सदस्य की अनुपस्थिति में व्यपगत हुई।

श्री बेदी, सदस्य विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित दस याचिकाएं[†]

1-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां-373 के अन्तर्गत ग्राम सभा मोहम्मदपुर करसानी में नहर पर जर्जर पुलिया के नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालू यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

2-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां के अन्तर्गत नसीरपुर में पानी की टंकी की सारी पाइप लाइनों को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

3-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां के अन्तर्गत मगई नदी पर चेकडैम निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गरीब राम व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

4-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां के अन्तर्गत तड़वां, हुसैनपुर, मुरथान में बेसो नदी पर लघु सेतु एवं पहुंच मार्ग के अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

5-जनपद गाजीपुर के 373-जखनियां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वि0ख0 मनिहारी में फरीदपुर और लालपुर कोहारी के बीच मगई नदी पर छलका पुल का अधूरा कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

6-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र-373, जखनियां के विकास खण्ड सादात से सैदपुर मजुई मार्ग बी0एस0एन0एल0 टावर तक जर्जर मार्ग के मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंकित बरनवाल व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

7-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र-373, जखनियां के विकास खण्ड सादात में रघुवंश चौराहा से सादात रेलवे स्टेशन तक जर्जर मार्ग के मरम्मत/निर्माण

[†] छापी नहीं गई।

कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंकित बरनवाल व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

8-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र-373, जखनियां के विकास खण्ड मनिहारी के ग्राम बभनौली में अमृत सरोवर योजना के अन्तर्गत तालाब का सौन्दर्यीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नन्दलाल व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

9-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र-373, जखनियां के विकास खण्ड मनिहारी के ग्राम मनिहारी में बौद्ध विहार की बाउण्ड्री तथा सौन्दर्यीकरण एवं निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष कुमार 'शीनू' व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका तथा

10-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र-373, जखनियां के विकास खण्ड मनिहारी में शाहपुर एवं यूसुफपुर में विद्युत उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज दूबे व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित नौ व जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित एक याचिका (व्यपगत)[†]

1-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड जगतपुर की ग्राम पंचायत उमरी में हुई वित्तीय अनियमितता एवं घोटाले की जांच आख्या पर कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शम्भू प्रसाद निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

2-जनपद सुल्तानपुर के सहाय महाविद्यालय सुल्तानपुर में नियमित वेतन एवं नियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार पाण्डेय निवासी जनपद सुल्तानपुर की याचिका,

3-जनपद रायबरेली के लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मानक के विरुद्ध निर्मित मार्गों के जांच हेतु शासन के निर्देशानुसार जांच टीम द्वारा ठेकेदारों व अधिकारियों के प्रभाव में निष्पक्ष जांच न किये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज कुमार सिंह निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

4-जनपद रायबरेली के वि0ख0 ऊंचाहार में गोकर्ण ऋषि के नाम पर स्थित गोकना घाट को पर्यटन रूप में चयनित/स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश यादव निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गईं।

5-जनपद रायबरेली में वि0ख0 ऊंचाहार के ग्राम सुकुरूल्लापुर में कोटेदार के मृत्यु के उपरान्त ब्लाक ऊंचाहार के कर्मचारियों द्वारा नियमों के विरुद्ध कोटे का प्रस्ताव किये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र तिवारी निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

6-जनपद रायबरेली में वि0ख0 ऊंचाहार के ग्राम पंचायत अरखा से निगोहा जाने वाले मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष तिवारी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

7-जनपद रायबरेली के समाज कल्याण विभाग के छात्रावास अधीक्षक श्री अमित शुक्ला और राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, करछना की प्रभारी अधीक्षिका श्रीमती रेनू सिंह के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

8-जनपद रायबरेली में वि0ख0 ऊंचाहार में चड़रई बार्डर से पूरे खिलकटियन होते हुए पूरे बग्घा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलीप कुमार तिवारी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

9-जनपद रायबरेली में तहसील सदर के ग्राम सभा मुबारकपुर से स्मृति पटेल कन्या महाविद्यालय, मुबारकपुर, हरचन्द्रपुर रायबरेली तक लगभग 1 कि0मी0 अत्यन्त खराब सड़क का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर चौधरी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका तथा

10-जनपद रायबरेली में वि0ख0 ऊंचाहार के नगर पंचायत ऊंचाहार में वार्ड सं0-5, मोहल्ला सरांय में तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 सलीम कुरैशी निवासी जनपद रायबरेली की याचिका मा0 सदस्य की अनुपस्थिति में व्यपगत हुई।

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित दस याचिकाएं (व्यपगत)[†]

1-जनपद बस्ती के ब्लाक बनकटी के ग्राम चकमुबारक उर्फ धुसवा व शुभखर फिरोज पट्टी में प्राथमिक विद्यालय खुलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरजीत व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

2-जनपद बस्ती के ब्लाक बनकटी के ग्राम चेनुआ में हल्लौर नगरा जिगना पिच रोड से चेनुआ सम्पर्क मार्ग पर बाबूराम चौधरी के घर के बगल में पुलिया का

[†] छापी नहीं गईं।

निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबूराम चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

3-जनपद बस्ती के ब्लाक बस्ती सदर में एन0एच0-28 से सोनालिका वर्कशाप के दक्षिण से पूरब के चक मार्ग को बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिराम निषाद व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

4-जनपद बस्ती के मोहल्ला मालीटोला रहमतगंज गांधी नगर में मलंग बाबा मार्ग पर आशिफ अली के मकान से नूरजहां के मकान तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जावेद व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

5-जनपद बस्ती के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-28 से पुराना डाकखाना जाने वाला मार्ग में रामफेर गुप्त के घर से काली जी के स्थान तक लम्बाई लगभग 250 मी0 जर्जर सड़क का पुनःनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष चन्द्र मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

6-जनपद बस्ती के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बन्धुआ में राम चरित्र यादव के घर से गब्बर यादव के घर तक ल0 लगभग 500 मी0 जर्जर सड़क को पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आकाश यादव व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

7-जनपद बस्ती के अन्तर्गत नगर पंचायत गनेशपुर के पश्चिम टोला में विद्युत ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद कुमार मोदनवाल व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

8-जनपद बस्ती के अन्तर्गत पोस्ट लबना पार के इटैली पाण्डे में विद्युत पोल व तार लगवाये जाने के सम्बन्ध में सुश्री नीतू पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

9-जनपद एवं विकास खण्ड बस्ती के ग्राम कटरा खुर्द, में कटरा खुर्द सम्पर्क मार्ग से टेबुल यादव के घर के बगल काली मंदिर तक मार्ग का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुड्डू व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका तथा

10-जनपद बस्ती के गांधी नगर मो0 मिल्लतनगर में फारूक-ए-आजम पब्लिक स्कूल से साहिबार अली के मकान तक नाली व सड़क का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री साहिबान अली व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका मा0 सदस्य की अनुपस्थिति में व्यपगत हुई।

श्री मोहन वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित तीन याचिकाएं†

1-जनपद कुशीनगर के तहसील हाटा के अन्तर्गत ग्राम हॉसखोर गुनगुन के घर के बगल से मुन्नर के दरवाजे तक आर0सी0सी0 सड़क (लम्बाई 80 मीटर) निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उदयभान कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

2-जनपद कुशीनगर के तहसील हाटा के अन्तर्गत ग्राम हॉसखोर नहर के पुल से लोहाझार हाटा पिपराइच सम्पर्क मार्ग पर पक्की सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका तथा

3-जनपद कुशीनगर के तहसील हाटा के अन्तर्गत ग्राम हॉसखोर नहर के पुल से चिलुआ जाने वाली सड़क मार्ग (200मी0) सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश्वर मणि त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री मौ0 फहीम इरफान, सदस्य विधान सभा की जनपद सम्भल से सम्बन्धित चार व जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित छः याचिकाएं †

1-जनपद सम्भल की तहसील चन्दौसी में ग्राम पैगारफातपुर से ग्राम झकड़ा तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री भानुप्रताप सिंह, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

2-जनपद सम्भल की तहसील चन्दौसी के ग्राम गुरगांव से डांडा गोविन्दपुर सम्पर्क मार्ग तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिओम यादव, निवासी जनपद सम्भल की याचिका,

3-जनपद सम्भल की तहसील चन्दौसी के ग्राम गुरगांव से दम्पुरा होते हुए स्योंडारा मार्ग तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री कपिल राज यादव, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

4-जनपद सम्भल की तहसील चन्दौसी के ग्राम पैगारफातपुर-मैनपुरी सम्पर्क मार्ग से प्राथमिक विद्यालय मैनपुरी तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजवीर सिंह, निवासी जनपद सम्भल की याचिका,

5-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी में ग्राम स्योंडारा-डारनी मार्ग से ग्राम समाथल होते हुए ग्राम तुरखेड़ा तक सड़क की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सौरभ यादव, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

6-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम थांवला से ग्राम गुलड़िया तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मौ0 फहीम, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

7-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम नरसरा से ग्राम स्योंडारा मार्ग तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री डालचन्द यादव, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

8-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम थांवला से ग्राम मनकुला-स्योंडारा मार्ग तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री रेहान, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

9-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम नरूखेड़ा से ग्राम बिनयाठेर तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री हर्ष बाबू, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका तथा

10-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम बगपुरा तिराहे से ग्राम नगला नस्सू मार्ग तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहर सिंह निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित तीन याचिकाएं[†]

1-जनपद लखनऊ नगर के मध्य क्षेत्र के अन्तर्गत रिवर बैंक कॉलोनी से जगत नारायण रोड होते हुए वजीरगंज से गौस नगर तक होते हुए नाले की सफाई करवाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती तहसीन बानो व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

2-जनपद लखनऊ के मध्य क्षेत्र में क्रिश्चियन कालेज चौराहे से बलरामपुर अस्पताल होते हुए सी0एम0ओ0 ऑफिस होते हुए जिला कचहरी चौराहे से नारी निकेतन कालेज होते हुए बारादरी तक सड़क का पुनः निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद जुहैब व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका तथा

3-जनपद लखनऊ के मध्य क्षेत्र में कतिपय नालों की सफाई करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री शाह मो0 मूसा सुलेमानी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

[†] छापी नहीं गईं।

श्री राकेश प्रताप सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद कन्नौज से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री राकेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद कन्नौज के ठठिया क्षेत्र में ग्राम-हाँसापुर से खरगापुर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद कन्नौज की याचिका मा0 सदस्य की अनुपस्थिति में व्यपगत हुई।

श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, सदस्य विधान सभा की जनपद बदायूं से सम्बन्धित दस याचिकाएं (व्यपगत) †

1-जनपद बदायूँ की तहसील दातागंज के बड़े तालाबों को भू-गर्भ जल संरक्षण की किसी योजना में शामिल कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरूण सिंह, निवासी जनपद बदायूँ की याचिका,

2-जनपद बदायूँ की तहसील दातागंज में छुट्टा जानवरों की समस्या से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री भावेश प्रताप सिंह, निवासी जनपद बदायूँ की याचिका,

3-जनपद बदायूँ की तहसील दातागंज में लोक निर्माण विभाग के 500 से ऊपर की आबादी के कुछ गांव जो अनजुड़ी बसावट योजना में छूट गये हैं उन्हें योजना में सम्मिलित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, निवासी जनपद बदायूँ की याचिका,

4-जनपद बदायूँ की तहसील दातागंज के जल जीवन मिशन द्वारा बिछायी जाने वाली पाइप लाइन का अधूरा कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अग्रवीर सिंह, निवासी जनपद बदायूँ की याचिका,

5-जनपद बदायूँ की तहसील दातागंज में पारदर्शी धान खरीद की योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्णपाल कश्यप, निवासी जनपद बदायूँ की याचिका,

6-जनपद बदायूँ की तहसील दातागंज के ग्राम गैंतरा को नगर पंचायत का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री रतीभान सिंह, निवासी जनपद बदायूँ की याचिका,

7-जनपद बदायूँ की तहसील दातागंज के विकास खण्ड दातागंज एवं समरेर में ऑडिटोरियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्र प्रकाश, निवासी जनपद बदायूँ की याचिका,

---

† छापी नहीं गईं।

8-जनपद बदायूँ की तहसील दातागंज के ग्राम हजरतपुर, मझारी और कटरा-सआदतगंज में तीन नये 33/11 के0वी0 विद्युत केन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तेजपाल व अन्य निवासीगण जनपद बदायूँ की याचिका,

9-जनपद बदायूँ की तहसील दातागंज के अन्तर्गत ग्राम पापड़ एवं गनगोला के मध्य से ग्राम रोरी तक दातागंज बाईपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चरण सिंह लोधी, निवासी जनपद बदायूँ की याचिका तथा

10-जनपद बदायूँ की तहसील दातागंज में पराग प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हीरालाल लोधी निवासी जनपद बदायूँ की याचिका मा0 सदस्य की अनुपस्थिति में व्यपगत हुई।

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य विधान सभा की जनपद ललितपुर से सम्बन्धित दस याचिकाएं (व्यपगत)[†]

1-जनपद ललितपुर के क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड तालबेहट के ग्राम हर्षपुर के सभी मजरों में सड़कों का निर्माण एवं मजरा श्यामगुल्ला व भडरा में श्मशान घाट का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका,

2-जनपद ललितपुर के क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड विरधा में देवगढ़ से नारायणी नदी पुल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश पटेरिया व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका,

3-जनपद ललितपुर के क्षेत्रान्तर्गत नगर ललितपुर में सदनशाह चौराहे से सिद्धपुरा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका,

4-जनपद ललितपुर के क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड जखौरा के ग्राम थनवारा में खेडर नदी पर रपटा निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश पाठक व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका,

5-जनपद ललितपुर के क्षेत्रान्तर्गत नगर ललितपुर में गोविन्द सागर डेम से निकली छोटी नहर किनारे छूटी हुई पटरी का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका,

6-जनपद ललितपुर के क्षेत्रान्तर्गत नगर ललितपुर में सुरई श्मशान घाट से पंचमुखी हनुमान मन्दिर तक सी0सी0 रोड लगभग 2 किमी0 एवं पंचमुखी हनुमान

[†] छापी नहीं गईं।

मन्दिर के पास शहजाद नदी पर रपटा का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका,

7-जनपद ललितपुर के क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड तालबेहट के ग्राम कडेसरा कलाँ में खेडर नदी पर रपटा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश महाराज व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका,

8-जनपद ललितपुर के क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड विरधा के ग्राम जाखलौन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कोंते महाराज व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका,

9-जनपद ललितपुर के क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड बार के ग्राम टोडी में टोडी नाले पर रपटा निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका तथा

10-जनपद ललितपुर के क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड बार के ग्राम बरौदाडांग में बरौदाडांग से हसांरकलाँ एवं बरौदाडांग के मजरा छर्र से मण्डी परिषद् होते हुए सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पूरन कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका मा0 सदस्य की अनुपस्थिति में व्यपगत हुई।

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित दस याचिकाएं (व्यपगत)[†]

1-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ब्लाक कदौरा के ग्राम अकौढी से इमिलिया तक छतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोभरन यादव, निवासी जनपद जालौन की याचिका,

2-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ब्लाक कदौरा के ग्राम हवेली से मियाबाबा मजार सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनीस खान, निवासी जनपद जालौन की याचिका,

3-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ब्लाक कदौरा के ग्राम चमारी से सन्धी तक सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुज द्विवेदी, निवासी ग्राम चमारी, ब्लाक कदौरा, जनपद जालौन की याचिका,

4-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ब्लाक कदौरा के ग्राम परासन से चन्द्ररसी तक सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धरनीधर यादव, निवासी ग्राम परासन, ब्लाक कदौरा, जनपद जालौन की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गईं।

5-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ब्लाक कदौरा के ग्राम ताहरपुर से सौधी तक सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री केशव त्रिपाठी, निवासी ग्राम ताहरपुर, ब्लाक कदौरा, जनपद जालौन की याचिका,

6-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ब्लाक कदौरा के ग्राम कदौरा से मोहरदेवी से परासन तक सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज पाठक, निवासी ग्राम परासन, ब्लाक कदौरा, जनपद जालौन की याचिका,

7-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ब्लाक कुठौंद के ग्राम एका से शहजादेपुर तक सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भूरे यादव, निवासी ग्राम एका, ब्लाक कुठौंद, जनपद जालौन की याचिका,

8-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ब्लाक कुठौंद के ग्राम भदेख में श्याम बाबू शुक्ला के घर से श्मशान घाट की ओर जाने वाले सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम तिवारी, निवासी ग्राम भदेख, ब्लाक कुठौंद, जनपद जालौन की याचिका,

9-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ब्लाक कुठौंद के ग्राम भदेख से शंकरपुर वाया हिनोली तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश, निवासी ग्राम भदेख, ब्लाक कुठौंद, जनपद जालौन की याचिका तथा

10-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ब्लाक कदौरा के ग्राम करमचन्द्रपुर से सुरहती तक सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विवेक यादव, निवासी ग्राम करमचन्द्रपुर, ब्लाक कदौरा, जनपद जालौन की याचिका मा0 सदस्य की अनुपस्थिति में व्यपगत हुई।

श्री विनोद सरोज, सदस्य विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित छः व जनपद उन्नाव से सम्बन्धित तीन याचिकाएं[†]

1-जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बाबागंज के अन्तर्गत भिठार सकरदहा बिहार से कुंडा मार्ग, सगरा सुंदरपुर बाबूगंज डेरवा गलगली मार्ग तथा परियावा, लवाना मार्ग से मधवापुर सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद पाण्डेय, निवासी जनपद प्रतापगढ़ की याचिका,

[†] छापी नहीं गई।

2-जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बाबागंज के अन्तर्गत हीरागंज रजबहा में टेल तक पानी पहुँचाने के सम्बन्ध में श्री विनोद यादव, निवासी जनपद प्रतापगढ़ की याचिका,

3-जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बाबागंज के अन्तर्गत मानिकपुर सलोन मार्ग से पिथनपुर मार्ग, मानिकपुर, सलोन मार्ग से ककरिहा मार्ग एवं जेठवारा-कुंडा मार्ग से गरीबपुर सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय पटेल, निवासी जनपद प्रतापगढ़ की याचिका,

4-जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बाबागंज के अन्तर्गत लाखीपुर-लरू सम्पर्क मार्ग तथा बाबागंज से गुजवर मार्ग का नव निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री अर्जुनदेव पाण्डेय, निवासी जनपद प्रतापगढ़ की याचिका,

5-जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बाबागंज के अन्तर्गत कुंडा खनवारी मार्ग से ददौरी सलेमपुर-लरू मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री किशोरी लाल सरोज, निवासी जनपद प्रतापगढ़ की याचिका,

6-जनपद प्रतापगढ़ के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिटारा बिहार के निर्माणाधीन भवन को ध्वस्त कर पुनः निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नितिन शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका,

7-जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर, तहसील सदर के ब्लाक सिकन्दरपुर करन के अन्तर्गत ग्राम दुबेपुर में अस्थाई गौशाला का स्थान परिवर्तन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुनिन्द्र मिश्रा, निवासी जनपद उन्नाव की याचिका,

8-जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर, तहसील सदर के ब्लाक सिकन्दरपुर करन के अन्तर्गत ग्राम दुबेपुर में साँई बाबा मन्दिर से लेकर गाँव के किनारे प्रेम लाल की चक्की तक पक्की सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अरूण कुमार त्रिवेदी, निवासी जनपद उन्नाव की याचिका तथा

9-जनपद उन्नाव की तहसील सदर व विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर के ब्लाक सिकन्दरपुर करन के ग्राम दुबेपुर में श्री दिगम्बरनाथ स्वामी धाम मंदिर के तालाब का सौन्दर्यीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती सुमन त्रिवेदी, निवासिनी जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री विवेक कुमार वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित दस याचिकाएं (व्यपगत)[†]

1-जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के गांव पैनिया में रामकिशन में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री मेवाराम व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,

2-जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत नगर बीसलपुर में अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलाम नवी आजाद व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,

3-जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के मोहल्ला दुबे में नया सिरोपरि के निर्माण के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार दीक्षित व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,

4-जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत गांव लाड़पुर व गांव अमृताखास के मध्य मार्ग पर सेतु निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती निर्मला देवी व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,

5-जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत परिसीमन कर नया क्षेत्र पंचायत कार्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,

6-जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत बीसलपुर-पूरनपुर मार्ग का गांव दियोरियाकलाँ से घुंघचिहाई तक का मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,

7-जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर को जनपद घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,

8-जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत गांव फैजुल्लागंज उर्फ कढ़ैला से गांव खानपुर उर्फ वीरमपुर के मध्य जर्जर मार्ग एवं पुलिया के पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामऔतार व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,

9-जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर में बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड का विस्तारीकरण एवं डिस्टलरी स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम बहादुर शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका तथा

[†] छापी नहीं गईं।

10-जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत गांव भड़रिया में ब्रह्मबाबा स्थल से गांव बिहारीपुर कुमिरखा के मध्य मार्ग पर सेतु निर्माण के सम्बन्ध में श्री शिवस्वरूप व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका मा0 सदस्य की अनुपस्थिति में व्यपगत हुई।

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित दस याचिकाएं[†]

1-जनपद शाहजहांपुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा के अन्तर्गत ग्राम कन्धरापुर नवदिया से कुआंडांडा डामर रोड तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री नत्थूलाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

2-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत ग्राम मकरन्दापुर नहर पुलिया से पलिया डामर रोड तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

3-जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड खुदागंज के ग्राम धूमगढ़ व मड़ैया के मध्य डामरीकरण व पुलिया का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री राजाराम व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

4-जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड खुदागंज के ग्राम उत्तमपुर से मझिला रोड तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री नत्थूलाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

5-जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड तिलहर के ग्राम कटरा नहर पुलिया से मरेना तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री नेत्रपाल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

6-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड खुदागंज के रमापुर उत्तरी से नवादा ता0 पलिया तक गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण/मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में श्री संजीव कुमार व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

7-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा के अन्तर्गत खुदागंज से जलालपुर दिउरिया जिगनिया होते हुए चठिया फैजू पुल तक गड्ढायुक्त मार्ग का

[†] छापी नहीं गईं।

डामरीकरण/मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में श्री जदुनाथ सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

8-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा के अन्तर्गत कटरा-खुदागंज मार्ग पर नहर पुलिया से नहर पटरी पर मकरन्दपुर तक गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण/मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

9-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा के अन्तर्गत कटरा-खुदागंज मार्ग पर अकबरी से फुलवा तक गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण/मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में श्री उपेन्द्रपाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका तथा

10-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा के अन्तर्गत कटरा-खुदागंज मार्ग पर कमलापुर नहर पुलिया से हसनापुर नहर पुलिया तक गड्ढायुक्त मार्ग का डामरीकरण/मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में श्री राजाराम व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका, उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री हंसु राम, सदस्य विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित दस याचिकाएं[†]

1-जनपद बलिया के तह0 बेल्थरा के ब्लाक-सीयर नगरा-बेल्थरा मेन रोड से पंचायत भवन भीटा भुआरी होते हुए पशुहारी मार्ग तक लगभग 05 किमी0 जर्जर रोड के पुनः निर्माण के सम्बन्ध में श्री संजय यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

2-जनपद बलिया के तह0 बेल्थरा के ब्लाक-सीयर में पशुहारी मार्ग पर सिसयण्डकला नहर से शमसुद्दीनपुर होते हुए गरगजपुर नहर तक लगभग 04 किमी0 जर्जर रोड के पुनः निर्माण के सम्बन्ध में श्री लल्लन पटेल व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

3-जनपद बलिया के तह0 बेल्थरा रोड, ब्लाक नगरा में इब्राहिमपट्टी- बरौली मार्ग से योगीवीर बाबा धाम होते हुए धर्मपुर तक लगभग 03 किमी0 जर्जर रोड के पुनः निर्माण के सम्बन्ध में श्री हरिनाथ राजभर व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

4-जनपद बलिया के तह0 बेल्थरा रोड, ब्लाक सीयर में तिरनई चट्टी से रामपुर चन्देला होते हुए शाहपुर अफगा तक लगभग 06 किमी0 जर्जर रोड के पुनः निर्माण के सम्बन्ध में श्री अजय राजभर व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गईं।

5-जनपद बलिया के तह0 बेल्थरा रोड, ब्लाक नियर में आरीपुर सरया अम्बेडकर मूर्ति से बरवां काली माता के मन्दिर तक लगभग 03 किमी0 जर्जर रोड के पुनः निर्माण के सम्बन्ध में श्री रामप्रीत राजभर व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

6-जनपद बलिया के तह0 बेल्थरा रोड, ब्लाक नगरा में नगरा मेन रोड से प्राथमिक विद्यालय किंडिहरापुर से बराइच गांव तक लगभग 05 किमी0 जर्जर रोड के पुनः निर्माण के सम्बन्ध में श्री लल्लन राजभर व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

7-जनपद बलिया के तह0 बेल्थरा रोड, ब्लाक नगरा में नगरा-बरौली पी0डब्लू0डी0 मार्ग पर बरौली से बनकटवां होते हुए मऊ बार्डर तक लगभग 07 किमी0 जर्जर रोड के पुनः निर्माण के सम्बन्ध में श्री जनार्दन यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

8-जनपद बलिया के तह0 बेल्थरा रोड, ब्लाक सीयर के मुबारकपुर गांव में लालू यादव के दरवाजे से चौहान बस्ती बांसपार बहोरवा तक लगभग 02 किमी0 जर्जर रोड के पुनः निर्माण के सम्बन्ध में श्री शारदा चौहान व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

9-जनपद बलिया के तह0 बेल्थरा रोड, ब्लाक सीयर के पिपरौली बड़ा गांव में अनुसूचित बस्ती से टकनपुरा गांव तक लगभग 03 किमी0 जर्जर रोड के पुनः निर्माण के सम्बन्ध में श्री उमेश अम्बेडकर व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका तथा

10-जनपद बलिया के तह0 बेल्थरा रोड, ब्लाक सीयर में अखोप चट्टी से कुण्डैल नहर तक लगभग 04 किमी0 जर्जर रोड के पुनः निर्माण के सम्बन्ध में श्री सूरज यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित दस याचिकाएं (व्यपगत)[†]

1-जनपद बहराइच में वि0ख0 हुजूरपुर के ग्राम जिगनिया महिपाल सिंह बिहारीपुरवा में कतिपय इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजराज मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

[†] छापी नहीं गईं।

2-जनपद बहराइच में वि0ख0 सदर के अन्तर्गत मोहल्ला रायपुर राजा कटी चौराहा में कतिपय इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

3-जनपद बहराइच में वि0ख0 सदर के अन्तर्गत मोहल्ला रायपुर राजा जेल रोड प्रभाकर श्रीवास्तव के मकान से श्री बब्लू सिंह के मकान तक 200 मी0 इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभाकर श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

4-जनपद बहराइच में वि0ख0 सदर के अन्तर्गत मोहल्ला मंसूरगंज निकट बड़ी तकिया के पास हमजापुरा मोड़ वाली गली 02 मी0 चौड़ा और 60 फुट लम्बा नाला निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंकुर अग्रवाल व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

5-जनपद बहराइच में वि0ख0 हुजूरपुर के ग्राम जिगनिया महिपाल सिंह भगेलू मौर्या के घर से राजकुमार मौर्या के खेत तक लगभग 80 मी0 इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजराज मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

6-जनपद बहराइच की विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड कान्ती कुबेर हास्पिटल शराबभट्टी के बगल से नव्वागढ़ी जाने वाले मार्ग पर 170 मी0 इण्टरलॉकिंग कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

7-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड हुजूरपुर में ग्राम मोगलहा में पानी टंकी से सर्रापुरवा तक 1 किमी0 डामर रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सकटू प्रसाद, निवासी जनपद बहराइच की याचिका,

8-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड चित्तौरा के अन्तर्गत ग्राम बराई बिलास में महावीर के घर से महबूब के घर तक 60 मी0 आर0सी0सी0 सज्जन बाबू के घर से कज्जन के घर तक 43 मी0 आर0सी0सी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जलालुद्दीन व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

9-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड पयागपुर के अन्तर्गत ग्राम गिलौला-विलखा सम्पर्क मार्ग से श्री काली देवी पचदेवरा तक लगभग 1.5 किलोमीटर डामर रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवप्रसाद तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका तथा

10-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड हुजूरपुर में रानीपुर रोड से चलतुआधार तक लगभग 3 किमी0 डामर रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका मा0 सदस्य की अनुपस्थिति में व्यपगत हुई।

श्रीमती अलका सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)[†]

श्रीमती अलका सिंह, सदस्य विधान सभा जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला-161 के अन्तर्गत सिकरोरी से महिमाखेड़ा तक 02 किमी0 आर0सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पिंकू व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका मा0 सदस्य की अनुपस्थिति में व्यपगत हुई।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने वेल से सरकार विरोधी नारे लगाना जारी रखा, जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस' उपस्थित हैं, श्री हंसु राम उपस्थित है, श्रीमती अनुपमा जायसवाल अनुपस्थित हैं और श्रीमती अलका सिंह अनुपस्थित हैं। जो माननीय सदस्य उपस्थित हैं उनकी याचिकायें प्रस्तुत की हुई मानी जायेंगी और जो माननीय सदस्य नहीं हैं उनकी याचिकायें अनुपस्थित मानी जायेंगी। आज अगली मद में कुछ नहीं है।

[01:40] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 18 सितम्बर, 2022 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 19 सितम्बर, 2022 से दिनांक 23 सितम्बर, 2022 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें ली जायेंगी।

2-दिनांक 22 सितम्बर, 2022 का उपवेशन मा0 महिला सदस्यों के लिए निर्धारित किया जायेगा। यहां पर जितनी भी माननीय महिला सदस्य उपस्थित हैं उनसे मेरा निवेदन है कि दिनांक 22 सितम्बर, 2022 को अपना पूरा पार्टीसिपेशन करें। नियमों के अन्तर्गत जितनी भी सूचनायें हैं वह सारी की सारी दें। अगर संबंधित सूचनायें संवेदनशील होंगी तो उनकी सारी की

[†] छापी नहीं गईं।

सारी सूचनायें ली जायेंगी। महिला सदस्य की जितनी भी सूचनायें आयेंगी वह सारी की सारी ली जायेंगी।

दिनांक 19 सितम्बर, 2022 से दिनांक 23 सितम्बर, 2022 तक के उपवेशनों का तिथिवार कार्यक्रम निम्नवत् रखा जायेगा :-

दिनांक 19 सितम्बर, 2022 सोमवार को निधन के निदेश अर्थात् निधन की सूचनायें।

दिनांक 20 सितम्बर, 2022 मंगलवार को औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापना आदि, यदि कोई हों तथा अन्य कार्य यदि कोई हों।

दिनांक 21 सितम्बर, 2022 बुधवार को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें तथा विधायी कार्य।

दिनांक 22 सितम्बर, 2022 गुरुवार को मा0 महिला सदस्यों के लिए निर्धारित तथा विधायी कार्य एवं अन्य कार्य यदि कोई हों,

दिनांक 23 सितम्बर, 2022 शुक्रवार को विधायी कार्य तथा असरकारी दिवस।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसका प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

आज मद संख्या-159 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-160

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022[†]

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

नोट :-[†] दिनांक 22 सितम्बर, 2022 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985, नियम-12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2022†

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985, नियम-12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2022 को पुरःस्थपित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985, नियम-12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2022 को पुरःस्थपित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985, नियम-12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2022 को पुरः स्थपित करता हूं।

(शोर-शराबे के मध्य)

इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2022†

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

नोट :-† दिनांक 22 सितम्बर, 2022 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण आपने मा0 आजम खान साहब के लिए कार्य-स्थगन दिया है। मेरे ख्याल से आप लोग बोलने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं। अगर आपका इंटरेस्ट न हो तो मैं आगे बढ़ूँ।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यगण सदन के वेल से लगातार शोर मचाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान जारी रहा।)

श्री अध्यक्ष-

मुझे लगता है कि आपने मा0 आजम खान साहब के लिए जो सूचना दी है उस पर बोलने के लिए आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो मैं आगे बढ़ता हूँ।

[01:47] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

नियम-51 के अन्तर्गत कुल 74 सूचनाएं प्राप्त हुईं :-

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई :-

पहली सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद के राजकीय मेडिकल कालेज को पूर्ण क्षमता से संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना डा0 रागिनी की जनपद जौनपुर व जनपद वाराणसी के सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा बढाये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री राजेश्वर सिंह की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर मे जलभराव की समस्या के निदान हेतु नालों की सफाई एवं सीवेज पम्पों को संचालित कराने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली की नगर पालिका सीमा क्षेत्र में मार्ग की मरम्मत में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की जनपद अमेठी की तहसील गौरीगंज के ग्राम सभा चितई के आवासीय पट्टों में हो रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है तथा छठवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया में मेडिकल कालेज न होने से हो रही जन-समस्या के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई :-

पहली सूचना श्रीमती केतकी सिंह की जनपद बलिया के ग्राम ककरघट्टा पो0 मानिकपुर में मंदिर के जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री विनोद सरोज की राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भिटारा, बिहार, प्रतापगढ़ के निर्माणाधीन भवन को ध्वस्त कर पुनः निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई :-

पहली सूचना श्रीमती मीनाक्षी सिंह की जनपद बुलन्दशहर की खुर्जा विधान सभा क्षेत्र में स्टेडियम निर्माण के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के अन्तर्गत बल्देव-बरौली-कैलाश मार्ग चौड़ीकरण के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री बाबूलाल की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र बाह के चंबल नदी के पास सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा चौथी सूचना श्री सुहेब उर्फ मन्नु अंसारी की जनपद लखनऊ में नीलगिरी एन्क्लेव सेक्टर-17 की वृन्दावन योजना में अधोमानक स्तर के कार्य की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाओं को अस्वीकार किया गया :-

श्री बेदी, श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री हंसु राम, श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री सचिन यादव, श्री गुरू प्रसाद मौर्य, श्री राम प्रताप वर्मा, श्री विपुल दुबे, श्री श्यामधनी राही, कुँवर सुशान्त सिंह, श्री राजपाल सिंह बालियान, श्रीमती कृष्णा पासवान, डॉ0 डी0 सी0 वर्मा, श्री विवेक कुमार वर्मा, श्री पल्टूराम, श्री विनोद शंकर अवस्थी, श्री देवेन्द्र निम, श्री प्रदीप कुमार चौधरी, श्री सुरेन्द्र चौरसिया, श्री आनन्द कुमार यादव, श्री अशोक कुमार कोरी, श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, श्रीमती मीनाक्षी सिंह, श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट, श्री पंकज पटेल, श्री अमिताभ बाजपेई, इं0 सरवन कुमार निषाद, श्री प्रसन्न चौधरी, श्री गौरीशंकर वर्मा (कोरी), श्री राजेश चौधरी, श्रीमती पल्लवी पटेल, श्री अमरेश कुमार, श्री राजीव तरारा, श्री सत्यपाल सिंह राठौर, डॉ मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री गणेश चन्द्र, श्री श्याम सुन्दर, श्री नफीस अहमद, श्री वीरेन्द्र यादव, श्रीमती सैय्यदा खातून, श्री जियाउर्रहमान, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री संग्राम सिंह, श्री महेन्द्र नाथ यादव, श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री वीर विक्रम सिंह, श्री मौ0 फहीम इरफान, श्री मनोज कुमार पारस, श्री लालजी वर्मा, श्री नीरज बोरा, श्री स्वामी ओउ्मवेश, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', श्री वीरेन्द्र चौधरी, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री बम्बालाल, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री गुलाम मौहम्मद, श्री राम चन्द्र यादव, श्री राज प्रसाद उपाध्याय, श्री बृजेश कुमार रावत तथा श्री मुकेश चौधरी।

श्री अध्यक्ष-

अब हम कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 01 बजकर 48 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

लखनऊ :

दिनांक 20 सितम्बर, 2022

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं0-17 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0-48 पर)

ACS, Finance/
प्रमुखसचिव, भूगर्भजल

F. No. T-40012/1/2018-GW Section (pt. 2)
Government of India
Ministry of Jal Shakti
Department of Water Resources, RD & GR
****

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi,
Dated: 09 January, 2020

10-01-2020
(पीयूष कुमार)
प्रमुख स्टाफ आफीसर,
मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

To,

The Chief Secretaries of Govt. of
(Gujarat, Haryana, Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan & Uttar Pradesh)

2. Principal Secretaries of the implementing agencies of the concerned States

Sub: Approval of the Cabinet for implementation of Atal Bhujal Yojana (ATAL JAL).

US (श्री बिसारिया)

I am directed to convey the approval of the Government of India for implementation of Atal Bhujal Yojana (ATAL JAL) under the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation (DoWR, RD&GR), as a Central Sector Scheme, with an outlay of Rs. 6000.00 crore (Rupees Six thousand crore). Fifty percent of the outlay will be raised as World Bank loan and the remaining fifty percent will be provided as budgetary supports from Government of India. The Scheme will be implemented over a period of five years from 2020-21 to 2024-25 in seven identified States viz. Gujarat, Haryana, Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan & Uttar Pradesh.

20.01.2020
(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव,
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार
नई दिल्ली एवं भूमि जल विभाग
राज्य शासन।

So-3
21.01.2020

2. **Budget allocation:**

2.1 . The Scheme envisages an outlay of Rs. 6000.00 crore for Institutional Strengthening & Capacity Building component and Incentive Component. The component-wise, details are given below:

S.No.	Component	Outlay (Rs. in crore)
1.	Institutional Strengthening & Capacity Building	1400.00
2.	Incentive	4600.00

2.2 Detailed component and State-wise financial outlays are given in Annexure I.

2.3 As the Atal Bhujal Yojana (ATAL JAL) is financed under Programme for Results (PforR) instrument of the World Bank, the Allocations under Incentive Component may change based on progress achieved and funds utilized by the participating States during the course of implementation of the Scheme.

D.O.

3. Implementation Plan:

3.1 All the identified States under the Scheme would be known as the Project Implementing Agencies (PIAs).

3.2 The PIAs will be required to submit their Project Implementation Plan (PIP) for the entire project as per the approved outlay, Annual Work Plans (AWP) & Annual Procurement Plans (APP) for the year 2020-21 latest by 31.03.2020. The AWPs and APPs for subsequent years are required to be submitted by 31st December of the preceding year.

3.3 The PIAs may initiate activities related to institutional strengthening and capacity building, preparation of Bid documents, floating of bids for procurement of equipments, construction of piezometers and development of Management Information system etc. at the earliest to ensure that the funds allocated are utilized within the stipulated time frame.

4. Creation of NPMU / SPMUs:

4.1 The National Programme Management Unit (NPMU) will be created in the Ministry of Jal Shakti, DoWR, RD & GR, and would be supported by suitable experts from technical and other relevant fields who will also provide support to all the PIAs for effective implementation of the scheme.

4.2 . All the identified participating States would be required to constitute a State Level Inter-Departmental Steering Committee (SLISC) headed by the Chief Secretary to monitor the progress of the Scheme and coordinate implementation activities. This committee shall consist of representatives from the implementation partners such as Departments/Organisations of Finance, Rural Development, Agriculture and Power of the concerned State etc. Further, States would also be required to establish State Programme Management Units (SPMU), District Programme Implementation Units (DPIU) and a dedicated Project Monitoring Unit (PMU) within the PIAs. The constitution of the same along with their contact details may be furnished to NPMU latest by 31.01.2020.

5. MIS/Reporting System:

As the progress of actions to implement the decision of the Cabinet has to be included in Department's Monthly summary, the States are advised to submit their Monthly physical and financial progress reports along with supporting documents through the MIS, being developed for ATAL JAL. Till the time, the MIS is in place such progress reports may be sent to NPMU in the DoWR, RD&GR every month.

6. Fund Flow Mechanism:

The fund flow mechanism for the ATAL JAL will be informed separately. In the meantime, as the grants to the States cannot be transferred to the States' Treasury, the Implementing Agencies are required to open a separate Savings Bank Account in a Public Sector Bank for the ATAL JAL and intimate the same to NPMU, DoWR, RD & GR on the E-mail ID ATAL-JAL@NIC.IN, Tel No. 011-23716747 at the earliest.

7. **Procurement Procedure:**

The Scheme is being implemented under the Programme for Result (PforR) instrument of the World Bank. This essentially means that the procedures being followed by the Central Government/State Governments shall be adhered to for all tendering and procurements under the Scheme as per the programme guidelines and no World Bank approvals will be required for the same.

8. The programme guidelines for the implementation of the scheme are being finalized by the DoWR, RD & GR and will be separately intimated.

9. This issues with the concurrence of the Integrated Finance Division, Ministry of Jal Shakti, DoWR, RD & GR conveyed vide Diary No. 735/IFD/2019-20 dated 09.01.2020.

(Ashish Kumar)
Director
Tele No. 011-2371 6747

Copt to:

1) Chairman, Central Ground Water Board, NH-IV, Faridabad
2) Joint Secretary, Cabinet Secretariat, Rashtrapathi Bhawan, New Delhi w.r.t. No. 40/CM/2019(i) dated 30 Dec 2019.
3) Joint Secretary, PMO, South Block, New Delhi
4) Joint Secretary (PFII), Department of Expenditure, New Delhi.
5) Joint Secretary (Personnel), Department of Expenditure, New Delhi.
6) Principal Advisor (WR), NITI Aayog, New Delhi.
7) Director (Finance), MoWR, New Delhi.
8) Chief Controller of Accounts, MoWR, Shastri Bhawan, New Delhi.
9) Pay & Accounts Officer (Sectt.), MoWR, Shastri Bhawan, New Delhi.
10) Finance Desk/D&T/GA Section, MoWR/ Guard file.

Copy also to:

1) Sr. PPS to Secretary (WR), MoWR.
2) PPS to AS (WR), MoWR.
3) PPS to JS (Admn), MoWR
4) PPS to JS&FA, MoWR

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं0-17 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0-48 पर)

क्रम-संख्या–186 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल–डब्लू/एन0पी0/91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 11 सितम्बर, 2019

भाद्रपद 20, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग–1

संख्या 1036/62-1–2019-10जी0डब्ल्यू-2014

लखनऊ, 11 सितम्बर, 2019

अधिसूचना

प0आ0–261

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल 2 अक्टूबर, 2019 को ऐसा दिनांक नियत करते हैं, जिस दिनांक को उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

आज्ञा से,
अनीता सिंह,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1036/LXII-1–2019-10GW/2014, dated Lucknow September 11, 2019.

No. 1036/LXII-1–2019-10GW/2014
Dated Lucknow, September 11, 2019

In exercise of the powers under sub-section (3) of section 1 of the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019 (U.P. Act no. 13 of 2019) the Governor is pleased to appoint 2nd October, 2019 as the date on which said Act shall come into force.

By order,
ANITA SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 270 राजपत्र–2019–(771)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 2 सप्ल० लघु सिंचाई एवं भू–गर्भ जल–2019–(772)–1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0-10 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0-54 पर)

अनुपलब्ध मैपशीट्स का विवरण जनपद बहराइच

क्रमांक	जनपद	तहसील	ब्लाक	परगना	ग्राम	ग्राम कोड	बन्दोबस्त वर्ष	sheets count	गाo शासन परिषद में उपलब्ध भू-मानचित्र की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बहराइच	बहराइच	तितौरा	बहराइच	सिंगापरसौली	171946	1930	2	
2	बहराइच	बहराइच	तितौरा	बहराइच	बाबूपीपुरा	171947	1896	2	उपलब्ध
3	बहराइच	बहराइच	तितौरा	बहराइच	सातनी सरकार	171963	1931	1	
4	बहराइच	बहराइच	तितौरा	बहराइच	नूरूद्दीन पाक	217659	1932	1	उपलब्ध
5	बहराइच	बहराइच	तितौरा	बहराइच	शहरी क्षेत्र बहराइच	217662	1932	3	
6	बहराइच	बहराइच	तितौरा	बहराइच	रामपुर राजा	217661	1932	1	
7	बहराइच	बहराइच	तितौरा	बहराइच	शाहपुरजीत पुरानि	171965	1932	1	
8	बहराइच	बहराइच	हुजूरपुर	हिसामपुर	गौड़रिया	172292	1963	1	
9	बहराइच	बहराइच	हुजूरपुर	हिसामपुर	बीलगांव	172272	1963	1	उपलब्ध
10	बहराइच	बहराइच	हुजूरपुर	हिसामपुर	भगहरिया	172274	1963	1	
11	बहराइच	बहराइच	हुजूरपुर	हिसामपुर	रामपुर	172291	1963	2	उपलब्ध
12	बहराइच	बहराइच	हुजूरपुर	हिसामपुर	अहिरादाण्ड	172276	1964	1	उपलब्ध
13	बहराइच	बहराइच	हुजूरपुर	हिसामपुर	कटघरी सुग्रीव सिंह	172300	1964	2	उपलब्ध
14	बहराइच	बहराइच	हुजूरपुर	हिसामपुर	पद्मनारसी	172275	1964	1	उपलब्ध
15	बहराइच	बहराइच	हुजूरपुर	हिसामपुर	ताजपुर	172263	1964	1	उपलब्ध
16	बहराइच	बहराइच	हुजूरपुर	हिसामपुर	भिट्ठा	172310	1964	1	उपलब्ध
17	बहराइच	बहराइच	हुजूरपुर	हिसामपुर	भभरपुर	172290	1964	1	उपलब्ध
18	बहराइच	बहराइच	हुजूरपुर	हिसामपुर	भानपुर	172308	1964	2	उपलब्ध
19	बहराइच	बहराइच	हुजूरपुर	हिसामपुर	रानीपुर	172282	1964	1	उपलब्ध
20	बहराइच	बहराइच	हुजूरपुर	हिसामपुर	खैरा	172307	1966	1	उपलब्ध
21	बहराइच	बहराइच	तितौरा	बहराइच	जगतापुर	171969	1966	2	
22	बहराइच	बहराइच	हुजूरपुर	हिसामपुर	मुकाम	172298	1966	1	उपलब्ध
23	बहराइच	बहराइच	तितौरा	बहराइच	सोहरवा	171897	1966	3	
24	बहराइच	बहराइच	हुजूरपुर	हिसामपुर	दुर्गापुर	172279	1967	1	
25	बहराइच	बहराइच	तितौरा	बहराइच	अटा-बीजौत केशव	171987	1980	1	
26	बहराइच	कैसरगंज	जरवल	हिसामपुर	अटवा	172696	1965	1	उपलब्ध
27	बहराइच	कैसरगंज	कैसरगंज	हिसामपुर	अपनी	172407	1930	1	
28	बहराइच	कैसरगंज	फखरपुर	फखरपुर	इद्दू	172199	1966	1	उपलब्ध
29	बहराइच	कैसरगंज	जरवल	हिसामपुर	खपरहा	172229	old	1	उपलब्ध
30	बहराइच	कैसरगंज	फखरपुर	फखरपुर	खपुरखा	172508	1967	2	
31	बहराइच	कैसरगंज	कैसरगंज	हिसामपुर	गुथिया	172428	1964	1	उपलब्ध
32	बहराइच	कैसरगंज	कैसरगंज	हिसामपुर	गोड़हिया	220518	1871 urdu	19	शर्त प्रक्रिया की अनगणना उपलब्ध है।
33	बहराइच	कैसरगंज	कैसरगंज	हिसामपुर	घुरैहटा	172411	1959	1	
34	बहराइच	कैसरगंज	जरवल	हिसामपुर	घिरौली	172498	0	1	
35	बहराइच	कैसरगंज	कैसरगंज	हिसामपुर	चुतम्भा	172416	1966	2	
36	बहराइच	कैसरगंज	फखरपुर	फखरपुर	जगतपुर	172211	1966	2	उपलब्ध
37	बहराइच	कैसरगंज	फखरपुर	हिसामपुर	टेलिया उजार	172227	1965	1	उपलब्ध
38	बहराइच	कैसरगंज	फखरपुर	हिसामपुर	डिहिया कला	172173	1968	1	
39	बहराइच	कैसरगंज	फखरपुर	फखरपुर	दसैरवा	172243	1964	1	
40	बहराइच	कैसरगंज	फखरपुर	फखरपुर	दहीरा	172203	1965	2	उपलब्ध
41	बहराइच	कैसरगंज	जरवल	हिसामपुर	दिकोली खुर्द	172583	1958	1	उपलब्ध
42	बहराइच	कैसरगंज	जरवल	हिसामपुर	धनसिया	172568	1965	1	
43	बहराइच	कैसरगंज	कैसरगंज	हिसामपुर	नकौड़ा	172385	1964	2	उपलब्ध
44	बहराइच	कैसरगंज	कैसरगंज	हिसामपुर	नकौड़ीशाहपुर	172388	1964	1	उपलब्ध
45	बहराइच	कैसरगंज	जरवल	हिसामपुर	नरौड़ा	172495	1967	1	
46	बहराइच	कैसरगंज	फखरपुर	फखरपुर	बरौना	172205	1963	1	

अनुपलब्ध मैपशीट्स का विवरण जनपद बहराइच

क्रमांक	जनपद	तहसील	ब्लाक	परगना	ग्राम	ग्राम कोड	बन्दोबस्त वर्ष	sheets count	माप राजस्व परिषद में उपलब्ध भू-मानचित्र की स्थिति
47	बहराइच	कैसरगंज	कैसरगंज	हिसामपुर	भकला	172376	0	1	उपलब्ध
48	बहराइच	कैसरगंज	जरवल	हिसामपुर	भटसारी	172536	1959	1	उपलब्ध
49	बहराइच	कैसरगंज	फखरपुर	फखरपुर	भिलौरा काजी	172213	1963	2	
50	बहराइच	कैसरगंज	फखरपुर	फखरपुर	भिलौरा बाबू	172206	1966	3	उपलब्ध
51	बहराइच	कैसरगंज	कैसरगंज	हिसामपुर	भेंठिया	172389	old urdu	1	
52	बहराइच	कैसरगंज	फखरपुर	फखरपुर	महगूपुर	172223	1963	1	उपलब्ध
53	बहराइच	कैसरगंज	जरवल	हिसामपुर	महुरी बसा	172622	1967	1	
54	बहराइच	कैसरगंज	फखरपुर	फखरपुर	मूरीपट्टी	172180	1966	1	उपलब्ध
55	बहराइच	कैसरगंज	फखरपुर	फखरपुर	मोहम्मदपुर	172189	1966	1	उपलब्ध
56	बहराइच	कैसरगंज	जरवल	हिसामपुर	रेवतिया	172479	1965	1	उपलब्ध
57	बहराइच	कैसरगंज	कैसरगंज	हिसामपुर	रेवती	172455	1966	1	
58	बहराइच	कैसरगंज	फखरपुर	फखरपुर	रिंदौपुर	172198	1966	2	उपलब्ध
59	बहराइच	कैसरगंज	जरवल	हिसामपुर	लालपुर जगदीशपुर	172496	urdu	1	
60	बहराइच	कैसरगंज	दुल्लूरपुर	हिसामपुर	विद्युनपुर देवी	172364	1965	1	
61	बहराइच	कैसरगंज	दुल्लूरपुर	हिसामपुर	शाहपुर	172328	1965	1	उपलब्ध
62	बहराइच	कैसरगंज	फखरपुर	फखरपुर	सरसना	172207	1964	2	उपलब्ध
63	बहराइच	कैसरगंज	कैसरगंज	हिसामपुर	सुतौली	172392	1964	1	उपलब्ध
64	बहराइच	कैसरगंज	फखरपुर	फखरपुर	सुहागाह्न	172197	1966	1	
65	बहराइच	कैसरगंज	जरवल	हिसामपुर	हसनपुर	172569	1963	1	उपलब्ध
66	बहराइच	कैसरगंज	जरवल	हिसामपुर	हसनापुर	172527	1964	1	उपलब्ध
67	बहराइच	कैसरगंज	जरवल	हिसामपुर	हिसामपुर	172516	1964	1	उपलब्ध
68	बहराइच	कैसरगंज	जरवल	हिसामपुर	हैदराबाद	172500	1945 urdu	2	उपलब्ध
69	बहराइच	कैसरगंज	फखरपुर	फखरपुर	हैबतपुर	172195	1967	2	
70	बहराइच	महसी	महसी	फखरपुर	अगौरा दुबहा	171682	1958	1	उपलब्ध
71	बहराइच	महसी	महसी	फखरपुर	आशापुर	171748	old	1	उपलब्ध
72	बहराइच	महसी	फखरपुर	फखरपुर	इनामी	171826	1986	1	
73	बहराइच	महसी	महसी	फखरपुर	उमरिया	171747	1957	1	उपलब्ध
74	बहराइच	महसी	महसी	फखरपुर	औराही	171695	1960	1	
75	बहराइच	महसी	फखरपुर	फखरपुर	कनेरा	171854	old	1	
76	बहराइच	महसी	महसी	फखरपुर	कोटिया	171679	1958	1	उपलब्ध
77	बहराइच	महसी	महसी	फखरपुर	कौतिला	171736	1966	1	उपलब्ध
78	बहराइच	महसी	महसी	फखरपुर	खम्हरिया खुर्द	171782	1966	1	उपलब्ध
79	बहराइच	महसी	महसी	फखरपुर	खरगापुर	171746	1958	1	उपलब्ध
80	बहराइच	महसी	महसी	फखरपुर	गलकरा	171685	1987	1	उपलब्ध
81	बहराइच	महसी	फखरपुर	फखरपुर	गुंजीली खुर्द	171845	old	1	
82	बहराइच	महसी	फखरपुर	फखरपुर	गोहनिया	171863	1965	1	उपलब्ध
83	बहराइच	महसी	फखरपुर	फखरपुर	घुरवतिया	171833	1959	1	उपलब्ध
84	बहराइच	महसी	महसी	फखरपुर	छतारपुर	171662	1968	1	
85	बहराइच	महसी	तजवापुर	फखरपुर	ठोठायल	171795	1967	1	
86	बहराइच	महसी	तजवापुर	फखरपुर	तिगाई	171831	1969	2	
87	बहराइच	महसी	महसी	फखरपुर	धनौली	171741	1935	1	
88	बहराइच	महसी	महसी	फखरपुर	नधुआपुर	171718	1968	1	
89	बहराइच	महसी	फखरपुर	फखरपुर	पट्टी कमालपुर	171661	1966	1	
90	बहराइच	महसी	महसी	फखरपुर	पण्डितपुरवा	171752	1959	1	उपलब्ध
91	बहराइच	महसी	महसी	फखरपुर	पूरे अर्जुन सिंह	171696	1932Urdu	1	उपलब्ध
92	बहराइच	महसी	महसी	फखरपुर	पूरे कुबेर पाण्डेय	171674	1966	1	उपलब्ध
93	बहराइच	महसी	महसी	फखरपुर	पूरे गंगा प्रसाद	171673	old	1	उपलब्ध
94	बहराइच	महसी	महसी	फखरपुर	पूरे प्रसाद सिंह	171683	1959	1	उपलब्ध
95	बहराइच	महसी	महसी	फखरपुर	पूरे बकरी गड़रिया	171680	1958	2	उपलब्ध
96	बहराइच	महसी	महसी	फखरपुर	बेलपुरवा	171670	1966	1	

अनुपलब्ध मैपशीट्स का विवरण जनपद बहराइच

क्रमांक	जनपद	तहसील	ब्लाक	परगना	ग्राम	ग्राम कोड	बन्दोबस्त वर्ष	sheets count	पाठ राजस्व परिषद में उपलब्ध भू-मानचित्र की स्थिति
97	बहराइच	महसी	महसी	फखरपुर	बन्दरिया	171701	1973	1	
98	बहराइच	महसी	फखरपुर	फखरपुर	बंगिगारी	171862	1969	1	
99	बहराइच	महसी	महसी	फखरपुर	बरूना बेहड़	171763	1959	1	उपलब्ध
100	बहराइच	महसी	महसी	फखरपुर	बांसगढ़ी	171866	1960	2	उपलब्ध
101	बहराइच	महसी	तजवापुर	फखरपुर	बीरबलपुर	171789	1931 urdu	1	
102	बहराइच	महसी	महसी	फखरपुर	भुवेरिया	171704	1967	1	
103	बहराइच	महसी	महसी	फखरपुर	भुड़ापुर	171707	1966	1	उपलब्ध
104	बहराइच	महसी	महसी	फखरपुर	भुरवारी	171745	1958	1	उपलब्ध
105	बहराइच	महसी	महसी	फखरपुर	मिल्कपुरवा	171677	1930	2	चकबन्दी के अन्तर्गत
106	बहराइच	महसी	तजवापुर	फखरपुर	मिलवा	171761	1966	1	
107	बहराइच	महसी	महसी	फखरपुर	रामजापुर खुर्द	171726	1935	1	
108	बहराइच	महसी	पिडुरा	नानपारा	सपौनीत	171647	1968	1	
109	बहराइच	महसी	महसी	फखरपुर	राजापुर कला	171659	1968	2	
110	बहराइच	महसी	तजवापुर	फखरपुर	रामगढ़	171765	1968	2	
111	बहराइच	महसी	फखरपुर	फखरपुर	रामापुर बिथौती	171880	1969	1	
112	बहराइच	मोतीपुर	बलहा	नानपारा	दौलतपुर	171338	1957	4	उपलब्ध
113	बहराइच	मोतीपुर	पिडुरवा	धर्मपुर	धुम-नाथारू	171264	1986	1	
114	बहराइच	रामनगर	हुजूरपुर	हिसामपुर	करथरा खुर्द	172318	1964	1	उपलब्ध
115	बहराइच	रामनगर	जिलौरीगंज	इकौना	कन्धर	172128	0	2	
116	बहराइच	रामनगर	हुजूरपुर	हिसामपुर	कन्दरा	172331	1965	1	उपलब्ध
117	बहराइच	रामनगर	हुजूरपुर	हिसामपुर	कतुवापुर	172315	1965	1	उपलब्ध
118	बहराइच	रामनगर	हुजूरपुर	हिसामपुर	खानपुर	172323	1964	1	उपलब्ध
119	बहराइच	रामनगर	रामनगर	बहराइच	खापुरा	217660	1992	1	उपलब्ध
120	बहराइच	रामनगर	जिलौरीगंज	इकौना	गुरवाही	172087	1965	2	चकबन्दी के अन्तर्गत
121	बहराइच	रामनगर	हुजूरपुर	हिसामपुर	जिगिनिया जसकरन सिंह	172316	1964	2	
122	बहराइच	रामनगर	हुजूरपुर	हिसामपुर	झानापुर	172350	1967	1	
123	बहराइच	रामनगर	जिलौरीगंज	इकौना	टीस कुआ	172157	1966	1	चकबन्दी के अन्तर्गत उपलब्ध
124	बहराइच	रामनगर	हुजूरपुर	हिसामपुर	धनघाटा	172333	1963	1	उपलब्ध
125	बहराइच	रामनगर	हुजूरपुर	हिसामपुर	धरमपुर	172314	1964	1	उपलब्ध
126	बहराइच	रामनगर	जिलौरीगंज	इकौना	भैठिया	172133	1966	2	
127	बहराइच	रामनगर	हुजूरपुर	हिसामपुर	पातुपुर	172319	1966	2	उपलब्ध
128	बहराइच	रामनगर	जिलौरीगंज	इकौना	बसरैरा	172086	1964	1	
129	बहराइच	रामनगर	हुजूरपुर	हिसामपुर	बेहठा	172345	1967	2	
130	बहराइच	रामनगर	हुजूरपुर	हिसामपुर	शिवनहा	172334	1964	1	उपलब्ध
131	बहराइच	रामनगर	हुजूरपुर	हिसामपुर	सिंहपुर	172337	1964	1	उपलब्ध
132	बहराइच	रामनगर	रामनगर	बहराइच	सेवड़ा	172010	1966	1	
133	बहराइच	रामनगर	हुजूरपुर	हिसामपुर	सोनहरा	172351	1935	1	उपलब्ध
134	बहराइच	नानपारा	बलहा	नानपारा	ककरहा बोधन	171466	1977	1	
135	बहराइच	नानपारा	नवाबगंज	धरदा	केवलडीह	171395	1928	1	
136	बहराइच	नानपारा	नवाबगंज	धरदा	जोहनगंव	171365	1958	1	उपलब्ध
137	बहराइच	नानपारा	सिसिया	नानपारा	तुलसी मझौवा	171576	1947	1	
138	बहराइच	नानपारा	सिसिया	नानपारा	बरदहा	171509	1978	1	
139	बहराइच	नानपारा	नवाबगंज	धरदा	बेलचंदपुर	171333	1958	3	उपलब्ध
140	बहराइच	नानपारा	सिसिया	नानपारा	महरू	171694	1967	1	
141	बहराइच	नानपारा	नवाबगंज	धरदा	मादेडीह	171388	1928	1	

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0-36 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0-67 पर)

वित्तीय वर्ष 2020-21 से दि0-22.07.2022 तक कराये गये कार्यों का विवरण

राज्य वित्त

सं0	परियोजना का नाम	व्यय धनराशि
1	ग्राम पंचायत गौरा खुर्द में राजेश के घर से गौराकला नहर तक इंटरलाकिंग	622358
2	ग्राम पंचायत भुतहा में मनोज के घर के पास पुलिया निर्माण	115410
3	जंगीपुर में ब्राहमण बस्ती से मखदूमपुर तक खड़ंजा निर्माण	167007
4	सहायक विकास अधिकारी आवास की रंगाई पुताई एवं मरम्मत	247072
5	04 नग सोलर लाइट	284000
6	बिरशादपुर में विजई की दुकान से हरिजन बस्ती तक इण्टरलाकिंग	340371
7	सलामतपुर में चौखड़ा सरहद से शिवमंदिर तक इंटरलाकिंग	155205
8	पशु चिकित्साधिकारी आवास की मरम्मत एवं रंगाई पुताई	58600
9	मीटिंग हाल में टाइल्स एवं मंच का निर्माण	136249
10	ब्लाक कैम्पस में कर्मचारियों के आवास की मरम्मत एवं रंगाई पुताई	173881
11	ब्लाक कैम्पस में स्टोर रूम की मरम्मत एवं रंगाई पुताई	[illegible]
12	ग्राम पंचायत गौरा कला में रामसगन सिंह के घर से गौराकला नहर तक इंटरलाकिंग	358801
13	ब्लाक कैम्पस में कर्मचारियों के आवास की मरम्मत एवं रंगाई पुताई	73736
14	पशु चिकित्साधिकारी आवास की मरम्मत एवं रगाई पुताई	142481
15	ब्लाक कैम्पस में पार्क का निर्माण	217421
16	विकास खण्ड कार्यालय में टाइल्स निर्माण	117400
17	ब्लाक कैम्पस में मीटिंग हाल में टाइल्स निर्माण	258807
18	ब्लाक कैम्पस में स्टोर रूम की मरम्मत एवं रंगाई पुताई	12806
19	शंकरगढ में मरगपुर मुख्य मार्ग से मुन्ना के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	291963
20	शिवरहा में अखिलेश त्रिपाठी के खेत से सवंसा तक इण्टरलाकिंग कार्य	462247
21	मरगपुर में बिरसादपुर सरहद से लल्ला सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य	293715
22	जंगपुर में रामदवर यादव के घर से मखदूमपुर तक इण्टरलाकिंग कार्य	485443
23	मिटिंगहाल में पी0बी0सी0 पैनल, फर्निचर सुन्दरीकरण	358403
24	बी0डी0ओ0/प्रमुख कक्ष में पी0बी0सी0 पैनल फाल सिलिंग कार्य	180253
25	चुरावनपुर में राम चन्दर प्रजापति के घर से मुख्यसड़क तक इण्टरलाकिंग कार्य	462247

26	भिवरहा में कमलेश के घर के पीछे कहार बस्ती से बीरभानपुर सरहद तक इण्टरलाकिंग कार्य	188349
27	मिटिंग हाल में फालसिलिंग एवं सुन्दरीकारण कार्य	93085
28	मरगूपुर में विरसादपुर सरहद से लल्लासिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग	114962
29	वि0ख0 परिसर में स्थित मिटिंग हाल टाइल्स एवं मच का निर्माण	227844
30	विरसादपुर में लल्ला सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य	33962
31	मिटिंगहाल में टाइल्स एवं मंच का निर्माण	98383
32	बी0डी0ओ0/प्रमुख कक्ष में फाल सिलिंग एवं पी0बी0सी0 पैनल निर्माण	186239
33	गौराकला में राम मगन सिंह के घर से पास पुलिया निर्माण	99869
34	वि0ख0 कार्यालय में टाइल्स का निर्माण	676572
35	विरसादपुर में मरगूपुर विजई की दुकान हरिजन बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	173472
36	चुरावनपुर में रामचन्दर प्रजापति के घर से मुख्य संडक तक इण्टरलाकिंग कार्य	378198
37	वि0ख0 कार्यालय के सभी कक्षो में पीबीसी पैनल का कार्य	478640
38	मिटिंग हाल में फाल सिलिंग/सुनदरीकलरण	221863
39	कर्मचारियों के आवास की मरम्मत/रंगाई	88024
40	भिवरहा में कमलेश के घर के पीछे कहार बस्ती से वीरीाानपुर सरहद तक इण्टरलाकिंग कार्य	110181
41	मिटिंग हाल में पीबीसी0 पैनल/सुन्दरीकरण	287237
42	जंगीपुर में रामदवर यादव के घर से मखदूमपुर तक इण्टरलाकिंग कार्य	350645
43	ब्लाक परिसर में पार्क का निर्माण	280095
44	सलामतपुर में चौखड़ा सरहद से शिवमंदिर तक इण्टरलाकिंग कार्य	155205
45	दिलशादपुर में तेजी बाजार चौराहे पर सुबाषचन्द बोस चबूतरे का सुन्दरीकरण	263713
46	शंकरगढ में अटरा मरगूपुर में मुख्य मार्ग से मुन्ना के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	87346
47	ब्राम्हणपुर नवाबाद में सरौली मेन म0शहर रोड से महन्था के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	595468
48	अलहदिया में तेजी बाजार पिच मार्ग पूरामोहब्बत से धोबी बस्ती तक खण्डजा कार्य	352300
49	मरगूपुर में तेजीबाजार मुख्य मार्ग से रायसाहब के खेत तक इण्टरलाकिंग कार्य	827739
	योग	12415127

मुख्य विकास अधिकारी
जौनपुर

खण्ड विकास अधिकारी
बक्शा, जौनपुर।

वित्तीय वर्ष 2020–21 से दि0–22.07.2022 तक कराये गये कार्यो का विवरण

केन्द्रीय वित्त

क्र0सं0	परियोजना का नाम	व्यय धनराशि
1	भिवरहा में जयप्रकाश सिंह के घर से वीरभानपुर सरहद तक इण्टरलाकिंग कार्य	749412
2	विरसादपुर में पंचायत भवनर के पास जिम झूला	116334
3	गौराखुर्द में मुगी फार्म के पास जिम व झूला	116334
4	मरगूपुर में हनुमान मन्दिर के पास जिम व झेला	116334
5	कटहरी में प्र0वि0 के पास जिम व झेला	116334
6	सरायत्रिलाकी में प्रा0वि0 के पास जिम व झूला	116334
7	हसरौली में मनरेगा पार्क में जिम व झूला	129532
8	विरसादपुर में आबादी में जिम व झूला	116334
9	चुरावनपुर में रामचन्द गुप्ता के घर के पास में जिम व झूला	116334
10	देवरिया में प्रा0वि0 में जिम व झूला	116334
11	मई में बगीचे में जिम व झूला	116334
12	बक्शा के अम्बेडकर पार्क में जिम व झूला	116334
13	दिलशादपुर में प्रा0वि0 में जिम व झूला	116334
14	जंगीपुर में रामलीला मैदान में जिम व झूला	129532
15	चितौडी में प्रा0वि0 में जिम व झूला	116334
16	सहोदरपुर श्यामराज सिंह के घर के पास में जिम व झूला	129532
17	जंगीपुर में पं0भवन के पास जिम व झूला	116334
18	गैरीखुर्द में मनिदर के पास जिम व झूला	116334
19	ब्लाक कैम्पस में अटलपार्क में जिम व झूला	129532
20	लेदुका में जू0हा0स्कूल में जिम व झूला	116334
21	बीरभानपुर में मनिदर के पास में जिम व झूला	116334
22	भिवरहा मे छट्ठीमाता के पास में जिम व झूला	116334
23	गौराकला में प्रा0वि0 में जिम व झूला	116334
24	भिवरहा में शिव मन्दिर में जिम व झूला	129532
25	अगरौरा में अजय सिंह के घर के पास जिम व झूला	116334

26	हैदरपुर में स्कूल के पास जिम व झूला	116334
27	मरगूपुर में अम्बेडकर पार्क में जिम व झूला	129532
28	मरगूपुर में भौसासुर मन्दिर में जिम व झूला	129532
29	भटपुरा बगीचे में जिम व झूला	116334
30	भैरोपुर में खेल के मैदान में जिम व झूला	116334
31	मंगरैसर मे मन्दिर के पास जिम व झूला	116334
32	मरगूपुर यादव बस्ती जगदम्बा सिंह के घर से चौबे के खेत तक इण्टरलाकिंग कार्य	582881
33	उमरपुर में भानु प्रताप सिंह के मकान से आलोक सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	415638
34	भिवरहा में जय प्रकाश सिंह के घर से बीरमानपुर सरहद तक इण्टरलाकिंग कार्य	27085
35	मरगूपुर में भैसासुर मन्दिर में इण्टरलाकिंग कार्य	113889
36	सहोदरपुर में गजराज सिंह के घर से श्याम राज के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	422589
37	भिवरहा में इण्टरलाकिंग बेंच एवं डस्टबीन	207092
38	चंवरी सलामतपुर में प्राथ0वि0 के पास जिम व झूला	125132
39	पिपरी बरजी में नहर के पास जिम व झूला	125132
40	भूतहा में नहर के पास जिम व झूला	125132
41	सहोदरपुर में दिनेश के घर के पास जिम व झूला	125132
42	बरचौली में बगीचे के पास जिम व झूला	125132
43	शंकरगढ में छठमाता मन्दिर के पास	125132
44	उमरपुर में मन्दिर के पास जिम व झूला	125132
45	भिवरहा में मन्दिर के पास जिम व झूला	125132
46	भैरोपुर सवंसा में उपाध्याय जी स्मारक निर्माण	260781
47	बीरमानपुर में स्कूल के सामने मन्दिर के पास जिम व झूला	8798
48	अगरौरा में अजय सिंह के घर के पास जिम व झूला	8798
49	भिवरहा में शिव मन्दिर के पास जिम व झूला	10558
50	मरगूपुर में हनुमान मन्दिर के पास जिम व झूला	10558
51	मरगूपुर में अम्बेडकर पार्क में जिम व झूला	10558
52	सहोदरपुर में श्यामा राज सिंह के घर के पास जिम व झूला	10558
53	मरगूपुर में जिम व झूला	8798
54	चुरावनपुर में राम चन्द के घर के पास जिम व झूला	8798

55	गौराकला में प्राथवि0 के पास जिम व झूला	8798
56	हैदरपुर में विद्यालय में पास जिम व झूला	8798
57	गौराखुर्द में कपूरपुर बगीचे में जिम व झूला	8798
58	भैरोपुर में खेल के मैदान में जिम व झूला	8798
59	विरसादपुर में पंचम0 के पास जिम व झूला	8798
60	सरायत्रिलोकी में प्राथवि0 के पास जिम व झूला	87987
61	ब्लाक कैम्पस अटल पार्क मे जिम व झूला	10558
62	लेदुका जुएहा0 स्कूल में जिम व झूला	8798
63	हसरौली में मनरेगा पार्क में जिम व झूला	10558
64	जंगीपुर में रामलीला मैदान में जिम व झूला	10558
65	मरगुपुर भैसासुर मन्दिर में जिम व झूला	10558
66	बक्सा के अम्बेडकर पार्क में जिम व झूला	8798
67	मई मे बगीचे में जिम व झूला	8798
68	कटहरी में प्राथवि0 में जिम व झूला	8798
69	विरसादपुर आबादी में जिम व झूला	8798
70	जंगीपुर में पंचम0 के पास जिम व झूला	8798
71	भटपुरा में बगीचे में जिम व झूला	8798
72	चितौडी में प्राथवि0 के पास जिम व झूला	8798
73	गौराखुर्द में मुर्गी फार्म के पास जिम व झूला	8798
74	गौराखुर्द में जिम व झूला	8798
75	दिलशादपुर में प्राथवि0 के पास जिम व झूला	8798
76	सहोदरपुर में गजराज सिंह के घर के से श्यामबहादुर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	84399
77	मरगुपुर में यादव बस्ती जगदम्बा सिंह के घर से चौबे के खेत तक इण्टरलाकिंग कार्य	111223
78	देवरिया में प्राथवि0 में जिम व झूला	87980
79	गोपालापुर हनुमान मन्दिर में छत्रधारी सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	398880
80	सादनपुर प्राथवि0 में जिम व झूला	125132
81	नरी मे प्राथवि0 में जिम व झूला	125132
82	ब्रा0 बरखण्डी में गढ़ढा सोख्ता	246791
83	मोहम्मदपुर में गढ़ढा सोख्ता	246791

84	बरपुर में गढ़ढा सोख्ता	246791
85	बेलहटा में गढ़ढा सोख्ता	246789
86	मई में गढ़ढा सोख्ता	123380
87	बड़ारी में गढ़ढा सोख्ता	246791
88	दक्षिणपट्टी में गढ़ढा सोख्ता	185084
89	अगरौरा में गढ़ढा सोख्ता	320673
90	गोरियापुर में गढ़ढा सोख्ता	246791
91	उटरूकला में गढ़ढा सोख्ता	123380
92	सरायहरखू में गढ़ढा सोख्ता	320673
93	नेवादाकाजी में गढ़ढा सोख्ता	123380
94	गढासेनी में गढ़ढा सोख्ता	246791
95	कलिंजरा में गढ़ढा सोख्ता	123380
96	हैदरपुर में गढ़ढा सोख्ता	246709
97	सदरूद्दीनपुर में गढ़ढा सोख्ता	123380
98	सलारपुर में गढ़ढा सोख्ता	246791
99	दरियावगंज में गढ़ढा सोख्ता	370175
100	लेदुका में गढ़ढा सोख्ता	246791
101	बेल्छा में गढ़ढा सोख्ता	123380
102	अलहदिया में गढ़ढा सोख्ता	246791
103	गढ़बाघराय में गढ़ढा सोख्ता	185084
104	सड़ेरी में गढ़ढा सोख्ता	370175
	योग	13850747

14/09/22
खण्ड विकास अधिकारी
बक्शा, जौनपुर।

मुख्य विकास अधि
जौनपुर

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0-72 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0-89 पर)

संख्या- 13/ 2016/ डी383/ 38-2-2016-2(17)डी/ 2016

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 18 जुलाई, 2016

विषय:- जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में सीधी भर्ती से नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों का ग्राम्य विकास विभाग में संविलियन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में सीधी भर्ती से नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को ग्राम्य विकास विभाग में तात्कालिक प्रभाव से इस शर्त के साथ संविलियित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिकों को ग्राम्य विकास विभाग में संविलियन किये जाने के उपरान्त प्रतिनियुक्ति पर माना जायेगा। इन कार्मिकों के संवर्ग को "डाईंग कैडर" घोषित करते हुए नयी पेंशन योजना वर्ष 2005 से आच्छादित करने एवं संविलियन के फलस्वरूप कोई भी लाभ पूर्वगामी तिथि से न दिये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिक से विकल्प प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। यदि किसी कर्मी को यह विकल्प स्वीकार नहीं है तो उसे पूर्व की भाँति सोसाइटी का कर्मी बने रहने का विकल्प रहेगा। उक्त शर्तों के अधीन जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के सीधी भर्ती के नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों, जिनकी संख्या लगभग-995 है, को ग्राम्य विकास विभाग में संविलियन किया जाता है।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-2/ 622-दस-2016 दिनांक 11 जुलाई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

दीपक त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

संख्या-सा0- 13/ 2016/ डी383 (1)/ 38-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- सचिव (डीआरडीए प्रशासन) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3- समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
4- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
6- समस्त जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7- समस्त परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, उ0प्र0।
8- कार्मिक अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/ वित्त (वेतन आयोग) अनु0-2
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रभात कुमार श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0-85 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0-98 पर)

दिनांक 20.07.2021 से 02.07.2022 तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग(कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत विनियमित शिक्षकों का विवरण:-

क्रमांक	शिक्षक का नाम	पदनाम	विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	पत्रांक व दिनांक	अभ्युक्ति
1	श्री सुरेश प्रताप सिंह	सहायक अध्यापक	विद्या मन्दिर इण्टर कालेज गिल्कीपुर	अयोध्या	2920-22/2021-22 दि-10.09.21	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
2	श्रीमती शिरदा सिंह	सहायक अध्यापक	विद्या मन्दिर इण्टर कालेज गिल्कीपुर	अयोध्या	2923-25/2021-22 दि-10.09.21	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
3	श्री रक्षाराम वर्मा	सहायक अध्यापक	श्री निर्भय सिंह औद्योगिक इण्टर कालेज रामपुर सर्धा	अयोध्या	10542-44/2021-22 दि-07.01.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
4	श्री रमेश कुमार सिंह	सहायक अध्यापक	श्री निर्भय सिंह औद्योगिक इण्टर कालेज रामपुर सर्धा	अयोध्या	10545-47/2021-22 दि-07.01.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
5	श्री तेज प्रताप सिंह	सहायक अध्यापक	ए0एन0डी0 इण्टर कालेज गोसाईगंज	अयोध्या	2917-19/2021-22 दि-16.09.21	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
6	श्री सतीश चन्द्र त्रिपाठी	सहायक अध्यापक	देव विद्यालय इण्टर कालेज तरौली	अयोध्या	2926-28/2021-22 दि-16.09.21	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
7	श्री रमाकान्त तिवारी	सहायक अध्यापक	एम0पी0एल0एल0 आदर्श इण्टर कालेज	अयोध्या	1991-93/2022-23 दि-17.06.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
8	श्री विनोद कुमार मिश्र	सहायक अध्यापक	राजकरण वैदिक पाठशाला इण्टर कालेज	अयोध्या	953-55/2022-23 दि-09.05.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
9	श्री अमेरिका लाल तिवारी	सहायक अध्यापक	राजकरण वैदिक पाठशाला इण्टर कालेज	अयोध्या	950-52/2022-23 दि-09.05.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
10	श्री राजेन्द्र कुमार मिश्र	सहायक अध्यापक	राजकरण वैदिक पाठशाला इण्टर कालेज	अयोध्या	1301-03/2022-23 दि-17.05.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
11	श्री पवन कुमार सिंह	सहायक अध्यापक	राम बली नेशनल इण्टर कालेज, गोसाईगंज	अयोध्या	9265-67/2021-22 दि-11.11.21	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत

12	श्री शिव शंकर शुक्ल	प्रवक्ता	राम बली नेशनल इण्टर कालेज, गोसाईगंज	अयोध्या	10512–14 /2021–22 दि–07.01.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
13	श्री संतराम वर्मा	सहायक अध्यापक	राम बली नेशनल इण्टर कालेज, गोसांईगंज	अयोध्या	9262–04 / 2021–22 दि–11.11.21	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
14	श्री ओम प्रकाश सिह	सहायक अध्यापक	राम बली नेशनल इण्टर कालेज, गोसांईगज	अयोध्या	10521–23 /2021–22 दि–07.01.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
15	श्री राजेश प्रकाश सिंह	सहायक अध्यापक	राम बली नेशनल इण्टर कालेज, गोसांईगंज	अयोध्या	9870–72 / 2021–22 दि–15.12.21	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
16	श्री ज्ञानदेव वर्मा	सहायक अध्यापक	राम बली नेशनल इण्टर कालेज, गोसांईगंज	अयोध्या	9268–70 / 2021–22 दि–11.1121	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
17	श्री सत्य प्रकाश तिवारी	सहायक अध्यापक	मुन्ना लाल मदन लाल विद्या मन्दिर उ0मा0वि0	अयोध्या	2943–46 / 2021–22 दि–16.09.21	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिना का निवारण) आदेश, 19 के अन्तर्गत
18	श्री चन्द्रशेखर सिंह	सहायक अध्यापक	मुन्ना लाल मदन लाल विद्या मन्दिर उ0मा0वि0	अयोध्या	2943–46 / 2021–22 दि–16.09.21	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
19	श्री रमेश कुमार पाठक	सहायक अध्यापक	पी0डी0 पाण्डेय इण्टर कालेज सोनैसा रसूलाबाद	अयोध्या	2003–05 / 2022–23 दि–17.06.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
20	श्री कमलेश कुमार सिंह	सहायक अध्यापक	एस0 ए0 इण्टर कालेज खपराडीह	अयोध्या	959–61 / 2022–23 दि–09.05.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
21	श्री निर्मल कुमार श्रीवास्तव	सहायक अध्यापक	सी0एल0 इण्टर कालेज छीते पट्टी	सुलतानपुर	10565–67 /2021–22 दि–07.01.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
22	श्री मंशाराम यादव	सहायक अध्यापक	सी0एल0 इण्टर कालेज छीते पट्टी	सुलतानपुर	2036–38 / 2022–23 दि–17.06.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
23	श्री संजय कुमार मिश्र	सहायक अध्यापक	बी0पी0 इण्टर कालेज कुड़वार	सुलतानपुर	10485–87 /2021–22 दि–07.01.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
24	श्री कपिल कान्त पाठक	सहायक अध्यापक	बी0पी0 इण्टर कालेज कुड़वार	सुलतानपुर	2030–32 / 2022–23	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का

					दि-17.06.22	निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
25	श्री प्रवीण कुमार उपाध्याय	सहायक अध्यापक	वी0पी0 इण्टर कालेज कुड़यार	सुलतानपुर	10540-50 /2021-22 दि-07.01.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
26	श्री कृष्ण देव शुक्ल	सहायक अध्यापक	वी0पी0 इण्टर कालेज कुडवार	सुलतानपुर	10491 03 /2021-22 दि-07.01.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
27	श्री संजय कुमार सिंह	सहायक अध्यापक	बरियार शाह इं0का0 भरखरे	सुलतानपुर	2048-50/ 2022-23 दि-17.06.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
28	श्री शमशेर बहादुरसिह	सहायक अध्यापक	सहराय भाले सुलतान इं0का0 हलियापुर	सुलतानपुर	2027-29/ 2022-23 दि-17.06.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
29	श्री ओम प्रकाश सिंह	सहायक अध्यापक	महाराणा प्रताप इं0 का0 उतुरी	सुलतानपुर	2021-23/ 2022-23 दि-17.06.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
30	श्री मनोज कुमार मिश्र	प्रवक्ता	मधुसूदन विद्यालय इं0का0	सुलतानपुर	2039-41/ 2022-23 दि-17.06.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
31	श्री यज्ञदेव त्रिपाठी	सहायक अध्यापक	मधुसूदन विद्यालय इं0का0	सुलतानपुर	2061-63/ 2022-23 दि-17.06.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
32	श्री प्रदीप कुमार दूबे	सहायक अध्यापक	राम चरन सिंह इं0का0 रवनिया	सुलतानपुर	2018-20/ 2022-23 दि-17.06.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
33	श्री शारदा प्रसाद सिंह	सहायक अध्यापक	बरियार शाह इं0का0 भरखरे	सुलतानपुर	10500-02 /2021-22 दि-07.01.21	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
34	श्री राकेश कुमार सिंह	सहायक अध्यापक	नेशनल इण्टर कालेज कादीपुर	सुलतानपुर	10497-99 /2021-22 दि-07.01.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
35	श्री दुख हरन वर्मा	सहायक अध्यापक	जनता इं0का0 कूरेभार	सुलतानपुर	10572-74 /2021-22 दि-07.01.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
36	श्री विपिन कुमार सिंह	सहायक अध्यापक	जनता इं0का0 कुन्दाभैरवपुर	सुलतानपुर	2054-57/ 2022-23 दि-17.06.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत

37	श्री शरद कुमार सिंह	सहायक अध्यापक	राम चरन सिंह इ0का0 रवनिया	सुलतानपुर	1047–49/ 2022–23 दि–10.05.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
38	श्री संजय कुमार सिंह	सहायक अध्यापक	श्री रामदेव सिंह इ0का कामतागंज	सुलतानपुर	2051–53/ 2022–23 दि–17.06.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
39	श्री अरूण कुमार सिंह	सहायक अध्यापक	श्री रामदेव सिंह इ0का कामतागंज	सुलतानपुर	10595–97 /2021–22 दि–07.01.21	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
40	श्री दल सिंगार सिंह	सहायक अध्यापक	महात्मा गांधी स्मारक इ0का0	सुलतानपुर	2033–35/ 2022–23 दि–17.06.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
41	श्री रूद्रसेन सिंह	सहायक अध्यापक	मोतीलाल विद्या मन्दिर मालीपुर अम्बेडकरनगर	अम्बेडकर नगर	1994–96/ 2022–23 दि–17.06.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
42	श्री रणजीत सिंह	सहायक अध्यापक	गाँधी स्मारक इं0 का0 राजे सुलतानपुर	अम्बेडकर नगर	2027–29/ 2022–23 दि–17.06.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
43	श्री विजय कुमार, पाण्डेय	सहायक अध्यापक	ग्राम स्वावलम्बी इं0का रनीवां	अम्बेडकर नगर	2256–58/ 2021–22 दि–19.08.21	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
44	श्री अशोक कुमार मिश्र	सहायक अध्यापक	जनता उ0मा0वि0 सुरहुरपुर	अम्बेडकर नगर	3563–65/ 2021–22 दि–12.10.21	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
45	श्री सूर्यभान	प्रवक्ता	मोतीलाल विद्या मन्दिर मालीपुर अम्बेडकरनगर	अम्बेडकर नगर	1997–99/ 2022–23 दि–17.06.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
46	श्री चन्द्रशेखर मौर्य	सहायक अध्यापक	राम लोचन इं0का0 शिवपाल	अम्बेडकर नगर	10601–03 /2021–22 दि–07.01.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
47	श्री मंशाराम मौर्य	सहायक अध्यापक	गांधी स्मारक इं0का0 नत्थूपुर लौधना	अम्बेडकर नगर	1037–06/ 2022–23 दि–17.05.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
48	श्री अनिल कुमार मौर्य	सहायक अध्यापक	राम लोचन इं0का0 शिवपाल	अम्बेडकर नगर	10598–106 00/2021– 22 दि– 07.01.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
49	श्री हरिश्चन्द्र मौर्य	सहायक अध्यापक	गांधी स्मारक इं0का0 नत्थूपुर	अम्बेडकर नगर	1304–06/ 2022–23	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का

			लौधना		दिनांक 17.05.2022	निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
50	श्री सत्य नारायण यादव	प्रवक्ता	मोतीलाल विद्या मन्दिर मालीपुर अम्बेडकरनगर	अम्बेडकर नगर	2009–11/2022–23 दि–17.06.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
51	श्री हनुमान प्रसाद मिश्र	सहायक अध्यापक	सुभाष राष्ट्रीय इं0 का0 सैदही	अम्बेडकर नगर	1943–45/2021–22 दि–09.08.21	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
52	श्री मनोज कुमार यादव	सहायक अध्यापक	मोतीलाल विद्या मन्दिर मालीपुर अम्बेडकरनगर	अम्बेडकर नगर	1937–39/2021–22 दि–09.08.21	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
53	श्री सुशील कुमार सिंह	सहायक अध्यापक	मोतीलाल विद्या मन्दिर मालीपुर अम्बेडकरनगर	अम्बेडकर नगर	1843–45/2021–22 दि–05.08.21	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
54	श्री देवेन्द्र कुमार सिंह	प्रवक्ता	आदर्श इं0का0 खूखूतारा	अम्बेडकर नगर	2262–64/2021–22 दि–19.08.21	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
55	श्री जयराम मौर्य	सहायक अध्यापक	गाँधी स्मारक इं0 का0 राजे सुलतानपुर	अम्बेडकर नगर	2050–52/2021–22 दि–12.08.21	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
56	श्री विनोद कुमार सिंह	सहायक अध्यापक	गाँधी स्मारक इं0 का0 राजे सुलतानपुर	अम्बेडकर नगर	2259–61/2021–22 दि–19.08.21	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
57	श्री राम तीर्थ वर्मा	प्रवक्ता	राम अवध जनता इं0का0 बरियावन	अम्बेडकर नगर	2932–34/2021–22 दि–16.09.21	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
58	श्री जियाराम वर्मा	सहायक अध्यापक	जयराम वर्मा बापू स्मारक इं0का0 नाऊसाण्डा	अम्बेडकर नगर	10557–59/2021–22 दि–07.01.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
59	श्री गिरीश कुमार चतुर्वेदी	सहायक अध्यापक	शान्ति आश्रम इं0का0 सया	अम्बेडकर नगर	2935–37/2021–22 दि–16.09.21	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
60	श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डेय	सहायक अध्यापक	सुभाष राष्ट्रीय इं0 का0 सैदही	अम्बेडकर नगर	2067–69/2022–23 दि–17.06.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयो का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
61	श्रीमती विनोद सिंह	सहायक अध्यापक	ग्राम स्चावलम्बी इं0का0 रनीया	अम्बेडकर नगर	2070–72/2022–23 दि–17.06.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत

62	श्री इन्द्रानाथ मिश्रा	सहायक अध्यापक	सुभाष राष्ट्रीय इ0 का0 रौदही	अम्बेडकर नगर	2000–02/ 2022–23 दि–17.06.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
63	श्रीमती ऊषा देवी	सहायक अध्यापक	प0 जवाहरलाल नेहरू उ0मा0वि0 जयाहरनगर	अम्बेडकर नगर	11698–117 00/2021–22 दि–15.03.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
64	श्री आदित्य कुमार त्रिपाठी	सहायक अध्यापक	चण्डी प्रसाद मिश्र अक्षय चन्दा रा0वि0 पीठ इं0का0 तेंदुआईकला	अम्बेडकर नगर	2015–17/ 2022–23 दि–17.06.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
65	श्री विजय प्रताप सिह	सहायक अध्यापक	शान्ति आश्रम इं0का0 सया	अम्बेडकर नगर	2938–40/ 2021–22 दि–16.09.21	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
66	श्री शिव कुमार तिवारी	सहायक अध्यापक	श्री द्वारिका प्रसाद इं0का0 बेनीपुर	अम्बेडकर नगर	2941–43/ 2021–22 दि–16.09.21	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
67	श्री धीरज कुमार सक्सेना	सहायक अध्यापक	सी0एल0 इ0का0 छीतेपट्टी	अम्बेडकर नगर	1849–51/ 2021–22 दि–05.08.21	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
68	श्री अर्जुन सिंह	सहायक अध्यापक	श्री भीमसेन इं0का0 बड़गांव	अमेठी	1634–36/ 2022–23 दि–30.05.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत
69	श्री अरूण कुमार मिश्रा	सहायक अध्यापक	ए0एच0 इ0का0 मुसाफिरखाना	अमेठी	11755–57 /2021–22 दि–16.03.22	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत

संयुक्त शिक्षा निदेशक
अयोध्या मण्डल, अयोध्या

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0-86 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0-99 पर)

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में दिनांक 07 अगस्त 1993 से दिनांक 30 दिसम्बर 2000 के मध्य धारा–18 के अन्तर्गत नियुक्त तदर्थ शिक्षकों को किये गये विनियमितीकरण का मण्डलवार विवरण–

क्र0सं0	मण्डल का नाम	धारा 18 के अन्तर्गत कार्यरत तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण की मण्डलवार संख्या
1.	लखनऊ	49
2.	आगरा	35
3.	मुरादाबाद	51
4.	मीरजापुर	12
5.	गोरखपुर	22
6.	आजमगढ	09
7.	बरेली	28
8.	देवीपाटन	07
9.	झांसी	02
10.	चित्रकूट	09
11.	अलीगढ	06
12.	बस्ती	11
13.	अयोध्या	12
14.	मेरठ	44
15.	वाराणसी	05
16.	सहारनपुर	03
योग		305

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0-88 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0-100 पर)

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 33छ के प्राविधानों के अन्तर्गत किये गये विनियमतीकरण का मण्डलवार विवरण–

क्र0सं0	मण्डल का नाम	धारा 18 के अन्तर्गत कार्यरत तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण की मण्डलवार संख्या	कठिनाई निवारण आदेश के अन्तर्गत कार्यरत तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण की मण्डलवार संख्या
1.	लखनऊ	49	00
2.	आगरा	35	12
3.	कानपुर	00	37
4.	मुरादाबाद	51	10
5.	मीरजापुर	12	00
6.	गोरखपुर	22	42
7.	आजमगढ	09	31
8.	बरेली	28	02
9.	देवीपाटन	07	11
10.	झांसी	02	00
11.	चित्रकूट	09	00
12.	अलीगढ	06	21
13.	बस्ती	11	02
14.	प्रयागराज	00	00
15.	अयोध्या	12	06
16.	मेरठ	44	95
17.	वाराणसी	05	31
18.	सहारनपुर	03	03
योग		305	303

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0-100 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0-106 पर)

संख्याः 3586 /33-सेल/2018

प्रेषक,

जितेन्द्र बहादुर सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

समस्त अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।

जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक। लखनऊः दिनांकः 15 नवम्बर, 2018

विषयः- प्रदेश की जिला पंचायतों द्वारा निर्मित करायी जा चुकी एवं निर्मित करायी जाने वाली परियोजनाओं का मा0 मुख्य मंत्री जी एवं मा0 पंचायती राज मंत्री जी द्वारा लोकार्पण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्राप्त उच्चादेशों के क्रम में अवगत कराना है कि प्रदेश की समस्त जिला पंचायतो द्वारा निर्माण कार्यो से सम्बन्धित जो भी योजनायें क्रियान्वित की जा रही है उनका लोकार्पण किया जाना है तथा शिला-पट्ट पर मा0 मुख्य मंत्री जी, मा0 पंचायती राज मंत्री जी एवं मा0 स्थानीय जन-प्रतिनिधियों का नाम अंकित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे आप से यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपनी जिला पंचायत द्वारा निर्मित करायी जा चुकी एवं निर्मित की जाने वाली परियोजनाओं की सूची प्राथमिकता के आधार पर पत्र प्राप्ति के तीन दिन के अन्दर प्रत्येक दशा में अनुश्रवण कोष्ठक कार्यालय को साफ्ट कापी में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि लोकार्पण से पूर्व अन्य आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराते हुए यथा-समय लोकार्पण कराया जा सके।

आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

J.B.Singh

(जितेन्द्र बहादुर सिंह)
विशेष सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता
संख्या–727 /33–2–2020–42 / 08टीसी

प्रेषक,

राकेश कुमार
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

8/22

सेवा में,

1– समस्त मुख्य विकास अधिकारी /
मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायतें उ0प्र0।

2– समस्त अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायतें उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–2 लखनऊ : दिनॉक : 13 मार्च, 2020

विषयः– उत्तर प्रदेश विधान की प्राक्कलन समिति (2019–2020) की बैठक दिनांक 11–2–2020 में दिये गये आद्योपान्त निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश विधान की प्राक्कलन समिति (2019–2020) की बैठक दिनाक 11–2–2020 में श्री राम प्रताप सिंह चौहान, मा0 सदस्य द्वारा जिला पंचायतों के माध्यम से कराये जाने वालें कार्यो की जो पट्टिका लगायी जाती है, उसमें क्षेत्रीय विधायक का नाम बहुत छोटे अक्षरों में एक कोने में लिखा जाता है, जो पढ़ने में नहीं आता है, का तथ्य मा0 समिति के संज्ञान में लगाया गया है। उक्त के क्रम में मा0 समिति द्वारा मा0 सांसद एवं विधायगण के नाम मानक के अनुरूप पठनीय एवं बड़े अक्षरों में नाम अंकित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले कार्यो में क्षेत्रीय विधायक एवं क्षेत्रीय सांसद का नाम नियमानुसार मानक के रूप से पठनीय एवं बड़े अक्षरों में अंकित कराने की नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राकेश कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उपर्युक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही हेतु समस्त जिला पंचायतों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अवधेश कुमार खरे)
उप सचिव।

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0-146 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0-132 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2022 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित डॉ0 नीरज बोरा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-146 की सूची

क्र0 सं0	उत्तर विधान सभा क्षेत्र में स्थित परिषदीय विद्यालयों के नाम	छात्र संख्या			शिक्षक संख्या			शिक्षणेत्तर संख्या
		बालक	बालिका	योग	प्र0अ0	सहायक अध्यापक	योग	
1	प्रा0वि0 गोडियन पुरवा	63	56	119	0	1	1	0
2	प्रा0वि0 सेमरा गढी	85	74	159	1	2	3	0
3	प्रा0वि0 पल्टन खदरी	85	76	161	0	1	1	0
4	प्रा0वि0 सराय हसनगंज	48	36	84	0	2	2	0
5	प्रा0वि0 फैजुल्लागंज	108	112	220	0	1	1	0
6	प्रा0वि0 मडियॉव द्वितीय	32	54	86	0	2	2	0
7	प्रा0वि0 इरादतनगर	168	139	307	0	1	1	0
8	प्रा0वि0 छावनी मडियॉव	68	68	136	0	2	2	0
9	प्रा0वि0 सिकन्दरपुर	52	52	104	0	1	1	0
10	प्रा0वि0 गाजीपुर बलराम	111	81	192	0	1	1	0
11	प्रा0वि0 पुरनिया द्वितीय	52	50	102	1	2	3	0
12	प्रा0वि0 बरौलिया प्रथम	59	46	105	0	1	1	0
13	प्रा0वि0 बरौलिया द्वितीय	28	39	67	0	0	0	0
14	प्रा0वि0 त्रिवेणीनगर	78	76	154	1	0	1	0
15	प्रा0वि0 चॉदगंज	80	85	165	1	3	4	0
16	प्रा0वि0 अहिवरनपुर	58	48	104	0	1	1	0
17	प्रा0वि0 वटहा सबौली	96	106	202	0	1	1	0
18	प्रा0वि0 छड़या पुरवा	75	74	149	1	1	2	0
19	बेसिक विद्यालय मडियॉव	200	202	402	0	3	3	1
20	बेसिक विद्यालय मुकारिम नगर	99	93	192	1	3	4	0
21	पू0मा0वि0 छावनी मडियॉव	122	102	224	0	1	1	0
22	पू0मा0वि0 गाजीपुर बलराम	87	82	169	0	0	0	0
23	बेसिक विद्यालय जवाहर नगर	80	59	139	0	4	4	0
24	बेसिक कन्या कम्पोजिट पुलगामा	39	28	67	0	1	1	1
25	बेसिक विद्यालय लाजपतनगर	404	353	757	0	3	3	0
26	बेसिक विद्यालय निरालानगर	98	69	167	0	5	5	0
27	प्रा0वि0 लाहौरगंज	56	42	98	0	3	3	1
	योग	**2529**	**2302**	**4831**	**6**	**46**	**52**	**3**

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0-155 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0-138 पर)

विधानसभा के द्वितीय सत्र 2022 के 1–मंगलवार के लिए श्री महेन्द्र नाथ यादव विधानसभा सदस्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–155 के सम्बन्ध में। तहसील–डुमरियागंज

कृषि आवंटन

क्रम सं0	ग्राम का नाम	आवंटी का नाम	पिता / पति का नाम	जाति	गाटा	क्षेत्रफल हे0 में	स्वीकृत दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अगया तप्पा–भानपुर	करन	बाबूराम	चमार	206मि.	0.0170	24.10.2003
2	अगया तप्पा–भानपुर	बरन	बाबूराम	चमार	206मि.	0.0170	24.10.2003
3	अगया तप्पा–भानपुर	लाले	झिनगुन	चमार	206मि.	0.0170	24.10.2003
4	अगया तप्पा–भानपुर	श्रीमती श्यामरंजी	रामभरोसे	चमार	454मि.	0.0170	24.10.2003
5	अगया तप्पा–भानपुर	श्रीमती रमपाती	सत्तन	चमार	454मि.	0.0170	24.10.2003
6	अगया तप्पा–भानपुर	मुनीर	शकूर	धुनिया	206मि.	0.0170	24.10.2003
7	अगया तप्पा–भानपुर	सफी मेहम्मद	वली मो0	धुनिया	206मि.	0.0170	24.10.2003
8	अगया तप्पा–भानपुर	जान मोहम्मद	वली मो0	धुनिया	206मि.	0.0170	24.10.2003
9	अगया तप्पा–भानपुर	महबूब	पीर मो0	धुनिया	206मि.	0.0170	24.10.2003
10	अगया तप्पा–भानपुर	जुम्मन	बेचू	धुनिया	206मि.	0.0170	24.10.2003
11	अगया तप्पा–भानपुर	नूर मोहम्मद	बेचू	धुनिया	206मि.	0.0170	24.10.2003
12	अगया तप्पा–भानपुर	अब्दुल करीम	दीन मो0	धुनिया	206मि.	0.0170	24.10.2003
13	अगया तप्पा–भानपुर	छोटेलाल	गुरुप्रसाद	कोहार	454मि.	0.0170	24.10.2003
14	अगया तप्पा–भानपुर	फेरन	बच्चूलाल	कोहार	454मि.	0.0170	24.10.2003
15	अगया तप्पा–भानपुर	रामानन्द	सम्पति	कोहार	454मि.	0.0170	24.10.2003
16	अगया तप्पा–भानपुर	बिफई	सम्पति	कोहार	454मि.	0.0170	24.10.2003
17	अगया तप्पा–भानपुर	घमालू	दयाराम	कोहार	206मि.	0.0170	24.10.2003
18	अगया तप्पा–भानपुर	छबिलाल	दयाराम	अहिर	206मि.	0.0170	24.10.2003
19	अगया तप्पा–भानपुर	कु0 चन्द्रमती	भागमती	अहिर	206मि.	0.0170	24.10.2003
20	अगया तप्पा–भानपुर	कु0 कुसुम	भगौती	अहिर	206मि.	0.0170	24.10.2003
21	अगया तप्पा–भानपुर	कु0 रुकुम	स्व0 धन्ने	अहिर	206मि.	0.0170	24.10.2003
22	अगया तप्पा–भानपुर	कल्लू	दुखहरन	कोहार	206मि.	0.0170	24.10.2003
23	अगया तप्पा–भानपुर	चिनमुन	दुखहरन	कोहार	206मि.	0.0170	24.10.2003
24	अगया तप्पा–भानपुर	चिथारु	दखहरन	कोहार	206मि.	0.0170	24.10.2003
25	अगया तप्पा–भानपुर	रज्जन	जुम्मन	कोहार	206मि.	0.0170	24.10.2003
26	अगया तप्पा–भानपुर	समाजू	दयाराम	अहिर	206मि.	0.0170	24.10.2003
27	अगया तप्पा–भानपुर	हरिभजन उर्फ मूसे	दयाराम	अहिर	206मि.	0.0170	24.10.2003
28	अगया तप्पा–भानपुर	मुन्नू	दुखरन	कोहार	206मि.	0.0170	24.10.2003
29	अगया तप्पा–भानपुर	जोखन	कामता	कोहार	206मि.	0.0170	24.10.2003
30	अगया तप्पा–भानपुर	जीवन	कल्लू	कोहार	206मि.	0.0170	24.10.2003
31	अगया तप्पा–भानपुर	कल्लू	वीरे	कोहार	206मि.	0.0170	24.10.2003
32	अगया तप्पा–भानपुर	शोभा	शिवलखन	गोसाई	206मि.	0.0170	24.10.2003

24/09/2022

33	अगया तप्पा–भानपुर	टिकोरी	शिवलखन	गोसाई	206मि.	0.0170	24.10.2003
34	अगया तप्पा–भानपुर	भगवानदास	खेलावन	वरई	206मि.	0.0170	24.10.2003
35	अगया तप्पा–भानपुर	हरिनरायन	रामदुलारे	ब्राम्हण	206मि.	0.0170	24.10.2003
36	अगया तप्पा–भानपुर	जग्गन	बुल्लुर	चमार	206मि.	0.0170	24.10.2003
37	अगया तप्पा–भानपुर	मंगरे	नरायन	चमार	206मि.	0.0170	24.10.2003
38	अगया तप्पा–भानपुर	रोशन	अचल	चमार	483मि.	0.0170	24.10.2003
39	अगया तप्पा–भानपुर	औरोनी	मंहगी	चमार	483मि.	0.0170	24.10.2003
40	अगया तप्पा–भानपुर	विनोद	भग्गन	चमार	483मि.	0.0170	24.10.2003
41	अगया तप्पा–भानपुर	विजय	भग्गन	चमार	483मि.	0.0170	24.10.2003
42	अगया तप्पा–भानपुर	विमलेश	भग्गन	चमार	454मि.	0.0170	24.10.2003
43	अगया तप्पा–भानपुर	सोखई	मंहगी	चमार	454मि.	0.0170	24.10.2003
44	अगया तप्पा–भानपुर	वंशराज	विशम्भर	चमार	454मि.	0.0170	24.10.2003
45	अगया तप्पा–भानपुर	जेठू	वंशी	चमार	206मि.	0.0170	24.10.2003
46	अगया तप्पा–भानपुर	रामगोपाल	जैजैराम	चमार	483मि	0.0170	24.10.2003
47	अगया तप्पा–भानपुर	चन्द्रकी	जैजैराम	चमार	454मि.	0.0170	24.10.2003
48	अगया तप्पा–भानपुर	अयोध्या	जैजैराम	चमार	454मि.	0.0170	24.10.2003
49	अगया तप्पा–भानपुर	रामप्यारे	जैजैराम	चमार	454मि.	0.0170	24.10.2003
50	अगया तप्पा–भानपुर	श्रीराम	गोविन्द	चमार	454मि.	0.0170	24.10.2003
51	अगया तप्पा–भानपुर	झिनकन	वंशी	चमार	206मि.	0.0170	24.10.2003
52	अगया तप्पा–भानपुर	रामअचल	बंशी	चमार	206मि.	0.0170	24.10.2003
53	अगया तप्पा–भानपुर	भदई	वंशी	चमार	206मि.	0.0170	24.10.2003
54	अगया तप्पा–भानपुर	हरखू	बंशी	चमार	206मि.	0.0170	24.10.2003
55	अगया तप्पा–भानपुर	गोपाल	सोमई	चमार	206मि.	0.0170	24.10.2003
56	अगया तप्पा–भानपुर	झिन्नेलाल	अगनू	चमार	206मि.	0.0170	24.10.2003
57	अगया तप्पा–भानपुर	सोमई	बंशी	चमार	206मि.	0.0170	24.10.2003
58	अगया तप्पा–भानपुर	मोती	मन्नी	चमार	206मि.	0.0170	24.10.2003
59	अगया तप्पा–भानपुर	झिनकन	मतऊ	चमार	206मि.	0.0170	24.10.2003
60	अगया तप्पा–भानपुर	सुखई	बुद्धू	चमार	483मि.	0.0170	24.10.2003

Agarwal
21/9/22
02/9/22

नत्थी 'ठ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0-181 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0-152 पर)

कार्यालय बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर

यमुनापुरम कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स, महात्मा गांधी मार्ग, बुलन्दशहर 203001 (उ0प्र0)

भवन निर्माण अनुज्ञा-पत्र

पत्रांक -७९७/बु0वि0प्रा0/2013 दिनांक 05.10.13

सेवा मे

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
बुलन्दशहर।

महोदय,

कृपया आपके द्वारा राजे बाबू मार्ग पर स्थित प्लॉट नं0 213, खाता संख्या 409, राज्य सम्पत्ति जिला बोर्ड, बुलन्दशहर की 6271.084 वर्ग मी0 (नेट) भूमि पर प्रस्तावित मानचित्र संख्या 40/2013 पर जन सामान्य से प्राप्त आपत्ति/सुझावो का निस्तारण उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 02.05.13 को करने के उपरान्त प्रस्तुत मानचित्र की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की गयी है –

1. मानचित्र स्वीकृति पाच वर्ष तक वैध है। समस्त निर्माण/विकास कार्य निर्धारित अवधि मे ही पूर्ण करना होगा।
2. भवन मानचित्र की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि सिलिंग/भू-अर्जन/नूजूल/ग्राम समाज सहित भू-स्वामित्व मामलो म यदि कोई विवाद अथवा अन्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वय होगी तथा स्वीकृत मानचित्र स्वत ही निरस्त समझा जायेगा।
3. मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोजन मे लाया जायेगा।
4. निर्माण करते समय सडक, सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री नही रखी जायेगी और गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध करना होगा।
5. स्वीकृत मानचित्र एव मानचित्र पर अकित शर्तो तथा नियमो के अनुसार ही निर्माण कार्य कराया जायेगा।
6. स्वीकृत मानचित्र सर्वत्र निर्माण स्थल पर ही उपलब्ध होना ताकि मौके पर निर्माण करते समय उसे देखा जा सके।
7. स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शुल्क अभिशमन अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
8. भवन निर्माण/विकास कार्य समाप्त होने के उपरान्त सम्पूर्ण प्रमाण पत्र विकास प्राधिकरण से नियमानुसार प्राप्त करने के पश्चात् ही भवन उपयोग मे लाया जायेगा।
9. पार्किंग हेतु आरक्षित स्थल पर किसी भी प्रकार का निर्माण/प्रयोजन अनुमन्य नही होगा।
10. यदि भविष्य में विकास/सुधार आदि कार्यो हेतु या किसी अन्य प्रयोजन हेतु यह बिना किसी आपत्ति के देय होगा, जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य हेतु उपयुक्त नहीं होगा वहां पर सम्पत्ति अथवा स्थानीय निकाय की दिवालिया करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
11. भवन निर्माण करते समय श्रमकानूनों सम्बन्धी का पालन करना होगा।
12. स्वीकृत मानचित्र के निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार का विचलन परिवर्तन/परिवर्द्धन से पूर्व प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
13. पार्कों तथा खुले स्थान मे मानको के अनुसार ऐसे पेड पौधो का वृक्षारोपण किया जायेगा जिसको न्यूनतम जल की आवश्यकता है, जो ग्रीष्म ऋतु में हरे भरे रह सकें।
14. आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र का पालन करना होगा। उल्लंघन की दशा मे मानचित्र निरस्त समझा जायेगा।
15. आवेदक को पर्यावरण तथा अन्य सम्बन्धित विभाग/स्थानीय निकाय द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशो का पालन करना होगा।
16. बेसमेंट से जल निकासी की उचित व्यवस्था करनी होगी।

इस अनुज्ञा पत्र की क्रम सं0 1 से 16 तक अंकित शर्तो का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। उपरोक्तानुसार स्वीकृति के अनुपालन मे मानचित्र निर्गत किया जाता है।

भवदीय

ए0 के0 सिंह
सहायक अभियन्ता
बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बुलन्दशहर

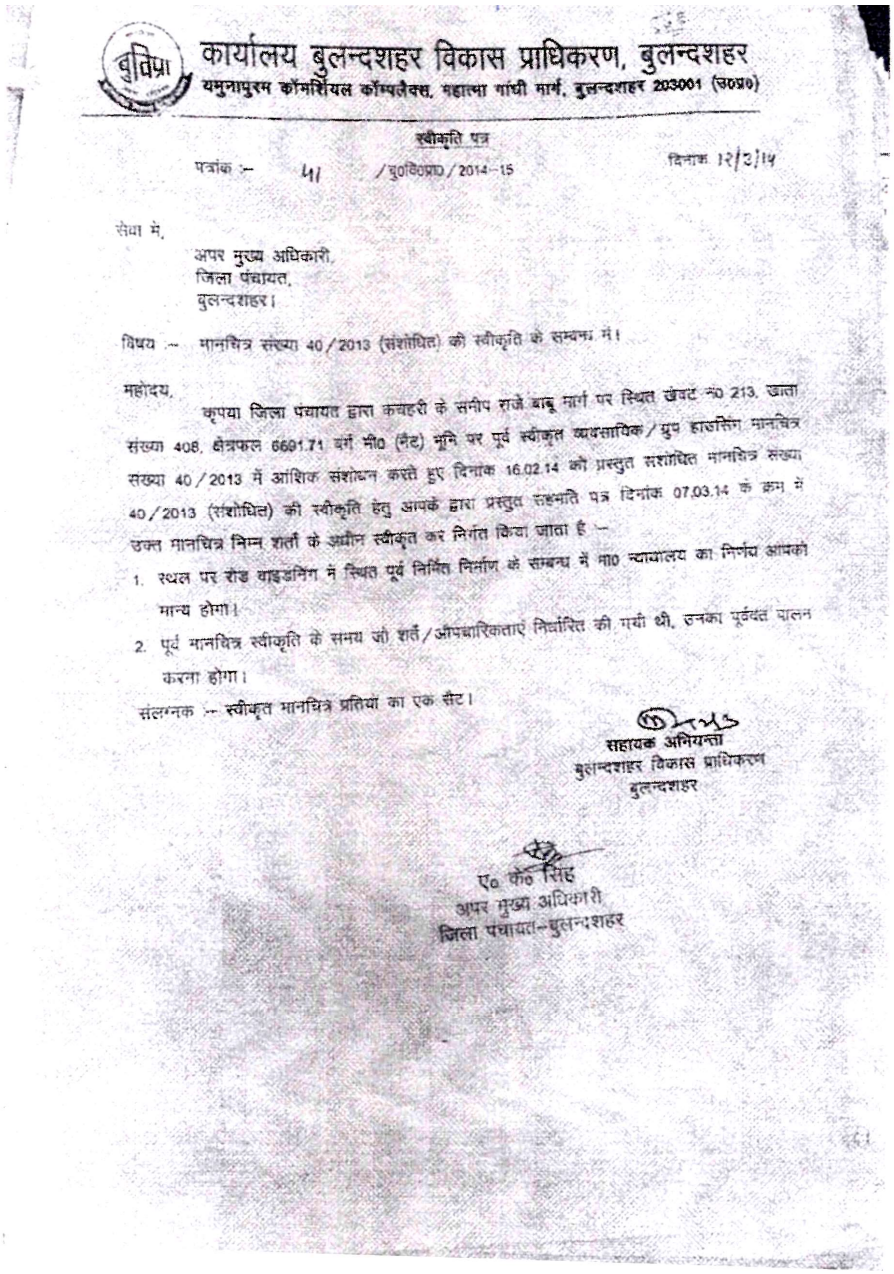

कार्यालय बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर

यमुनापुरम कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स, महात्मा गांधी मार्ग, बुलन्दशहर 203001 (उ0प्र0)

स्वीकृति पत्र

पत्रांक :– 41 /बु0वि0प्रा0/2014–15 दिनांक 12/3/14

सेवा में,

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
बुलन्दशहर।

विषय :– मानचित्र संख्या 40/2013 (संशोधित) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया जिला पंचायत द्वारा कचहरी के समीप राजे बाबू मार्ग पर स्थित खेवट नं0 213, खाता संख्या 408, क्षेत्रफल 6691.71 वर्ग मी0 (नैट) भूमि पर पूर्व स्वीकृत व्यवसायिक/मुख हाउसिंग मानचित्र संख्या 40/2013 में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 16.02.14 को प्रस्तुत संशोधित मानचित्र संख्या 40/2013 (संशोधित) की स्वीकृति हेतु आपके द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र दिनांक 07.03.14 के क्रम में उक्त मानचित्र निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत कर निर्गत किया जाता है :–

1. स्थल पर रोड वाइडनिंग में स्थित पूर्व निर्मित निर्माण के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय का निर्णय आपको मान्य होगा।
2. पूर्व मानचित्र स्वीकृति के समय जो शर्तें/औपचारिकताएं निर्धारित की गयी थी, उनका पूर्ववत पालन करना होगा।

संलग्नक :– स्वीकृत मानचित्र प्रतियों का एक सैट।

सहायक अभियन्ता
बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण
बुलन्दशहर

ए0 के0 सिंह
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत–बुलन्दशहर

नत्थी 'ड'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0-197 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0-161 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2022 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित श्री इजी० बृजेश कठेरिया, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-197 के उत्तर का संलग्नक।

वर्ष 2018-19 से 26 जुलाई, 2022 तक दैवीय आपदा के अन्तर्गत लाभान्वित लाभार्थियों की सूची

क्र0	तहसील का नाम	विकास खण्ड का नाम	लाभार्थी का नाम (सर्व श्री /श्रीमती)	पिता/ पति का नाम (सर्व श्री)	श्रेणी	ग्राम का नाम	दैवीय आपदा का स्वरुप	लाभान्वित होने का वर्ष
1	भोगांव	बेवर	रामगोपाल	सरनाम सिंह	अ0पि0व0	जल्लापुर दिखतगई	अतिवृष्टि	2018-19
2	किशनी	बेवर	श्रीकृष्ण	छोटेलाल	अ0पि0व0	नुनारी	अग्निपीड़ित	2018-19
3	किशनी	बेवर	श्रीदेवी	लज्जाराम	अ0पि0व0	नुनारी	अग्निपीड़ित	2018-19
4	करहल	करहल	शिवपाल सिंह	ज्ञानसिंह	सामान्य	पतारा	अतिवृष्टि	2018-19
5	किशनी	किशनी	श्यामादेवी	राजेन्द्र सिंह	अ0पि0व0	कमलपुर	अग्निपीड़ित	2018-19
6	किशनी	किशनी	हिनाबेगम	सलमानखान	अल्पसंख्यक	जटपुरा	अग्निपीड़ित	2018-19
7	किशनी	किशनी	लक्ष्मी देवी	देशराज	अ0पि0व0	नैगवाँखिरिया	अग्निपीड़ित	2018-19
8	कुरावली	सुल्तानगंज	मीरा	राजपाल	अ0पि0व0	बृजपुर	अग्निपीड़ित	2018-19
9	भोगांव	जागीर	शिवशंकर	मेघसिंह	अ0पि0व0	पुडरी	अतिवृष्टि	2018-19
10	भोगांव	बेवर	धीरेन्द्र	शैतान सिंह	अ0पि0व0	बरौली	अतिवृष्टि	2019-20
11	करहल	करहल	आजमखाँ	सूबेदार	अल्पसंख्यक	राजपुर	अग्निकाण्ड	2019-20
12	घिरोर	मैनपुरी	किशनलाल	बलवन्त	अ0पि0व0	न0 उधन्ना गोंगसी	अग्निकाण्ड	2019-20
13	घिरोर	घिरोर	दिनेश	बलवीर	अ0पि0व0	प्रानपुर औरंगाबाद	अतिवृष्टि	2019-20
14	घिरोर	घिरोर	फूलमाला	मुन्नालाल	अ0पि0व0	ओय	अतिवृष्टि	2019-20
15	घिरोर	घिरोर	संतोष कुमार	रामरूप	अ0पि0व0	महटौली	अतिवृष्टि	2019-20
16	भोगांव	जागीर	उमाशंकर	मेघसिंह	अ0पि0व0	पुडरी	अतिवृष्टि	2019-20
17	भोगांव	बेवर	रमेश चन्द्र	सियाराम	अनु0जाति	न0 तारा नुनारी	अग्निकाण्ड	2019-20
18	भोगांव	बेवर	गुड्डी देवी	रामशरन	अनु0जाति	गग्गरवाला	अग्निकाण्ड	2019-20
19	करहल	करहल	सुघर सिंह	ज्योतिलाल	अनु0जाति	नसीरपुर, शंकरपुर	अग्निकाण्ड	2019-20
20	घिरोर	घिरोर	शनीकुमार	रामचन्द्र	अनु0जाति	न0प्राण घिरोर देहात	अतिवृष्टि	2019-20
21	किशनी	किशनी	रजनी देवी	सत्यवीर	अनु0जाति	न0 गवे	अग्निकाण्ड	2019-20
22	किशनी	किशनी	सत्यवीर सिंह	पहुँचीलाल	अनु0जाति	सोनारी	अग्निकाण्ड	2019-20
23	करहल	बरनाहल	जयवीर	रक्षपालसिंह	अ0पि0व0	सोडरा	अतिवृष्टि	2020-21
24	करहल	बरनाहल	उमेश	रामदुलारे	अनु0जाति	बरनाहल	अतिवृष्टि	2020-21
25	भोगांव	बेवर	राममूर्ति	अजयपाल	अ0पि0व0	तिलियानी	अतिवृष्टि	2020-21
26	भोगांव	बेवर	दुर्गा देवी	रामशरन	अनु0जाति	शीलबन्त बेवर देहात	अतिवृष्टि	2020-21
27	करहल	करहल	मुन्नी देवी	विशुनदयाल	अ0पि0व0	बोंसाक	अतिवृष्टि	2020-21
28	करहल	करहल	शैलेन्द्र कुमार	अनौखेलाल	सामान्य	तखरऊ	अतिवृष्टि	2020-21
29	करहल	करहल	रतनादेवी	बलराम	सामान्य	सुल्तानपुर पतारा	अतिवृष्टि	2020-21
30	करहल	करहल	तहसीलदार	अशर्फी लाल	अनु0जाति	सिकन्दरपुर पतारा	अतिवृष्टि	2020-21
31	करहल	करहल	आशा देवी	प्रमोद कुमार	अनु0जाति	बांसाक	अतिवृष्टि	2020-21
32	करहल	करहल	सर्वेश कुमार	रामप्रकाश	अनु0जाति	सहन	अतिवृष्टि	2020-21
33	मैनपुरी	मैनपुरी	मुकेश	गंगाराम	अनु0जाति	नगला नया औडेन्य पड़रिया	अग्निकाण्ड	2020-21
34	घिरोर	घिरोर	पवन कुमार	चन्द्रपाल	सामान्य	उसनीधा	अतिवृष्टि	2020-21
35	किशनी	किशनी	सन्तोष कुमार	श्याम दुलारे	सामान्य	सींगपुर	अतिवृष्टि	2020-21
36	किशनी	किशनी	श्रीमती अतरश्री	नाहर सिंह	अनु0जाति	कुरसण्डा	अतिवृष्टि	2020-21
37	भोगांव	सुल्तानगंज	रीना	गिरन्द	सामान्य	किन्हावर	अग्निकाण्ड	2020-21

38	भोगांव	जागीर	रेखा	नरेशचन्द्र	सामान्य	मेरापुर गुजराती	अतिवृष्टि	2020-21
39	भोगांव	जागीर	मार्गश्री	शिवराज	सामान्य	विक्रमपुर हथपऊ	अतिवृष्टि	2020-21
40	भोगांव	जागीर	मनोज कुमारी	अखिलेश कुमार	सामान्य	सगामई	अतिवृष्टि	2020-21
41	भोगांव	जागीर	सावित्री देवी	राधेगोविन्द	सामान्य	अजीतगंज	अतिवृष्टि	2020-21
42	भोगांव	जागीर	भैरो सिंह	राम सिंह	सामान्य	भारापुर पुडरी	अतिवृष्टि	2020-21
43	भोगांव	जागीर	सुमन	रंजीत	सामान्य	पड़ौरा हथपऊ	अतिवृष्टि	2020-21
44	भोगांव	जागीर	जसवन्त	रामसिंह	सामान्य	बखतपुर पुडरी	अतिवृष्टि	2020-21
45	भोगांव	जागीर	सतेन्द्र	सोनपाल	सामान्य	रतनपुर बरा	अतिवृष्टि	2020-21
46	भोगांव	जागीर	राजेन्द्र सिंह	बारेलाल	अनु0जाति	सगामई	अतिवृष्टि	2020-21
47	घिरोर	जागीर	जूली	धर्मेन्द्र कुमार	अनु0जाति	मेरापुर गुजराती	अतिवृष्टि	2020-21
48	भोगांव	जागीर	लाखन सिंह	गंगाराम	अनु0जाति	मानपुर पुडरी	अतिवृष्टि	2020-21
49	भोगांव	जागीर	रामवरन	जयलाल	अनु0जाति	मानपुर पुडरी	अतिवृष्टि	2020-21
50	भोगांव	जागीर	रामपाल	रामचन्द्र	अनु0जाति	पुडरी	अतिवृष्टि	2020-21
51	भोगांव	जागीर	पप्पी	बड़ेलाल	अनु0जाति	पुडरी	अतिवृष्टि	2020-21
52	भोगांव	जागीर	कप्तान सिंह	जयसिंह	अनु0जाति	गुलाबपुर पुडरी	अतिवृष्टि	2020-21
53	भोगांव	जागीर	श्याम सिंह	सीताराम	अनु0जाति	गुलाबपुर पुडरी	अतिवृष्टि	2020-21
54	भोगांव	जागीर	अशोक	नेकसे	अनु0जाति	गुलाबपुर पुडरी	अतिवृष्टि	2020-21
55	भोगांव	जागीर	संजना	मदनलाल	अनु0जाति	गोपालपुर हथपऊ	अतिवृष्टि	2020-21
56	घिरोर	घिरोर	प्रेमलता	छोटे छंगे	अनु0जाति	अकबरपुर औंछा	अतिवृष्टि	2020-21
57	भोगांव	जागीर	अतर सिंह	लक्ष्मन सिंह	अनु0जाति	नगला गहियर	अतिवृष्टि	2020-21
58	भोगांव	सुल्तानगंज	रामलखन	सुरेन्द्र	अनु0जाति	बरहट जसरथपुर	अग्निकाण्ड	2021-22
59	किशनी	बेवर	सत्यपाल	सीताराम	अनु0जाति	नगला तारा नुनारी	अतिवृष्टि	2021-22
60	करहल	करहल	वीरेन्द्र सिंह	जोर सिंह	अनु0जाति	नाकऊ	अतिवृष्टि	2021-22
61	करहल	करहल	भीमसेन	रामदास	अनु0जाति	नं0 मदारी/ग्वारी	अतिवृष्टि	2021-22
62	करहल	करहल	प्रमोद कुमार	राधेश्याम	अनु0जाति	तखरऊ	अतिवृष्टि	2021-22
63	किशनी	किशनी	अवधेश नाथ	श्यामनाथ	अनु0जाति	दुम्हार	अग्निकाण्ड	2021-22
64	किशनी	किशनी	राजेश नाथ	श्यामनाथ	अनु0जाति	दुम्हार	अग्निकाण्ड	2021-22
65	किशनी	किशनी	बाँबीनाथ	हमीरनाथ	अनु0जाति	अर्जुनपुर नगला वील	अग्निकाण्ड	2021-22
66	किशनी	किशनी	रवीना	रामपाल	अनु0जाति	अर्जुनपुर नगला वील	अग्निकाण्ड	2021-22
67	किशनी	किशनी	रीता	अमरेशनाथ	अनु0जाति	अर्जुनपुर नगला वील	अग्निकाण्ड	2021-22
68	किशनी	किशनी	खुन्नानाथ	सुन्दरनाथ	अनु0जाति	अर्जुनपुर नगला वील	अग्निकाण्ड	2021-22
69	किशनी	किशनी	सुधा	राजीवनाथ	अनु0जाति	अर्जुनपुर नगला वील	अग्निकाण्ड	2021-22
70	किशनी	किशनी	पिन्टू	भारत सिंह	अनु0जाति	कैथपुर नगला चले	अग्निकाण्ड	2021-22
71	किशनी	किशनी	रेखा	मुरारीलाल	अनु0जाति	कुरसण्डा	अतिवृष्टि	2021-22
72	भोगांव	सुल्तानगंज	हाकिम सिंह	घासीराम	सामान्य	छाछा	अग्निकाण्ड	2021-22
73	भोगांव	बेवर	सुमन कुमारी	विशम्वर सिंह	सामान्य	सुल्तानपुर नबादा	अतिवृष्टि	2021-22
74	कुरावली	कुरावली	मस्ताना	हजारी	सामान्य	धरेंदा	अग्निकाण्ड	2021-22
75	करहल	करहल	स्वदेश	पुत्तूलाल	सामान्य	चक सुल्तानपुर पतारा	अतिवृष्टि	2021-22
76	करहल	करहल	शिल्पी	नरसिंह	सामान्य	चक सुल्तानपुर पतारा	अतिवृष्टि	2021-22
77	करहल	करहल	श्यामवीर	रामवरन	सामान्य	चक सुल्तानपुर पतारा	अतिवृष्टि	2021-22
78	मैनपुरी	मैनपुरी	राघवेन्द्र	महाराज सिंह	सामान्य	नौनेर	अग्निकाण्ड	2021-22
79	किशनी	किशनी	संजीव कुमार	जबर सिंह	सामान्य	सकरा बखतपुर	अग्निकाण्ड	2021-22
80	किशनी	किशनी	ममता देवी	स्व0 जगदीश चन्द्र	सामान्य	रतिभानपुर न0 शिवपुर	अतिवृष्टि	2021-22

81	किशनी	किशनी	प्रदीप	जगदीश	सामान्य	कैथपुर	अतिवृष्टि	2021-22
82	किशनी	किशनी	रामकरन	दर्शनलाल	सामान्य	लैगांव	अतिवृष्टि	2021-22
83	घिरोर	घिरोर	राजेन्द्र सिंह	रामसहाय	सामान्य	बमरौली न0फत्ते	अतिवृष्टि	2021-22
84	भोगाँव	जागीर	सरकार	रामसनेही	सामान्य	मेरापुर गुजराती	अतिवृष्टि	2021-22
85	भोगाँव	जागीर	चमेली	बदन सिंह	सामान्य	नं0 गहियर	अतिवृष्टि	2021-22
86	भोगाँव	जागीर	उमा	वेदराम	सामान्य	नबादा	अग्निकाण्ड	2021-22
87	भोगाँव	जागीर	अनीता देवी	दीपा सिंह	सामान्य	नबादा	अतिवृष्टि	2021-22
88	भोगाँव	जागीर	रीना देवी	राजू	सामान्य	नबादा	अग्निकाण्ड	2021-22
89	भोगाँव	जागीर	प्रमोद कुमार	मनसुख लाल	सामान्य	सगामई	अतिवृष्टि	2021-22
90	भोगाँव	जागीर	प्रेमसागर	सीताराम	सामान्य	सगामई	अतिवृष्टि	2021-22
91	करहल	बरनाहल	आरती देवी	शीतल सिंह	सामान्य	अहमदपुर	अतिवृष्टि	2021-22
92	कुरावली	कुरावली	दीवाना	हजारी	सामान्य	धरेंदा	अग्निकाण्ड	2021-22
93	करहल	करहल	रामनरेश	राजाराम	अनु0जाति	तखरऊ	अतिवृष्टि	2021-22
94	किशनी	किशनी	गुलाब सिंह	राधेश्याम	अनु0जाति	हिरौली	अतिवृष्टि	2021-22
95	भोगाँव	सुल्तानगंज	शकुन्तला देवी	स्य0 साहब सिंह	अनु0जाति	किन्हावर	अतिवृष्टि	2021-22

पी0एस0यू0पी0-एल0 88 विधान सभा (142)-02-08-2023-76 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।